




सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 जोधपुर रीजन



जोधपुर विकास प्राधिकरण



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

मास्टर डवलपमेन्ट प्लान
जोधपुर रीजन
2013–2031

(जोधपुर विकास प्राधिकरण, अधिनियम-2009 के अन्तर्गत तैयार किया गया)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

नगर नियोजन विभाग
राजस्थान, जयपुर

योजना दल

नगर नियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर

1.	श्री राजेन्द्र कुमार विजयवर्गीय	मुख्य नगर नियोजक
2.	श्री संदीप दंडवते	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
3.	श्री भूपेन्द्र कुमार	वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
4.	श्री बाबूलाल बाज्या	जी.आई.एस. विशेषज्ञ
5.	श्री रतन चौरसियां	जी.आई.एस. विशेषज्ञ
6.	श्री एस.के. इन्सान अहमद	जी.आई.एस. विशेषज्ञ

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

1.	डॉ. राजेश शर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री कमर उल जमान चौधरी	आयुक्त
3.	श्री हरभान मीणा	सचिव
4.	श्री राकेश शर्मा	उप-सचिव
5.	श्री ओ.पी. पारीक	निदेशक (आयोजना) 23.09.2020 तक
6.	श्री राजेश वर्मा	निदेशक (आयोजना)
7.	श्री जगदीश कुमार	निदेशक (विधि)
8.	श्री लाडूराम विश्नोई	निदेशक (अभियांत्रिकी)
9.	श्री अनिल पूनिया	उपायुक्त-पूर्व
10.	श्री नीरज मिश्र	उपायुक्त-पश्चिम
11.	श्रीमति कंचन राठौड़	उपायुक्त-उत्तर
12.	श्री राजेन्द्र चांदावत	उपायुक्त-दक्षिण
13.	श्री अनुज अग्रवाल	उप नगर नियोजक
14.	श्री लोकेन्द्र शिव मीणा	उप नगर नियोजक
15.	श्री गणपत लाल सुथार	सहायक नगर नियोजक
16.	श्री सौरभ गहलोत	सहायक नगर नियोजक
17.	प्रियंका चौपड़ा	सहायक नगर नियोजक
18.	श्री संजय माथुर	सहायक नगर नियोजक

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
योजना दल.....	i
विषय सूची.....	ii
तालिका सूची.....	viii
परिशिष्ट सूची.....	x
मास्टर डवलपमेन्ट प्लान.....	1
1.0 परिचय.....	2
2.0 विद्यमान विशेषताएँ.....	8
2.1 भौतिक संरचना.....	8
2.2 जलवायु.....	9
2.3 क्षेत्रिय परिप्रेक्ष्य.....	10
2.4 ऐतिहासिक.....	10
2.5 जनांकिकी.....	13
2.6 व्यावसायिक संरचना.....	14
2.7 विद्यमान भू-उपयोग.....	15
2.7.1 आवासीय.....	17
(अ) आवासन.....	19
(ब) एफोर्डेबल हाउसिंग.....	19
(स) कच्ची बस्तियाँ.....	20
2.7.2 वाणिज्यिक.....	23
2.7.3 औद्योगिक.....	28

2.7.4 राजकीय.....	32
(अ) सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय.....	32
(ब) राजकीय आरक्षित.....	33
2.7.5 आमोद-प्रमोद.....	35
(अ) उद्यान, खुले स्थल.....	35
(ब) स्टेडियम एवं खेल मैदान.....	35
(स) मेला एवं पर्यटन स्थल.....	38
(द) अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन.....	44
2.7.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.....	45
(अ) शैक्षणिक.....	45
(ब) चिकित्सा.....	49
(स) सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक स्मारक, धरोहर स्थल.....	52
(द) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ.....	55
2.7.7 जनोपयोगी सुविधाएँ.....	56
(अ) जलापूर्ति.....	56
(ब) मल-जल, ठोस अपशिष्ट एवं वर्षा जल निकास प्रणाली सीवर प्रणाली.....	60
(स) विद्युत आपूर्ति.....	63
(द) श्मशान एवं कब्रिस्तान.....	66
2.7.8 परिसंचरण.....	66
2.8 कृषि, फलोद्यान, पशुपालन एवं डेयरी का विकास.....	71

3.0 नियोजन की संकल्पना.....	72
3.1 नियोजन की नीतियाँ.....	73
3.2 नियोजन के सिद्धान्त.....	74
4.0 भावी आकार.....	81
4.1 जनांकिकी.....	81
4.2 व्यावसायिक संरचना.....	82
4.3 आधारभूत सुविधा प्रक्षेपण.....	83
4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र.....	86
4.5 जोधपुर रीजन मानचित्र.....	87
4.6 भूमि उपयोग (Land Utilization).....	87
4.6.1 नगरीय क्षेत्र-1 (U-1).....	90
(A) परकोटा एवं समीप के बाहरी निर्मित योजना क्षेत्र.....	90
(B) सरदारपुरा योजना क्षेत्र.....	91
(C) बासनी योजना क्षेत्र.....	91
(D) चौपासनी योजना क्षेत्र.....	92
(E) पाल योजना क्षेत्र.....	92
(F) सांगरिया योजना क्षेत्र.....	92
(G) छावनी योजना क्षेत्र.....	93
(H) मंडोर योजना क्षेत्र.....	93
(I) करवड योजना क्षेत्र.....	94
(J) बनाड़ योजना क्षेत्र.....	94
(K) भाकरासनी योजना क्षेत्र.....	94
4.6.2 नगरीय क्षेत्र-2 (U2).....	95

4.6.3 नगरीय क्षेत्र-3 (U3).....	96
4.6.4 ग्रामीण क्षेत्र.....	96
5.0 भू-उपयोग योजना.....	98
5.1 आवासीय.....	100
5.1.1 आवासन.....	100
5.1.2 आवासीय योजना क्षेत्र.....	101
5.1.3 नगरीय नवीनीकरण.....	102
5.1.4 कच्ची बस्तियाँ.....	102
5.1.5 अफोर्डेबल हाउसिंग.....	103
5.1.6 विशेष क्षेत्र.....	103
5.2 वाणिज्यिक.....	104
5.2.1 वाणिज्यिक गतिविधियाँ.....	104
5.2.2 वाणिज्यिक केन्द्र.....	105
5.2.3 स्थानीय खरीददारी केन्द्र.....	105
5.2.4 सुविधाजनक दुकानें.....	106
5.2.5 विशिष्ट वर्गीकृत एवं थोक बाजार.....	106
5.2.6 भण्डारण गृह एवं गोदाम.....	106
5.2.7 व्यापार एवं वित्तीय गतिविधि केन्द्र.....	107
5.2.8 मिश्रित भू-उपयोग.....	107
5.2.9 औद्योगिक क्षेत्र.....	109
5.3 राजकीय.....	112
5.3.1 सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय.....	112
5.3.2 राजकीय आरक्षित.....	112

5.4 आमोद-प्रमोद.....	113
5.4.1 उद्यान, खुले स्थल एवं खेल के मैदान.....	113
5.4.2 अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन.....	114
5.5 पर्यटन.....	115
5.5.1 लोककला एवं लोक नृत्यों का संरक्षण.....	115
5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.....	116
5.6.1 शैक्षणिक.....	116
5.6.2 चिकित्सा.....	117
5.6.3 सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण.....	118
5.6.4 अन्य सामुदायिक सुविधाएँ.....	118
5.6.5 श्मशान एवं कब्रिस्तान.....	119
5.7 जन उपयोगिताएं.....	119
5.7.1 जलापूर्ति.....	119
5.7.2 मल-जल निस्तारण, ठोस कचरा प्रबन्धन.....	122
5.7.3 विद्युत आपूर्ति.....	124
5.8 परिसंचरण.....	125
5.8.1 बस स्टेण्ड एवं ट्रक टर्मिनल.....	130
5.8.2 रेल एवं हवाई सेवा.....	131
5.8.3 मास रेपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम/मेट्रो रेल परियोजना.....	133
5.8.4 सार्वजनिक यातायात सुविधा.....	135
5.8.5 सड़कों का सुधार.....	135
5.8.6 सड़कों का अंतर्विभाजन.....	136
5.8.7 यातायात अन्तः परिवर्तन.....	137

5.8.8 राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग नियन्त्रण पट्टी.....	137
5.8.9 चौराहों/जंक्शनों का विकास.....	137
5.8.10 पार्किंग व्यवस्था.....	139
5.9 पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण.....	139
5.10 आपदा प्रबन्धन.....	141
5.11 ग्रामीण क्षेत्र.....	142
6.0 विशिष्ट योजनाएँ.....	144
6.1 फेस्टिवल सिटी (Festival City).....	144
6.2 कॉरपोरेट पार्क (Corporate Park).....	144
6.3 स्पोर्ट्स सिटी (Sports City).....	145
6.4 नोलेज सिटी एवं हेल्थ केयर सिटी (Knowledge city and health care city).....	148
7.0 मास्टर प्लान का क्रियान्वयन.....	149
7.1 वर्तमान आधार.....	149
7.2 प्रस्तावित आधार.....	150
7.3 जन सहभागिता एवं जन-सहयोग.....	152
7.4 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति.....	153
7.5 योजना का क्रियान्वयन.....	154
7.6 उपसंहार.....	154

तालिका सूची

तालिका सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति, जोधपुर 1901-2011	14
2.	व्यावसायिक संरचना, जोधपुर 2001-2011	15
3.	विद्यमान भू-उपयोग, जोधपुर-2013	16
4.	कच्ची बस्तियों का विवरण	20
5.	कृषि उपज मण्डी समिति व नगर निगम के बाजार - वर्ष 2013	23
6.	विद्यमान रीको औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण, जोधपुर - वर्ष 2013	28
7.	जिला उद्योग केन्द्र जोधपुर में औद्योगिक इकाईयों का पंजीयन वर्ष 2007-08 से 2011-12	29
8.	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, जोधपुर - 2013	32
9.	पर्यटकों के आगमन का विवरण, जोधपुर (वर्ष : 2008-2012)	41
10.	जोधपुर में विभिन्न श्रेणी के होटल एवं उनमें सुविधाएँ, वर्ष 2013	42
11.	शैक्षणिक संरचना का विवरण, जोधपुर (शहर) 2012-13	46
12.	विद्यमान उच्च शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण, जोधपुर 2012-13	49
13.	विद्यमान अस्पतालों का विवरण जोधपुर - 2013	51
14.	जलापूर्ति-जोधपुर-2013	57
15.	विद्यमान जलाशयों की अवस्थिति एवं क्षमता जोधपुर-2013	58
16.	जलशोधन संयंत्र (Water treatment plant) जोधपुर - 2013	59
17.	विद्यमान सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट जोधपुर 2013	61
18.	विद्युत कनेक्शनों के प्रकार व संख्या, जोधपुर-2013	63

19.	विद्यमान ग्रिड सब-स्टेशन, जोधपुर – 2013	64
20.	सड़कों का विवरण, जोधपुर रीजन – 2013	70
21.	वास्तविक एवं अनुमानित जनसंख्या, जोधपुर रीजन 2001–2031	82
22.	अनुमानित व्यावसायिक संरचना, जोधपुर रीजन–2031	83
23.	नगरीय क्षेत्र भूमि उपयोग–2031	90
24.	प्रस्तावित भू-उपयोग, जोधपुर–2031 (नगरीयकरण क्षेत्र यू-1 एवं यू-2)	99
25.	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, जोधपुर – 2031	105
26.	जोधपुर शहर की लक्षित जलापूर्ति	120
27.	जल आपूर्ति अवसंरचना (Infrastructures) का विकास एवं नवनिर्माण	120
28.	सड़कों का मार्गाधिकार, जोधपुर – 2031	126
29.	विद्यमान एवं प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, जोधपुर	127
30.	जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 में प्रस्तावित मुख्य सड़कों का मार्गाधिकार	130

परिशिष्ट सूची

	परिशिष्ट का शीर्ष	पृष्ठ संख्या
1.	Development Control Regulations	156
2.	जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम – 2009 के अंश	172
3.	जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिसूचना क्रमांक प. 2(9)विधि/2/2009, दिनांक फरवरी 3, 2009	180
4.	जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिसूचना क्रमांक एफ-37/निदे. आयो./मास्टर डवलपमेंट प्लान/2013, दिनांक 26 सितम्बर, 2013	188
5.	नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 3(44)नविवि/3/2013, दिनांक 28 अक्टूबर 2016	195
6.	जोधपुर विकास प्राधिकरण (योजनाओं की तैयारी और मंजूरी) विनियम, 2014	206
7.	राजस्थान राजपत्र विशेषांक संख्या माघ 29, गुरुवार, शाके 1942-फरवरी 18, 2021	215

जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031

नगरीय क्षेत्र के सुनियोजित विकास एवं विस्तार हेतु प्रथमतया यह आवश्यक है कि उस नगर के भावी स्वरूप की परिकल्पना एवं रूपरेखा पूर्व से ही तैयार हो जो सामाजिक कल्याण की अवधारणा के तहत नागरिकों को आवास, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, विद्युत व परिवहन सेवाओं की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ प्रत्येक क्षेत्र स्वयं में आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी इकाई, आधारभूत सुविधाओं का आपस में बेहतरीन रूप से सुनियोजित विकास हो सके।

जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 नगर के सुनियोजित विकास का ही भावी आकार निर्धारित किये जाने हेतु तैयार किया गया है ताकि इस में दर्शित भू-उपयोगों के अनुरूप नगर का विकास नियन्त्रित रूप से हो सके एवं नागरिकों को बेहतर व सुविधाओं युक्त जीवन यापन के अवसर (Opportunity) मिल सके।

मास्टर डवलपमेन्ट प्लान का मुख्य आधार नगर की आगामी वर्षों में होने वाली जनसंख्या में वृद्धि, नगर के राज्य एवं देश-विदेश के अन्य क्षेत्रों से बेहतर कनेक्टिविटी, तकनीकी में उन्नति (Advancement) एवं संभावित आर्थिक गतिविधियों, आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि, रोजगार के साधनों में वृद्धि, क्षेत्रीय परिदृश्य स्थानीय एवं राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक केन्द्र आदि से होने वाले प्रभावों पर आधारित है एवं इन्हीं मुख्य आधारों के अनुरूप नगर नियोजन के सिद्धान्तों को समाहित कर "जोधपुर डवलपमेन्ट प्लान-2031" का स्वरूप तैयार किया गया है।

मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 से आशय विभिन्न योजना क्षेत्रों में भू-उपयोगों को संतुलित रखते हुए शहर को गुणात्मक सेवाओं तथा आधारभूत संरचना के माध्यम से आर्थिक आसंवेग (Momentum) सृजन करने वाले महानगर के रूप में वैश्विक स्पर्धाक्षम केन्द्र बनाये जाने का उद्देश्य निहित है।

1

परिचय

1 परिचय

सूर्य नगरी के नाम से विख्यात पश्चिमी राजस्थान का एक प्रमुख शहर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-62, 25, 125 एवं राज्य राजमार्ग संख्या-58, 61, 63 व 68 पर राजस्थान की राजधानी जयपुर से दक्षिण-पश्चिम दिशा में रेलमार्ग से 313 कि.मी. की दूरी पर बसा हुआ है। यह रेलमार्ग, सड़क मार्ग एवं वायुमार्ग द्वारा देश के प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। जोधपुर शहर संभागीय मुख्यालय है। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक एवं आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र है।

जोधपुर नगर की स्थापना 12 मई 1459 में राव जोधा ने की थी। इस ऐतिहासिक नगरी का उद्गम स्थल मेहरानगढ़ फोर्ट, तालाबों, बावड़ियों एवं उच्च स्थलों के आस-पास का क्षेत्र हैं। पुराना शहर सघन रूप में बसा हुआ है तथा परकोटे के भीतर सीमित है, इस क्षेत्र में आबादी का उच्च घनत्व है।

शहर में मुख्य रूप से गुलाब सागर, फतेहसागर, रानीसर, पदमसर, गंगलाव तालाब, बाईजी का तालाब, कायलाना झील, तखतसागर, उम्मेद सागर, बालसमंद, सुरपुरा बांध आदि जल स्रोत स्थित है। जोधपुर में मेहरानगढ़, क्लॉक टॉवर (घंटाघर), उम्मेद पैलेस, मण्डोर उद्यान, उम्मेद उद्यान, सम्राट अशोक उद्यान, माचिया सफारी पार्क, महावीर पार्क आदि महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है।

भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् 1949 में वृहद राजस्थान में जोधपुर का विलय हुआ। तत्पश्चात् यहाँ केन्द्र एवं राज्य सरकार के कई कार्यालय स्थापित हुये। जोधपुर संभागीय एवं जिला मुख्यालय है। यहाँ राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ स्थित है। जोधपुर में शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, खनन, विद्युत, पेयजल, दूरदर्शन, आकाशवाणी, परिवहन, खनन, पुलिस सुरक्षा, रक्षा, रेलवे, उड्डयन, कृषि, पशुपालन व डेयरी, कृषि उपज मण्डी (अनाज, फल एवं सब्जी), पर्यटन, नगर नियोजन, सार्वजनिक निर्माण, परिसंचरण, आमोद-प्रमोद, अनुसंधान आदि क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हुई है। नगर का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश तेजी से बदल रहा है एवं ऐतिहासिक परिवेश के साथ-साथ वर्तमान में यह एक आधुनिक शहर का भी रूप धारण कर रहा है। यहाँ बहुमंजिले भवन, वाणिज्यिक परिसर, मल्टीप्लेक्स, इत्यादि की संस्कृति दृष्टिगत हो रही है।

भारतीय जनगणना के अनुसार जोधपुर शहर की जनसंख्या वर्ष 1901 में 79,109 थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 8,60,818 व वर्ष 2011 में 11,38,300 हो गई। जोधपुर शहर का सेवा क्षेत्र काफी विस्तृत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग रोजगार एवं उच्च जीवन स्तर बसर करने के लिए जोधपुर में आकर बस रहे हैं। उद्योगपतियों, व्यापारियों, निवेशकों एवं कुशल दक्षता प्राप्त उत्सुक उद्यमियों का भी जोधपुर में बसने का रुझान रहा है। जिसके मुख्य कारणों में शहर की शांत प्रकृति, भाई-चारा, आपसी प्रेम-भाव एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण का होना भी है।

राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का रास्ता प्रशस्त हुआ है। सड़क निर्माण, रेलवे उपरगामी (ROB) व रेलवे नीचेगामी ब्रिज (RUB) के निर्माण, सड़कों का विस्तार, सीवरेज लाईनें बिछाने, पेयजल की उचित व्यवस्था, बेहतरीन अकाल राहत कार्यक्रम आदि से शहर का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है और प्रगति व रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है। शहर का चरणबद्ध रूप से विकास होता आ रहा है। जोधपुर नगर "सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस" के रूप में ख्याति प्राप्त कर रहा है। यह एक विश्वस्तरीय शहर बनने की ओर उन्मुख है। नगर का भौतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक परिवेश तेजी से बदल रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में जनकल्याणार्थ कई विशेष कदम उठाये गये हैं। नयी योजनाओं को लागू करने, एवं देश के प्रमुख संस्थानों की स्थापना में जोधपुर सिरमौर है।

जोधपुर में शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों की विविधता का उत्कृष्ट स्वरूप उभरा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान केन्द्रों, प्रौद्योगिकी आदि संस्थानों की स्थापना हुई है। जोधपुर "एजुकेशन हब" के रूप में विकसित हो रहा है एवं यह शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर की ओर अग्रसर है।

विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विकास के क्षेत्र में जोधपुर की विश्वस्तर पर पहचान बनी है, अर्थात् थार मरुस्थल, उच्च तापक्रम व गर्म तेज हवाएं (लू), धूलभरी आंधिया यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं तथापि प्रकृति के इसी स्वरूप को ऊर्जा उत्पादन के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में उपयोग किया जाकर परिस्थितियों को लाभदायक बनाया गया है। सूर्य की चमक, सोलर रेडियेशन व वायु

की तेज गति वरदान के रूप में फलीभूत हो रही है। सौर व पवन ऊर्जा के संयंत्रों की स्थापना हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में रोशनी के संयंत्र एवं सोलर पेनल लग रहे हैं तथा इसी के फलस्वरूप उद्योग व कृषि क्षेत्र को अधिक बिजली मिलने लगी है। पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन करने की भरपूर क्षमता है। विद्युत उत्पादन की इन क्षमताओं के समुचित उपयोग पर भविष्य में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बनने की क्षमता रखता है।

“मरुस्थल” के रूप में पहचान रखने वाले इस क्षेत्र को राजीव गाँधी लिफ्ट नहर द्वारा उचित पेयजल की व्यवस्था से विकास को तीव्र गति मिली है। क्षेत्र में भूजल रिचार्ज के लिए “फार्म पोन्ड” बनाने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाता है। वर्षा जल संग्रहण हेतु संरचना के निर्माण हेतु भवन विनियमों में अनिवार्य प्रावधान किये गये हैं।

व्यापार एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में कारोबार निरंतर बढ़ता जा रहा है। कृषि उपज मण्डी समिति, स्पाइस पार्क, जीरा मण्डी, फल एवं सब्जी मण्डी से कृषि विकास को गति मिली है।

जोधपुर में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन लि. निगम (रीको) द्वारा कई औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये हैं जिनमें बासनी, बोरानाडा, मंडोर इत्यादि प्रमुख हैं। इमारती पत्थर की मांग को देखते हुए स्टोन पार्क विकसित किया गया है।

भारत सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी विशेष रेल परियोजना पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा कोरीडोर DFC (डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) के दोनों ओर 150 कि. मी. तक दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक विशेष रेल परियोजना-पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा कोरीडोर के दोनों ओर 150 कि.मी. तक गलियारा DMIC (दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर) प्रस्तावित करने के कारण जोधपुर में औद्योगिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। उद्योग एवं खनन के क्षेत्रों में कारोबार बढ़ा है। इमारती पत्थर की मांग दूर-दूर तक है। क्षेत्र में लाईम स्टोन के भण्डार स्थित हैं। पश्चिमी राजस्थान में ऑयल के भण्डार मिलने एवं ऑयल रिफाइनरी की स्थापना किये जाने से भी जोधपुर के विकास को नया आयाम मिलेगा।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों के तहत औद्योगिक निवेश में वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने, रोजगार सृजन, उत्पादकता व गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सतत् विकास को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है तथा "एकल खिड़की योजना" के तहत निवेश के प्रस्तावों को त्वरित एवं समयबद्ध रूप से सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने से विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

पर्यटन के क्षेत्र में विश्व स्तर पर शहर की सुन्दर छवि है। विद्यमान ऐतिहासिक, पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के अतिरिक्त साईंस सिटी, साईंस पार्क की स्थापना से पर्यटकों का आकर्षण बढ़ा है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों एवं अक्षरधाम जैसे संस्थानों की स्थापना से जोधपुर में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की अपार संभावनाएँ हैं। पर्यटन से विदेशी मुद्रा प्राप्ति के साथ-साथ स्थानीय निवासियों के लिये रोजगार का सृजन होता है।

शहर की बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ शहर के बाह्य परिधि क्षेत्रों में भी निरन्तर विकास हो रहा है परन्तु विकास छितराये रूप में है व सुविधाओं का अभाव है। अतः राज्य सरकार द्वारा जोधपुर के नगरीय विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए शहर के नियोजित व नियंत्रित विकास के लिए नगर विकास न्यास के स्थान पर जोधपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण द्वारा विवेक विहार, राजीव गाँधी आवासीय योजना इत्यादि कई महत्वपूर्ण योजनाएँ हाथ में ली गई व विकसित की जा रही हैं। उपरोक्त सभी कारणों के साथ-साथ जोधपुर विकास प्राधिकरण के विस्तृत रीजन क्षेत्र, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली की स्थापना, महानगर (मेट्रो सिटी) बनने आदि कारणों से शहर का दायरा बढ़ा है। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए जोधपुर रीजन का जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 तैयार किया गया है, जो कि न केवल वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखेगा अपितु भविष्य में भी विकास के लिये होने वाली नगरीय गतिविधियों को एक नई दिशा प्रदान करता रहेगा। जोधपुर रीजन का जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 नगर नियोजन विभाग, राजस्थान की देखरेख में तैयार किया गया है। सरकारी योजनाएँ परियोजनाएँ बनाने, बजट आवंटन करने एवं उनके क्रियान्वयन में जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 की महत्ती भूमिका है।

जोधपुर के प्रथम मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र में 33 राजस्व ग्राम, द्वितीय मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र में 72 राजस्व ग्राम और वर्तमान में जोधपुर रीजन के मास्टर डवलपमेंट प्लान में 395 राजस्व ग्राम सम्मिलित किये गये हैं। पूर्व के कई गांवों के टुकड़े होने से नये राजस्व ग्राम घोषित हुए हैं। नगर नियोजन विभाग द्वारा जोधपुर शहर के सुनियोजित विकास हेतु प्रथम मास्टर प्लान वर्ष 1977 से 1996 तक की अवधि के लिये बनाया गया था जिसकी अवधि पुनर्वावलोकन पश्चात 5 वर्ष तक बढ़ाई गई। वर्ष 2001 से 2023 तक के लिये द्वितीय मास्टर प्लान बनाया गया एवं अब सम्पूर्ण रीजन का जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2013 से 2031 तक की अवधि के लिए बनाया गया है।

शहर में विकास की योजनाओं की क्रियान्विति के साथ-साथ जहाँ बुनियादी सुविधाएँ विकसित होती हैं, वहीं जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है तथा सुविधा एवं सेवा स्थलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इस प्रकार एक ओर शहर का तीव्र विकास हुआ है तथा आधारभूत ढाँचा मजबूत हुआ है, तो दूसरी ओर तीव्र नगरीयकरण के फलस्वरूप आवासीय क्षेत्र की आवश्यकता, वाहनों की संख्या में वृद्धि से यातायात दबाव, पर्यावरण प्रदूषण, कूड़ा-करकट विसर्जन, सीवरेज, मल-जल निकास की व्यवस्था, शहर के भीतरी भागों में उच्च जनसंख्या घनत्व आदि समस्याओं उत्पन्न हुईं। अतः ऐसी नगरीय परिस्थितियों के उपयुक्त समाधान के साथ-साथ नियोजित विकास के क्रम में निरन्तरता रखने के लिए जोधपुर शहर का मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 तैयार किया गया है। यह प्लान शहर के भावी विकास हेतु सुनिश्चित दिशा प्रदान कर सकेगा।

जोधपुर सहित लेण्ड यूटिलाइजेशन मेप-2031 में दर्शाए अनुसार राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2009 के अन्तर्गत जोधपुर रीजन का जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 को जोधपुर विकास प्राधिकरण ने नगर नियोजन विभाग की देखरेख में सलाहकार, राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर, सह-सलाहकार मैसर्स इण्डिगो डिजाईन एण्ड इंजीनियर एसोसिएट प्रा. लि., गुडगांव के द्वारा तैयार किया गया है। मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 तैयार करने के लिए वर्ष 2013 को आधार वर्ष मानकर भौतिक एवं सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करवाये गये। जोधपुर मास्टर डवलपमेंट

प्लान-2031 के क्षितिज वर्ष 2031 तक शहर की जनसंख्या 31,00,000 हो जाने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न भू-उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं। जोधपुर रीजन के मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 के भू-उपयोग मानचित्र में नगरीय क्षेत्र को यू-1, यू-2, यू-3, विशिष्ट योजनाओं के रूप में दर्शाया गया है। यह दीर्घकालीन योजना जोधपुर के चहुँमुखी विकास एवं सुनियोजित विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी, तथा जोधपुर को विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

2

विद्यमान विशेषताएँ

2 विद्यमान विशेषताएँ

2.1 भौतिक संरचना

जोधपुर शहर राजस्थान के पश्चिम में $26^{\circ}27'$ से $26^{\circ}28'$ उत्तरी अक्षांश और $73^{\circ}01'$ से $73^{\circ}05'$ पूर्वी देशान्तर पर तथा माध्य समुद्र तल से 242 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65, 112 व 114 एवं राज्य राजमार्ग संख्या-21, 58, 61, 63 व 68 जोधपुर रीजन से गुजरते हैं। यहाँ उत्तर-पश्चिम रेलवे का मुख्यालय एवं पश्चिम राजस्थान का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। जोधपुर रेलमार्ग व सड़क मार्ग द्वारा प्रदेश व देश के प्रमुख शहरों व क्षेत्रों से भली-भाँति जुड़ा हुआ है और हवाई मार्ग द्वारा दिल्ली व मुम्बई से सम्पर्कित है।

सामरिक दृष्टि से जोधपुर एक महत्वपूर्ण नगर है। भारत की पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा जोधपुर से 250 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। जोधपुर के पश्चिम, उत्तर-पश्चिम व दक्षिण-पश्चिम भाग में छितरी हुई पहाड़ियाँ हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट, चिड़ियानाथ जी की टूक पहाड़ी पर 125 मीटर ऊँचाई पर स्थित है। इसी पहाड़ी पर सफेद संगमरमर से निर्मित अद्वितीय छतरी 'जसवंत थड़ा' भी स्थित है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर की दूसरी सबसे ऊँची पहाड़ी है, जिस पर स्थापित वीर दुर्गादास की प्रतिमा, देश के प्रहरी जाबांज जवानों के हौसले बुलंद करती है। जोधपुर के उत्तर-पश्चिम में सूरसागर खनन क्षेत्र स्थित है। यहाँ पर विश्वप्रसिद्ध इमारती पत्थर के अपार भण्डार हैं। पुराने शहर के परकोटे के भीतर कलात्मक पुरानी बावड़ियाँ एवं तालाब स्थित है। कायलाना झील, तख्तसागर, उम्मेद सागर, सुरपुरा बान्ध, गुलाब सागर, फतेहसागर, रानी सागर, बाईजी का तालाब, गंगवाल तालाब, पदमसर आदि यहाँ के प्राचीन जल स्रोत हैं। जोधपुर शहर का उत्तर-पश्चिम का पहाड़ी भाग आबादी विस्तार की दृष्टि से सीमा रेखा है। जोधपुर से 8 कि.मी. दूर नागौर रोड़ पर सुरम्य घाटीनुमा प्राकृतिक छटा के मध्य हरे भरे, पेड़-पौधों से आच्छादित, मण्डोर उद्यान स्थित है। यह एक प्रमुख मनोहरी भ्रमण स्थल है। यहाँ पर लोक देवताओं का मण्डप भी दर्शनीय है। पूर्व, उत्तर-पूर्व व दक्षिण-पूर्व दिशा में समतल मैदानी भाग है। शहर के पूर्व दिशा में पहाड़ी पर गणेशजी का मन्दिर स्थित है। इस पहाड़ी की तलहटी में प्राचीन जल स्रोत रातानाडा है। छीतर की खानों के उत्कृष्ट पत्थर

से निर्मित उम्मेद भवन पैलेस दूर से ही विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाये हुए है। इस क्षेत्र में जोजरी व लूनी बरसाती नदियाँ हैं, जिनकी प्रवाह दिशा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर है।

2.2 जलवायु

यहाँ की जलवायु गर्म एवं अर्द्ध-शुष्क है। गर्मी में यहाँ उष्ण हवा प्रवाहित होती है, जिन्हें "लू" कहते हैं। जोधपुर रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित होने से यहाँ शीत काल में कड़ाके की ठंड पड़ती है। जोधपुर में वार्षिक औसत अधिकतम तापमान 33.60° सेल्सियस व वार्षिक औसत न्यूनतम तापमान 19.80° सेन्टीग्रेड रहता है। यहाँ गर्मी की ऋतु में वार्षिक औसत अधिकतम तापमान 38.30° व न्यूनतम 23.80° सेल्सियस और शरद ऋतु में औसत अधिकतम तापमान 27.50° सेल्सियस एवं न्यूनतम 11.05° सेल्सियस दर्ज किया गया। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापक्रम 48.90° सेन्टीग्रेड व शरद ऋतु में न्यूनतम 2.20° सेल्सियस दर्ज किया गया।

अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को दो भागों में बांटती है। यह मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानान्तर होने से अवरोध उत्पन्न नहीं करती तथा फारस व बलुचिस्तान से आने वाली शुष्क हवाएँ, मानसूनी हवाओं में मिलकर उनकी नमी को कम कर देती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ पहुँचने से पूर्व ही अपनी आर्द्रता खो देता है। अतः इस क्षेत्र में वर्षा का अभाव रहता है। यहाँ अनिश्चित, अनियमित एवं अनावृष्टि से प्रायः अकाल की विभिषिका बनी रहती है। जोधपुर में औसत वार्षिक वर्षा 36 सेन्टीमीटर है, वर्ष में औसतन 18 दिन वर्षा होती है। वार्षिक औसत सापेक्षित आर्द्रता सुबह 52 प्रतिशत व अपरान्ह पश्चात् 30 प्रतिशत रहती है। ग्रीष्म ऋतु में प्रचलित हवाओं की दिशा (Prevailing wind direction) दक्षिण- पश्चिम से उत्तर-पूर्व तथा शरद ऋतु में उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में रहती है। वर्ष में औसतन 6 दिन धूल भरी आंधियाँ (Dust storm) चलती हैं। मई-जून माह में आंधियों का प्रभाव अधिक रहता है।

2.3 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

प्रशासनिक दृष्टि से जोधपुर संभागीय एवं जिला मुख्यालय होने से क्षेत्र की समस्त गतिविधियों का संचालन यहाँ से होता है। जोधपुर जिला राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में 25°51'08" से 27°37'09" उत्तरी अक्षांश तथा 71°48'09" से 73°52'06' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जोधपुर जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 22,850 वर्ग किलोमीटर है। जोधपुर जिले के उत्तर में बीकानेर, पश्चिम में जैसलमेर व बाडमेर, दक्षिण में पाली तथा पूर्व में नागौर जिले की सीमा लगती है। जिले में सात तहसील व नौ पंचायत समितियाँ हैं। जोधपुर से सड़क मार्ग द्वारा पाली, सिरोही, जालौर, बाडमेर एवं जैसलमेर की दूरी क्रमशः 77, 187, 219, 204 व 285 किलोमीटर है। जोधपुर संभाग में बाडमेर एवं जैसलमेर अन्तराष्ट्रीय सीमावर्ती जिले है। जिले की भू-आकृति इकाइयाँ-जलोद मृदा एल्यूवियम, समतल क्षेत्र, सेण्ड स्टोन बेल्ट, रायोलाईट की पहाड़ियाँ, मिट्टी के छोटे-छोटे टीले आदि स्थित हैं। पेट्रोलियम भण्डार, रीफाईनरी की स्थापना, सौर उर्जा, पवन उर्जा संयंत्रों आदि की स्थापना के कारण भी जोधपुर का नाम राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर पर जाना जा रहा है। इमारती पत्थर एवं लाइम स्टोन यहाँ के प्रमुख खनिज है। यहाँ वर्षा ऋतु में खरीफ की फसलों में ग्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, तिल व मिर्च आदि का उत्पादन किया जाता है। रबी की फसलें जो सिंचाई पर निर्भर है, जिनमें भूजल से सिंचित भूमि में कपास, रायड़ा, गेहूँ, जीरा, गाजर व अन्य सब्जियों आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। क्षेत्र में कृषि विकास से यहाँ कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना एवं व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है। जोधपुर, राजस्थान में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र है।

2.4 ऐतिहासिक

जोधपुर की स्थापना चिड़ियानाथ जी की टूक पहाड़ी पर राव जोधा ने 12 मई 1459 में की थी। वर्ष 1949 में वृहद् राजस्थान में सम्मिलित होने से पूर्व जोधपुर तत्कालीन मारवाड़ रियासत की राजधानी था। उससे पहले मारवाड़ रियासत की राजधानी मंडोर थी। यह राव जोधा के समय भागी पोल, फुलेराव की पोल, भोमियाजी की घाटी वाली पोल तथा सिंह पोल, चांदपोल के अन्दर बसा था। 16 वीं शताब्दी में राव मालदेव के समय में शहर का काफी विस्तार हुआ। वर्ष 1562 तक शहर का

विकास मुख्यतः किला एवं उसके आस-पास के क्षेत्र तक ही सीमित रहा। वर्ष 1563 से वर्ष 1803 की अवधि में शहर के चारों ओर परकोटा एवं प्रमुख दरवाजों यथा सोजती गेट, जालोरी गेट, नागौरी गेट, सिवांची गेट, मेड़ती गेट का निर्माण कार्य किया गया। इसी अवधि में परम्परागत वर्षा जल को एकत्रित करने के स्रोतों का निर्माण किया गया, जिनमें यहाँ तालाबों, बावड़ियों व कुओं का निर्माण हुआ। यहाँ पदमसर, रानीसर, गुलाब सागर, फतेहसागर, चाँद बावड़ी एवं जालप बावड़ी, गोविन्दा बावड़ी आदि प्राचीन जल स्रोत हैं। वर्ष 1804 से वर्ष 1890 के दौरान चारदीवारी के बाहर के क्षेत्र में विकास कार्य प्रारम्भ हुए। वर्ष 1812 में महामंदिर एवं सदर अदालत आदि योजनाओं की क्रियान्वित की गयी। साथ ही इसी अवधि में यहाँ कारागार, राजमहल, महिलाबाग, फतेहपोल, कोतवाली, दरबार संस्कृत कॉलेज आदि प्रमुख भवनों का निर्माण हुआ। वर्ष 1844 में विद्याशाला भवन बनाया गया। वर्ष 1881 में रेलवे लाईन के आने से विकास की राह को एक नया आयाम मिला। देश में सबसे पहले वर्ष 1897 में रोशनी व पंखे युक्त रेल जोधपुर से बीकानेर के बीच संचालित की गयी। वर्ष 1898 में जोधपुर रेलवे स्टेशन के माल गोदाम से जालोरी गेट की बारी, कबूतरों का चौक, खरादियों का मौहल्ला, मोती चौक, डबगरों के कुएं की गली से होते हुए गिरदीकोर्ट की धान मण्डी तक दो फुट चौड़ी रेलवे लाईन पर रेल चलाई गयी, जिसे भैंसे (पशु) खींचते थे। वर्ष 1912 में 'सुमेर मार्केट' के नाम से सुनियोजित व्यावसायिक बाजार विकसित किया गया व क्लॉक टॉवर निर्मित किया गया। गिरदीकोट एक पुराना सुनियोजित बाजार हैं जिसे वर्तमान में घंटाघर बाजार के नाम से भी जाना जाता है। रातानाडा, सरदारपुरा व पावटा आदि आवासीय क्षेत्रों को योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया। वर्ष 1900 से 1947 की अवधि में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थाएँ—दरबार स्कूल, एस.एम.के. कॉलेज, महात्मा गाँधी स्कूल, चौपासनी स्कूल, महिला बाग स्कूल आदि और स्वास्थ्य के लिए उम्मेद (महिला) अस्पताल, महात्मा गाँधी अस्पताल, खांडा फलसा, आयुर्वेद अस्पताल आदि खेलकूद के लिए पुराना स्टेडियम आदि निर्मित हुए।

वर्ष 1947 में देश की आजादी के पश्चात् यहाँ पाकिस्तानी विस्थापितों के आगमन से जनसंख्या में वृद्धि हुई। स्वराज, शांति एवं स्थायित्व स्थापित हो जाने से विकास एवं विस्तार तेजी से हुआ। सरदारपुरा, सूरसागर, महामंदिर, उदयमंदिर में

पुलिस थाने व मंडोर में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हुई। वर्ष 1962 में यू.आई. टी., जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज व मेडिकल कॉलेज इत्यादि उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई। वर्ष 1971 में हवाई अड्डे की स्थापना से जोधपुर देश के अन्य बड़े नगरों से हवाई यातायात द्वारा जुड़ गया। वर्ष 1977 में जिला उद्योग केन्द्र, 1983 में कृषि अनुसंधान केन्द्र मण्डोर, वर्ष 1992 में नगर निगम की स्थापना हुई। वर्ष 1993 में मीटर गेज रेलवे लाईन का बड़ी लाईन में परिवर्तन हो जाने से विकास को गति मिली। यहाँ अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना का कार्यालय वर्ष 1995 में स्थापित किया गया। वर्ष 1999 में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, वर्ष 2003 में आई.आई.एच.टी, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, फॉरेंसिक लेबोरेट्री व डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हुई। वर्ष 2008 में आई.आई.टी., वर्ष 2009 में जोधपुर विकास प्राधिकरण, वर्ष 2011 में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली, वर्ष 2013 में राजकीय महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, एम्स इत्यादि महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना हुई।

स्थानीय प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाएँ हाथ में ली गईं। आवासीय व व्यावसायिक योजनाओं को मूर्तरूप दिया गया। नगर नियोजन विभाग द्वारा जोधपुर का प्रथम मास्टर प्लान 1977 में तैयार किया गया। शहर का विगत वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से विकास हुआ। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा चौपासनी, कुड़ी भगतासनी, मधुवन आदि नाम से नियोजित कॉलोनियाँ विकसित की गईं हैं। इनके अतिरिक्त जोधपुर में शास्त्रीनगर, प्रताप नगर, कबीर नगर, हुडको क्वार्टर, सरस्वती नगर, मानजी का हत्था, आयकर कॉलोनी, लक्ष्मी नगर, बी.जे.एस., आदि सुनियोजित रूप से आवासीय कॉलोनियाँ विकसित हुईं। इसी तरह सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र बासनी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण, शिल्पग्राम योजना, बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण, मण्डोर व सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए जिनमें विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई। औद्योगिकरण के लिए एक आधारभूत ढाँचा तैयार हुआ है। मण्डोर क्षेत्र में डॉ. भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय एवं हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान, फुटवियर डिजाइन

एण्ड डवलपमेंट इन्स्टीट्यूट की स्थापना से शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), मथुरादास माथुर चिकित्सालय तथा विभिन्न निजी चिकित्सालयों, रोग निदान केन्द्रों, नर्सिंग होम्स, डार्इग्नोस्टिक सेन्टर्स की स्थापना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना व निःशुल्क जांच योजना से स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हुई है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संगठित व्यापारिक केन्द्रों की स्थापना हुई है। मंडोर एवं बासनी में कृषि उपज मण्डी तथा भदवासिया में जीरा, फल एवं सब्जी मण्डी की स्थापना हुई। उपरोक्त मुख्य क्षेत्रों के विकास से शहर के चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

2.5 जनांकिकी

जोधपुर आबादी की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ की जनसंख्या वर्ष 1901 में 79,109 थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 8,60,818 हो गयी। इस तरह पिछले दस दशकों में जनसंख्या बढ़कर दस गुना से भी अधिक हो गयी है। वर्ष 1911 से 1921 के दशक में प्राकृतिक आपदाओं के कारण यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। जनसंख्या अध्ययन एवं विश्लेषण से यह भी ज्ञात होता है कि वर्ष 1971-1981 के दशक में जोधपुर की जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जनगणना वर्ष 1971 के अनुसार जोधपुर की जनसंख्या 3,17,612 थी जो वर्ष 1981 में बढ़कर 5,06,345 हो गयी। इस तरह 1971-81 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 59.42 प्रतिशत दर्ज की गयी। पिछले 3 दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग स्थिर रही है।

जोधपुर में जनसंख्या की लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति रही है। संभागीय एवं जिला मुख्यालय होने से जोधपुर की अर्थव्यवस्था व आधारभूत संरचना अन्य क्षेत्रों से अपेक्षाकृत सुदृढ़ है। उच्च जन्म दर, घटती मृत्यु दर, आदि जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। राजीव गाँधी लिफ्ट कैनल से पेयजल की व्यवस्था हो जाने, विकसित औद्योगिक ढाँचा, सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों की स्थापना मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता से जनसंख्या वृद्धि का आग्रजन कारक प्रभावी रहा है। इस प्रकार


सुविधाएँ, सेवाएँ, रोजगार उपलब्ध होने से ग्रामीण, जनसंख्या का पलायन, जोधपुर की ओर हो रहा है।

निम्नलिखित तालिका 1 में वर्ष 1901 से 2011 तक की जनसंख्या की वृद्धि दर को दर्शाया गया है:-

तालिका-1
जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति, जोधपुर 1901-2011

वर्ष	जनसंख्या	दशकीय अन्तर	दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत)
1901	79,109	—	—
1911	79,754	645	0.82
1921	73,480	- 6274	- 7.87
1931	94,736	21256	28.93
1941	1,26,842	32106	33.89
1951	1,80,717	53875	42.47
1961	2,24,760	44043	24.37
1971	3,17,612	92852	41.31
1981	5,06,345	188733	59.42
1991	6,66,279	159934	31.52
2001	8,60,818	194539	29.19
2011	11,38,300	277482	32.23

स्रोत: भारतीय जनगणना



2.6 व्यावसायिक संरचना

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जोधपुर में 1,86,307 व्यक्ति एवं वर्ष 2001 में 2,67,120 व वर्ष 2011 में 3,68,725 व्यक्ति विभिन्न व्यावसायों में कार्यरत

थे। इस तरह काम करने वालों का सहभागिता अनुपात वर्ष 1991 में 27.96, वर्ष 2001 में 31.03 व वर्ष 2011 में 32.39 प्रतिशत रहा है। जोधपुर में उद्योग, व्यापार-वाणिज्य, कृषि, निर्माण, परिवहन, संचार, खनन आदि व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित हैं। वर्ष 2011 में कुल कार्यशील जनसंख्या 3,68,725 थी जिसमें से काश्तकार 0.82, कृषि मजदूर 1.06, घरेलू उद्योग में कामगार 4.40, अन्य मुख्य कामगार में 83.18, व सीमान्तिक कामगार में 10.54 प्रतिशत थे। निम्नांकित तालिका-2 में वर्ष 2001-2011 की व्यवसायिक संरचना दर्शायी गई है :-

तालिका - 2

व्यावसायिक संरचना, जोधपुर 2001-2011

क्र. सं.	व्यवसाय	वर्ष 2001		वर्ष 2011	
		व्यक्ति	काम करने वालों का प्रतिशत	व्यक्ति	काम करने वालों का प्रतिशत
1.	काश्तकार	1,533	0.57	3010	00.82
2.	कृषि मजदूर	1,787	0.66	3933	01.06
3.	घरेलू उद्योग में कामगार	13,047	4.88	16217	04.40
4.	अन्य मुख्य कामगार	2,32,499	87.03	306711	83.18
5.	सीमान्तिक कामगार	18254	6.83	38854	10.54
	योग	2,67,120	100.00	368725	100.00

स्रोत: भारतीय जनगणना 2001-2011

2.7 विद्यमान भू-उपयोग


वर्तमान में शहर का लगभग 25394.62 हेक्टेयर नगरीकृत क्षेत्र है, जिसमें से 15124.64 हेक्टेयर भूमि विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत है। शेष भूमि कृषि, राजकीय आरक्षित भूमि, वन भूमि, ग्रामीण आबादी, पहाड़, चट्टानें, खुला क्षेत्र एवं जल भराव क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। विकसित क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र सर्वाधिक है, जो लगभग 8943.84 हेक्टेयर है, जो विकसित क्षेत्र का 59.13 प्रतिशत है। दूसरा सर्वाधिक औद्योगिक भू-उपयोग 2356.15 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित क्षेत्र का 15.58 प्रतिशत है। यहाँ परिसंचरण उपयोग के अन्तर्गत 1679.84 हेक्टेयर भूमि हैं जो विकसित क्षेत्र का 11.11 प्रतिशत है। राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय के अन्तर्गत 220.04 हेक्टेयर है, जो विकसित क्षेत्र का 1.45 प्रतिशत है। सार्वजनिक एवं

अर्द्ध-सार्वजनिक के अन्तर्गत 1387.78 हेक्टेयर हैं जो विकसित क्षेत्र का 9.18 प्रतिशत हैं। जबकी आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत 251.55 हेक्टेयर भूमि है, जो विकसित क्षेत्र का 1.66 प्रतिशत है। तालिका संख्या-3 में जोधपुर के नगरीय क्षेत्र के विद्यमान भू-उपयोग को दर्शाया गया है:-

तालिका-3
विद्यमान भू-उपयोग, जोधपुर-2013

क्र.सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	8943.84	59.13	35.22
2.	वाणिज्यिक	285.43	01.89	01.12
3.	औद्योगिक	2356.15	15.58	09.28
4.	राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय	220.04	01.45	00.87
5.	आमोद-प्रमोद	251.55	01.66	00.99
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	1387.78	09.18	05.46
7.	परिसंचरण	1679.84	11.11	06.61
	विकसित क्षेत्र	15124.64	100.00	
8.	राजकीय आरक्षित	2862.65	—	11.27
9.	खुला क्षेत्र	5371.49	—	21.15
10.	वन क्षेत्र	561.99	—	02.21
11.	पहाड़ी क्षेत्र	1140.01	—	04.49
12.	जल क्षेत्र	333.84	—	01.31
	नगरीयकृत क्षेत्र	25394.62		100.00

स्रोत:- नगर नियोजन विभाग सर्वेक्षण



2.7.1 आवासीय

राव जोधा ने इस नगर की स्थापना वर्ष 1459 में की थी। पुराना शहर सोजती गेट, जालोरी गेट, सिवाची गेट, चांदपोल, नागौरी गेट और मेड़ती गेट के मध्य परकोटा तक विस्तारित था। प्रारम्भ में यह मेहरानगढ़, फोर्ट, पदमसर, रानीसर, फतेहसागर और गुलाब सागर जलाशयों के आस-पास में आबाद हुआ।



पुराने शहर में सकड़ी सड़कों से आवागमन में बाधा, दुकानों के सामने चबूतरियों पर निर्माण से समस्या को बढ़ाया है। इससे आम आदमी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परकोटे के बाहर का क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यवस्थित ढंग से बसा हुआ है। शास्त्रीनगर, सरस्वती नगर, सरदारपुरा, विवेक विहार, लक्ष्मी नगर, कीर्ति नगर, पोलो प्रथम व द्वितीय, सेक्टर-7, पत्रकार कॉलोनी, रामराज नगर, टेगडी नगर, मण्डोर खसरा नम्बर 388, चौखा खसरा संख्या 712, 713, राजीव गाँधी नगर, मामा अचलेश्वर नगर, दीनदयाल उपाध्याय नगर, 96 क्वाटर्स, आवासीय योजना, प्रताप नगर, राजबाग योजना, विजयराजे सिन्धिया नगर, कमला नगर, गाडोलीया लौहार, काली बेरी, राजीव गाँधी आदि सुनियोजित आवासीय योजनाएँ हैं।

जोधपुर नगर निगम वार्ड्स की जनसंख्या, क्षेत्रफल, प्रति हैक्टेयर घनत्व, परिवारों की संख्या, प्रति परिवार औसत आकार का विवरण-2011

वार्ड संख्या	जनसंख्या	क्षेत्रफल	जनसंख्या घनत्व प्रति हैक्टेयर	परिवारों की संख्या	प्रति मकान में व्यक्तियों की औसत संख्या
1	18120	2981.21	6.1	3189	5.7
2	22210	2649.51	8.4	4005	5.5
3	33648	997.87	33.7	6595	5.1
4	17118	849.61	20.1	3385	5.1
5	17294	426.66	40.5	3059	5.7
6	15009	97.43	154.1	3154	4.8
7	15516	82.05	189.1	3338	4.6
8	13257	62.68	211.5	2647	5.0
9	16238	131.73	123.3	3061	5.3
10	16544	231.31	71.5	2875	5.8
11	22723	277.28	81.9	4258	5.3
12	20317	111.52	182.2	3669	5.5
13	18618	112.42	165.6	3556	5.2
14	12469	43.13	289.1	2484	5.0

15	12929	17.43	741.9	2083	6.2
16	13424	188.60	71.2	2301	5.8
17	12217	36.23	337.2	2164	5.6
18	21701	50.78	427.3	3717	5.8
19	21782	52.86	412.1	3542	6.1
20	10989	33.26	330.4	1835	6.0
21	13649	48.15	283.5	2314	5.9
22	15675	45.70	343.0	2606	6.0
23	11716	175.93	66.6	2256	5.2
24	13789	175.31	78.7	2722	5.1
25	20545	374.86	54.8	4144	5.0
26	24970	758.21	32.9	4961	5.0
27	12745	247.01	51.6	2595	4.9
28	11817	169.86	69.9	2326	5.1
29	4931	50.87	96.9	980	5.0
30	12026	63.92	188.1	2194	5.5
31	12472	70.18	177.7	2486	5.0
32	11362	17.76	639.8	2095	5.4
33	12876	8.53	1509.1	2648	4.9
34	8738	86.39	101.2	1845	4.7
35	14060	24.92	564.2	2588	5.4
36	7119	21.56	330.2	1274	5.6
37	13503	46.86	288.1	2355	5.7
38	16326	21.59	156.4	3055	5.3
39	10027	152.69	65.7	1720	5.8
40	11795	111.38	105.9	2321	5.1
41	19119	913.42	20.9	4368	4.4
42	18961	889.16	21.3	3598	5.3
43	16832	640.14	26.3	3071	5.5
44	9503	84.61	112.3	1938	4.9
45	10725	61.56	174.2	1947	5.5
46	9349	12.11	772.3	1294	7.2
47	13892	18.21	763.0	2287	6.1
48	15023	28.39	529.3	2545	5.9
49	14746	22.75	648.1	2433	6.1
50	8995	9.86	912.5	1594	5.6
51	9915	19.27	514.4	1978	5.0
52	13149	52.49	250.5	2238	5.9
53	17289	558.16	31.0	3202	5.4
54	14885	73.25	203.2	2554	5.8
55	10486	46.80	224.0	2031	5.2
56	15583	138.54	112.5	2941	5.3
57	13702	1040.99	13.2	2779	4.9
58	46241	324.95	142.3	9091	5.1
59	15145	68.24	221.9	2823	5.4
60	21262	214.64	99.1	3706	5.7
61	19948	588.67	33.9	3762	5.3
62	20432	737.70	27.7	3784	5.4
63	21204	675.81	31.4	4044	5.2
64	26328	1093.98	24.1	4792	5.5
65	18778	2581.17	7.3	3297	5.74
योग	1033756	23000.08	44.9	192494	5.4

स्रोत- जनगणना 2011 एवं नगर निगम, जोधपुर

वार्ड संख्या 32, 33, 35 व 46-51 में जनघनत्व लगभग 500 से 1510 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। नगर के परकोटा एवं उसके आस पास उच्च घनत्व है। वार्ड संख्या 1

से 5, 26, 41, 42, 43, 53, 57, व 61 से 65 में जनसंख्या का घनत्व 50 हेक्टेयर से भी कम है। कुल 65 वार्डों औसत जनघनत्व 44.9 है। व परिवारों का औसत आकार 5.4 है।

वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार नगर निगम के 65 वार्डों की जनसंख्या के अलावा पाल ग्राम (OG), मण्डोर औद्योगिक क्षेत्र (OG), सेन्सस टाउन-नान्दडी, सांगरिया व कुडी भगतासनी की कुल जनसंख्या 104544, कुल परिवारों की संख्या 19838 दर्ज की गई। इस प्रकार इन क्षेत्रों में परिवार का औसत आकार 5.27 व्यक्ति है।

नगरीय क्षेत्र का जनघनत्व 41 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर व आवासीय जन घनत्व 116 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर दर्ज किया गया है।

2.7.1 (अ) आवासन

जोधपुर में जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, सार्वजनिक निर्माण विभाग की कॉलोनियां, ग्रामीण पुलिस लाईन की कॉलोनी, हुडको क्वार्टर, रेलवे कॉलोनियां, जी.आर.पी. क्वार्टर्स,



मारवाड़ अपार्टमेंट, राजस्थान आवासन मण्डल

आयकर कॉलोनी ईमरतिया बेरा, आयकर कॉलोनी मण्डोर रोड़ आदि है जो सुनियोजित एवं सुव्यस्थित रूप से विकसित है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा चौपासनी, कुडी, सांगरीया, मधुबन, प्रतापनगर आवासन मण्डल इत्यादि के नाम से सुनियोजित आवासीय कॉलोनिया विकसित की हैं।

2.7.1 (ब) अफोर्डेबल हाउसिंग

राज्य सरकार ने विभिन्न मॉडल के माध्यम से कम लागत पर मकान उपलब्ध कराने के लिए 23 दिसम्बर 2009 को अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जारी की गई है। जिसके तहत ई. डब्लू.एस. एवं एल.आई.जी आवास बनाये जाने का प्रावधान किया गया।



जेडीए की एफोर्डेबल आवासीय योजना

जोधपुर में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चौखा में उक्त पॉलिसी के तहत मॉडल संख्या-4 के अन्तर्गत कुल 1350 फ्लैट्स में से प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका तथा द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है। जोधपुर नगर निगम में कालीबेरी में राजस्थान आवास विकास एण्ड



इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर के माध्यम अफोर्डेबल आवास के लिए जी+3 फ्लैट्स बनाये जाने का प्रस्ताव है।

2.7.1 (स) कच्ची बस्तियाँ

जोधपुर में करीब 216 कच्ची बस्तियाँ बसी हुई है जो विभिन्न वार्डों में स्थित है। इन कच्ची बस्तियों में 46,682 आवास है। कच्ची बस्ती (स्लम) विकास कार्यक्रम के तहत बस्तियों में विकास कार्य किये जाते है। निम्नलिखित तालिका संख्या-4 में वार्ड वार्ड कच्ची बस्तियों की संख्या दर्शायी गई हैं:-

तालिका-4


कच्ची बस्तियों का विवरण

वार्ड संख्या	कच्ची बस्तियों की संख्या	वार्ड संख्या	कच्ची बस्तियों की संख्या	वार्ड संख्या	कच्ची बस्तियों की संख्या
1	13	21	4	48	1
2	3	22	6	49	3
3	12	24	1	50	2
4	2	26	6	51	4
5	2	27	5	52	2
9	2	30	2	53	8
10	5	32	1	54	8
11	7	35	1	55	2

12	9	37	2	57	2
13	12	39	2	58	1
14	2	40	1	59	4
15	2	41	1	60	5
16	3	42	3	61	3
17	1	43	3	62	10
18	6	44	2	63	2
19	10	45	1	64	12
20	4	46	2	65	9

स्त्रोत:- नगर निगम जोधपुर

मानचित्र-1: नगर निगम वार्ड वार जनसंख्या घनत्व, जोधपुर



2.7.2 वाणिज्यिक

जोधपुर शहर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र है। मण्डोर कृषि उपज मंडी, बासनी कृषि उपज मण्डी, भदवासिया फल एवं सब्जी मण्डी, आलू, प्याज, लहसून व जीरा मण्डी आदि यहाँ की सुनियोजित एवं सुसंचालित थोक व्यापार मण्डियां हैं। इसी तरह मथानिया में कृषि उपज मण्डी व रामपुरा भाटियान में स्पाईस पार्क विद्यमान है। स्पाईस पार्क में मसाला उत्पाद की ग्रेडिंग, पिसाई एवं पैकिंग कर विदेशों में निर्यात किया जाता है। इन मण्डियों से जोधपुर व इसके विस्तृत पृष्ठ प्रदेश में व्यावसायिक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं। जोधपुर की कृषि उपज मण्डी में कृषि उत्पादों के भण्डारण के लिए गोदामों की सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान वेयर हाऊसिंग एवं एफ.सी.आई. के गोदाम निर्मित है। भदवासीया रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के आगार कार्यशाला की समस्त भूमि गौण मण्डी यार्ड (फल एवं सब्जी मण्डी) बनाने हेतु दी गई है। जिसे शीघ्र विकसित किये जाने की आवश्यकता है। भगत की कोठी एवं सालावास क्षेत्र में पेट्रोलियम भंडारगृह स्थापित है। निम्न तालिका संख्या-5 में शहर के स्थित कृषि उपज मण्डी राजस्थान स्टेट वेयर हाऊसिंग गोडावन्स एवं नगर निगम की दुकानों, गोदामों का विवरण दर्शाया गया है:-

तालिका-5

कृषि उपज मण्डी समिति व नगर निगम के बाजार – 2013

क्र.सं.	कृषि उपज मण्डी से सम्बंधित मण्डी समितियां	दुकानें, गोदामों की संख्या	क्र.सं.	नगर निगम क्षेत्र में स्थित बाजार	दुकानों की संख्या
01.	कृषि उपज मण्डी समिती मण्डोर (अनाज) विशिष्ट श्रेणी	697	01.	सरदार मार्केट	329
02.	विशिष्ट जीरा मण्डी यार्ड भदवासिया	85	02.	सुमेर मार्केट	207
03.	गौण मण्डी यार्ड भगत की कोठी	276	03.	सुमेर मार्केट चौखडिया	61
04.	गौण मण्डी यार्ड मथानिया	41	04.	इन्दिरा गाँधी बाजार	66
05.	कृषि उपज मण्डी समिति (फल आलू, प्याज, लहसून) भदवासिया	146	05.	कमला नेहरू बाजार	78
06.	कृषि उपज मण्डी समिति (सब्जी) भदवासिया (प्रस्तावित)	323	06.	सरोजिनी बाजार	32

07.	राजस्थान स्टेट वेयर हाऊस गोडाउन्स मंडोर	4	07.	स्टेशन रोड़ बाजार	14
08.	राजस्थान स्टेट वेयर हाऊस गोडाउन्स मंडोर	6	08.	व्यास बाजार	15
09.	कृषि उपज मण्डी समिति आंगणवा (90 बीगा)	—	09.	कबाडी बाजार	18
10.	स्पाईस पार्क रामपुरा भाटियान	—	10.	आनंद सिनेमा बाजार	15

स्रोत:- कृषि उपज मण्डी समिति एवं नगर निगम, जोधपुर

कृषि उपज मंडी समिति मण्डोर में उक्त दुकानों गोदामों के अतिरिक्त 170 दुकानों के भूखण्ड एवं 85 सण्डरी शॉप के भूखण्ड 99 वर्षीय लीज पर आवंटित किये गये हैं। कृषि उपज मण्डी समिति में ग्रामीण गोदाम, नीलामी चबूतरा कियोस्क, कवर्ड प्लेटफॉर्म आदि निर्मित है। कृषि उपज मंडी समिति मंडोर व बासनी में स्टेट वेयर हाऊसिंग गोडावन्स विद्यमान हैं।

वाणिज्यिक भू-उपयोग के अन्तर्गत 285.43 हेक्टेयर क्षेत्र विद्यमान है। जोधपुर का सेवा क्षेत्र काफी विस्तृत है। स्थानीय कारोबार के साथ-साथ देश के विभिन्न भागों एवं विदेशों से माल का आयात-निर्यात होता है। विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में जोधपुर की हस्तशिल्प कला प्रसिद्ध है। जोधपुर में इनलेण्ड कन्टेनर डिपो स्थापित है। सरदार मार्केट (गिरदीकोट-घंटाघर) एक सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित पुराना व्यावसायिक केन्द्र हैं। कटला बाजार, त्रिपोलिया बाजार, सराफा बाजार, कन्दोई बाजार, तुरा मार्केट, राखी मार्केट, सुमेर मार्केट, पान वाली गली, तेल बाजार, गाछा बाजार, माणक चौक, मिर्ची बाजार, तम्बाकू बाजार, आड़ा बाजार, चाँदशाह तकिया बाजार, रातानाडा बाजार, राजीव गाँधी सहकार बाजार रेलवे स्टेशन, अरबन हाट पाली रोड़, विशाल मेगामार्ट, बिग बाजार, नेशनल हेन्डलूम, रिलायन्स, थार हेन्डलूम, खादी भण्डार, सरदारपुरा सी रोड़, बी रोड़, कई नवनिर्मित मॉल, प्लाजा आदि प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र संचालित हैं। जोधपुर में रेलवे स्टेशन के पास राजीव गाँधी सहकार भवन सुव्यवस्थित वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में संचालित है।

जगह-जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थोक एवं खुदरा व्यावसायिक गतिविधियाँ के केन्द्र है। शहर के परकोटे में बाजार तंग एवं सकड़े एवं सर्पाकार मार्गों पर स्थित होने से आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। हाईकोर्ट रोड़ से गिरदीकोट में सीधी


पहुँच, सुगम यातायात के लिये नई सड़क बनाई गयी तथा नई सड़क के दोनों ओर सुनियोजित बाजार विकसित किया गया जो, नई सड़क बाजार के नाम से प्रसिद्ध है। इनके अलावा नगर के बाहरी क्षेत्रों में यथा शास्त्री सर्किल, पाल रोड़, चौपासनी रोड़, सालावास रोड़, पाली, जैसलमेर, नागौर और जयपुर की ओर जाने वाली सड़कों के किनारे एवं शहर की आवासीय कॉलोनियों में सड़कों के किनारे वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित हो रही है।



शॉपिंग मॉल



मानचित्र -2: विद्यमान वाणिज्यिक केन्द्रों की स्थिति-2013, जोधपुर



स्रोत:- नगर नियोजन विभाग सर्वेक्षण

कपड़े का थोक एवं खुदरा व्यापार—त्रिपोलिया बाजार, कटला बाजार, आडा बाजार, सरदारपुरा बी रोड़ तथा नई सड़क क्षेत्र में होता है। अनाज के थोक व्यवसाय के लिए मण्डोर मण्डी, बासनी मंडी एवं आलू, प्याज, लहसून फल सब्जी का थोक व्यवसाय भदवासीया में होता है। खाद, बीज, कीटनाशक आदि की दुकानें पावटा चौराहा किसान भवन के पास संचालित हैं। रिपेयरिंग, कृषि यंत्र निर्माण, ओटोमोबाइल्स व मोटर पार्ट्स की दुकाने बाहरवीं रोड़, पाल रोड़, चौपासनी रोड़, बोम्बे मोटर्स, जालोरी गेट, गोल बिल्डिंग के आस—पास के क्षेत्र में केन्द्रित है। राजस्थान आवासन मण्डल व जोधपुर विकास प्राधिकरण की कॉलोनियों में स्थानीय जनता के लिए दूरी व समस्त दैनिक सामान उपलब्ध करवाने हेतु कॉलोनियों में वाणिज्यिक केन्द्र विकसित किये हैं। इमारती पत्थर का व्यापार सूरसागर, रीको स्टोन पार्क मंडोर व आखलिया चौराहा क्षेत्र में होता है। सैनेट्री व टाइल्स, प्लाई आदि की सामग्री का गोल बिल्डिंग केन्द्र बिन्दु है। ट्रांसपोर्ट नगर बासनी में स्थित है। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आंगणवा में ट्रांसपोर्ट टर्मिनल का विकास किया जा रहा है। जोधपुर में हैंडिक्राफ्ट के आइटम के शोरूम/दुकानें राईका बाग, पाली सड़क, मण्डोर सड़क, माता का थान, गुरुओं का तालाब क्षेत्र व शहर के विभिन्न भागों में संचालित है। हैंडिक्राफ्ट आइटम, ग्वारगम, मसाला, गाजर आदि का विदेशों में निर्यात किया जाता है। अरबन हाट में दस्तकारों, बुनकरो, हस्तशिल्पियों को उनके द्वारा बनाये गये उत्पाद के विक्रय की सुविधा उपलब्ध है। पश्चिमी राजस्थान के हस्तशिल्प मेला का आयोजन प्रतिवर्ष रावण के चबुतरे के मैदान में किया जाता है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न व्यावसायिक योजना एवं आवासीय योजनाओं, अनुमोदित ले—आउट प्लान में व्यावसायिक भूखण्ड हेतु भूमि आरक्षित की गई हैं। जिला वाणिज्यिक केन्द्र—सरस्वती नगर एवं कीर्ति नगर, ऑटो मोबाइल मार्केट— आंगणवा, शास्त्री सर्किल, वेयर हॉउस गोदाम— देसूरिया विश्नोईयां, सुभाष नगर विस्तारयोजना, विजय राजे नगर, अपना घर योजना चौखा, लहरीया होटल के समीप, मिल्कमेन कॉलोनी—बड़ली, एम्स के समीप, सूरसागर रोड़— गोवां, रामबाग, पत्रकार कॉलोनी, मथुरा दास माथुर चिकित्सालय, कबीर नगर, राजीव गाँधी इत्यादि योजनाओं में व्यावसायिक भूखण्ड/कॉम्प्लेक्स/दुकानें हेतु भूमि आरक्षित विकसित की गई हैं।

2.7.3 औद्योगिक

नगर में रीको एवं निजी क्षेत्र में कुल 2356.15 हेक्टेयर क्षेत्र औद्योगिक गतिविधियों के अन्तर्गत है जो कि विकसित क्षेत्र का 15.58 प्रतिशत है। राजस्थान औद्योगिक विनिवेश निगम ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों यथा बासनी, बोरानाडा, सांगरीया, पाल, मण्डोर क्षेत्रों में विकसित किये हैं जिनमें कुल भूखण्डों की संख्या 4837 एवं क्षेत्रफल 1298.59 हेक्टेयर हैं। रीको द्वारा कई नियोजित औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये जिनका विवरण निम्नतालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका-6

विद्यमान रीको औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण, जोधपुर-वर्ष 2013

क्र.सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कुल भूखण्ड की संख्या
1	बासनी प्रथम चरण	40.46	96
	बासनी प्रथम चरण (इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हेण्डिक्राफ्ट)		45
2	बासनी द्वितीय चरण	308.49	752
3	न्यू जोधपुर	7.52	74
4	सांगरीया प्रथम/द्वितीय चरण	41.97	597
5	मण्डोर	109.62	287
6	स्टोन पार्क मण्डोर	20.20	77
7	भगत की कोठी	1.60	12
8	बोरानाडा प्रथम फेज	31.16	126
9	बोरानाडा द्वितीय फेज	42.09	93
10	बोरानाडा तृतीय फेज	65.60	238
11	बोरानाडा चतुर्थ फेज	133.28	242
12	ईपीआईपी	83.77	261
13	एस.ई.जेड. (सेज)	73.22	287
14	फूड पार्क	105.13	188
15	पाल शिल्प ग्राम	14.00	402
16	औद्योगिक क्षेत्र (हस्तांतरित)	217.65	
	अ. इण्डस्ट्रीयल एस्टेट		85
	ब. हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया		160
	स. लाइट इण्डस्ट्रीयल एरिया		68
	स. बी.एन.पी.एच. इण्डस्ट्रीयल एरिया		118
	द. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स (एल.आई.ए.)	34	

क्र.सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कुल भूखण्ड की संख्या
17	साईबर पार्क (सांगरिया प्रथम व द्वितीय)	2.83	595
	योग	1298.59	4837

स्रोत :- रीको औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर

जोधपुर में इंजिनियरिंग, मोटर पार्ट्स, पशु आहार, कृषि यन्त्र, ग्वार गम, टेक्सटाइल, स्टील बर्तन, स्टोन क्रेशिंग, खिलौने, हैन्डीक्राफ्ट्स, फर्नीचर, हैण्डलूम, हौजरी, मसाला निर्माण, खाद्य पदार्थ के उत्पादन से संबंधित उद्योग स्थापित हैं। यहाँ उद्योग लोगों की आजीविका एवं रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन है। नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएँ मुहैया करवायी गयी है। यहाँ के हस्तशिल्प देश-विदेश में लोकप्रिय है। जोधपुर में विगत वर्षों में तीव्र औद्योगिक विकास हुआ है। जोधपुर में जिला उद्योग केन्द्र पर वर्ष 2007-08 में 336 औद्योगिक इकाइयाँ, वर्ष 2011-12 में 422 औद्योगिक इकाइयाँ पंजीकृत की गयी हैं। जिला उद्योग केन्द्र जोधपुर में विभिन्न वर्षों में पंजीयन की गयी औद्योगिक इकाइयों की संख्या एवं उनमें रोजगार (नियोजन) को निम्न तालिका संख्या-7 में दर्शाया गया है:-

तालिका-7

जिला उद्योग केन्द्र जोधपुर में औद्योगिक इकाइयों का पंजीयन वर्ष 2007-08 से 2011-12


उद्योग का प्रकार	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
	इकाइयाँ	नियोजन	इकाइयाँ	नियोजन	इकाइयाँ	नियोजन	इकाइयाँ	नियोजन	इकाइयाँ	नियोजन
कृषि आधारित उद्योग	26	217	32	198	21	178	23	237	24	219
वन आधारित उद्योग	23	204	41	451	33	224	39	290	48	377
पशु आहार एवं डेयरी से संबंधित उद्योग	73	268	81	248	100	276	35	58	51	146
सूती वस्त्र आधारित उद्योग	39	286	40	267	94	342	147	611	90	636
रसायन आधारित उद्योग	14	86	21	128	08	56	4	32	7	53
इंजिनियरिंग एवं संबंधित उद्योग	68	1038	112	1164	83	921	67	577	73	491
भवन निर्माण सामग्री से संबंधित उद्योग	8	44	6	35	15	96	68	631	13	121
विविध	85	906	136	1665	124	921	210	1091	116	526
योग	336	3049	469	4156	478	3014	593	3527	422	2569

स्रोत :- जिला उद्योग केन्द्र जोधपुर

जोधपुर में औद्योगिक विकास की तीव्र वृद्धि हुई है। दिल्ली-मुम्बई विशेष रेल परियोजना पश्चिमी समर्पित माल-भाड़ा कोरीडोर, पश्चिमी क्षेत्र में ऑयल रिफाईनरी की स्थापना, जोधपुर संभाग में वैकल्पिक ऊर्जा के संयंत्र लगने से यहाँ औद्योगिक विकास व निवेश का वातावरण बना है जिसके फलस्वरूप जोधपुर में वृहद् उद्योग, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई है।


जोधपुर में सूरसागर, काली बेरी, रूपावतों का बेरा, मण्डोर रॉयल्टी नाका, केरू, बेरू, बड़ली, पालड़ी मांगलिया आदि क्षेत्रों में इमारती पत्थरों की खानें स्थित हैं, जिसमें इमारती पत्थरों का खनन किया जाता है।

मानचित्र-3 : विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति-2013, जोधपुर



2.7.4 राजकीय

2.7.4 (अ) सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय



जोधपुर कलव्द्रेट कार्यालय

जोधपुर संभागीय एवं जिला मुख्यालय होने के कारण नगर का आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में तीव्र विकास हुआ, जिससे यहाँ केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय स्थापित हुए हैं। जोधपुर शहर में सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों की संख्या 536 हैं, जिनमें 51,903 कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं। नगर के कुल विकसित क्षेत्र की 1.45 प्रतिशत भूमि सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के उपयोग में आ रही है। निम्न तालिका संख्या-8 में शहर के विभिन्न श्रेणी के कार्यालयों की संख्या एवं उनमें नियोजन को दर्शाया गया है।

तालिका-8

सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय, जोधपुर-2013


क्र. सं.	कार्यालय का प्रकार	कार्यालयों की संख्या	कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या
1.	केन्द्र सरकार के कार्यालय	58	17593
2.	केन्द्रीय सरकार के अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	121	4953

3.	राज्य सरकार के कार्यालय	263	22968
4.	राज्य सरकार के अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	88	3362
5.	स्थानीय निकाय कार्यालय	06	3027
	योग	536	51903

2.7.4 (ब) राजकीय आरक्षित

सामरिक दृष्टि से जोधपुर भारत का एक महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ पुलिस लाईन, जेल, आर्मी, एयर फोर्स, पुलिस सुरक्षा, पुलिस लाइन, कारागाह, आर.ए.सी., बी.एस.एफ रक्षा एवं सुरक्षा आदि विभागों के कार्यालय विद्यमान हैं। शहर में कुल 2862.65 हेक्टेयर भूमि राजकीय आरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत आती है जो कुल नगरीयकृत योग्य क्षेत्र का 11.27 प्रतिशत हैं।

मानचित्र-4 : राजकीय आरक्षित भूमि की स्थिति 2013, जोधपुर



2.7.5 आमोद-प्रमोद

शहर में स्वस्थ प्राकृतिक वातावरण, भ्रमण, मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, खेलकूद, व्यायाम, खुली हवा, पर्यावरण संरक्षण आदि के लिए पार्क खुले स्थल हेतु 251.55 हेक्टेयर भूमि है जो नगर के कुल विकसित क्षेत्र का 1.66 प्रतिशत है।

2.7.5 (अ) उद्यान, खुले स्थल

पर्यावरण संरक्षण में पार्क एवं खुले स्थलों एवं खेल मैदानों का अद्वितीय स्थान है। यह नगर के फेफड़ों का कार्य करते हैं। उद्यान सुबह के भ्रमण (Morning walk) शुद्ध प्राकृतिक वातावरण, स्वस्थ जीवन, मनोरंजन, व्यायाम के लिए



मण्डोर उद्यान


अवश्यक है। स्वास्थ्य ही मनुष्य की अमूल्य निधि है। स्वस्थ जीवन के लिए उक्त स्थल महत्वपूर्ण है। उद्यान शहर के सौंदर्य एवं स्वच्छ पर्यावरण के प्रतीक होते हैं। मण्डोर उद्यान, उम्मेद उद्यान, नेहरू पार्क, सम्राट अशोक उद्यान, महावीर पार्क, बाबू लक्षमण सिंह पार्क, वीर दुर्गादास पार्क-मसूरीया हिल, मानसरोवर पार्क आदि यहाँ के प्रमुख मनोहारी भ्रमण स्थल हैं।

कायलाना झील के पास में 41 हेक्टेयर में माचिया सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। पार्क में 1.2 किलोमीटर पाथ-वे, 2.2 किलोमीटर लम्बी सर्विस रोड, कार्निवोरस प्राणियों के लिए पिंजरे (एनक्लोजर्स), एण्टर प्रिटेसन हॉल, ऑडिटेरियम, मेंडिटेसन सेंटर, स्लाइड-शो, फिल्म-शो, थिएटर आदि निर्मित/निर्माणाधीन है। जोधपुर की विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में भी छोटे-बड़े पार्क एवं खुले स्थल विकसित हैं।

2.7.5 (ब) स्टेडियम एवं खेल मैदान

जोधपुर शहर में बरकततुल्ला खां स्टेडियम, रावण का चबूतरा, पुराना स्टेडियम, गाँधी मैदान, अमृत लाल गहलोत स्टेडियम चैनपुरा, गौशाला मैदान, रेलवे


स्टेडियम, पॉलो ग्राउण्ड, फिजिकल कॉलेज ग्राउन्ड आदि क्रीडा विश्वविद्यालय के ओल्ड केम्पस व न्यू केम्पस के ग्राउण्ड स्थल है।



बरकतुल्ला खाँ स्टेडियम

बरकतुल्ला खाँ स्टेडियम में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएँ विकसित की गई है, फ्लड लाईट्स लगाई गई हैं जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा सकेगा। गौशाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कराया गया है। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को खेल गाँव के रूप में विकसित किया गया है। उपरोक्त खेल मैदानों को खेलकूल गतिविधियों के अलावा विभिन्न कार्यक्रमों, मेला, प्रदर्शनियों, जन सभाओं, व्यायाम आदि के उपयोग में भी लिए जाते हैं। इनके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, स्कूलों में भी खेल मैदानों की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

मानचित्र- 5 : विद्यमान पार्क, खुले स्थलों एव खेल मैदानों की स्थिति-2013



2.7.5 (स) मेला एवं पर्यटन स्थल

जोधपुर एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। जो विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह राजस्थान के डेजर्ट सर्किट में स्थित है। यहाँ मेहरानगढ़, जसवन्त थडा, उम्मेद पैलेस, क्लोक टॉवर, मंडोर उद्यान में देवताओं की साल, छतरियां, म्यूजियम, नागादड़ी व झरना, बालसंमद, उम्मेद उद्यान, सरदार म्यूजियम, मेहरानगढ़ का म्यूजियम, मसूरिया पहाड़ी पर वीर दुर्गादास उद्यान/प्रतिमा, कायलाना झील, बेरी गंगा, सुरपुरा बांध पर स्थित महल, माचिया सफारी पार्क, जन्तुआलय, चिड़ियाघर, सरदार म्यूजियम, अरना-झरना, भीमभड़क, पंचकुण्डा की छतरिया, गुलाब सागर, प्राचीन तालाब, झालरा, बावडिया आदि दर्शनीय स्थल स्थित है इनके अतिरिक्त स्थानीय मेले, त्योहार, हस्तशिल्प, एडवेंचर ट्यूरिज्म, ग्रामीण एवं इको ट्यूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, भवनों की स्थापत्य कला, पेंटिंग, म्यूरल, स्कल्पचर, लोकगीत, लोक नृत्य संगीत आदि जो पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करते हैं। मेहरानगढ़, उम्मेद भवन पैलेस, किला, महल, हवेलियां, मंदिर आदि वास्तुकला की दृष्टि से अद्भुत एवं सुप्रसिद्ध है। जोधपुर की वास्तुकला उच्च कोटि की है। जोधपुर में स्थित विरासत में शिल्पकारों के कौशल की प्रवीणता दृष्टिगोचर होती है। बारीक शैली में गड़ाई, नक्काशी अद्भुत है। उम्मेद भवन में भित्तिचित्र अति सुन्दर है। सेण्ड स्टोन पर



उम्मेद पैलेस

तरासी हुई भिन्न-भिन्न आकृतियां आकर्षण का केन्द्र है। विरासत धरोहर की कारीगरी

अद्वितीय है। झरोखा, जालीदार खिड़कियां, स्तम्भ मन्जीसा, टोडी, झुमर नक्काशीदार बालकनी देखकर पर्यटक अभिभूत हो जाते हैं। यहाँ के म्यूजियम समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा को दर्शाते हैं। यहाँ के लोक नृत्य—घुमर, चिरमी नृत्य, बणजारा—बणजारी नृत्य, गोरबंद नृत्य कालबेलिया नृत्य, संगीत आदि प्रसिद्ध हैं। लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। हाल ही में विकसित किये जा रहे साईंस पार्क एव साईंस सिटी, अक्षरधाम—कालीबेरी, मेहरानगढ़ किले के समीप दुख भंजन बालाजी मन्दिर तालाब में जेट फव्वारे से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

जयपुर, जैसलमेर, माउन्ट आबू, बीकानेर एवं उदयपुर परिधीय सीमा/केन्द्र में जोधपुर स्थित होने से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। पिछले कुछ दशकों से यहाँ पर्यटकों की आवाजाही में वृद्धि हुई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जैसलमेर




मेहरानगढ़ किला

के सामीप्य का लाभ भी जोधपुर को प्राप्त हुआ है। डेजर्ट ट्राइएंगल की आकृति बनती है। आबू पर्वत पर्यटन स्थल के सामीप्य से भी जोधपुर के पर्यटन को बढ़ावा मिला है। नजदीक में विलेज सफारी एवं शाही रेलगाड़ी आदि योजनाओं एवं परिवहन की सुगम व्यवस्था व उच्च श्रेणी की सुविधाओं ने देशी—विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया है।



वीर दुर्गादास की प्रतिमा, मसूरिया हिल

मानचित्र-6 : राजस्थान के मुख्य पर्यटन स्थलों की स्थिति



जोधपुर एक महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य स्थल है, जो देशी-विदेशी सैलानियों के पसंदीदा शहरों में से एक है। यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक संख्या यूरोपियन देशों की यथा- फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन आदि देशों के पर्यटकों की है। जोधपुर में पर्यटकों के आगमन का विवरण निम्नांकित तालिका संख्या-9 में दर्शाया गया है:-

तालिका-9

पर्यटकों के आगमन का विवरण, जोधपुर (वर्ष 2008-2012)

माह	वर्ष 2008		वर्ष 2009		वर्ष 2010		वर्ष 2011		वर्ष 2012	
	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी
जन.	47242	13872	39220	7691	39427	10567	40140	13763	41342	13141
फर.	42589	19245	35501	8324	39431	10877	28716	11567	24660	16083
मार्च	35280	16069	26256	7252	31145	12747	30400	12053	32125	13373
अप्रैल	39240	7221	28341	3861	28364	6471	30032	6786	23818	7699
मई	33290	3510	26279	1463	24218	2246	22845	2835	21847	3934
जून	30133	1716	37288	1316	36760	2028	38967	2265	20900	1982
जुलाई	36138	5193	26733	2208	29642	5484	23584	3280	18871	7327
अगस्त	34879	9636	36391	5820	31383	10108	19599	7526	24734	8943
सित.	38636	8505	36391	6865	43962	7132	30849	6825	39868	9339
अक्टू.	46223	12325	41442	9141	47225	12340	58900	11945	55731	12184
नव.	49406	17307	34762	8372	60590	15121	38477	13386	36351	15343
दिस.	58228	10264	55335	8838	43510	11824	42431	10803	43110	11686
योग	493294	124863	423939	71201	455657	106945	404940	103034	383357	121034

स्रोत - पर्यटन केन्द्र, जोधपुर

जोधपुर में पर्यटन के लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं का विकास हुआ है। यहाँ ठहरने के लिए उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग व निम्न आय वर्ग के लिए विभिन्न श्रेणी की होटल, हेरिटेज होटल, पेइंग गेस्ट हॉउस, धर्मशालाएं आदि की श्रेष्ठ सुविधाएँ उपलब्ध हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए रेलवे व बसों में आरक्षण, ट्रेवल एजेन्सी की सुविधाएँ, पर्यटक सूचना केन्द्र, पर्यटक स्वागत केन्द्र, खरीददारी केन्द्र, मनी एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध है। जोधपुर में 194 होटलों में लगभग 4594 शैयाएँ हैं इनमें से 74 पेइंग गेस्ट हाऊस रजिस्टर्ड है, जिसमें लगभग 636 शैयाएँ हैं। जोधपुर शहर में स्थित विभिन्न श्रेणी की होटलों को तालिका संख्या-10 में दर्शाया गया है :-

तालिका-10

जोधपुर में विभिन्न श्रेणी के होटल एवं उनमें सुविधाएँ, वर्ष 2013

क्र. सं.	होटलों की श्रेणी	होटलों की संख्या	Accommodation Available (No. of Rooms)					कुल कमरों की संख्या	कुल शैयाओं की संख्या
			Deluxe	AC	Ordinary	Dormitory	Suit		
1	हेरिटेज होटल	5	213	15	0	0	17	245	490
2	पांच सितारा होटल	3	20	170	0	0	55	245	490
3	तीन सितारा होटल	8	240	68	0	0	39	347	694
4	दो सितारा होटल	6	100	62	5	1	27	195	390
5	राजकीय एकोमोडेशन	3	30	29	43	18	0	120	240
6	पेईंग गेस्ट हाऊस	74	0	0	0	0	0	318	636
7	अन्य होटल	95	399	474	684	345	59	1827	3654
	योग	194	1002	818	732	364	197	3297	4594

स्रोत :- पर्यटन केन्द्र, जोधपुर

पर्यटन केन्द्रों के विकास से यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हस्तकला, ट्रेवल्स व होटल व्यवसाय को प्रोत्साहन मिला है। बड़ी रेल लाईन एवं हवाई मार्ग सेवाओं की उपलब्धता, विदेशी सैलानियों को लुभाने की विभिन्न सरकारी योजनाओं ने भी पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा दिया है। यहाँ ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के अलावा प्राकृतिक सौन्दर्ययुक्त पर्यटन स्थल भी हैं। कायलाना झील, माचिया सफारी पार्क, सुरपुरा बांध का महल, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं। जोधपुर में होटल प्रबन्ध संस्थान पोलीटेक्निक कॉलेज परिसर में विद्यमान है, जिसका क्षेत्रफल 6.5 एकड़ है।

विदेशी मुद्रा अर्जित करने में पर्यटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। सैलानियों को जोधपुर बहुत पसन्द आता है यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों में सर्वाधिक संख्या यूरोपीयन देशों की है। मेहरानगढ़ दुर्ग 125 मीटर ऊँची पहाड़ी पर स्थित है जो दूर से नजर आता है। मेहरानगढ़ दुर्ग, उम्मेद भवन पैलेस की वास्तुकला उच्च कोटि की है।

यूरोपियन पक्षियों के लिए रेगिस्तानी भू-भाग की भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल हैं। वर्ष 2009 से लेकर अब तक प्रवासी पक्षियों की तादात में 20 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। सुदूर-दराज से प्रवासी पक्षियों का यहाँ मौसम परिवर्तन के समय आना-जाना रहता है। मानसून समय में स्पोर्टबिल, डक, फ्लेमिंगो, स्पून बिल्स, पैलीकन सहित विदेशी पक्षियों की कई प्रजातियां जोधपुर के आसपास तालाबों, खलिहानों में डेरा डालते हैं। यहाँ के जलाशयों में इनकी अठखेलियां पर्यटकों को लुभाती है। शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी नवम्बर से मार्च तक हिमालय, लद्दाख, ट्रांस हिमालय, यूरोप, हंगरी, सहित ठण्डे प्रदेशों से यहाँ आते हैं। ये पक्षी कायलाना झील, उम्मेद सागर, सूरसागर आदि स्थानों पर डेरा डालते हैं। देशी विदेशी पक्षियों के आगमन से प्रकृति की खूबसूरती निखरती है। कई पक्षी अपने उड़ान भरने लायक छोटे-बच्चों को साथ लाते हैं जो बड़े सुन्दर एवं मनमोहक होते हैं।

गांवों की लोक संस्कृति से रूबरू होना पर्यटकों की पहली पसंद है। जोधपुर के शांत शहर की छवि, अपनत्व, मेहमानवाजी, स्वागत व यहाँ की वेशभूषा, आभूषण, व्यंजन, संस्कृति, रहन सहन पर्यटकों को बहुत पसंद है।

जोधपुर में प्रतिवर्ष रावण के चबूतरा में दशहरा का मेला भरता है। कागा में शीतला माता के मेले में दूर दराज के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में आते हैं। इनके अतिरिक्त रामनवमी, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, धींगा गवर, डांडिया नृत्य, भोगी शैल परिक्रमा के रूप में मेले का आयोजन होता है। जोधपुर स्थापना दिवस पर मेले का आयोजन किया जाता है। तनापीर दरगाह, पंचकुण्डा मण्डोर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला, मसूरिया में बाबा रामदेव के गुरु बालक नाथ जी का मेला भरता है। इन मेलों में भारी भीड़ रहती है। जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के समारोह, दीपावली, होली, रक्षा बंधन, तीज, त्यौहार, छोटी ईद, बड़ी ईद आदि त्यौहार धूमधाम से मनाये जाते हैं। मेलों एवं उत्सवों में इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक मिलती है।

जोधपुर संभाग में जैसलमेर जिले के रामदेवरा (पोकरण) में बाबा रामदेव जी का मेला प्रतिवर्ष भादवा मास में भरता है जिसमें देश के कई क्षेत्रों से भारी संख्या में जातरू जोधपुर से होकर जाते हैं, उस समय जोधपुर में काफी यात्रिगण रात्रि

विश्राम हेतु ठहरते हैं तथा मसूरिया पहाड़ी पर बाबा रामदेव के गुरु बालिक नाथ के मेले में शामिल होते हैं।

2.7.5 (द) अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन

अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन की दृष्टि से जोधपुर में आठ सिनेमा हॉल हैं जिनमें कोहिनूर, नसरानी, आनन्द, बायोस्कोप इत्यादि प्रमुख हैं। जयनारायण व्यास टाउन हॉल, प्रेक्षागृह (ऑडिटोरियम) में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है।

जोधपुर में नये पर्यटन स्थल के रूप में साइंस सिटी, साइंस पार्क विकसित किये जा रहे हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 8.50 एकड़ है। इसके निर्माण में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 42 करोड़ रुपये व राजस्थान सरकार द्वारा 28 करोड़ रुपये की राशि वहन का प्रावधान रखा गया है। यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त साइंस सेन्टर, कन्वेंशन सेन्टर, फिल्म थियेटर, मिरर मेजिक, स्पेस साइंस, डायमेशन हॉल आदि आकर्षण का केन्द्र हैं। विज्ञान केन्द्र में जुरासिक पार्क के डायनासोर के सजीव मॉडल दौड़ते और आवाज निकालते व भ्रमण करते हुए नजर आते हैं। विज्ञान को आसानी से, मनोरंजन तरीके से समझने, रॉकेट लांचिंग की कार्यप्रणाली को समझने में आसानी रहेगी। विज्ञान केन्द्र में तारामण्डल, जोधपुर का हेरिटेज विज्ञान, मनोरंजक विज्ञान दीर्घाएँ, विज्ञान शो कार्नर, समुद्र, डिजिटल सूचना क्रांति, औषधिय पौध उद्यान, त्रिविमीय शो, भ्रम कोना आदि आकर्षण का केन्द्र है। साइंस सिटी में आधुनिक विज्ञान का प्रदर्शन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रॉबोट और रॉबोटिक्स रोमांच होंगे। इसमें डोम थिएटर का अपना विशेष आकर्षण होगा। इसमें एक साथ 220 दर्शकगण बैठ सकेंगे।

साइंस सिटी विद्यार्थियों, शौधार्थियों के लिए लाभदायक है। इसमें आधुनिक विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में सीखा जा सकेगा। पौधों, जानवरों और उनके प्राकृतिक परिवेश के बारे में सुक्ष्म व्यावहारिक जानकारी मिल सकेगी।

राज्य सरकार ने अक्षरधाम के निर्माण हेतु काली बेरी गाँधी नगर आवासीय योजना में अक्षरधाम निर्मित करने के लिये 40 बीघा भूमि अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था को आवंटित की गयी। अक्षरधाम के निर्माण में अनुमानतः 400 करोड़

रूपये की लागत आयेगी। अक्षरधाम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा एवं विश्वस्तर पर पहचान बनेगी।

2.7.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत जोधपुर में विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थाएं, चिकित्सालय, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्मारक, डाकघर, दूरभाष केन्द्र, आकाशवाणी, अग्नि शमन सेवा, सिनेमा, सूचना केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय, क्लब, यूथ हॉस्टल, धर्मशालाएं इत्यादि स्थित है जिसमें विद्यमान भू-उपयोग 1387.78 हेक्टेयर है, जो विकसित क्षेत्र का 9.18 प्रतिशत है।

2.7.6 (अ) शैक्षणिक

जोधपुर में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, शिक्षा के क्षेत्र में जोधपुर ने काफी प्रगति की है तथा यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की



फुटवियर डिजाईन एण्ड डवलपमेंट इंस्टिट्यूट

विविधता का उत्कृष्ट स्वरूप उभरा है। शैक्षणिक सत्र 2012-13 में यहाँ 270 प्राथमिक, 470 उच्च प्राथमिक, 151 माध्यमिक व 183 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

इस तरह कुल विद्यालयों की संख्या 1071 है। इनमें कुल 237728 विद्यार्थियों का नामांकन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण को प्राथमिकता दी गयी है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन आवश्यक एवं अनिवार्य है।



राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

निम्नलिखित तालिका संख्या-11 में विभिन्न श्रेणी के राजकीय विद्यालयों एवं विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है :-

तालिका-11
शैक्षणिक संरचना का विवरण, जोधपुर (शहर) 2012-13

क्र. सं.	विद्यालय श्रेणी	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों का कक्षानुसार नामांकन								कुल नामांकन संख्या
			I-V		VI-VIII		IX-X		XI-XII		
			छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	
1	प्राथमिक विद्यालय राजकीय	124	3495	3703	-	-	-	-	-	-	7198
	गैर राजकीय	146	7791	7617	-	-	-	-	-	-	15408
2	उ.प्रा. विद्यालय राजकीय	98	4068	4785	-	-	-	-	-	-	12320
	गैर राजकीय	369	28517	22912	9151	7182	-	-	-	-	67762
3	माध्यमिक विद्यालय राजकीय	27	214	251	683	796	582	616	-	-	3142
	गैर राजकीय	124	9134	7383	4655	3492	3663	2489	-	-	30813
4	उ.मा. विद्यालय राजकीय	31	-	-	541	613	1395	2139	1843	1998	8529
	गैर राजकीय	152	18426	14029	11739	9053	11284	8590	12242	7193	92556
योग		1071	71642	60680	28183	23189	16924	13834	14085	9191	237728


स्रोत :- जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारम्भिक



हॉल ऑफ यूनिवर्सिटी मेनेजमेंट शिक्षण संस्थान

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध (Affiliated) 52 कॉलेज संचालित हैं। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय संचालित हैं। सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय, विश्वविद्यालय जोधपुर में इंटीग्रेटेड बी.ए. विद एम.ए.ईन. सोशियल साईंस में पंच वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किया है। यह देश में तीसरा स्थान है, जहाँ यह पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय ने शुरू किया है। यह पुणे व मुम्बई के बाद जोधपुर में शुरू किया गया है। मेडिकल कॉलेज, पॉलोटेक्निक कॉलेज, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, कमला नेहरू कॉलेज, इंजिनियरिंग कॉलेज,, एम्स, निपट, आदि उच्च शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, राजकीय महाविद्यालय चैनपुरा, फुटवियर डिजाइन एण्ड डवलपमेन्ट इन्स्टीट्यूट, आदि उच्च शैक्षणिक संस्थाएं विद्यमान हैं। जोधपुर में मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित की गयी है, और कई निजी शैक्षणिक संस्थाएं संचालित हैं। जोधपुर में मरूरुक्ष अनुसंधान संस्था (CAZRI), शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (AFRI) व कृषि अनुसंधान केन्द्र में यहाँ भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रिसर्च कार्य किये जाते हैं।

मानचित्र-7: प्रमुख विद्यमान संस्थानों की स्थिति-2013, जोधपुर



स्रोत:- नगर नियोजन विभाग सर्वेक्षण

जोधपुर में प्रमुख उच्च शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाओं का विवरण तालिका संख्या-12 में दर्शाया गया है:-

तालिका-12

विद्यमान उच्च शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण, जोधपुर 2012-13

क्र.सं.	विद्यमान शैक्षणिक संस्थाएँ	नामांकन/इन्टेक
1.	जयनारायण व्यास, विश्वविद्यालय, जोधपुर	18926
	जे.एन.वी.यू. से समबद्ध 52 महाविद्यालय	13967
2.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर	635
3.	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर	335
4.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर	584
5.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) जोधपुर	100
6.	सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय, विश्वविद्यालय, जोधपुर	60
7.	राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान, जोधपुर	110
8.	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान, जोधपुर	50
9.	राजकीय आवासीय महिला पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, जोधपुर	166
10.	राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, जोधपुर	357
11.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर	594
12.	राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर	120
13.	राजकीय महाविद्यालय चैनपुरा, जोधपुर	380
14.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट विद्याशाला) जोधपुर	94
15.	राजकीय एस. एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	250
16.	पशुधन सहायक प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर	200
17.	फुटवियर डिजाईन एण्ड डवलपमेंट इंस्टिट्यूट जोधपुर	180
18.	एम्स नर्सिंग कॉलेज जोधपुर	60
19.	कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर	200

स्रोत :- द्वितीयक आंकड़ों का संकलन

2.7.6 (ब) चिकित्सा

चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ तेजी से विस्तार हुआ है। इस क्षेत्र में सरकारी एवं निजी अस्पतालों द्वारा चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा रही है। जोधपुर में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्योपैथिक अस्पतालों की सुविधा उपलब्ध हैं। महात्मा गाँधी अस्पताल, उम्मेद अस्पताल, मथुरादास माथुर अस्पताल, कमला नेहरू वक्ष चिकित्सालय एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) आदि प्रमुख अस्पताल हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एशिया में सबसे अच्छे संस्थान में

शुमार है। एम्स में विश्वस्तरीय चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं। चिकित्सालयों में अंतरग सुविधाओं के अन्तरगत शैयाओं (Beds) की संख्या—



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

एम्स में 960 महात्मा गाँधी अस्पताल में 634, उम्मेद अस्पताल में 817, तथा मथुरादास माथुर अस्पताल में 806, राजकीय आंगिक चिकित्सालय में 150, कनीराम सालगराम टाक चिकित्सालय में

07, दो जिला अस्पतालों में 200, दो सेटेलाइट अस्पतालों में 100, मण्डल रेलवे चिकित्सालय में 117, कमला नेहरू चिकित्सालय में 170, राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय 29, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय मसूरिया 05, राजकीय एलोपैथिक अस्पतालों में 224, राजकीय आयुर्वेदिक अस्पतालों में 39 शैयाएँ हैं। यह अस्पताल सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित हैं। कमला नेहरू नगर में वक्ष चिकित्सालय तथा मथुरादास माथुर अस्पताल में मनोरोगियों व कैंसर के रोगियों के उपचार हेतु अलग से व्यवस्था हैं। रक्षा एवं रेल विभाग के अलग से चिकित्सालय स्थित हैं। इनके अलावा विभिन्न आवासीय कालोनियों में राजकीय चिकित्सालय एवं डिस्पेन्सरी स्थित हैं। यहाँ पशु चिकित्सा हेतु मुख्य पशु चिकित्सालय स्थित हैं। मिल्कमेन कॉलोनी, पूंजला व सरदारपुरा क्षेत्र में भी पशु चिकित्सालय स्थापित हैं। बी.जे.एस. कालोनी, बाईजी का तालाब एवं महामन्दिर क्षेत्र में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र संचालित हैं।



मथुरादास माथुर चिकित्सालय

जोधपुर में कई निजी चिकित्सालय द्वारा भी उच्च स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएँ दी जा रही हैं। जोधपुर शहर में विद्यमान विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:—

तालिका-13
विद्यमान अस्पतालो का विवरण जोधपुर-2013


क्र. सं.	चिकित्सालयों की श्रेणी	चिकित्सालयों की संख्या	अंतरग सुविधा / शैयाओं की संख्या
1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	—	960
2.	मथुरादास माथुर अस्पताल	—	806
3.	महात्मा गाँधी अस्पताल	—	634
4.	उम्मेद चिकित्सालय	—	817
5.	राजकीय आंगिक चिकित्सालय (आयुर्वेद विश्वविद्यालय)	—	150
6.	कनीराम सालगराम टाक आयुर्वेद चिकित्सालय	—	07
7.	खण्ड मुख्य चिकित्सालय मण्डोर	—	—
8.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनाड़	—	30
9.	राजकीय चिकित्सालय	14	84
10.	जिला अस्पताल	2	200
11.	सैटेलाईट अस्पताल	3	150
12.	राजकीय अस्पताल	—	30
13.	मण्डल रेलवे चिकित्सालय जोधपुर	—	117
14.	मिल्ट्री हॉस्पिटल जोधपुर	—	—
15.	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	8	48
16.	सेठ श्री रघुनाथ परिहार जिला क्षय निवारण केन्द्र	—	—
17.	शहरी एडपोस्ट	3	18
18.	कमला नेहरू वक्ष चिकित्सालय	—	170
19.	राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय	—	29
20.	राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय मसूरिया	—	5
21.	राजकीय आयुर्वेद औषधालय	6	—
22.	राजकीय एलोपैथिक अस्पताल	09	224
23.	राजकीय आयुर्वेद अस्पताल	10	39

क्र. सं.	चिकित्सालयों की श्रेणी	चिकित्सालयों की संख्या	अंतरग सुविधा / शैयाओं की संख्या
24.	राजकीय डिस्पेन्सरी	20	—
25.	राजकीय यूनानी अस्पताल	04	—
26	राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल	02	—
	योग	65	4294

स्रोत :- द्वितीय आंकड़ों का संकलन

2.7.6 (स) सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्मारक, धरोहर स्थल

जोधपुर में मेहरानगढ़, घंटाघर, जसवन्त थड़ा, महामंदिर में नाथजी का मंदिर, मण्डोर उद्यान में देवताओं का मण्डप, रावण की चंवरी, जनाना महल एवं प्राचीन देवालय, राव मालदेव, उदयसिंह, सवाई सूरसिंह, गजसिंह, जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा अजीतसिंह, पंचकुण्डा, टोकेश्वर महाराज की छतरियां आदि यहाँ के प्रमुख पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। कुंजबिहारी जी का मंदिर, गंगश्यामजी का मंदिर, राजरणछोड़जी का मंदिर, अचलनाथजी का मंदिर, चौपारानी में श्रीनाथजी का मंदिर, सिद्धनाथजी का मंदिर, रातानाड़ा में गजानंदजी का मंदिर, शांतिनाथजी का मंदिर, पार्श्वनाथजी का मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, एकमीनार मस्जिद, जामा मस्जिद, बड़ी मस्जिद, छोटी मस्जिद आदि प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। जोधपुर में गाँधी मैदान, रावण का चबूतरा, आदि स्थानों पर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जयनारायण व्यास स्मृति भवन (टाउन हॉल), मेहरानगढ़, उम्मेद भवन, गीता भवन, सूचना केन्द्र ओडिटोरियम व अन्य शिक्षण संस्थाओं के ओडिटोरियम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इनके अलावा शहर के विभिन्न भागों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया गया है। जिनमें स्थानीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य कार्यक्रम सम्पन्न किये जाते हैं।



घंटाघर



महामन्दिर




मण्डोर-पंचकुण्डा स्थित छतरियाँ



मण्डोर उद्यान स्थित देवालय

मानचित्र-8: सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थल/स्मारक



2.7.6 (द) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

जोधपुर शहर के स्टेशन रोड़ पर, मुख्य डाकघर स्थित है तथा 37 उप डाकघर शहर के विभिन्न भागों में कार्यरत है। शहर में लगभग 210 लेटर बॉक्स स्थापित है। प्रमुख तारघर सरदारपुरा में स्थित है, जिसके समीप ही प्रमुख दूरभाष केन्द्र लगाये गये हैं।



ऑडिटोरियम (एफ.डी.डी.आई.)

इसके अतिरिक्त 6 दूरभाष शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है। नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा अग्निशमन सेवाएं संचालित की जाती हैं, जो कल्पतरु सिनेमा, औद्योगिक क्षेत्र, नागौरी गेट क्षेत्रों में स्थित अग्निशमन केन्द्रों से

संचालित की जाती है। इनके अतिरिक्त रेलवे व रक्षा विभाग के पास भी अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध है। नगर में सुमेर पब्लिक पुस्तकालय, सूचना केन्द्र एवं शहर के



किसान भवन

विभिन्न स्थानों पर व वाचनालय की सुविधाएँ उपलब्ध है। स्थानीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों में दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति जलतेदीप, दैनिक जनगण आदि मुख्य है। यहाँ पर यूथ हॉस्टल, महिला हॉस्टल, नेहरू क्लब, लॉयन्स क्लब, रोटरी क्लब आदि की सुविधाएँ हैं। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्र महामन्दिर क्षेत्र में संचालित है। शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था हेतु कमिश्नरेट प्रणाली, 12 पुलिस थाने एवं 25 पुलिस चौकियों के अतिरिक्त रातानाडा क्षेत्र में पुलिस लाईन (शहर) दर्डजर में ग्रामीण पुलिस लाइन स्थित है। बाहर से आने वालों के ठहरने हेतु राजकीय विश्राम गृह, धर्मशालाएँ, रिसोर्ट, हैरिटेज होटल बने हुए हैं। नगर में स्थित विभिन्न क्लब में भी ठहरने की उत्तम व्यवस्था है।

2.7.7 जनोपयोगी सुविधाएँ

प्राचीन मानव सभ्यताओं के समय में जनउपयोगी सुविधाओं को विशेष महत्व दिया जाता था। आधुनिक युग, जीवनशैली में भी पेयजल, विद्युत, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, वर्षा जल निकास का महत्वपूर्ण स्थान है। श्मशान, कब्रिस्तान आदि में पर्यावरण संरक्षण एवं सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

2.7.7 (अ) जलापूर्ति

जोधपुर में परम्परागत जल स्रोतों के अन्तर्गत गुलाबसागर, बाईजी का तालाब, रानीसर, पद्मसर, बालसमन्द, चाँद बावड़ी, गोल्फ बावड़ी, रघुनाथजी की बावड़ी, फतेहसागर, फतेहपोल कुंआ, लाडजी का कुंआ, नवचौकियां बेरा, जोशियों का बेरा, महिलाबाग झालरा, कंवर जी की जालका, कायलाना झील, साहीब राम जी का बांध, तखतसागर, उम्मेद सागर प्रमुख है। जोधपुर को जलापूर्ति हेतु वर्ष 1958 में जवाई बांध से जोड़ा गया और इस रेगिस्तानी भाग में अकाल व सूखा की विभीषिका को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1996 में राजीव गाँधी लिफ्ट नहर से हिमालय का पानी उपलब्ध कराया गया, जो पेयजल समस्या का स्थाई समाधान है। शहर में पानी की आपूर्ति हेतु प्रमुख भंडारगृह, तखतसागर, कायलाना एवं उम्मेद सागर हैं। इनकी भंडारण क्षमता क्रमशः 208, 170, एवं 346 मैट्रिक क्यूबिक फीट हैं। जोधपुर में कुल 9 फिल्टर प्लांट की क्षमता 229 एमएलडी प्रतिदिन है। यहाँ 36 नलकूप, 15 खुले

कुंए, 5 बावड़ी तथा 1434 हेण्डपम्प, 89 उच्च जलाशय / जी.एस.आर. व 12 सी.डब्ल्यू. आर. हैं। शहर में औसतन जलापूर्ति 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हैं।

शहर में कुल जल उपभोक्ता कनेक्शन 174273 हैं। पेयजल पाइप लाईनों की लम्बाई लगभग 3100 किलोमीटर हैं जिससे जलापूर्ति की जाती है। निम्न तालिका-14 में विभिन्न जल उपयोग के कनेक्शन दर्शाये गये हैं :-

तालिका-14
जलापूर्ति जोधपुर-2013

क्र.सं.	उपयोग	कनेक्शनों की संख्या
1.	घरेलू	155182
2.	वाणिज्यिक	13507
3.	औद्योगिक	3174
4.	अन्य (पब्लिक स्टेण्ड पोस्ट)	2410
	योग	174273

स्रोत :- जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग, जोधपुर



ओवरहेड टैंक

मसूरीया हिल जलापूर्ति टैंक

शहर में विभिन्न जलशोधन संयंत्रों एवं भूजल स्रोतों से वर्तमान में 48 घंटे अन्तराल (एकान्तरे) से 2 से 2.30 घंटे की अवधि के लिए जलापूर्ति की जा रही है। शहर में किये जा रहे जल वितरण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियमित

बैक्ट्रियोलोजिकल जांच की जाती है व अंतिम छोर तक अवशेष क्लोरीन मात्रा जांच कर शुद्ध जल को पहुँचाया जाना सुनिश्चित किया जाता है। जलाशयों की अवस्थिति एवं क्षमता को तालिका-15 में दर्शाया गया है :-

तालिका-15
विद्यमान जलाशयों की अवस्थिति एवं क्षमता जोधपुर-2013

क्र. स.	स्थान	क्षमता (ML)	क्र. स.	स्थान	क्षमता (ML)
1	कमला नेहरू नगर	1.40	40	जसवन्त थड़ा (पुराना)	4.54
2	शिवमंदिर हुडको के पीछे	2.00	41	पिछेटिया	0.80
3	देव नगर	0.80	42	बड़ी भील बस्ती	0.26
4	चौपासनी हा.बो. सेक्टर-8	1.36	43	मीरा कॉलोनी	1.00
5	चौपासनी हा.बो. सेक्टर-17	1.36	44	कबीर नगर	1.15
6	चौपासनी हा.बो. सेक्टर-21	1.60	45	सुरज बेरा सुरसागर	1.23
7	चौपासनी हा.बो. सेक्टर-23	1.36	46	सूरसागर चोपर	1.50
8	चौपासनी हा.बो. सेक्टर-6	0.45	47	बरकतुल्लाह खाँ स्टेडियम	2.00
9	चौपासनी हा.बो. सेक्टर-10	1.36	48	रिवितिया भेरू	1.00
10	चौपासनी हा.बो. सेक्टर-2	1.00	49	गाँधी मैदान	1.00
11	चौपासनी हा.बो. सेक्टर-11	2.00	50	उम्मेद हॉस्पिटल	1.00
12	चौपासनी गाँव जीएसआर	0.80	51	जेडीए ऑफिस के पास (प्रस्तावित)	1.00
13	एचएलएफ जीएसआर ओल्ड	1.23	52	गाँधी स्कूल	2.00
14	भिखा प्यारू	0.73	53	बाईजी तालाब	0.80
15	जगदम्बा कॉलोनी	1.00	54	फतेह सागर	2.27
16	मसुरिया हिल	4.54	55	गिरधर मंदिर	1.20
17	कृष्णा नगर	1.25	56	जे.एन.वी.यू. ऑल्ड केम्पस	1.50
18	गायत्री नगर	1.25	57	मानजी का हत्था	0.75
19	शोभावतों की ढाणी	1.25	58	लक्ष्मी नगर	1.50
20	भगत की कोठी-ईएक्सटीएन	0.40	59	आर.टी.ओ.	2.00
21	मधुबर कॉलोनी	0.75	60	पाँच बत्ती	2.4
22	सरस्वती नगर	0.60	61	गजानन्द हिल	2.50
23	रामेश्वर नगर	1.00	62	सेंट्रल स्कूल	1.25
24	सांगरिया फांटा	0.76	63	निर्माण बाखरी	2.00
25	जाटो की ढाणी	0.91	64	इन्दिरा कॉलोनी	3.35
26	झालामण्ड	2.00	65	लालसागर ऑल्ड	4.54
27	मिल्कमेन कॉलोनी	1.50	66	पहाड़गंज	0.35
28	सुभाष नगर	0.37	67	मदेरणा कॉलोनी	2.25
29	इण्डस्ट्रियल एरिया	0.55	68	मगरा-पूजला	1.50
30	कुड़ी भगतासनी सेक्टर-6	2.78	69	परिहार नगर	2.00
31	कुड़ी भगतासनी सेक्टर-2	1.12	70	डिगाड़ी सारण।	1.25
32	कुड़ी भगतासनी सेक्टर-4	2.05	71	आठ मील	1.25
33	कुड़ी भगतासनी सेक्टर-1	1.90	72	चैनपुरा (प्रस्तावित)	2.00
34	कुड़ी भगतासनी सेक्टर-5	1.00	73	कबीर आश्रम (प्रस्तावित)	2.00
35	रीको पीएच- II	0.90	74	गाँधी नगर	1.50
36	रीको सांगरिया	0.23	75	रूपा बाई का जाव (प्रस्तावित)	1.00

क्र. स.	स्थान	क्षमता (ML)	क्र. स.	स्थान	क्षमता (ML)
37	शास्त्रीनगर	1.00	76	डिगाड़ी सारण II (प्रस्तावित)	1.50
38	एम.डी.एम. हॉस्पिटल (प्रस्तावित)	1.50	77	शिकारगढ़	0.90
39	बाईजी आश्रम	8.31			

स्रोत :- जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जोधपुर

यहाँ घरेलू पानी की विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित फिल्टर केन्द्रों से आपूर्ति की जाती है। पानी को स्वच्छ करने के जलशोधन संयंत्र (Water Treatment Plant) चौपासनी, कायलाना व झालामण्ड में स्थापित हैं, जहाँ से क्रमशः 58 एमएलडी, 120 एमएलडी एवं 51 एमएलडी से प्रतिदिन स्वच्छ जल वितरित किया जाता है। रेलवे विभाग, रीको आदि के पास पानी की आपूर्ति के स्वयं के साधन हैं। इन स्रोतों से 24" पाईप लाईन द्वारा पानी फिल्टर हाउस को एवं 3" पाईप लाईन द्वारा जलापूर्ति की जाती है। जलशोधन संयंत्रों की क्षमता को तालिका-16 में दर्शाया गया है :-

तालिका-16

जलशोधन संयंत्र (Water treatment plant) जोधपुर . 2013

क्रम सं	जलशोधन संयंत्रों की अवस्थिति	क्षमता (MLD)
1	जलशोधन संयंत्र चौपासनी	58
2	जलशोधन संयंत्र कायलाना	120
3	जलशोधन संयंत्र झालामण्ड	51

स्रोत :- जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जोधपुर

पर्याप्त मात्रा में रॉ वाटर उपलब्ध होने एवं जलशोधन संयंत्रों की पर्याप्त क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिदिन जल वितरण किये जाने की आवश्यकता है। पुराने पम्प स्टेशन अपनी उपयोगी लाइफ अवधि पूरी कर चुके हैं, जिनकी दक्षता में कमी तथा ब्रेकडाउन बढ़ते जा रहे हैं। इससे जल आपूर्ति में व्यवधान एवं आपूर्ति जल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः पुराने शहर की जल वितरण प्रणाली पुरानी एवं उसमें लीकेज को रोकने के लिए जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा तत्काल प्रभावी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता रहती है।

कायलाना झील के पानी के रिसाव से भूजल स्तर बढ़ने से समस्या है। शहर में मकानों में सीलन व तहखानों में पानी के इकट्ठा होने की समस्या है। अनुमानतः

13.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूतल से 3-5 मीटर तथा 6 वर्ग किलोमीटर में 1-3 मीटर तक भूजल स्तर बढ़ गया है। इससे जल वितरण की पाइपों में प्रदूषण का खतरा भी बढ़ गया है। यह एक विकट समस्या है। शहर में 89 स्थानों से सीपेज भूजल पम्प द्वारा निकाला जा रहा है, जिसे सीवरेज लाइन में बहाया नहीं जाकर उसका उचित उपयोग किया जाने की आवश्यकता है। जोधपुर रीजन के ग्रामीण क्षेत्रों में भूगर्भ जल के अतिदोहन एवं कम वर्षा के कारण भूगर्भ जल प्रायः समाप्त हो गया है तथा वे क्षेत्र डार्क जोन में आ गये हैं। अतः उक्त सीपेज भू-जल को सिंचाई के उपयोग में लिया जाने की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता है।

2.7.7 (ब) मल-जल, ठोस अपशिष्ट एवं वर्षा जल निकास प्रणाली सीवर प्रणाली: जोधपुर सीवर प्रणाली वर्ष 1940 में प्रारम्भ की गयी। सर्वप्रथम सीवरेज लाइन शहरी परकोटा, सरदारपुर व रातानाड़ा के मुख्य मार्गों से होते हुए ग्राम भिचड़ली तक बिछाई गई थी। तद्उपरान्त बाहरी क्षेत्रों में विस्तारित की गयी। जोधपुर में चार मास्टर सीवरेज जोन यथा झलामण्ड, पूंजला, सूरसागर, औद्योगिक क्षेत्र बनाये गये। झलामण्ड सीवरेज जोन में सीवर प्रणाली का विस्तार 1971-1986 के मध्य किया गया। पूंजला व सूरसागर में मास्टर सीवरेज जोन में सीवर लाइन बिछाने का कार्य वर्ष 2002-2007 के मध्य आर.यू.आई.डी.पी. परियोजना के तहत किया गया था। वर्तमान में सीवर प्रणाली के अन्तर्गत 100 एम.एम. से 1600 एम.एम. की लगभग 1250 किलोमीटर लम्बाई में सीवर लाइन नेटवर्क है। जोधपुर में प्रतिदिन लगभग 160 एम.एल.डी सीवेज उत्पन्न होता है। विद्यमान सीवर प्रणाली की कुल प्रवाह क्षमता 135 एम.एल.डी है। पर्याप्त क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की स्थापना के अभाव में अतिरिक्त सीवेज विभिन्न नालों एवं जोजरी नदी में प्रवाहित किया जाता है। सीवर लाईन बिछाना, सीवरेज लाईन के सही रखरखाव, ऑवरफ्लो की स्थिति के समाधान, सीवरेज मेन हॉल के टूटे ढक्कन ठीक करने के लिए नगर निगम द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाती है। सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट की तालिका-17 में दर्शाया गया है :-

तालिका-17

विद्यमान सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जोधपुर 2013

क्र.सं.	उपचार संयंत्र स्थल का नाम	क्षमता (मैट्रिक टन)
01.	मलवहन उपचार संयंत्र नान्दड़ी	20
02.	मलवहन उपचार संयंत्र नान्दड़ी	50
03.	मलवहन उपचार संयंत्र सालावास	50
04.	मलवहन उपचार संयंत्र बासनी बेन्दा	40

स्रोत:- नगर निगम, जोधपुर

नान्दड़ी में 20 व 50 एम.एल.डी. के दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स द्वारा सीवेज शोधन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त शहरी विकास मद से 50 एम. एल.डी क्षमता का सालावास तथा 40 एम.एल.डी क्षमता का बासनी बेन्दा में स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। कुल सीवरेज सिस्टम के अन्तर्गत 100-1600 एम. एम व्यास की 989 कि.मी. लम्बाई की पाईप लाईन लगायी गई है। 250 एम. एल. डी. औसत वाटर सप्लाई की जाती है।



सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, नान्दड़ी

जोधपुर में जयपुर सड़क एवं पाली सड़क के मध्य के क्षेत्र का ढलान 1:200 उत्तर-पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में जोजरी नदी की तरफ है। नागौर सड़क व पाल सड़क के मध्य क्षेत्र का ढलान (1:150) उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में है। नागौर सड़क व जयपुर सड़क के मध्य क्षेत्र का ढलान 1:200 उत्तर-पश्चिम से उत्तर-पूर्व व पूर्व दिशा में जोजरी नदी की तरफ है। पाली सड़क एवं बाडमेर सड़क के मध्य क्षेत्र का ढलान 1:350 उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशा में है।

ठोस अपशिष्ट : जोधपुर नगर निगम सीमा में प्रतिदिन औसतन 390 मैट्रिक टन ठोस कचरा एकत्रित कर केरू स्थित परिसंस्करण एवं निस्तारण स्थल तक परिवहन किया जाता है। जोधपुर में कुल 2233 सफाई कर्मी कार्यरत हैं। सफाई कर्मियों के अलावा एक यान्त्रिक रोड़ स्वीपर मशीन संचालित है। संग्रहित कचरा के परिवहन हेतु 12 लोडिंग टैक्सी, 88 ट्रेक्टर, 3 कराली, 21 फ्रन्ट एवं लोडर, 6 रिफ्यूज कलेक्टर व 2 डम्पर प्लेसर प्रतिदिन संचालित है।

जोधपुर में 100 मैट्रिक टन क्षमता का कम्पोस्ट प्लान्ट 16 मैट्रिक टन क्षमता का वर्मी कम्पोस्ट प्लान्ट तथा सेनेट्री लेण्डफिल साईट का निर्माण किया गया। कचरा निस्तारण के दीर्घकालीन हल के लिए डिजाईन बिल्ड ओवन ओपरेट एण्ड ट्रान्सफर (DBOOT) पर आधारित ठेका प्राइवेट फर्म को आवंटित किया गया जिनके द्वारा अगले बीस वर्षों की ठोस कचरा प्रबन्धन प्रणाली का आवश्यकता अनुसार विस्तार निर्माण एवं आवश्यक साधन लगाने के कार्य किये जाते हैं। इसी तरह बायोमेडिकल वेस्ट को संग्रहण व परिवहन करने के लिए निर्माण व संचालन (Build Operate–Own) के आधार पर 30 वर्षों के लिए प्राइवेट फर्म को आदेश दिया गया है। 88 अस्पतालों से औसतन 550 किलोग्राम बायोमेडिकल वेस्ट एकत्रित कर परिसंस्करण के पश्चात् निस्तारण किया जाता है। कारकस प्लान्ट राजस्व ग्राम कैरू में स्थापित हैं, जहाँ मृत पशुओं का निस्तारण किया जाता है। फर्म द्वारा मध्यम श्रेणी वाहन/ट्रेक्टर-ट्राली से मृत मवेशियों को उठाने में उपयोग कर रही हैं।

सिटी डवलपमेन्ट प्लान (सी.डी.पी) तैयार करने का कार्य आदेश प्राइवेट फर्म को दिया गया है। स्वच्छता प्लान (सेनेट्री सेनीटेशन प्लान) तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

वर्षा जल की निकासी व्यवस्था : जोधपुर शहर में वर्षा जल निकासी का जोजरी नदी अभिन्न अंग है। प्राचीन काल से प्राकृतिक ढलान के अनुरूप कई मुख्य नाले जोजरी नदी तक बने हैं, जो उप मुख्य नालें एवं सड़को के सहारे बनी छोटी नालियों से जुड़े हुए हैं। जोधपुर नगर निगम द्वारा प्रतिवर्ष नालों में मानव शक्ति, उच्च स्तर की सुपरसक्शन मशीने-जे.सी.बी. व पोकलेन आदि से नालों की सफाई की जाती है। नदी बहाव क्षेत्र को सुरक्षित रखते हुए अतिवृष्टि, बाढ़ के समय वर्षा जल की सुरक्षित निकासी हेतु बाहाव क्षेत्र का सुदृढिकरण नदी को प्रदूषण मुक्त बनाए रखना

तथा इसके आस-पास के क्षेत्र में व्यवस्थित विकास शहर की वर्षा जल निकासी प्रणाली के लिए अति आवश्यक है।

2.7.7 (स) विद्युत आपूर्ति

जोधपुर में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था विद्युत वितरण निगम, जोधपुर द्वारा की जाती हैं। राजस्थान में विद्युत की आपूर्ति कोटा परमाणु ऊर्जा केन्द्र, भाखरा-ब्यास प्रोजेक्ट, राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर बांध पर लगे ऊर्जा सयंत्रों से की जाती है। सूरपूरा में 400 केवी जी.एस.एस. और बासनी, बोरानाडा, भदवासिया व सूरसागर में 220 केवी के ग्रिड सब स्टेशन स्थापित है। कांकाणी में 400/675 केवी जी.एस.एस. बनाने के लिए स्थल चिन्हित है। इनके अतिरिक्त 132 केवी के सात, 33 केवी के पचास व 33/11 केवी के तीस सब स्टेशनों की सहायता से विद्युत वितरण किया जा रहा है। यद्यपि समूचा शहर विद्युतिकृत हैं, परन्तु यहाँ विद्युत आपूर्ति माँग के अनुरूप नहीं है। अतः सरकारी स्तर पर बिजली उत्पादन व वितरण व्यवस्था में सुधार को प्राथमिकता दी जा रही हैं। वर्तमान में जोधपुर में परिवारों की संख्या 212332 है जबकि कुल घरेलु कनेक्शनों की संख्या 209563 है जो कुल विद्युत कनेक्शनों का 75.21 प्रतिशत है। शहर को पोललेस (Poleless) सिटी बनाने के लिये भूमिगत केबल लाईन का कार्य किया जा रहा है। निम्न वर्णित तालिका संख्या-18 में विभिन्न प्रकार के विद्युत कनेक्शनों को दर्शाया गया है :-

तालिका-18

विद्युत कनेक्शनो के प्रकार व संख्या, जोधपुर-2013

क्र.सं.	विद्युत कनेक्शनो के प्रकार	उपभोक्ता संख्या		
		नियमित	PDC	योग
1.	घरेलू	186769	22767	209536
2.	वाणिज्यिक	36453	18773	55226
3.	पब्लिक स्ट्रीट लाईट	576	203	779
4.	औद्योगिक	6518	5214	11732
5.	कृषि	622	347	969
6.	अन्य	266	91	357
	कुल	231204	47395	278599

स्रोत:- विद्युत वितरण निगम, जोधपुर

भारत का प्रथम 50 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लान्ट जोधपुर संभाग के नोखा ग्राम में स्थापित किया गया है एवं वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला जिला-जोधपुर में 10 हजार हेक्टेयर भूमि में स्थापित किया जा रहा है जिसकी क्षमता 3 हजार मेगावाट होगी। राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा नीति वर्ष 2011 में जारी कर विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ावा दिया है। राज्य में 609 मेगावाट क्षमता की 91 परियोजनाएँ स्थापित है तथा 684 मेगावाट क्षमता की 37 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। राजस्थान में लगभग 59,000 सौर ऊर्जा आधारित पम्प स्थापित है तथा सौर ऊर्जा से हजारों घरों में रोशनी उपलब्ध हो रही है। राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है। सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा से पर्यावरण का संरक्षण होता है। जोधपुर में सोलर सिटीरूफ टॉप पॉवर जनरेशन विकसित करने की योजना बनायी गयी है। निम्न विद्यमान-ग्रिड सब-स्टेशनों की संख्या तालिका-19 में दर्शाया गया है :-

तालिका-19
विद्यमान ग्रिड सब-स्टेशन, जोधपुर-2013

क्र.स.	सब-स्टेशन का नाम	क्र.स.	सब-स्टेशन का नाम
1	400 के.वी. जी.एस.एस. सुरपूरा	48	33 के.वी. सब स्टेशन गणेशगढ़
2	220 के.वी. जी.एस.एस. बासनी	49	33 के.वी. सब स्टेशन गिरदिकोट
3	220 के.वी. जी.एस.एस. बोरानाड़ा	50	33 के.वी. सब स्टेशन कचहरी
4	132 के.वी. जी.एस.एस. एन.पी.एच.	51	33 के.वी. सब स्टेशन बी.जे.एस. कॉलोनी
5	132 के.वी. जी.एस.एस. बनाड़	52	33 के.वी. सब स्टेशन नागौरी गेट
6	132 के.वी. जी.एस.एस. सुरपूरा	53	33 के.वी. सब स्टेशन बागर
7	132 के.वी. जी.एस.एस. चौ.हा.बो.	54	33 के.वी. सब स्टेशन लाल सागर
8	132 के.वी. जी.एस.एस. सूरसागर	55	33 के.वी. सब स्टेशन रीको, मण्डोर
9	132 के.वी. जी.एस.एस. ओ.पी.एच.	56	33 के.वी. सब स्टेशन मगजी की घाटी, मण्डोर
10	132 के.वी. जी.एस.एस. कुड़ी भगतासनी	57	33 के.वी. सब स्टेशन मगरा
11	132 के.वी. जी.एस.एस. प्रताप नगर	58	33 के.वी. सब स्टेशन नेशनल लॉ युनिवर्सिटी
12	33 के.वी. सब स्टेशन एम.जी. हॉस्पिटल	59	33 के.वी. सब स्टेशन भदवासिया
13	33 के.वी. सब स्टेशन ओल्ड पॉवर हाऊस	60	33 के.वी. सब स्टेशन माता का थान
14	33 के.वी. सब स्टेशन मोटर मर्चेट	61	33 के.वी. सब स्टेशन मानजी का हत्था
15	33 के.वी. सब स्टेशन उम्मेद हॉस्पिटल	62	33/11 के.वी. सब स्टेशन बाईजी का तालाब
16	33 के.वी. सब स्टेशन सरदारपुरा	63	33/11 के.वी. सब स्टेशन बच्छराज जी का बाग

क्र.स.	सब-स्टेशन का नाम	क्र.स.	सब-स्टेशन का नाम
17	33 के.वी. सब स्टेशन सर्किट हाऊस	64	33/11 के.वी. सब स्टेशन नई सड़क (गिरधर मन्दिर)
18	33 के.वी. सब स्टेशन इंजिनियरिंग कॉलेज	65	33/11 के.वी. सब स्टेशन भगत की कोठी (पीली टंकी)
19	33 के.वी. सब स्टेशन उम्मेद हेरिटेज	66	33/11 के.वी. सब स्टेशन पांचवी रोड़
20	33 के.वी. सब स्टेशन रिक्तिया भेरुजी	67	33/11 के.वी. सब स्टेशन बासनी/2 'बी'
21	33 के.वी. सब स्टेशन डिगाड़ी	68	33/11 के.वी. सब स्टेशन बोरानाड़ा
22	33 के.वी. सब स्टेशन प्रताप नगर	69	33/11 के.वी. सब स्टेशन अशोक उद्यान
23	33 के.वी. सब स्टेशन कमला नेहरू नगर	70	33/11 के.वी. सब स्टेशन बासनी-2 'सी'
24	33 के.वी. सब स्टेशन सूरसागर	71	33/11 के.वी. सब स्टेशन मिल्कमेन कॉलोनी
25	33 के.वी. सब स्टेशन कायलाना फिल्टर हाऊस	72	33/11 के.वी. सब स्टेशन पावटा सी रोड़ (MKH)
26	33 के.वी. सब स्टेशन कबीर नगर	73	33/11 के.वी. सब स्टेशन सेटेलाइट हॉस्पिटल
27	33 के.वी. सब स्टेशन काली बेरी	74	33/11 के.वी. सब स्टेशन विद्याशाला (सिटी पुलिस)
28	33 के.वी. सब स्टेशन चौपासनी आवासन बोर्ड	75	33/11 के.वी. सब स्टेशन मंडोर रोड़
29	33 के.वी. सब स्टेशन चौपासनी आवासन बोर्ड	76	33/11 के.वी. सब स्टेशन आर.टी.ओ.
30	33 के.वी. सब स्टेशन तिलविड़िया	77	33/11 के.वी. सब स्टेशन पी.एन.बी. कॉलोनी
31	33 के.वी. सब स्टेशन बरकतुल्ला स्टेडियम	78	33/11 के.वी. सब स्टेशन परिहार नगर
32	33 के.वी. सब स्टेशन मेडिकल कॉलेज	79	33/11 के.वी. सब स्टेशन पाबु पूरा
33	33 के.वी. सब स्टेशन बासनी-2 (कनाल)	80	33/11 के.वी. सब स्टेशन बलदेव नगर
34	33 के.वी. सब स्टेशन बासनी-1 फेस	81	33/11 के.वी. सब स्टेशन गायत्री नगर
35	33 के.वी. सब स्टेशन बासनी-3 (रीको)	82	33/11 के.वी. सब स्टेशन कुड़ी भगतासनी-2
36	33 के.वी. सब स्टेशन सांगरिया	83	33/11 के.वी. सब स्टेशन झालामण्ड
37	33 के.वी. सब स्टेशन बोरानाड़ा-1	84	33/11 के.वी. सब स्टेशन डाली बाई का मन्दिर
38	33 के.वी. सब स्टेशन बोरानाड़ा-2	85	33/11 के.वी. सब स्टेशन आई. आई.टी.
39	33 के.वी. सब स्टेशन बोरानाड़ा-3	86	33/11 के.वी. सब स्टेशन विवेक विहार (सांगरिया)

क्र.स.	सब-स्टेशन का नाम	क्र.स.	सब-स्टेशन का नाम
40	33 के.वी. सब स्टेशन पाल	87	33/11 के.वी. सब स्टेशन पाल डी.पी. एस. के पास
41	33 के.वी. सब स्टेशन कुड़ी भगतासनी-1	88	33/11 के.वी. सब स्टेशन शिकारगढ़
42	33 के.वी. सब स्टेशन झालामण्ड	89	33/11 के.वी. सब स्टेशन कृष्णा नगर
43	33 के.वी. सब स्टेशन कुड़ी भगतासनी-2	90	33/11 के.वी. सब स्टेशन नागौरी बेरा (लालसागर)
44	33 के.वी. सब स्टेशन बासनी (220 के.वी.)	91	33/11 के.वी. सब स्टेशन सूरसागर
45	33 के.वी. सब स्टेशन सुलभ कॉम्प्लेक्स	92	400/675 के.वी. जी.एस.एस. (काकाणी)
46	33 के.वी. सब स्टेशन एम्स	93	220 के.वी. जी.एस.एस (भदवासिया)
47	33 के.वी. सब स्टेशन फोर्ट		

स्रोत:- जोधपुर विद्युत वितरण निगम

2.7.7 (द) श्मशान एवं कब्रिस्तान

जोधपुर में सिंवाची गेट, पंचकुण्डा मंडोर, भदवासिया सड़क के सहारे, रामबाग मगरा-पूजला, कागा, सालावास रोड़ जी.एस.एस. के पीछे, मंडोर गार्डन के पीछे, न्यू बिजलीघर रोड़ पर कब्रिस्तान, आठ मील के पास, सांगरिया हाउसिंग बोर्ड के पास, सूरसागर क्षेत्र एवं चांदपोल क्षेत्र आदि विभिन्न क्षेत्रों में श्मशान/कब्रिस्तान स्थित है।

2.7.8 परिसंचरण

आमजन को दैनिक कार्यों के लिए व्यस्थित परिवहन प्रणाली का आवश्यकता होती है जिससे गंतव्य स्थान तक सरल, सुगम रूप से बिना किसी व्यवधान के आवागमन हो सके। जोधपुर में परिवहन के साधनों की प्रचुरता हैं। यह रेल, सड़क मार्गों द्वारा देश के विभिन्न भागों से भली-भांति जुड़ा हुआ है। वायु मार्ग द्वारा दिल्ली-मुम्बई से जुड़ा हुआ है। जोधपुर आस-पास एवं सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से भी पक्की सड़कों द्वारा जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65, 112, 114 व राज्य राजमार्ग संख्या 58, 61, 63 व 68 जोधपुर रीजन से गुजरते हैं। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों एवं माल ढुलाई के लिए काफी रेल गाड़िया संचालित की जाती है। माल ढुलाई का कार्य ट्रकों से भी होता है।

जोधपुर में आवागमन के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित हैं। जोधपुर में स्थित केन्द्रीय बस स्टेण्ड का वर्तमान आकार आवश्यकता की दृष्टि से कम क्षमता का है। बस स्टेण्ड का विस्तार किया जाना आवश्यक है। पास में रेलवे ओवरब्रिज आ जाने से भी बसों के संचालन में काफी समस्या आती है। जोधपुर में निजी स्तर पर भी बसों का संचालन किया जा रहा है। काजरी परिसर के पास व कालवी प्याऊ के पास निजी बसों के संचालन के लिये बस स्टेण्ड विकसित किये गये हैं। जोधपुर में मुख्य रेलवे स्टेशन, राईका बाग रेलवे स्टेशन, भगत की कोठी, महामंदिर रेलवे स्टेशन, मण्डोर रेलवे स्टेशन, बासनी रेलवे स्टेशन, जोधपुर केन्ट रेलवे स्टेशन, बनाड़ रेलवे स्टेशन विद्यमान हैं। जोधपुर रेलवे स्टेशन व भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से कुल 68 रेल गाड़ियों का संचालन किया जाता है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर बढ़ते हुए यातायात दबाव को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य द्वार के विपरीत दिशा में द्वितीय द्वार बनाया गया है जो राजकीय मुद्रणालय के पास से रातानाड़ा मुख्य सड़क से जुड़कर शहर के दक्षिण भाग के निवासियों को सुविधा उपलब्ध कराता है।



मुख्य रेलवे स्टेशन

जोधपुर में वर्तमान में एयरपोर्ट पर 3 विमान की पार्किंग व 150 यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने की क्षमता है, जो आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। जोधपुर का हवाई अड्डा राजस्थान राज्य के पांच विमानपतनों में से एक है। शहर की कुछ मुख्य सड़कों को चौड़ा करके दो लेन वाली सड़कों में बदला गया है। इससे नगरीय परिवहन सेवा में सुधार हुआ है। भारी ट्रैफिक के दबाव एवं आये दिन दुर्घटनाओं से निजात दिलाने के लिए शहर के आन्तरिक भागों में ट्रकों का आवागमन निषेध किया गया है और ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों को बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित किया गया है।





रेलवे ऑवर ब्रिज

नई सड़क एवं चौराहा



पावटा चौराहा

मानचित्र-9: परिसंचरण, जोधपुर



नगरीय परिवहन सेवा से जुड़ी सिटी बसों एवं टेम्पों को रूट आवंटित किये हुए है। जोधपुर की यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित की गयी है। यातायात को सुगम बनाने के लिए जोधपुर के विभिन्न चौराहों का ट्रैफिक पाईन्ट ऑफ व्यू से ले-आउट बनाया गया और अतिक्रमण हटाये गये है तथा शहर की व्यस्तम सड़कों पर यातायात दबाव कम करने के लिए एक तरफा मार्ग की व्यवस्था भी की गयी है। कालटेक्स, रावण का चबूतरा, रेलवे स्टेशन, ओलम्पिक रोड़ एवं रिक्तिया भैरूजी चौराहा से संचालित होने वाली बसों को बाहरी क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया गया है। शहर के विभिन्न भागों में वाहनों के लिए पार्किंग स्थल विकसित किये गये है। जोधपुर रीजन के जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में स्थित विद्यमान सड़कों का विवरण निम्नलिखित तालिका संख्या-20 में दर्शाया गया है:-

तालिका-20
सड़कों का विवरण, जोधपुर रीजन-2013

क्र. स.	सड़क की श्रेणी	मार्गों का क्रमांक	मार्गाधिकार मीटर में
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग बाह्य मार्ग	एन. एच. - 65, 112, 114	60 से 120
2.	राज्य राजमार्ग	एस. एच.- 58, 61, 63, 68	30 से 60
3.	प्रमुख जिला मार्ग	एम.डी.आर. - 21, 32, 101, 104, 144, 162	25 से 30
4.	अन्य जिला मार्ग	ओ.डी.आर. - 3, 4, 6, 12, 25, 26, 30, 33, 38,47, 63, 64, 67, 68, 69, 72, 73	15 से 25
5.	ग्रामीण मार्ग	वी. आर. - 1, 7, 9, 20, 21, 23, 26, 28 से 31, 38, 49 से 51, 53, 59, 64, 71, 83, 85, 86, 100, 112, 126, 129, 131 से 133, 137, 138, 145 से 148, 158 से 160, 168, 177, 180, 183, 191, 217, 220, 221, 225, 227, 235, 280, 289, 294, 311 से 314, 317 से 319, 322, 325, 333, 347, 348, 353, 365, 368, 373, 388 से 393, 405, 421, 426 से 434, 437 से 440, 442, 443, 445, 448, 468, 477, 547, 581, 582, 599, 615, 627, 632, 634 से 655, 659 से 670, 673 से 675, 677, 680, 683, 689, 692, 718, 724, 726, 730 से 742, 753, 757, 790 से 794, 834, 838, 874, 876	12 से 18

स्रोत:- सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर

2.8 कृषि, फलोद्यान, पशुपालन एवं डेयरी का विकास

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में नयी तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के बावजूद भी यहाँ विभिन्न स्थानों पर सब्जियाँ के उत्पादन व पशुपालन, डेयरी का कार्य किया जा रहा है। काजरी में बेर व अन्य फलों का उत्पादन और अनुसंधान का कार्य किया जाता है। इसी तरह कृषि अनुसंधान केन्द्र मंडोर में उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन व उन्नत किस्मों की फसलों का प्रदर्शन, किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। जोधपुर के सामीप्य गांवों में कृषि एक प्रमुख व्यवसाय एवं आजीविका का मुख्य साधन है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि आधारित हैं। कृषि, पशुपालन एवं डेयरी में जोधपुर के सामीप्य गांवों के अधिकांश लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कृषि विकास बेरोजगारी का तात्कालिक हल प्रस्तुत करता है। गाँव में खरीफ व रबी की फसल की बुवाई की जाती है। खरीफ की फसल में बाजरा, ज्वार, ग्वार, मुंग, मोठ, तिल, मिर्च आदि व रबी में सब्जियाँ, गेहूँ, जौ, रायड़ा आदि की बुवाई की जाती है। कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। अकाल की विभीषिका बनी रहती है। वर्षा की कमी व आवश्यकता अनुसार समय पर वर्षा नहीं होने से सिंचाई के लिए भूगर्भ जल पर अत्यधिक भार है एवं कुएं सूख गये हैं। जोधपुर के सामीप्य ग्रामों में भूजल गहरा चला गया है जिससे यह डार्कजोन में आ गया है। फसलों की उन्नत किस्में, रसायनिक उर्वरक, कीटनाशक, रसायनों व उन्नत कृषि विधियों को अपनाने से उत्पादन बढ़ा है। रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक दवाइयों के उचित अनुपात में इस्तेमाल नहीं किये जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति, उत्पादित फसल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। गांवों में जीविकोपार्जन के साधनों में पशुपालन का भी विशेष महत्व है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बैल, ऊँट, घोड़ा, मुर्गी आदि यहाँ की पशु सम्पदा है। पशुओं से दुग्ध, खाद, ऊन, चमड़ा, हड्डियाँ आदि प्राप्त होते हैं। इनसे ऊन उद्योग, चमड़ा उद्योग, हड्डी मील आदि को कच्चा माल उपलब्ध होता है। इस प्रकार आर्थिक सम्पन्नता में पशु सम्पदा का प्रमुख स्थान है। देशी एवं उन्नत किस्म के दुधारू पशुओं की कमी यहाँ की प्रमुख समस्या है कृषि के विकास पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

3

नियोजन की संकल्पना

3 नियोजन की संकल्पना (PLANNING CONCEPT)

प्राचीन काल से मानव अपनी सुरक्षा, विभिन्न सेवाओं के आदान प्रदान, भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं जैसे धार्मिक पूजा-पाठ एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों/क्रियाकलापों के लिए समूहों में रहता आया है। उक्त सभी पारस्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति, समूह में रहने की प्रवृत्ति के चलते नगरों की संरचना की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। नगर का भौतिक स्वरूप एवं इसकी संरचना, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान नगर के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास की झलक स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है।

मध्यकाल के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती थी। अतः इस तरह शहरों का विकास सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जल स्रोतों के आस-पास तथा ऊंची पहाड़ियों के आस-पास होना प्रारम्भ हुआ। तत्पश्चात् ये प्रशासनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं शिक्षा आदि के केन्द्र बने तथा यहाँ आर्थिक गतिविधियों, यथा-व्यापारिक केन्द्र उद्योग, तथा यातायात इत्यादि का निरन्तर विकास होता रहा। इससे लोगों के रोजगार के अवसरों में त्वरित वृद्धि हुई।

स्वतन्त्रता के पश्चात सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अर्न्तगत आर्थिक गतिविधियों के फलस्वरूप यहाँ लघु एवं मध्यम दर्जे के कस्बों का तेजी से विकास हुआ है। विकास की तीव्र प्रवृत्ति ने नगर नियोजकों को नगरों के सुनियोजित विकास के लिए योजनाओं को तैयार करने हेतु विचार करने पर बाध्य किया। सुनियोजित योजनाओं के अभाव में नगर अनियोजित एवं अव्यवस्थित तरीके से विकसित होने से नगरीय समस्याएँ उत्पन्न होने से उनके निराकरण के लिए शहर का जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गयी।

शहर के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित विकास के लिए उपलब्ध भूमि का भिन्न-भिन्न उपयोग दर्शाकर वहाँ के नागरीकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, ताकि भूमि का सदुपयोग अधिक से अधिक हो सके।

योजनाएँ विभिन्न भू-उपयोगों का तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया हैं, जो कि इसके भविष्य के आकार, वृद्धि की गति एवं विकास की दिशा

को निर्धारित करती है एवं नगर के सुनियोजित विकास में निश्चित रूप से एक मार्गदर्शक का कार्य करती है और शहर की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती हैं। जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य मानव समुदाय की सम्पूर्ण भू-आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्र के सन्तुलित एवं समन्वित विकास को ध्यान में रखा जाता है। जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 आवश्यक रूप से नगर की वर्तमान परिस्थितियों, नियोजन नीतियों, उद्देश्यों तथा भू-उपयोग प्लान का एक लिखित दस्तावेज है, जो शहर के भावी सुनियोजित विकास के क्रियान्वयन में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। जोधपुर शहर के जोधपुर डवलपमेन्ट प्लान-2031 के प्रस्ताव आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक सर्वेक्षणों तथा विश्लेषणों के आधार पर तैयार किये गये हैं। नियोजन के सिद्धान्तों को इस सन्दर्भ में नीतियों एवं उद्देश्यों के साथ रखा गया है इन सभी तथ्यों को जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है एवं मानवीय आवश्यकताओं के अनुरूप जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 तैयार किया जाता है।

3.1 नियोजन की नीतियां (PLANNING POLICY)

जोधपुर शहर संभागीय एवं जिला मुख्यालय तथा पश्चिमी राजस्थान का बहुआयामी नगर है। यह बहुआयामी स्वरूप आने वाले समय में भी बना रहेगा। जोधपुर शहर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु है। बेहतर जीवन स्तर की सुविधाओं की उपलब्धता के कारण समीपवर्ती क्षेत्रों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा है और भविष्य में भी बना रहेगा। तीव्र जनसंख्या वृद्धि से शहर में आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता बढेगी। जोधपुर में शैक्षणिक संस्थानों यथा-आई.आई.टी, एम्स, एन.एल.यू., आयुर्वेद विश्वविद्यालय, पुलिस विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, एफडीडीआई, निपट, राजकीय महाविद्यालय, इत्यादि की स्थापना से शिक्षा के क्षेत्र में जोधपुर ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, जिससे शहर में उच्च स्तर की आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाना आवश्यक होगा। रेल, सड़क, वायुमार्ग से बेहतरीन कनेक्टिविटी से भी रोजगार के साथ जनसंख्या का आब्रजन बढा है। दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (DMIC) एवं समर्पित माल भाड़ा गलियारा (DFC) जोधपुर के समीप से गुजरेगा व पचपदरा में ऑयल रिफाईनरी

की स्थापना से कई उद्योगों में यहाँ भी निवेश आकर्षित होगा, जिससे शहर के विकास को गति मिलेगी। जोधपुर महोनगर बनने की ओर अग्रसर है। भावी विकास हेतु नियोजित विकास की प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है। अतः सुनियोजित सुव्यवस्थित, सन्तुलित, समग्र विकास की नीति अपनाई गई है। नगरों का सुनियोजित रूप से विकास हो इस हेतु राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नीतियों जैसे राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010, स्लम डवलपमेन्ट पॉलिसी, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, उद्योग नीति ट्रैफिक नियम, बिल्डिंग बाईलॉज, यू.डी.पी. एफ.आई. गाइड लाइन, फेक्ट्री एवं बायलर्स नियम, भारतीय रोड़ कांग्रेस के नियम, मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल. आवास योजना, राजीव आवास योजना जे. डी. एक्ट इत्यादि को शहर का नियोजन एवं विकास करते समय मार्गदर्शिका के रूप में सुदृढ उपयोग किये जाने की नीति अपनाई गई है। वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के उच्च जीवन स्तर व पर्यावरण संरक्षण हेतु दूरदृष्टिता पूर्ण नीति को ध्यान में रखा गया है। सामुदायिक विकास एवं प्रसार (Community Development & Extension) को विशेष महत्व दिया गया है। अतः विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जोधपुर में औद्योगिक, शैक्षणिक, वाणिज्यिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक गतिविधियां का पश्चिमी राजस्थान में प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने की नीति अपनाई गई है।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त (PLANNING PRINCIPLE)

जोधपुर रीजन का जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 तैयार करने के लिए उक्त नीतियों के अनुरूप शहर का विकास करने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर प्लान एवं दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है।

1. आवासीय घनत्व एवं स्वीकृत योजना मानदण्डों की पद्धति के अनुरूप सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं, उपयोगों व सेवाओं हेतु पर्याप्त भूमि आरक्षित किया जाना।
2. नये क्षेत्रों के विकास के समय पुराने शहर एवं नई बसावट के बीच समुचित सामन्जस्य रखा जायेगा। अतः भूमि को विभिन्न उपयोगों हेतु इस तरह आवंटित करना, जिससे शहर की विभिन्न गतिविधियों में सही तरीके से सामंजस्य

स्थापित किया जा सके। पुराने शहर का उच्च जनघनत्व है, जबकि उनके आस-पास के नये विकसित क्षेत्र अपेक्षाकृत कम जनघनत्व वाले हैं। आबादी क्षेत्रों के घनत्व की विषमताओं को कुछ कम किया जायेगा। नये आबादी क्षेत्रों के साथ-साथ कार्य स्थलों को भी समुचित आधार पर मूलभूत सुविधाओं के साथ विकसित किया जाना, जिससे पुराने शहर के रहवासी, बाहर के विकसित क्षेत्रों में स्थापित हो सके। समूचे नगरीय क्षेत्र में सामाजिक सुविधाएँ, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सेवाओं को क्षेत्रीय, शहर एवं स्थानीय स्तर पर सुनियोजित तरीकें से आवंटित किया जाना।

3. शहर के विकास कार्य करते समय विकास करने वाली संस्थाओं को विभिन्न विभागों से आपसी सामंजस्य किया जाना।
4. वाणिज्यिक गतिविधियों को तर्कसंगत तरीके से वर्गीकृत किया जायेगा ताकि, आवागमन के समय को कम किया जा सके तथा केन्द्रीय व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए अनावश्यक की जाने वाली यात्रा से बचा जा सके। थोक व्यापार की गतिविधियों को अलग-अलग स्थानों पर उपलब्ध कराया जाना।
5. सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय किसी संगठित कॉम्प्लेक्स (चार दीवारी) में स्थापित किये जायेगें तथा उन्हें इस तरह से स्थापित किया जायेगा ताकि उन्हें आस पास आवास के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो सके तथा वहाँ तक सीधी पहुँच हो सके।
6. आमोद-प्रमोद के स्थलों को विकसित किये जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उचित स्थल आरक्षित किये जाना। उक्त स्थल प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थलों एवं जलाशयों के निकट चयन किया जाना।
7. जोधपुर में शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों की विविधता का उत्कृष्ट स्वरूप उभरा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी जैसे आई.आई.टी, कृषि विश्वविद्यालय, एम्स, राजकीय महाविद्यालय चैनपुरा इत्यादि संस्थानों की स्थापना हुई है। अतः उपरोक्त संस्थानों के स्थापना होने से वहाँ उच्च स्तर की आधारभूत सुविधाएँ विकसित किये जाने की आवश्यकता हैं, साथ ही परिसर में सघन वृक्षारोपण कराया जाना।

8. मास्टर प्लान, सेक्टर प्लान एवं योजना मानचित्रों में प्रस्तावित सभी सडकों का मौके पर डिमार्केशन किया जाना एवं पूर्व अनुमोदित/गैर अनुमोदित आवासीय/विभिन्न योजनाओं में विद्यमान एवं प्रस्तावित सडकों का आपस में लिंक किये जाने की सुनिश्चिता किया जाना।
9. औद्योगिक विकास हेतु उपयुक्त स्थल चयन किया जाना, शहर में स्थित प्रदुषित औद्योगिक इकाइयों को आबादी क्षेत्र से दूर स्थानांतरित किया जाना।
10. सालावास में स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0 एवं इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0 और बासनी में एच. पी. गैस व इण्डियन ऑयल के डिपो के आस-पास में निर्धारित दूरी की सुरक्षा पट्टी रखी जाना आवश्यक हैं एवं भविष्य में डिपो को सघन आबादी क्षेत्र से दूर स्थापित किया जाना।
11. दिल्ली-मुम्बई विशेष रेल परियोजना, पश्चिमी समर्पित माल-भाड़ा कोरीडोर एवं पश्चिमी क्षेत्र बाडमेर में ऑयल रिफायनरी की स्थापना होने से जोधपुर शहर के सुविधा क्षेत्रों पर काफी दबाव पड़ेगा तथा उपरोक्त से सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों में निवेश की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थलों का विकास एवं उत्पादन गुणवत्ता का स्तर ऊँचा किया जाना।
12. ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पुरातत्व के क्षेत्रों के महत्व को ध्यान में रखा जायेगा तथा उन्हें अनियोजित बसावटों तथा कठिनाइयों उत्पन्न करने वाले भू-उपयोगों से बचाया जायेगा। ऐतिहासिक स्थल एवं प्राकृतिक सुन्दरता वाले स्थलों के पूर्ण रख-रखाव पर ध्यान रखा जाना।
13. नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अनियमित विकास को नियंत्रण करने के उद्देश्य से नगरीय सीमा के चारों ओर ग्रामीण क्षेत्र प्रस्तावित किया जाये। रूरल एरिया के अन्दर की ओर ग्रामीण बस्तियों का सुनियोजित ढंग से विकास एवं विस्तार किया जाना।
14. समूचे नगरीय क्षेत्र को नियोजन की नीतियों तथा सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत कृत्यों के एक मार्गदर्शक के रूप में दीर्घकालीन योजना है। यह भविष्य की आवश्यकताओं

की सामूहिक तस्वीर जो विभिन्न पहलुओं की संगठित एवं सन्तुलित योजना के रूप में सामाजिक माँग के अनुरूप प्रतीत हो। भू-उपयोग प्लान को सभी तरह से सन्तुलित बनाये रखने का प्रयास किया गया है। इसे जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत तैयार किये जाने के कारण यह एक कानूनी दस्तावेज है। जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 के क्रियान्वयन से नगर का सुव्यवस्थित विकास होने के साथ-साथ नये औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

15. दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (DMIC) एवं समर्पित माल भाड़ा गलियारा (DFC) का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर के इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ, वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों एवं सामर्थ्य (Potential) का पूर्ण उपयोग करना, पूंजी निवेश को बढ़ावा देना तथा दीर्घगामी सक्षम वातावरण प्रदान कर, क्षेत्र का आर्थिक विकास करना है। इस कोरीडोर में 9 स्थलों पर जंक्शन प्रस्तावित है, जहाँ वर्तमान रेलवे व प्रस्तावित कोरीडोर के यातायात की अदला-बदली हो सकेगी जिनमें से राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन जोधपुर संभाग में स्थित है। जोधपुर शहर में स्थित सुविधा स्थलों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा सुविधा क्षेत्रों का विकास के प्रस्तावित कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए किया जाना।
16. हेरिटेज संरक्षण हेतु स्थलों/भवनों को चिन्हित कर उनके संरक्षण हेतु अलग से योजना बनाकर विकसित किया जाना।
17. वर्तमान बस अड्डे को अंतर्राज्यीय बस अड्डे के रूप में विकसित किया जाना, ताकि पटरियों को व आम नागरिकों को इसका परिलाभ मिल सके।
18. शहर के वर्तमान स्वरूप एवं भविष्य में जनसंख्या के बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए तथा नागरिकों को को यातायात की सुगम व्यवस्था मिले इस हेतु वर्तमान हवाई अड्डे को आधुनिक स्तर का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाना।
19. शहर स्थित लूणी नदी, जोजरी नदी को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित किया जाना, तथा इसके दोनों किनारों पर वृक्षारोपण तथा हरियाली का विकास किया जाना तथा शहर में स्थित बरसाती नालों को संरक्षित करते हुए उनके सहारे रास्ता रखा जाना।

20. कायलाना, तखतसागर, साहिबरामजी का बांध, उम्मेद सागर, बालसमन्द, इत्यादि जलाशयों का पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण, मनोरंजन स्थलों के रूप में विकास किया जाना। पक्षियों के आश्रय स्थलों को संरक्षित किया जाना।
21. जोधपुर रीजन में स्थित पहाड़ियों का संरक्षण एवं उन पर सघन वृक्षारोपण किया जाना। कायलाना, तखतसागर, उम्मेद सागर इत्यादि के समीप स्थित पहाड़ियों का संरक्षण किया जाना।
22. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग शहर के मध्य से गुजर रहे हैं। वर्तमान सड़कों पर भारी यातायात एवं नगरीय परिवहन सेवा का अत्यधिक दबाव है। बाईपास एवं वैकल्पिक समानान्तरण सड़कों को विकसित किया जाना।
23. शहर में स्थित मुख्य चौराहे, जहाँ पर यातायात का अत्यधिक दबाव होने से पैदल चलने वाले लोगों को सुगम आवागमन उपलब्ध कराने हेतु पैदल फुट ओवर ब्रिज व अण्डर पास जो भी उचित हो भौतिक स्थिति अनुसार निर्माण किया जाना।
24. विद्युत हाईटेन्शन लाईन के दोनों ओर निर्धारित दूरी तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाना।
25. नगर के विस्तार की तीव्र गति एवं निरन्तर बढ़ती वाहनों की संख्या, पार्किंग स्थलों की कमी इत्यादि को ध्यान में रखते हुए यातायात एवं परिसंचरण सम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तैयार करना अत्यंत आवश्यक है।
26. शहर में उचित एवं मल्टीलेवल पार्किंग हेतु भूमि चिन्हित की जाकर पार्किंग स्थल विकसित किया जाना।
27. जोधपुर में मुख्य मार्गों पर राजस्थान पथ परिवहन निगम (रोड़वेज) द्वारा नगरीय परिवहन सेवा के तहत लो फ्लोर सिटी बसों का पर्याप्त संख्या में संचालन किया जाना ताकि लोगों को सुगम सार्वजनिक नागरीक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध हो सके।
28. शहर के तीव्र विकास एवं विस्तार को देखते हुए एक स्थल से दूसरे स्थल तक जाने हेतु सुगम एवं सरल पहुँच के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रणाली की

उचित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। शहर में विभिन्न सिटी बस रूट पर जगह-जगह बस क्यू शेल्टर बनाये जाना।

29. शहर में संचालित यातायात प्रणाली में पुराने वाहन जो मानक स्तर से अत्यधिक प्रदुषण फेलाते हैं, उन वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाना।
30. जोधपुर से जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद एवं अन्य मुख्य शहरों तक रेलमार्गों को दोहरा बनाया जाकर उनका विद्युतिकरण किया जाना, लम्बी दूरी की नयी रेलगाडियां संचालित किया जाना व रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं बढाना।
31. जोधपुर रीजन मरूस्थल क्षेत्र में स्थित होने से भू-गर्भ जल स्तर काफी नीचे हैं, अतः वर्षा जल संवर्धन, संरक्षण एवं पुर्नभरण की संरचना विकसित की जाने की आवश्यकता हैं। ऐसे क्षेत्र जिनमें पानी काफी ऊंचे स्तर पर है व भवनों में सीपेज होता है इसके स्थायी समाधान की कार्यवाही की जानी चाहिए।
32. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्गों पर अनियन्त्रित/अनियोजित विकास पर नियन्त्रण रखने एवं नियोजित रूप देने हेतु हाईवे के दोनों ओर नगरीय सीमा के बाहर एवं अन्दर क्रमशः 1 कि०मी० एवं 500 मीटर की गहराई तक डवलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र प्रस्तावित किया जाना।
33. प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं वैज्ञानिक ढंग से नियमानुसार उचित दोहन किया जाना।
34. जोधपुर रीजन मास्टर विकास योजना-2031 को पांच पॉलिसी जोन के संदर्भ में तैयार किया जाना, जिसमें नगरीय क्षेत्र-1 (U1) व विशिष्ट योजना क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र-2 (U2), नगरीय क्षेत्र-3 (U3), एवं ग्रामीण क्षेत्र (रूरल एरिया) के रूप में नियोजन की परिकल्पना पर डवलपमेंट प्लान बनाया जाना।
35. भविष्य में सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत जैसे शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय, अन्य संस्थानों की स्थापना निर्धारित मानकों के अनुरूप हो जिनमें उपरोक्त संस्थानों हेतु आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाना।
36. नगर के विस्तार एवं महोनेगरीय स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए पशुधन एवं आवारा जानवरों के संरक्षण/विस्थापन/प्रबंधन हेतु उचित व्यवस्था किया जाना।

37. शहर में बढ़ते व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए समान का आदान प्रदान सुगमता से हो, इस हेतु आधुनिक स्तर का ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किया जाना, जिसमें सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाना।
38. जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 का चरणबद्ध एवं समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा जोनल मानचित्र एवं विस्तृत योजना प्लान तैयार किया जाना।
39. जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 के क्रियान्वयन हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण/निदेशक आयोजना स्तर पर मॉनिटरिंग एवं समीक्षा किया जाना।
40. समय समय पर विकास की योजनाएँ हाथ में ली जावे व इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना।
41. कृषि उत्पादन के रखरखाव के लिए भंडारण की उचित व्यवस्था किये जाना।
42. जोधपुर रीजन के रेगिस्तानी भाग में जीव जन्तुओं की प्रजातियां जो संकटग्रस्त एवं लुप्त होने के कगार पर हैं उन्हें संरक्षण दिया जाना।
43. शहर के प्राकृतिक प्रवाह को मद्देनजर रखते हुए दीर्घकालीन वर्षा जल की योजनाएँ बनाना।
44. कुशल समूह परिवहन प्रणाली- MRTS एवं BRTS, रिंग रोड व क्षेत्रिय सडकों का विकास करना।
45. जल स्रोतों का मौके पर सीमांकन किया जाना।

4

भावी आकार

4 भावी आकार

मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 जोधपुर रीजन में जोधपुर शहर सहित 395 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, जिनका कुल क्षेत्रफल 446733.94 हेक्टेयर है। वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या 31,00,000 एवं भावी विकास एवं विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भूमि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मास्टर डवलपमेंट प्लान की विस्तृत योजना तैयार की गयी है।

4.1 जनांकिकी

जोधपुर शहर की जनसंख्या वर्ष 2001 में 8,60,818 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 11,38,300 हो गई। जोधपुर नगर के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, इनकी गतिविधियां जोधपुर शहर से प्रभावित है। नई कॉलोनियों का विकास हो रहा है। ग्रामीण जनसंख्या का शहरी सुविधा स्थलों पर अत्यधिक दबाव है। अतः जोधपुर रीजन के भावी जनसंख्या आंकलन के लिए वर्ष 2011 में जोधपुर नगर की 11,38,300 व रीजन के ग्रामीण क्षेत्रों की 6,02,425 जनसंख्या को जोड़ते हुए रीजन की भावी जनसंख्या का आंकलन किया गया है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए वर्ष 2001 की जोधपुर नगर की 8,60,818 जनसंख्या व ग्रामीण जनसंख्या 4,43,075 को जोड़ा गया है। जनसंख्या आंकलन करते समय जनसंख्या की वृद्धि दर, बाहरी जनसंख्या का शहर की ओर आब्रजन आदि कारणों को ध्यान में रखा गया है। रोजगार के अवसर, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, निवेशकों का रुझान आदि महत्वपूर्ण पहलुओं का विशेष अध्ययन किया गया है। शहर में गत वर्षों में विभिन्न संस्थानों की स्थापना से उच्च शिक्षा के द्वार खुलने, जोधपुर संभाग में पचपदरा (बाडमेर) में ऑयल रिफायनरी की स्थापना, रीजन में सौर उर्जा संयंत्र, पवन चक्कियों के संयंत्र लगने एवं दिल्ली-मुंबई औद्योगिक फ्रेट कारिडोर के प्रभाव क्षेत्र में स्थित होने से आबादी का दबाव बढ़ेगा। विभिन्न क्षेत्रों में बाहरी निवेश होगा। परिणाम स्वरूप जोधपुर की जनसंख्या तेजी से बढ़ने की संभावना है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जोधपुर रीजन की वर्ष 2031 तक की जनसंख्या का आंकलन किया गया है। निम्नांकित तालिका संख्या-21 में वर्ष 2001 से 2031 तक की जनसंख्या एवं वृद्धि दर दर्शायी गई हैं :-

तालिका-21

वास्तविक एवं अनुमानित जनसंख्या, जोधपुर रीजन 2001-2031

वर्ष	जनसंख्या	अन्तर	दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत
2001	13,03,893	—	—
2011	17,40,725	4,36,832	33.50
2021	* 23,30,000	5,89,275	33.85
2031	* 31,00,000	7,70,000	33.04

स्रोत: भारतीय जनगणना विभाग

* अनुमानित

4.2 व्यावसायिक संरचना

भारतीय जनगणना के अनुसार जोधपुर शहर की वर्ष 1991 में जनसंख्या 6,66,279 में से कार्यशील व्यक्ति 1,86,307 थे अर्थात् सहभागिता अनुपात 27.96 प्रतिशत था। वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार जोधपुर शहर की जनसंख्या 8,60,818 थी, जिसमें कामगारों की संख्या 2,67,120 है। अर्थात् सहभागिता की अनुपात 31.03 प्रतिशत रहा है। जनसंख्या वृद्धि कारकों यथा-प्राकृतिक वृद्धि दर और मृत्यु दर में कमी, शहर में बाहरी जनसंख्या आव्रजन आदि के आधार पर क्षितिज वर्ष 2031 में जोधपुर रीजन की कुल जनसंख्या 31 लाख परिकल्पित की गयी है, जिसमें कामगारों का सहभागिता अनुपात 33 प्रतिशत का अनुमान लगाते हुए कार्यशील व्यक्ति 10,23,000 होने का अनुमान है। राज्य सरकार की कौशल विकास योजना, उद्यमियों में स्वरोजगार की प्रेरणा आदि से रोजगार बढेगा।

जोधपुर रीजन में व्यापार एवं वाणिज्यिक, औद्योगिक, खनन, निर्माण, परिवहन आदि गतिविधियों तथा सेवा के क्षेत्रों में कामगारों के बढ़ने की संभावनाएँ है। नगरीयकरण से कृषि संबधित गतिविधियों में कमी आयेगी। निम्न तालिका संख्या-22 में भावी व्यावसायिक संरचना को दर्शाया गया है।

तालिका-22

अनुमानित व्यावसायिक संरचना, जोधपुर रीजन-2031

क्र. सं.	व्यवसाय	वर्ष 2031	
		कामगार	कामगारों का प्रतिशत
1.	काश्तकार	8184	00.08
2.	कृषि मजदूर	10230	01.00
3.	घरेलू उद्योग में कामगार	61380	06.00
4.	अन्य मुख्य कामगार	869550	85.00
5.	सीमान्तिक कामगार	73656	7.20
	योग	1023000	100.00

स्रोत: नगर नियोजन विभाग, अनुमानित।

4.3 आधारभूत सुविधा प्रक्षेपण

जोधपुर रीजन के क्षितिज वर्ष 2031 जनसंख्या 31 लाख अनुमानित की गई है, उक्त जनसंख्या हेतु भविष्य में आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता का आंकलन किया गया है। आधारभूत सुविधाओं के आंकलन हेतु यू.आर.डी.पी.एफ.आई मार्गदर्शिका (Urban & Regional Development Plans Formulation and Implementation Guidelines) में नगरों हेतु निर्धारित मानदण्ड का उपयोग किया गया है। निम्न तालिका में वर्ष 2031 तक आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकताओं का विवरण दर्शाया गया है:-

Population standards as per URDPFI guidelines for MDP-2031

Projected Population	3100000
Assumed HH size	5
Therefore Total households	620000
Workforce	
Workforce participation @33% of total population	1023000

Required physical Infrastructure as per URDPFI standards for MDP-2031

Physical Infrastructure		
1	Water Supply	LPD
(a)	Domestic requirement @ 200 lpcd	620000000
(b)	Public Purpose @ 35 lpcd	108500000
(c)	Fire fighting @ 1% of total demand	7285000
2	Sewerage	LPD
	Sewerage @ 80% of water supply	582800000
3	Electricity	KW
(a)	Consumption @ 2 KW per household	1240000
(b)	One Electric substation @ 11 KV for 15000 Population	206
4	Solid waste	Kg
	Generation @ 0.5 kg per capita	1550000

Required Social Infrastructure as per URDPFI standards for MDP-2031

Social Infrastructure			
1	Education Facilities	Requirement	
	Facility	No.	Area (Ha.)
(a)	Pre-primary nursery school 1 for 2500 population	1240	
	Area for school @ 0.08 hectare		99
(b)	Primary School (I to V) 1 for 5000 population	620	
	Area for school @ 0.04 hectare		25
(c)	Senior Secondary School (IV to XII) 1 for 7500 population	413	
	Area for school @ 1.6 hectare		661
(d)	Integrated school without hostel facility (class I to XI) 1 for 100000 population	31	
	Area for school @ 3.5 hectare		109
(e)	Integrated school with hostel facility 1 for 100000 population	31	
	Area for school @ 3.9 hectare		121
(f)	School for handicap 1 for 45000 population	69	
	Area of School @ 0.5 hectare		34
(g)	College 1 for 1.25 Lakh population	25	
	Area @ 4 hectare		100
(h)	Technical education centre (A) 1 for 10 lakh population	3	
	Area @ 4 hectare per centre		12
	Area @ 1.6 hectare per ITI		5
	Area @ 2.4 hectare per Polytechnic		7
(i)	Technical education centre (A) 1 for 10 lakh population	3	
	Area @ 4 hectare per centre		12
	Area @ 2.1 hectare per technical centre		7
	Area @ 1.4 hectare per ITI		4
	Area @ 0.3 hectare for coaching centre		1
A		Sub Total (Ha.)	1198

2	Health Care Facilities	Requirement	
	Facility	No.	Area (Ha.)
(a)	General hospital 1 for 2.5 lakh population	12	
	area of hospital 2.6 hectare		74
(b)	Intermediate Hospital (Category-A) One hospital for I lakh population	31	
	area @3.7 hectare		115
(c)	Intermediate Hospital (Category-B) One hospital for I lakh population	31	
	Area @ 1 hectare		31
(d)	Polyclinic with some observation beds one for 1 lakh population	31	
	area @ 0.3 hectare		9
B		Sub Total (Ha.)	229
	Total Area (A+B) required (Ha.)		1427

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

जोधपुर शहर का विद्यमान कुल नगरीयकृत क्षेत्र 25394.62 हेक्टेयर है, इसमें से 15124.64 हेक्टेयर विकसित क्षेत्र है। शहर के नगरीयकरण के लिए कुल 152936.15 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमा में यू-1, विशिष्ट योजनाएं, यू-2, पहाड़ी क्षेत्र एवं पहाड़ी संरक्षण क्षेत्र, जल क्षेत्र, वन एवं वृक्षारोपण तथा राजकीय आरक्षित क्षेत्र सम्मिलित है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का निर्धारण विद्यमान बस्तियों के विकास की संभावनाएं, भूमि वर्गीकरण, भूमि की रूपरेखा, नगरीयकरण की प्रभावशीलता, विकास की दिशाएँ, उपलब्ध भौतिक आधारभूत संरचनात्मक, योजना की परिकल्पनाओं आदि को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जोधपुर शहर की वर्ष 2011 में जनसंख्या 11,38,300 है। जोधपुर रीजन मास्टर डवलमेंट प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 में जनसंख्या 31 लाख होने का अनुमान है।

4.5 जोधपुर रीजन मानचित्र

प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमा को जोधपुर रीजन मानचित्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। रीजन मानचित्र में अधिसूचित राजस्व ग्रामों की सीमा, वर्तमान विकसित क्षेत्र तथा वर्ष 2031 तक प्रस्तावित विकास की सीमाओं को दर्शाया गया है। इसमें से नगरीय क्षेत्र-1, नगरीय क्षेत्र-2 एवं नगरीय क्षेत्र-3, ग्रामीण क्षेत्र, वन क्षेत्र एवं वृक्षारोपण, पहाड़ी एवं पहाड़ी संरक्षण क्षेत्र, जल क्षेत्र, विशिष्ट योजनाएं एवं राजकीय आरक्षित क्षेत्र को सम्मिलित कर रीजन का मानचित्र बनाया गया जिसका कुल क्षेत्रफल 446733.94 हेक्टेयर है। अंतिम योजना क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है।

4.6 भूमि उपयोग (Land Utilization)


मानव समुदाय के लिए भूमि एक मूलभूत संसाधन है। किसी क्षेत्र विशेष में भूमि के भू-उपयोग में उस क्षेत्र की मौजूदा पारिस्थितिकी एवं मानव समुदाय के संबंध परिलक्षित होते हैं। भूमि उपयोग के अलग-अलग प्रकार हो सकते हैं। जैसे सिंचित भूमि, खलियान, बंजर भूमि, जंगलात, जल आच्छादित भूमि, अधिवास, पड़त भूमि इत्यादि। किसी स्थल विशेष के भूमि उपयोग के अध्ययन हेतु उसका समय-समय पर किये जा रहे उपयोग तथा उपयोग में बदलाव की प्रवृत्ति का अध्ययन अभिप्रेत हैं। जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031, जोधपुर रीजन को निम्नलिखित पांच पॉलिसी जोन के संदर्भ में तैयार किया गया है।


1. नगरीय क्षेत्र-1 (U1)

- (A) परकोटा एवं समीप के बाहरी निर्मित योजना क्षेत्र
- (B) सरदारपुरा योजना क्षेत्र
- (C) बासनी योजना क्षेत्र
- (D) चौपासनी योजना क्षेत्र
- (E) पाल योजना क्षेत्र
- (F) सांगरिया योजना क्षेत्र
- (G) छावनी योजना क्षेत्र
- (H) मण्डोर योजना क्षेत्र
- (I) करवड़ योजना क्षेत्र
- (J) बनाड़ योजना क्षेत्र
- (K) भाकरासनी योजना क्षेत्र

3. विशिष्ट योजनाएँ
 - (i) नोलेज सिटी एवं हेल्थ केयर सिटी
 - (ii) कॉर्पोरेट पार्क
 - (iii) स्पोर्ट्स सिटी
 - (iv) फेस्टिवल सिटी
4. नगरीय क्षेत्र-2 (U2)
5. नगरीय क्षेत्र-3 (U3)
6. ग्रामीण क्षेत्र

जोधपुर रीजन





मानचित्र-10: भूमि उपयोग-2031

तलिका-23
नगरीय क्षेत्र भूमि उपयोग-2031

क्र.सं.	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.	U1	81035.90	81035.90
2.	विशिष्ट योजनाएं	नॉलेज सिटी एवं हेल्थ केयर सिटी	11469.28
		कॉरपोरेट पार्क	
		स्पोर्ट्स सिटी	
		फेस्टिवल सिटी	
3.	U2	44831.02	44831.02
4.	पहाडी क्षेत्र एवं पहाडी कन्जरवेशन क्षेत्र	5328.92	5328.92
5.	जल क्षेत्र	2613.12	2613.12
6.	वन एवं वृक्षारोपण	3519.73	3519.73
7.	राजकीय आरक्षित क्षेत्र	4138.18	4138.18
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	152936.15	152936.15
8.	U3	19994.69	19994.69
9.	ग्रामीण क्षेत्र	273803.10	273803.10
10.	नगरीय क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल	446733.94	446733.94

4.6.1 नगरीय क्षेत्र-1 (U1)

इस जोन में विद्यमान विकसित क्षेत्र, पूर्व मास्टर प्लान-2023 का प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र, पूर्व में जारी स्वीकृतियां (कमिटमेंट) प्रस्तावित योजना/परियोजनाओं के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। U1 का कुल क्षेत्रफल 81035.90 हेक्टेयर है। इस क्षेत्र में नगर की भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए भू-उपयोग मानचित्र 2031 में विस्तृत भू-उपयोग दर्शाये गये हैं।

(A) परकोटा एवं समीप के बाहरी निर्मित योजना क्षेत्र

इस योजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहर की चार दिवारी के अंदर का क्षेत्र एवं समीप के लगते हुए क्षेत्र सम्मिलित है, जिसमें मेहरानगढ़, जसवंत थड़ा, घंटाघर, त्रिपोलिया बाजार, आडा बाजार, सोजती गेट, टाउन हॉल, हाई कोर्ट परिसर, मेड़ती गेट का बाहरी क्षेत्र, कागा पहाड़ी, प्रतापनगर, कबीर नगर, आनन्द सिनेमा, रेलवे स्टेशन आदि मुख्य है। इस क्षेत्र में मेहरानगढ़, जसवंत थड़ा, राणीसर-पदमसर,

अचलनाथ मंदिर, राजरणछोड़दास जी का मंदिर, उम्मेद उद्यान, सुमेर पब्लिक लाईब्ररी, गोरिन्दा बावड़ी, एक मीनार मस्जिद आदि ऐतिहासिक, धार्मिक एवं वाणिज्यिक स्थल हैं। यह क्षेत्र जोधपुर का केन्द्र बिन्दु है। यहाँ के मुख्य बाजार यथा घंटाघर, कन्दोई बाजार, त्रिपोलिया बाजार आदि खुदरा एवं थोक व्यापार के मुख्य केन्द्र हैं। शहरी स्तर की सभी गतिविधियाँ इस क्षेत्र में संचालित होती हैं। यह योजना क्षेत्र नगर का सबसे अधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। भविष्य में भी सबसे अधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र ही रहेगा। यह क्षेत्र पुराना आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्र है और इसमें वर्तमान में, जो सुविधाएँ वाणिज्यिक एवं आवासीय हैं, उनमें भविष्य में और सघन होने की संभावना है।

(B) सरदारपुरा योजना क्षेत्र

इस योजना क्षेत्र में कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज, सोजती गेट, जालोरी गेट, बोम्बे मोटर चौराहा जिसमें सम्पूर्ण सरदारपुरा क्षेत्र, पी.डब्ल्यू.डी., हाईकोर्ट कॉलोनी, रातानाड़ा, ओल्ड यूनिवर्सिटी कैम्पस, पुलिस लाईन, अजीत भवन परिसर, सिविल लाईन्स आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस योजना क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र सरदारपुरा 'बी' एवं 'सी' रोड़ है, इस क्षेत्र में रातानाड़ा, नेहरू पार्क, रेलवे का मंडल कार्यालय, रेलवे अस्पताल, महात्मा गाँधी अस्पताल, पी.डब्ल्यू.डी. ऑफिस आदि महत्वपूर्ण स्थल भी सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र पहले से ही विकसित है, एवं वर्तमान व्यावसायिक ढांचा इसके केन्द्रीय स्थिति में अवस्थित होने के कारण और विकसित होने की प्रबल संभावना है। यह क्षेत्र आवासीय, वाणिज्यिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का केन्द्र बना रहेगा।

(C) बासनी योजना क्षेत्र

इस क्षेत्र में रेजीडेन्सी रोड़, पाल रोड़, पी.डब्ल्यू.डी. बाईपास, सेक्टर 7 के सामने से जाने वाली बासनी रोड़ एवं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सामने स्थित रोड़ के मध्य के क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस योजना क्षेत्र में शास्त्री नगर, बासनी औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 व 2, काजरी, खेमें का कुआँ आदि है। इसके अलावा पी. डब्ल्यू.डी. बाईपास के उत्तर की ओर विकसित एवं अर्द्ध विकसित क्षेत्र भी स्थित है। इस क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, काजरी रिसर्च सेन्टर, रिमोट सेंसिंग केन्द्र

आदि स्थित है। इस क्षेत्र में कॉलेज, राजकीय कार्यालयों के स्थल, पी. डब्ल्यू.डी. के बाईपास आदि सड़कें प्रस्तावित हैं।

(D) चौपासनी योजना क्षेत्र

इस योजना क्षेत्र में सरदारपुरा पांचवी रोड़ चौराहा से पाल सड़क पर बाई पास सड़क के पश्चिम का क्षेत्र, चौपासनी रोड़ के उत्तर व दक्षिण, सूरसागर रोड़ के पश्चिम, जैसलमेर बाई पास सड़क के उत्तर-पूर्व का क्षेत्र सम्मिलित है एवं पाल रोड़ के पश्चिम का क्षेत्र जिसमें मसूरिया पहाड़ी का क्षेत्र, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 23, पाल बालाजी, डालीबाई मंदिर, बिड़ला स्कूल, डे हॉस्टल आदि प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित है। चौपासनी रोड़ से उत्तर व दक्षिण इस क्षेत्र में कमला नेहरू नगर, चौखा ग्राम, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, ग्रिड सब स्टेशन चौपासनी वाटर फिल्टर हाउस आदि प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में शहर स्तर का अशोक उद्यान विकसित किया गया है। आवासीय क्षेत्र के अतिरिक्त होटल, चिकित्सा, बस स्टेण्ड आदि गतिविधियाँ प्रस्तावित की गयी हैं।

(E) पाल योजना क्षेत्र

इस योजना क्षेत्र के अन्तर्गत विद्यमान बाईपास के दक्षिण का क्षेत्र, पाल रोड़ के दोनों ओर का क्षेत्र सम्मिलित है। इस क्षेत्र में पाल ग्राम, शिल्प ग्राम, बोरानाडा, बासनी सिलावटा, धिनाणों की ढाणी, गंगाणा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, इस क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र के अतिरिक्त पर्यटन सुविधाएँ, जिला व्यावसायिक केन्द्र, उप जिला व्यावसायिक केन्द्र, नगरीय स्तर के खुले स्थल, पार्क, राजकीय कार्यालय, एवं होटल जोन, वेयर हाउसिंग गोदाम, होलसेल थोक व्यापार मण्डी यार्ड, ट्रक टर्मिनल तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं के स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

(F) सांगरिया योजना क्षेत्र

सालावास सड़क पर बासनी ट्रान्सपोर्ट नगर से होते हुए रेलवे ऑवर ब्रिज एवं झालामण्ड चौराहे तक पाली रोड़ के दक्षिण का क्षेत्र, और झालामण्ड चौराहे से जोजरी नदी तक पाली रोड़ के पश्चिम का क्षेत्र है, सालावास रोड़ के पूर्व का क्षेत्र है, तनावड़ा ग्राम के उत्तर का क्षेत्र, आदि सम्मिलित है। इस क्षेत्र के विकसित क्षेत्र में ट्रान्सपोर्ट नगर, बासनी कृषि मंडी यार्ड, बासनी औद्योगिक क्षेत्र, सालावास रोड़

के पूर्व का क्षेत्र, सरस्वती नगर, राजस्थान आवासन मंडल की मधुबन कॉलोनी, कुड़ी भगतासनी आवासन मण्डल, कुड़ी भगतासनी गांव, रीको मिनी ग्रोथ सेंटर, विवेक विहार आवासीय योजना स्थित हैं जिसमें आवासीय क्षेत्र के अतिरिक्त पर्यटन सुविधा, जिला वाणिज्यिक/उद्योग, ट्रान्सपोर्ट नगर, ओटोमोबाइल्स मार्केट, चिकित्सा, वेयर हाउसिंग, पार्क एवं ओपन स्पेस का प्रावधान किये गये हैं।

(G) छावनी योजना क्षेत्र

इस क्षेत्र की सीमा रेखा के रूप में जयपुर सड़क के दक्षिण, पाली सड़क के पूर्व एवं प्रस्तावित बाह्य मार्ग तक के क्षेत्र है। इसमें उम्मेद पैलेस, छावनी, वायु सेना, रातानाड़ा गणेश मंदिर, खारडा रणधीर, पाबूपूरा, श्रीयादे गांव, दण्ड, अलकदडा, झालामण्ड आदि क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में आवासीय के अलावा, राजकीय कार्यालय, होटल केम्पिंग साईट, औद्योगिक/व्यावसायिक केन्द्र वेयर हाउसिंग एवं गोदाम, सिटी लेवल पार्क, चिकित्सालय, कॉलेज, अन्य सामुदायिक सुविधाओं आदि के लिए स्थल प्रस्तावित हैं।

(H) मंडोर योजना क्षेत्र

इस योजना क्षेत्र की सीमाएं दक्षिण में जयपुर रोड़, पश्चिम में नागौर रोड़ व विद्यमान पहाड़ियों तक के क्षेत्र है, ओसियां रोड़, दर्ईजर पहाड़ी क्षेत्र नगर निगम सीमा के पूर्व की ओर के क्षेत्र है, नागौर रोड़ के दोनों ओर का क्षेत्र एवं बाईपास रोड़ के पश्चिम का क्षेत्र सम्मिलित है। इस क्षेत्र में सर्किट हाउस, भदवासीया, फल सब्जी मंडी, कृषि उपज मंडी समिति, मंडोर, मगरा पूंजला, चैनपुरा गांव, आर.टी.ओ. ऑफिस, औद्योगिक क्षेत्र आदि सम्मिलित है। इस क्षेत्र में सेना की फायरिंग रेंज स्थित है। तथा बी.एस.एफ. का मुख्यालय आदि स्थित है। इस क्षेत्र में नागौर बाई पास सड़क विद्यमान है। नागौर रोड़ पर सूरपुरा बांध क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित होने की प्रबल संभावनाएँ हैं। आंगणवा ग्राम के पास शहर का प्रमुख ट्रान्सपोर्ट नगर एवं ओटोमोबाइल मार्केट प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आवासीय विद्यालय, 8 मील के पास क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला एवं पुलिस थाना तथा कृषि अनुसंधान केन्द्र, मिनी सचिवालय, नया औद्योगिक क्षेत्र, स्टेडियम, जिला वाणिज्यिक केन्द्र, कॉलेज, न्यू-जोधपुर व अन्य केन्द्रीय सुविधाएँ

प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में रक्षा विभाग की फायरिंग रेंज को शहर के बढ़ते आकार एवं सुरक्षा के कारणों से शहर के बाहर स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है ताकि नगरीय क्षेत्र में विकास पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। इस फायरिंग रेंज को पर्यावरण एवं मारक क्षमता के कारण बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित करना प्रस्तावित किया जाता है। यह स्थल सुरक्षा सेना के लिए अन्य प्रयोजनार्थ काम आता रहेगा इसके आस पास वेयर हाउसिंग एवं गोदाम, थोक व्यापार, अन्य थोक व्यवसाय हेतु स्थल व रीजनल पार्क प्रस्तावित किये गये हैं।

(I) करवड़ योजना क्षेत्र

करवड़ योजना क्षेत्र में मण्डोर योजना क्षेत्र के उत्तर दिशा क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है जिसमें नागौर सड़क के दोनों तरफ का क्षेत्र, करवड़, रालावास, बासनी करवड़ आदि ग्रामों, ग्रामीण पुलिस लाइन एवं रेलवे पुलिस फोर्स का क्षेत्र सम्मिलित है। उक्त योजना क्षेत्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान इत्यादि क्षेत्र जो प्रस्तावित नॉलेज सिटी के दक्षिण में स्थित है।

(J) बनाड़ योजना क्षेत्र

मण्डोर एवं छावनी योजना क्षेत्र के पूर्व दिशा में डांगियावास बाईपास एवं जयपुर मुख्य रोड़ के मध्य की भूमि एवं उसके आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। इस क्षेत्र में बनाड़, उचियारड़ा, नान्दड़ा कला, नान्दड़ा खुर्द, सोढेर की ढाणी, जाजीवाल कुतड़ी आदि ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है।

(K) भाकरासनी योजना क्षेत्र

पाली रोड़ एवं पाल रोड़ के मध्य बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण में तनावडा, भाकरासनी, मोगड़ा खुर्द, मोगड़ा कला, बासनी बाघेला, इत्यादि ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। उक्त योजना क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम सीमा तथा प्रस्तावित कॉर्पोरेट पार्क की सीमा लगती है इसमें JIET कॉलेज, सालावास डीपो, जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 में प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन, बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु प्रस्तावित भूमि सम्मिलित है।

विशिष्ट योजनाएं

जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 में विशिष्ट योजनाएं प्रस्तावित की गयी हैं। विशिष्ट योजनाओं का कुल क्षेत्रफल 11469.28 हेक्टेयर है तथा भू-उपयोग मानचित्र में उत्तर दिशा में नॉलेज एण्ड हेल्थ केयर सिटी, पश्चिम दिशा में फेस्टिवल सिटी, दक्षिण दिशा में कार्पोरेट पार्क एवं दक्षिण-पूर्व दिशा में स्पोर्ट्स सिटी प्रस्तावित की गई है। इन विशिष्ट योजनाओं के भू-उपयोग का निर्धारण इस पुस्तिका में संलग्न डी.सी.आर. अनुसार किया जावेगा।

4.6.2 नगरीय क्षेत्र-2 (U2)

नगरीय क्षेत्र यू-2 सामान्यतः नगरीय क्षेत्र-1 का तत्काल प्रभाव क्षेत्र है। यह सामान्यतः यू-1 के निकटतम भौतिक सीमा एवं इसका बफर जोन है जिसका क्षेत्रफल 44831.02 हेक्टेयर हैं। जोधपुर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित राजस्व ग्रामों में भविष्य में विकसित होने वाली योजनाओं तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्र-1 के अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र-2 प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र की सीमा को इस प्रकार निर्धारित किया गया है जिसमें नागौर रोड़ पर आई. आई. टी, निफ्ट, आयुर्वेद-संस्थान, विश्वविद्यालय, संलग्नक चिकित्सालय, केयर्न इण्डिया का कार्यालय, जयपुर रोड़ पर इंजिनियरिंग कॉलेज, पाली रोड़ कांकाणी पर 400 के.वी/675 के.वी जी.एस.एस, बाडमेर सड़क पर उच्च शैक्षणिक संस्थान, जैसलमेर सड़क पर ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्र, केरू कारकश प्लान्ट आदि क्षेत्र सम्मिलित है। नगरीय क्षेत्र-2 में विस्तृत भू-उपयोग प्रस्तावित नहीं किये गये हैं तथापि जो भी भू-उपयोग अनुज्ञेय किये जावेंगे वे जोनिंग रेग्यूलेशन के अनुरूप नियंत्रित रहेंगे। नगरीय क्षेत्र-2 में कमिटमेंट/आबादी क्षेत्र को जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 में समायोजित माना जावेगा। इस क्षेत्र में आबादी का विस्तार नियंत्रित रूप में हो सकेगा। ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर के गाँवों का लगभग 500 मीटर एवं अन्य गाँवों में लगभग 200 मीटर आबादी विस्तार/स्वाभाविक विकास नियमित आकार में किया जा सकेगा। इस क्षेत्र में स्थित गाँवों के विस्तार हेतु आवासीय उपयोग अनुज्ञेय है तथा आवासीय के अलावा अन्य भू-उपयोग राज्य सरकार की स्वीकृति से अनुज्ञेय किये जा सकेगे। नगरीय क्षेत्र-2 को नगरीय क्षेत्र-1

से नियोजित रूप से कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु सड़क नेटवर्क 60 मीटर, 48 मीटर, 36 मीटर एवं 30 मीटर चौड़ाई की प्रस्तावित की गई हैं ताकि जोधपुर नगरीय क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्र एक दूसरे से सुनियोजित रूप से जुड़ सके।

4.6.3 नगरीय क्षेत्र-3 (U3)

परिवहन/विकास क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रभावित क्षेत्र में सामान्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्गाधिकार एवं 30-30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी सड़क के दोनों ओर छोड़ते हुए दोनों तरफ 1000-1000 मीटर का बफर जोन प्रस्तावित किया गया है। उक्त बफर यू-2 के बाहर के क्षेत्र से माना जावेगा जिसका क्षेत्रफल 19994.69 हेक्टेयर हैं।

4.6.4 ग्रामीण क्षेत्र

इस क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र (यू-1, यू-2, यू-3) के बाहर स्थित अधिसूचित राजस्व ग्रामों की अन्तिम राजस्व सीमा को सम्मिलित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 273803.10 हेक्टेयर है। इस क्षेत्र में जिले में स्थित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में दिये जाने वाले उपयोगों के अतिरिक्त डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेग्यूलेशन के अनुरूप विभिन्न उपयोगों की स्वीकृतियां दी जा सकेगी। प्रधानतया ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होगी। इस योजना क्षेत्र में मांग पर ग्रामों का स्वाभाविक विकास हो सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों का सुदृढ विकास हो इस हेतु उक्त ग्रामों को मुख्य शहर तक प्रभावी सड़क नेटवर्क से जोडा जाना प्रस्तावित हैं। इस सम्बन्ध में विकास करते समय क्षेत्र विशेष का सन्तुलित एवं सुनियोजित विकास को ध्यान में रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेग्यूलेशन के अनुसार विभिन्न उपयोगों को अनुज्ञेय किया जा सकेगा। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार जोधपुर रीजन में स्थित जिन राजस्व ग्रामों की जनसंख्या 10,000 या अधिक है उन्हें सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। ग्रामों से पलायन रोकने व नगरीय समस्याओं के समाधान के लिए सैटेलाइट टाउन की मास्टर विकास योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2031 के लिए परिकल्पित 31 लाख जनसंख्या को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा गया है। इन योजना क्षेत्रों को बनाते समय इसका विशेष ध्यान रखा गया

है कि कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक सुविधाओं के स्थलों के मध्य की दूरी कम से कम समय में तय की जा सके। विभिन्न स्थानीय स्तर की सुविधाएँ, जिनमें प्राथमिक विद्यालय, खुदरा दुकाने, अस्पताल, खुले स्थान तथा अन्य सामुदायिक सुविधाएँ आदि को जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 की क्रियान्विति के साथ-साथ क्षेत्रीय योजना तैयार करते समय उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

5

भू-उपयोग योजना

5 भू-उपयोग योजना

भू-उपयोग योजना विभिन्न योजनागत नीतियों और सिद्धान्तों का स्थानिक विस्तार का प्रतिरूप होगा। जोधपुर रीजन मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 नगरीय गतिविधियों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सर्वेक्षणों, विश्लेषणों एवं अध्ययनों के आधार पर तैयार किया गया है, जो शहर के सन्तुलित एवं सुनियोजित विकास में सहायक सिद्ध होगा। नगरीय भूमि एक सीमित संसाधन है। अतः मानवीय आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, नगर नियोजन के मानदण्ड एवं क्षेत्र विशेष के सन्तुलित विकास को ध्यान में रखते हुए स्थल/भू-उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं।

भू-उपयोग योजना मानचित्र में दर्शाये गये भू-उपयोग निर्धारण में विशेष रूप से परिकल्पित जनसंख्या वृद्धि, व्यावसायिक संरचना की परिकल्पना व संभावित विकास की दिशाओं को दृष्टिगत रखा गया है। मास्टर डवलपमेंट प्लान का आधार वर्ष-2013 रखा गया है, जिसका क्षितिज वर्ष 2031 होगा। जोधपुर का भू-उपयोग मानचित्र शहर के भविष्य के विकास के लिए दिशा-निर्देश के रूप में सहायक सिद्ध होगा। इसका प्रमुख उद्देश्य रीजन का एक समानुपातिक तथा सामूहिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक मार्गदर्शन एवं भावी संभावनाओं के अनुरूप समग्र एवं सन्तुलित विकास करना है। इस तरह विद्यमान स्वरूप, पर्यावरण के महत्व, क्षेत्रीय जल निकास हेतु ढलानों, विद्यमान विकास की दिशाओं, जनसंख्या में प्रत्याशित वृद्धि को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए भूमि की आवश्यकता तथा विभिन्न गतिविधियों में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भू-उपयोग योजना तैयार की गयी है। नगरीय क्षेत्र की वर्तमान प्रवृत्ति इंगित करती हैं कि नगर का विकास नागौर, पाली, बाडमेर व जयपुर रोड़ के दोनों ओर होगा। उत्तर-पश्चिम की ओर पहाड़ियों के अवरोध के कारण इस दिशा में सीमित विकास प्रस्तावित किया गया है। नगरवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर तथा राज्य के वित्तीय संसाधनों को भी ध्यान में रखा गया है। इस तरह यह भू-उपयोग योजना समस्त नगरीय गतिविधियों, कार्यक्रमों, योजनाओं की क्रियान्विति व मार्गदर्शन में सहायक सिद्ध होगी।

भू-उपयोग मानचित्र में, विद्यमान भू-उपयोगों को उनकी अवस्थिति के अनुसार दर्शाने का प्रयास किया गया है। भू-उपयोग मानचित्र सामान्य श्रेणीकृत मानचित्र हैं

जिसमें प्रत्येक इकाई को पृथक से दर्शाना संभव नहीं है, किन्तु प्रयास किया गया है कि प्रत्येक भू-उपयोग को इसकी श्रेणी के अनुरूप ब्लॉक संरचना के आधार पर दर्शाया जावे, नगरीय स्तर के बिखरे हुए बहुत से उपयोग एवं गतिविधियां ऐसी भी हो सकती हैं, जो विद्यमान मानचित्र में सम्मिलित नहीं की जा सकी हैं या इनका भू-उपयोग योजना में संभवतः दर्शाया जाना संभव नहीं हो सका है जिनका निर्धारण जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 क्रियान्वयन के समय किया जावेगा। निम्न तालिका संख्या-24 में प्रस्तावित भू-उपयोग के क्षेत्रफल को दर्शाया गया है:-

तालिका-24

प्रस्तावित भू-उपयोग, जोधपुर-2031 (नगरीयकरण क्षेत्र यू-1 एवं यू-2)

क्र.सं.	श्रेणी	भू-उपयोग विकास योग्य क्षेत्र (हेक्टेयर)	यू-1 का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	41795.08	51.58	27.33
2.	वाणिज्यिक	1334.23	1.65	0.87
3.	औद्योगिक	14884.91	18.37	9.73
4.	मिश्रित भू-उपयोग	7736.15	9.55	5.06
5.	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी	468.84	0.58	0.31
6.	आमोद-प्रमोद	1265.34	1.56	0.83
7.	पर्यटन सुविधाएं	1318.32	1.63	0.86
8.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	3842.02	4.74	2.51
9.	परिसंचरण	8391.01	10.35	5.49
	यू-1 का कुल क्षेत्रफल	81035.90	100.00	—
10.	विशिष्ट योजनाएं	11469.28	—	7.50
11.	यू-2	44831.02	—	29.31
12.	पहाडी क्षेत्र एवं पहाडी कन्जरवेशन क्षेत्र	5328.92	—	3.48
13.	जल क्षेत्र	2613.12	—	1.71
14.	वन एवं वृक्षारोपण	3519.73	—	2.30
15.	राजकीय आरक्षित क्षेत्र	4138.18	—	2.71
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्रफल	152936.15		100.00

5.1 आवासीय

जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 के भू-उपयोग में आवासीय उपयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। किसी भी शहर के विकास की सफलता मुख्यतया, उस शहर की जनसंख्या के लिए किये गये आवासीय प्रबंधन पर निर्भर हैं। अतः इसके परिमाणात्मक पहलू के साथ-साथ गुणात्मक पहलू पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र (U-1) के कुल 81035.90 हेक्टेयर विकास योग्य क्षेत्र में से 41795.08 हेक्टेयर आवासीय भू-उपयोग के अर्न्तगत प्रस्तावित किया गया है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 51.58 प्रतिशत है। आवासों की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आवासीय भू-उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं।

नीतिगत रूप से कहीं पर 20 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से कम जनघनत्व का नया आवासीय क्षेत्र विकसित नहीं किया जाना प्रस्तावित किया जाता है। नये आवासीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएँ समग्र रूप से मुहैया करवाई जावेंगी, जिससे अप्रवासियों एवं शहर के परकोटे के भीतर के निवासियों को बाहर के नियोजित क्षेत्रों में बसने के प्रति आकर्षण बढेगा। इस प्रकार उच्च घनत्व क्षेत्रों के आवासीय घनत्व को कम किया जा सकेगा।

जोधपुर रेगिस्तानी भू-भाग में स्थित होने, मकान पत्थरों से निर्मित होने व ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए भवन निर्माण में इको फ्रेंडली (ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट) के तहत निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इससे घर का तापमान सामान्य रहता है। आस-पास पौधा रोपण किया जावे और आधुनिक जीवन शैली के लिए प्रत्येक कमरे में हवा, रोशनी आने के अनुरूप बालकनी, रोशनदान, खिड़कियों का निर्माण किया जावे। भवनों के निर्माण में प्रचलित भवन विनियमों की पालना सुनिश्चित की जावे।

5.1.1 आवासन

राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा अधिक से अधिक आवासों का विकास किया जाना प्रस्तावित किया जाता है ताकि आवासों की कमी समाप्त हो और कोई भी परिवार बेघर नहीं रहे। राजीव गाँधी आवासीय योजना, एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत

निर्मित आवास, एवं शहरी/ग्रामीण बी0पी0एल0 योजना के तहत मकान बनाने के लिए निर्धारित सहायता राशि का लाभ लिया जाकर बेघर अपना आशियाना बना सकेंगे। निजी क्षेत्र की आवासीय परियोजनाओं व ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में भी टाउनशिप नीति के प्रावधान अनुसार कमजोर एवं निम्न आय वर्ग हेतु भूखण्डों/मकानों का प्रावधान किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि इसका लाभ कमजोर/निम्न आय वर्ग के लोगों को मिले।

रीको द्वारा भी औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास परियोजना आरम्भ की जा सकती है ताकि औद्योगिक क्षेत्रों के समीप कच्ची बस्तियों के विकास को रोका जा सके। ग्रामीण आवास योजनाएं, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा हाथ में ली जा सकती हैं।

5.1.2 आवासीय योजना क्षेत्र

योजना की विचारधारा के अनुसार समस्त नगरीय कॉम्प्लैक्स को एक स्वायत्तशासी समुदायों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे निचला चरण, मौहल्ला होता है। ऐसे मौहल्लों से सटे हुए मकानों की श्रृंखला में 150 से 200 परिवार निवास करते हैं। उनमें आत्मीयता, पडौसीपन, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक संबंधों की प्रगाढ़ता होती है एवं कुछ मकानों के समूह जो लगभग 4 या 5 हजार व्यक्तियों के समूह में होते हैं, के आस पास एक केन्द्रीय बिन्दु जैसे प्राथमिक पाठशाला तथा सुविधाजनक दुकानें, छोटा पार्क आदि मिलकर एक योजना इकाई कहलाती है। योजना इकाई की जनसंख्या 4000-5000 के मध्य हो इस तरह की योजनावार इकाइयों को मिलाकर एक योजना क्षेत्र में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र, सार्वजनिक उद्यान का प्रावधान होगा। इस तरह के योजना क्षेत्रों को मिलाकर एक योजना खण्ड को तैयार किया गया है जिसमें 2 से 3 लाख तक की जनसंख्या निवास करेगी। यह जिला केन्द्र प्रत्येक योजना खण्ड के केन्द्रीय बिन्दु होंगे, जिसमें खुदरा दुकानें, मरम्मत की दुकानें अल्पाहार गृह, होटल, तार एवं डाकघर, पुलिस स्टेशन, सिनेमा गृह तथा बड़े पार्क इत्यादि सम्मिलित हैं। वर्ष 2031 के परिकल्पित 31 लाख जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए योजना क्षेत्र बनाये गये हैं तथा इसका विशेष ध्यान रखा गया है कि कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक सुविधाओं के स्थलों के मध्य की दूरी कम से कम समय में तय की जा सके। विभिन्न स्थानीय स्तर की सुविधाएँ, जिनमें प्राथमिक

विद्यालय, खुदरा दुकानें, अस्पताल, खुले स्थान तथा अन्य सामुदायिक सुविधाएँ आदि को जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 की क्रियान्विति के साथ-साथ क्षेत्रीय योजना तैयार करते समय उपलब्ध करवाया जायेगा।

5.1.3 नगरीय नवीनीकरण

शहर के विशिष्ट क्षेत्रों में रख-रखाव और नगरीय नवीनीकरण कार्यक्रम के तहत विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है। शहर के परकोटा क्षेत्र व उसके आस-पास में जनघनत्व बहुत अधिक है। पुरानी सीवर लाईन, पुरानी जल वितरण पाईप लाईन, नालियाँ आदि सभी सुविधाएँ, प्रावधान की दृष्टि से चरम सीमा पर है। अतः इनके पुनः विकास के लिए शहर में आवश्यक सुधार जैसे:- सीवर लाईन, नालियों का निर्माण, सड़क निर्माण, सड़कों को चौड़ाईकरण, पार्क स्थलों का विकास, चौराहों का विकास, सामुदायिक भवनों का निर्माण, वाचनालयों की स्थापना, पार्किंग स्थलों का विकास, रोशनी की उचित व्यवस्था, मार्गाधिकार से अतिक्रमण हटाना, सौन्दर्य आदि के संबंध में सुनिश्चित कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। जोधपुर शहर को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण व उनकी देखभाल की आवश्यकता है। विभिन्न सरकारी परिसरों, विद्यालय परिसरों, औद्योगिक परिसरों, खुले मैदानों, सार्वजनिक स्थलों आदि में यथा स्थान वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

5.1.4 कच्ची बस्तियाँ

शहर में कच्ची बस्तियों का स्थापित होना एक प्रमुख समस्या है जिसके समाधान हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जनसंख्या वृद्धि एवं रोजगार की तलाश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब तबके के लोगों का शहरों की तरफ आव्रजन के कारण शहर में कच्ची बस्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिनको रोकना अति आवश्यक है। भविष्य में कच्ची बस्तियों की बसावट को रोकने के लिए स्थानीय निकायो द्वारा सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

बासनी क्षेत्र में, पाली रोड़ के सहारे वाणिज्यिक जिला केंद्र की भूमि पर बसी कच्ची बस्ती को हटाया जाकर वहाँ के निवासियों को सांगरिया क्षेत्र में पुनर्वासित किया गया है। इसी प्रकार भविष्य में भी वाणिज्यिक एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर अनाधिकृत रूप से बसी कच्ची बस्तियां को आवश्यकता होने पर अन्यत्र क्षेत्रों में

नियोजित रूप से पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार की कच्ची बस्ती विकास योजना के अनुसार कच्ची बस्तियों में विकास कार्य करवाये जाना प्रस्तावित किया जाता है।

शहरों को स्लम फ्री सिटी बनाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राजीव आवास योजना के तहत भवनों का निर्माण किया जा रहा है तथा कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को राजीव आवास योजना के तहत विकसित योजना में पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित है।

5.1.5 अफोर्डेबल हाउसिंग

राज्य सरकार ने विभिन्न मॉडल के माध्यम से कम लागत पर मकान उपलब्ध कराने के लिए 23 दिसम्बर 2009 को अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 जारी की जिसके तहत ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. आवास बनाये जाने का प्रावधान है, जोधपुर में उक्त योजना को क्रियान्विति किया गया है। एवं भविष्य में गरीब तबके के लोगों के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों में आवास बनाये जाना प्रस्तावित किया जाता है। नगर निगम जोधपुर द्वारा कालीबेरी में अफोर्डेबल आवास बनाने के निर्णय अनुसार शीघ्र क्रियान्विति की जाना प्रस्तावित किया जाता है।

5.1.6 विशेष क्षेत्र

सुरपुरा बांध क्षेत्र के समीपीय क्षेत्र में विद्यमान बसावट के दृष्टिगत विशेष क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इस विशेष क्षेत्र का नियोजन विद्यमान सड़कों, गै. मु. आबादी, अनुमोदित ले-आऊट प्लान/पूर्व प्रतिबद्धताएँ (Earlier commitments), पुनर्गठित शहरी जलप्रदाय योजना के तहत रिंग बांध निर्माण, पर्यटन, ड्रेनेज सिस्टम आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई विभाग से अनाप्ति पत्र प्राप्ति के पश्चात जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर सुनियोजित विकास किया जावेगा जो मास्टर डवलपमेन्ट प्लान का भाग होगा।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश एवम् मौका स्थिति के दृष्टिगत मास्टर प्लान में कुल 19 स्थानों को विशेष क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया

है एवम् भविष्य में उक्त विशेष क्षेत्रों में अनुज्ञेय गतिविधियों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

5.2 व्यावसायिक

जोधपुर रीजन में विभिन्न व्यवसायों में जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 के क्षितिज वर्ष-2031 तक लगभग 10,23000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा जिसका सहभागिता अनुपात 33 प्रतिशत होगा। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए रोजगार सृजन किया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

5.2.1 वाणिज्यिक गतिविधियाँ

पश्चिम राजस्थान में व्यावसायिक गतिविधियों का जोधपुर एक प्रमुख केन्द्र है। मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों वाले क्षेत्र, सरदार मार्केट (घंटाघर), नई सड़क, आड़ा बाजार, त्रिपोलिया बाजार, जालोरी गेट, सरदारपुरा बी रोड़, चौपासनी रोड़, रेलवे स्टेशन, बोम्बे मोटर चौराहा, 12 वीं रोड़ चौराहा, पावटा क्षेत्र आदि है। जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 में व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के अन्तर्गत वाणिज्यिक केन्द्र, थोक व्यापार केन्द्र तथा खुदरा व्यावसाय इत्यादि हेतु प्रमुख मार्गों, उप प्रमुख मार्गों और प्रस्तावित प्रमुख मार्गों पर आवश्यकतानुसार विभिन्न वाणिज्यिक स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। मास्टर डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित प्रमुख मार्गों पर वाणिज्यिक केन्द्र, खुदरा व्यवसाय इत्यादि के प्रस्ताव दिये गये हैं।

कृषि उपज मण्डी समिति का गौण मण्डी यार्ड (फल एवं सब्जी), पावटा से भदवासीया में स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के आगार कार्याशाला एवं केन्द्रीय कार्याशाला की भूमि पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अतः तदानुसार शीघ्र विकास कार्य करते हुए उच्च स्तर की सुविधाओं युक्त मण्डी का निर्माण किया जावेगा जिसमें मल्टीस्टोरी पार्किंग की विशेष व्यवस्था की जावेगी। शहर की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावसायिक गतिविधियों का सूचीबद्ध विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है। थोक व्यापार, भण्डारण तथा विशिष्ट बाजारों को अलग अलग वर्गीकृत किया गया है, तथा उसी के अनुरूप भू उपयोग प्लान में दर्शाया गया है :-

तालिका-25

प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, जोधपुर-2031

क्र.सं.	योजना क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.	खुदरा व्यापार एवं सामान्य वाणिज्यिक केन्द्र	198.23
2.	विशिष्ट व थोक व्यापार	270.11
3.	भण्डारण गृह व गोदाम	415.71
4.	व्यावसायिक केन्द्र/जिला वाणिज्यिक केन्द्र	270.50
5.	व्यापार एवं वित्तीय गतिविधि केन्द्र	179.68
	योग	1334.23

प्रमुख, उप प्रमुख मार्गों एवं प्रस्तावित बाई पास के लगती हुई भूमियों पर थोक एवं वाणिज्यिक व्यावसाय हेतु, वाणिज्यिक केन्द्र तथा खुदरा व्यावसाय हेतु सुविधाजनक बाजार के लिए उपयुक्त स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। तथा भविष्य में भी आवश्यकतानुसार इन सड़कों के सहारे सड़क की चौड़ाई का अधिकतम 1.5 गुणा की गहराई/एकल सम्पत्ति की गहराई तक, इस तरह के भू उपयोग अनुज्ञेय किये जा सकेंगे।

5.2.2 वाणिज्यिक केन्द्र

शहर में व्यावसायिक गतिविधियों की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति एवं बहुमुखी विकास के लिए भिन्न योजना परिक्षेत्रों में वाणिज्यिक केन्द्र निर्धारित किये गये हैं। प्रत्येक वाणिज्यिक केन्द्र संबंधित योजना क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधि को एकाकी रूप से ध्यान में रखेगा, जिसकी लम्बाई-चौड़ाई, स्थिति जनसंख्या का वितरण एवं कार्य करने की प्रणाली पर निर्भर करेगी। ये केन्द्र कुछ उच्च स्तर की सुविधाएँ जैसे:- सर्विस स्टेशन, तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाएँ उपलब्ध करवायेंगे।

5.2.3 स्थानीय खरीददारी केन्द्र

प्रत्येक योजना क्षेत्र में एक स्थानीय खरीददारी केन्द्र, स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक योजना क्षेत्र में, कई स्थानीय खरीददारी केन्द्र होंगे जिन्हें विस्तृत योजना बनाते समय ध्यान रखा जाना प्रस्तावित

है। स्थानीय खरीदादारी केन्द्र के लिए आवश्यकतानुसार आवासीय योजना में उक्त क्षेत्र हेतु प्रावधान किये जा सकेंगे। इसमें खुदरा दुकानें, सेवा केन्द्र, डाकघर, सामुदायिक भवन इत्यादि सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

5.2.4 सुविधाजनक दुकानें

लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए सामुदायिक दुकाने, प्रत्येक योजना इकाई में उपलब्ध करवायी जाना प्रस्तावित है। यह 6 से 10 दुकानों के समुह में होगी। इस तरह प्रत्येक योजना क्षेत्र में 4 से 5 सुविधाजनक दुकानों के ब्लॉक प्रस्तावित किये जायेंगे, मुख्य सड़कों के सहारे-सहारे भी इनका प्रावधान किया जा सकेगा।

5.2.5 विशिष्ट वर्गीकृत एवं थोक व्यापार

प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए विभिन्न स्थल दर्शाये गये हैं। सूरसागर खनन क्षेत्र में पत्थर व्यापार के लिए स्थल आरक्षित किये गये हैं। आंगण्वा ट्रांसपोर्ट नगर के पास थोक व्यापार के लिए कृषि उपज मण्डी समिति के लिए स्थल प्रस्तावित किया गया है। भदवासिया में सब्जी मण्डी, सब्जी फुटकर व्यापार, जीरा मण्डी के पास सेमी होलसेलर (फल), आलू, प्याज व फल मण्डी के विस्तार के लिए स्थल प्रस्तावित किये गये हैं, जिनका शीघ्र विकास प्रस्तावित है।

5.2.6 भण्डारण गृह एवं गोदाम

वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादित वस्तुओं के रख रखाव के लिए भण्डारण गृह सुविधाओं का प्रावधान रखा गया है। उक्त स्थलों को भू-उपयोग मानचित्र में अंकित किया गया है। प्रमुख चौड़ाई के मार्गों पर उत्पादन वस्तुओं एवं सेवाओं के स्वच्छन्द वितरण की सुविधाओं हेतु रखा गया है। पाली रेल्वे लाईन व सांगरिया औद्योगिक मिनी ग्रोथ सेन्टर के पास, बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व दिशा में, नागौर रोड़ के पूर्व दिशा में वेयरहाउस एवं गोदाम के लिए भूमि आरक्षित की गई है।

5.2.7 व्यापार एवं वित्तीय गतिविधि केन्द्र

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर एवं काजरी के उत्तर में स्थित वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र को कालान्तर में अन्य नियोजित औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उस क्षेत्र को व्यापार एवं वित्तीय गतिविधि केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है जिसका क्षेत्रफल 179.68 हेक्टेयर है। उक्त क्षेत्र का विस्तृत योजना प्लान तैयार किया जाकर मानदण्ड निर्धारित किये जा सकेंगे जो मास्टर प्लान का भाग माना जावेगा।

5.2.8 मिश्रित भू-उपयोग

जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में स्थित पाली, बाडमेर, जयपुर रोड़ एवं डांगियावास बाईपास पर मिश्रित भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है। पाली सड़क पर जीत कॉलेज, जयपुर सड़क पर बनाड़ एवं बाडमेर सड़क पर बोरोनाडा औद्योगिक क्षेत्र के पश्चात्, पाली सड़क पर शताब्दी सर्किल से जोजरी नदी तक, ओसियां फांटे से नागौर रोड पर प्रस्तावित नॉलेज सिटी तक, डांगियावास बाह्य मार्ग पर प्रस्तावित बाह्य मार्ग से ट्रांसपोर्ट नगर से पहले तक, चौपासनी सड़क पर ज्वाला विहार सैक्टर 16 से पश्चिम में बाह्य मार्ग तक, चौपासनी सड़क पर नाथूरामजी के फार्म के पास से कायलाना झील तक, उक्त सड़कों पर दोनों तरफ 250-250 मीटर का मिश्रित भू-उपयोग पट्टी प्रस्तावित की गई है।

जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में नागौर रोड़ से बाडमेर रोड़ तक बाह्य मार्ग प्रस्तावित किया गया है जिसके दोनों तरफ 30-30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी रखते हुए 250-250 मीटर का मिश्रित भू-उपयोग पट्टी प्रस्तावित की गई है। इस मिश्रित भू-उपयोग में डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन के अनुरूप विकास किया जाना प्रस्तावित है। नागौर रोड़ से जैसलमेर रोड़ होते हुए बाडमेर सड़क को मिलाने वाला प्रस्तावित बाह्य मार्ग के दोनों तरफ 30-30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी रखते हुए कुल 250-250 मीटर का मिश्रित भू-उपयोग पट्टी प्रस्तावित की गई है। सरदारपुरा क्षेत्र में जोधपुर डवलपमेन्ट प्लान में मिश्रित भू-उपयोग दर्शाया गया है।

उपरोक्त सड़को के अतिरिक्त जैसलमेर रोड़ पर आखलिया चौराहे से उत्तर-पश्चिम में प्रस्तावित बाह्य मार्ग तक, कुचेरा शंखवास रोड़ (SH-63) पर बनाड़ से उत्तर-पूर्व में प्रस्तावित बाह्य मार्ग तक, डांगियां वास बाईपास पर खारडा रणधीर

से कायलाना झील तक, सरदार समन्द रोड (SH-61) पर मास्टर प्लान में प्रस्तावित हॉलसेल बिजनेस सेंटर से दक्षिण-पूर्व में प्रस्तावित बाह्य मार्ग तक, सालावास रोड पर बासनी औद्योगिक क्षेत्र से तनावडा औद्योगिक क्षेत्र तक मिश्रित भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है। मिश्रित भू-उपयोग के अन्तर्गत 8762.39 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रस्तावित है।

शहर के विकास को देखते हुए तथा प्राधिकरण की आय एवं व्यापक जनहित के परिप्रेक्ष्य में मास्टर प्लान में भवन विनियम/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश अनुसार 30 मीटर एवं इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर मिश्रित भू-उपयोग अनुज्ञेय किया जा सकेगा।

मास्टर प्लान में जिन सड़को के सहारे भू-उपयोग व्यवसायिक/मिश्रित दर्शित है उन भूखण्डों पर व्यवसायिक/मिश्रित उपयोग सड़क की चौड़ाई का अधिकतम डेढ़ गुणा गहराई अथवा एकल संपत्ति तक जो भी कम हो अनुज्ञेय होगा। तथापि—

- (i) उपरोक्तानुसार यदि आवेदित भूमि/भू-खण्ड की गहराई का 60 प्रतिशत या इससे अधिक व्यवसायिक/मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आता है तथा भूखण्ड की शेष गहराई अन्य भू-उपयोग के अंतर्गत आती है तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण आवेदित भूमि/भू-खण्ड का उपयोग व्यवसायिक/मिश्रित अनुज्ञेय किया जा सकेगा।
- (ii) यदि आवेदित भूमि/भू-खण्ड के कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत से कम भाग व्यवसायिक/मिश्रित भू-उपयोग में तथा शेष भाग आवासीय उपयोग में आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण भू-खण्ड को मिश्रित उपयोग (व्यवसायिक/मिश्रित कम आवासीय/संस्थागत) का भू-खण्ड माना जावेगा जावेगा।

एम्स हॉस्पिटल में आने वाले मरिजों एवं परिजनों के लिए हॉस्पिटल से निकटम दूरी पर ठहरने, भोजन करने, चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाईयों, उपकरणों, बल्ड बैंक, डाईगनोस्टिक सेन्टर इत्यादि सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अतः भविष्य में उपरोक्त सुविधाओं की आवश्यकताओं के दृष्टिगत रखते हुए एम्स रोड पर मुख्य सड़क से लगते हुए उत्तर दिशा में स्थित लगभग 09 है० क्षेत्र को मिक्स लेन्ड यूज प्रस्तावित किया गया है जिसमें अस्पताल से सम्बन्धित सहायक गतिविधियाँ (यथा

डाईग्नोस्टिक सेन्टर, पैथलेब्स, डे-केयर सेन्टर, ब्लड बैंक, मेडिकल सेन्टर, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल, भोजनालय/केन्टीन आदि) ही अनुज्ञेय होगी।

5.2.9 औद्योगिक क्षेत्र

जोधपुर में आधारभूत सुविधाओं, कच्चा माल एवं औद्योगिक वातावरण उपलब्ध होने के कारण औद्योगिक विकास की प्रबल संभावनायें हैं। जोधपुर में बासनी, बोरानाड़ा, सांगरिया एवं मण्डोर पुराने नियोजित औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैं। पाल रोड़ पर शिल्प ग्राम स्थित है जिसे स्थानीय दस्तकारों और शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया है। हस्तशिल्प उद्योगों के मार्केटिंग के लिए पाली सड़क पर अरबन हाट स्थापित किया गया है।

जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट योजना वर्ष 2013–2031 तक के लिए औद्योगिक क्षेत्रफल 14884.91 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक विकास हेतु प्रस्तावित की गई हैं। शहर में स्थित प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाईयों को शहर से दूर नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव हैं। प्रदूषित उद्योग यथा गैस, ज्वलनशील पदार्थ व दुर्गन्ध फैलाने वाले उद्योग आदि आबादी क्षेत्र में अनुज्ञेय नहीं होंगे। औद्योगिक क्षेत्रों के निर्धारण में भूमि की स्थिति एवं यातायात की सुविधाओं आदि को दृष्टिगत रखा गया है। शहर की चार दीवारी के भीतर छोटे एवं गृह उद्योग, उच्च स्तर पर संकेन्द्रित हैं। गृह उद्योगों में सर्वाधिक कुटीर उद्योग है, जो अधिकतर आवासीय परिसरों में क्रियाशील हैं। कुटीर उद्योग कुछ श्रमिक शक्ति के बहुत बड़े भाग को रोजगार उपलब्ध कराते हैं, यहाँ के कुशल एवं दक्ष शिल्पियों द्वारा निर्मित शिल्पकला देश व विदेशों में पहचाना बनायी है। इसलिए इन कलाकृतियों की मांग लगातार बढ़ रही है। अतः इन्हे संरक्षित एवं प्रोत्साहित किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ की हस्तशिल्प, बंधेज चूदड़ी, पानी के बादले प्रसिद्ध हैं। यहाँ का हस्तशिल्प उद्योग श्रमिक वर्ग के रोजगार का महत्वपूर्ण विकल्प है। अतः व्यवसायिक, मिश्रित भू-उपयोग एवं राजमार्ग नियन्त्रण क्षेत्र में भी गैर प्रदूषण कारी हस्तशिल्प उद्योग अनुज्ञेय होंगे।


शहर की प्राकृतिक सुन्दरता व पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत से कुछ आवासीय क्षेत्रों के समीप जारी स्टोन क्रेशिंग व खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। शहर के आस-पास स्थित खनन क्षेत्र को कालान्तर में खनन पश्चात् उस क्षेत्र को पुनः भरा जाकर इस प्रकार की गतिविधियों को बन्द किया जाना प्रस्तावित है, जिसे भविष्य में विस्तृत योजना बनाकर विभिन्न सुविधाओं हेतु आरक्षित किया जा सकेगा। बिना योजना बनाये इस क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से अन्य भू-उपयोग निषेद्ध रहेंगे।

बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण में रीको द्वारा भूमि अधिग्रहण की जाकर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है। रीको भूमि के समीप भविष्य में औद्योगिक विकास की संभावना को दृष्टिगत रखते औद्योगिक विस्तार हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है, जिसका विकास रीको द्वारा नियोजित रूप से योजना तैयार कर किया जाना प्रस्तावित है। दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (DMIC) एवं समर्पित माल-भाडा गलियारा (DFC) परियोजना का मुख्य विजन विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में मजबूत आर्थिक आधार सृजित करने, अवसंरचना को सक्रिय करने के लिए विदेशी निवेश बढ़ाने एवं स्थानीय वाणिज्यिक और सतत विकास प्राप्त करना है। इस हेतु यह परियोजना प्रस्तावित की गई हैं जो देश के छह (6) प्रदेशों यथा-उत्तरप्रदेश, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र में से गुजरेगा। इस कोरीडोर में 9 स्थलों पर जंक्शन प्रस्तावित है, जहाँ वर्तमान रेलवे व प्रस्तावित कोरीडोर से यातायात व सामाना चढाने व उतारने में आसानी हो सकेगी। राजस्थान में इसका जंक्शन जोधपुर रीजन की सीमा के समीप पाली-मारवाड़ में प्रस्तावित है।

राजस्व ग्राम सालावास में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के दक्षिण दिशा में प्राधिकरण की भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक प्रस्तावित किया गया है। अतः

औद्योगिक क्षेत्र की विस्तृत योजना बनाते समय आवश्यकतानुसार सार्वजनिक सुविधाओं का प्रावधान रखा जाना होगा।

मानचित्र-11: दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा



Location Map for Proposed Development Nodes in DMIC-Rajasthan

दिल्ली-मुम्बई समर्पित गलियारा के साथ-साथ 150 किमी. दोनो ओर दिल्ली और मुम्बई के मध्य एक औद्योगिक गलियारा स्थापित करने की योजना है। इस कोरीडोर से जोधपुर में औद्योगिक विकास की तीव्र सम्भावना है, यह औद्योगिक कॉरीडोर के प्रभाव क्षेत्र में स्थित हैं। उपरोक्त परियोजना को दृष्टिगत रखते हुए जोधपुर से पाली जाने वाली सड़क पर कांकाणी, खाराबेरा पुरोहितान इत्यादि ग्रामों की भूमि में औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि प्रस्तावित है। जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 जोधपुर रीजन की सीमा से पाली जिले की सीमा लगती हुयी होने से इस क्षेत्र में औद्योगिक निवेश की प्रबल संभावना एवं राज्य सरकार की प्रोत्साहनवर्द्धक औद्योगिक नीति को दृष्टिगत रखते हुए पाली एवं बाडमेर सड़क के मध्य प्रस्तावित कॉपोरेट पार्क के दक्षिण में 2475.76 हेक्टेयर भूमि

औद्योगिक हब के रूप में प्रस्तावित की गयी हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर एवं रीको द्वारा औद्योगिक गतिविधिया विकसित की जा सकेगी। इस परियोजना क्षेत्र में आत्मनिर्भर औद्योगिक टाउनशिप प्रस्तावित की जावेगी जिसमें विश्वस्तरीय अवसंरचना, सडक, रेल सम्पर्क, हवाई कनेक्टिविटी, विश्वसनीय गुणवत्ता विद्युत और अन्य सामाजिक अवसंरचना का विकास किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की अलग से विस्तृत योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। रीको का मुख्य उद्देश्य योजनाबद्ध तीव्र औद्योगिक विकास करना है।

5.3 राजकीय

5.3.1 सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय

जोधपुर संभागीय एवं जिला मुख्यालय होने के कारण यहाँ सभी तरह के कार्यालय अवस्थित है। अधिकांश कार्यालय जिला कलक्टर परिसर में स्थित है। कई कार्यालय परिसरों में भूमि रिक्त है। ऐसा समझा जाता है कि वित्तीय एवं प्रशासनिक कारणों से तथा सरल पहुंच आदि कारणों से भविष्य में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय व्यवस्थित कार्यालय कॉम्प्लैक्स में स्थापित होंगे। ऐसा करना अन्तर्विभागीय सहयोग, समन्वय एवं गुणवत्ता की दृष्टि से भी लाभदायक होगा। भविष्य में विभिन्न कार्यालयों की भूमि की आवश्यकता होगी। जोधपुर शहर में सरकारी कार्यालयों की भूमि की बढ़ती मांग को देखते हुए विभिन्न भागों में उचित आकार के राजकीय कार्यालयों हेतु स्थल आरक्षित किये गये है। क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं जोधपुर शहर के क्षेत्रीय महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए जोधपुर शहर में एक मिनी सचिवालय स्थापित किया जावेगा जिसमें सभी छोटे-बड़े राजकीय/अर्द्ध-राजकीय कार्यालय स्थापित किये जा सकेंगे। इस हेतु सुरपुरा रोड़ पर विद्युत निगम के जी.एस.एस. के समीप, स्थल आरक्षित किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय का नया परिसर पाली सड़क पर निर्माणाधीन है।

5.3.2 राजकीय आरक्षित

राजकीय आरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत जेल, पुलिस लाईन, तथा छावनी इत्यादि क्षेत्र सम्मिलित है। सैन्ट्रल जेल शहर के बीचों-बीच स्थित है, जिसको शहर से बाहर

उचित स्थल पर स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। इसके हस्तान्तरण हो जाने पर पुराने स्थल को जनहित में सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा सकेगा। रक्षा क्षेत्रों में जयपुर रोड़ के उत्तर की ओर स्थित फायरिंग रेंज को शहर से दूर स्थानान्तरित करना प्रस्तावित है। वर्तमान फायरिंग रेंज स्थल को, अन्य राजकीय आरक्षित प्रयोजनार्थ सेवा उपयोग में लिया जा सकेगा। एयर फोर्स, आर्मी एरिया एवं रक्षा क्षेत्रों के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार विकास नियंत्रित रहेगा। बमडम एरिया क्षेत्र में निर्माण नियंत्रित रहेगा। आर्मी/रक्षा विभाग के जो भी नियम/उप नियम हों वे नियम इन क्षेत्रों में निर्माण को नियंत्रित कर सकेगे।

5.4 आमोद-प्रमोद

आमोद-प्रमोद हेतु जोधपुर रीजन के जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 के प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र में पर्याप्त भूमि पार्क, खुले स्थल, खेल मैदान, सामुदायिक भवन, स्टेडियम, स्पोर्ट्स सिटी आदि हेतु प्रस्तावित की गयी है।

5.4.1 उद्यान, खुले स्थल एवं खेल के मैदान

सार्वजनिक उद्यानों और खुले स्थलों को सामान्य तौर पर किसी नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है क्योंकि ये सीमान्त क्षेत्र तक लोगों के सामाजिक एवं भौतिक स्वास्थ्य का दिग्दर्शन कराते हैं। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए सार्वजनिक उद्यानों, खुले स्थलों, खेल के मैदानों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं का व्यवस्थित एवं युक्तिसंगत वितरण होना चाहिए। अतः विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु एक युक्तिसंगत योजना विकसित की गयी है।

स्थानीय स्तर के उद्यान एवं खुले स्थानों हेतु आवासीय क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर उद्यान विकसित किये जाने चाहिए। यह सुविधा जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में यथा संभव दर्शायी गयी है तथापि सेक्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान बनाते समय आवश्यकतानुसार इन्हें निर्धारित किया जावेगा। प्रातः स्वच्छ वातावरण में प्रतिदिन घूमने/भ्रमण करने वालों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए शहर में वॉकिंग ट्रैक्स विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

कायलाना झील एवं माचिया सफारी पार्क को मनोरंजन की गतिविधियों के लिए विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। मण्डोर में प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में दर्शाये अनुसार रीजनल पार्क प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र की स्थलाकृति बड़ी ही आकर्षक, रमणिक एवं मनमोहक है। भिन्न-भिन्न आकृतियों की चट्टानें, घाटीनुमा संरचनाएँ, जलाशय, ढलान युक्त, उबड़-खाबड़, पठार युक्त भूमि है जिसमें लेण्ड स्केपिंग करते हुए हिल पार्क, वाटर पार्क, डेजर्ट पार्क, रोज गार्डन, औषधिय पार्क, हैरिटेज म्यूजिक फाउण्टेन, इंटरप्रीटीशन सेन्टर, वॉकिंग ट्रेक, पुष्प वाटिकाएं, विजिटर्स मण्डप, अरबन हाट, पक्षी विहार एवं चुग्गा घर आदि विकसित किया जाना प्रस्तावित किया जाता है। रीजनल पार्क में स्थित बांध में मनोरंजन के लिए नौकाविहार की व्यवस्था की जावे। रीजनल पार्क से पर्यटन, पर्यावरण, वृक्षारोपण को बढ़ावा, भ्रमणकारियों व परिन्दों को खुला वातावरण मिलेगा। भौगी शैल परिक्रमामार्ग का विकास करते हुए मंडलनाथ, बेजनाथ, जोगीतीर्थ, दर्ईजर माता, बेरी गंगा, नीमानीमड़ी, अरना-झरना आदि को संरक्षित करते हुए इन स्थलों के आस पास उद्यान विकसित किया जाना प्रस्तावित किया जाता है। परिक्रमा मार्ग के उक्त स्थल प्राकृतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व के होने से विकास किया जाना प्रस्तावित है। गणेश मंदिर की तलहटी में रातानाडा तालाब के समीप रिक्त भूमि का लेण्ड स्केपिंग किया जाकर विकास किया जाना प्रस्तावित हैं। फोर्ट व बालसमन्द के बीच प्रस्तावित सडक का शीघ्र निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया जाता है। इसी तरह विभिन्न पर्यटन एवं धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए सडक नेटवर्क बनाया जाना प्रस्तावित किया जाता है। जोधपुर के प्राकृति सौन्दर्य और ऐतिहासिक पुरासम्पदा को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाना प्रस्तावित किया जाता है, ताकि जोधपुर विश्व पर्यटन मानचित्र पर उभरे व हैरिटेज सिटी का रूप धारण कर सकें।

5.4.2 अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन

अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन की दृष्टि से योजना क्षेत्रों में यथा स्थान प्रस्तावित भूमि पर उद्यान, जल-उद्यान, विज्ञान-उद्यान आदि के लिए विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

5.5 पर्यटन

जोधपुर शहर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है एवं हवाई, रेल एवं सड़क यातायात द्वारा राज्य के विभिन्न भागों से जुड़ा हुआ है। पर्यटन सुविधा की दृष्टि से यहाँ होटल, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस, आर.टी.डी.सी. सर्किट हाउस, डाक बंगला की सुविधा उपलब्ध हैं। यहाँ मेहरानगढ़, जसवन्त थडा, उम्मेद पैलेस, मंडोर उद्यान, बालसमन्द, उम्मेद उद्यान, कायलाना झील, बेरी गंगा, सुरपुरा बांध पर स्थित महल, माचिया सफारी पार्क, हैरिटेज इमारतें, प्राचीन तालाब आदि प्रमुख दर्शनीय, पर्यटन स्थल हैं, जिनका ऐतिहासिक, मनोरंजन, हैरिटेज एवं पर्यावरण की दृष्टि से विशिष्ट महत्व है। डेजर्ट ट्रायंगल, विलेज सफारी, शाही रेलगाडी (PALACE ON WHEELS) व यातायात के अन्य साधनों की व्यवस्था आदि कारणों से देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या भविष्य में ओर बढ़ेगी। इन संभावित पर्यटन गतिविधियों के कारण जोधपुर के जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 के भू उपयोग में जैसलमेर सड़क पर फेस्टिवल सिटी के लिए भूमि प्रस्तावित की गई है। हैरिटेज होटल, क्राफ्ट, फिल्म सिटी जोन, होटल, मोटल, कैमल/हार्स सफारी, रिसोर्ट, फार्म हाउस, क्लब, अरबन हाट बाजार, शिल्पग्राम, थियेटर, लोक कला मंडल आदि को बढ़ावा दिया जाना प्रस्तावित है। पर्यटन सुविधाओं हेतु जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में पर्यटन स्थल प्रस्तावित किये गये हैं, जिन्हें भू-उपयोग मानचित्र में दर्शाया गया है।

उम्मेद उद्यान, अशोक उद्यान, मण्डोर उद्यान में म्यूजिकल फव्वारें, टॉय-ट्रेन एवं झुले लगाना प्रस्तावित किया जाता है। कायलाना, तखतसागर झील व प्रस्तावित रीजनल पार्क में स्थित बांध गुलाब सागर में मनोरंजन के लिये नौकायन (बोटिंग) की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

5.5.1 लोक कला एवं लोक नृत्यों का संरक्षण

यहाँ के लोक नृत्यों में घूमर, कालबेलिया नृत्य, गैर, संगीत आदि विश्व प्रसिद्ध है। लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटकों का मनमोह लेते हैं। समय-समय पर क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जावेगा एवं कलाकरो को प्रोत्साहित किया जावेगा। शिप हाउस, सुरपुरा महल (हैरिटेज महल) जो जीण-शीर्ण अवस्था में है उसका उचित रख-रखाव करते हुए वहाँ लोककला मण्डल केन्द्र की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना क्षेत्रों के विभिन्न स्थलों पर सामुदायिक सुविधाएँ जैसे-शैक्षणिक, चिकित्सा आदि हेतु स्थल उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक हैं। इन सुविधाओं का वितरण शहर के भावी विकास की संभावनाओं, स्थानीय एवं शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नगरीय क्षेत्र-1 एवं 2 में स्थित राजकीय भूमि को नगरीय सुविधाओं हेतु आरक्षित किया जाकर उस क्षेत्र की विस्तृत योजना तैयार की जा सकेगी।

5.6.1 शैक्षणिक

किसी भी शहर के विकास में वहाँ की शिक्षा प्रणाली का बहुत महत्व होता है। शिक्षा ही विकास की धूरी हैं। अतः सरकारी नीति के अनुरूप शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2031 तक के लिए यह प्रारूप तैयार किया गया है। इस नगर में विश्वविद्यालय, अभियांत्रिकी एवं पोलिटेक्निक, मेडिकल कॉलेज, शारीरिक शिक्षा कॉलेज आदि विशिष्ट उच्च स्तर की शैक्षणिक सुविधाएँ पहले से उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर की उचित शिक्षा सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। वर्ष 2031 तक माध्यमिक व सीनियर माध्यमिक विद्यालयों के लिये तर्क संगत रूप से स्थल आरक्षित किये गये हैं। प्राईमरी एवं नर्सरी स्तर की शैक्षणिक सुविधाएँ, आवासीय क्षेत्रों के ले-आउट प्लान स्वीकृत करते समय आरक्षित की जावेगी। विभिन्न योजना क्षेत्रों की विस्तृत योजना तैयार करते समय इन स्कूलों के स्थलों को विशेष तौर से दर्शाया जायेगा। भू-उपयोग योजना मानचित्र में सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी स्कूलों, महाविद्यालयों आदि के लिये उचित स्थल दर्शाये गये हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर का देश में पहला स्थान है जो शिक्षा के नये मॉडल पर कार्य कर रही है और विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य किये जा रहे हैं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों को टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोसियल साइंस मुंबई द्वारा स्किल डवलपमेंट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र दिया जावेगा। राज्य सरकार ने रोजगारोन्नमुखी, कौशल विकास योजना पर विशेष बल दिया है। जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय के लिये लगभग 4000 बीघा भूमि की आवश्यकता होगी। इस हेतु उचित स्थल पर प्रस्ताव

दिया जा सकेगा जो जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 का भाग माना जावेगा। इसकी स्थापना से कृषि, डेयरी, बागवानी के विकास को गति मिलेगी।

जोधपुर में शैक्षणिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए नागौर रोड़ पर आई.आई.टी. के आस-पास के क्षेत्र को नॉलेज सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित हैं जिसका विस्तृत विवरण विशिष्ट योजना क्षेत्र के अध्याय में किया गया है।

उच्च शिक्षण संस्थाओं में ऐसे पाठ्यक्रम चलाये जावे जो कम समय में विद्यार्थियों को जॉब दे सके अर्थात रोजगारोन्मुखी शिक्षा का कोर्स, तकनीकी पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना, उच्च स्तर का प्रोसपेक्ट्स बनाया जाना, प्रायोगिक ज्ञान पर अधिक ध्यान देना, लेबर वर्क ज्यादा करवाना और रेगिस्तानी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की उभरती इण्डस्ट्रीज, सोलर-विन्ड एनर्जी, पेट्रोलियम आदि के क्षेत्र में विशेष सेलेबस बनाना, अनुसंधान को प्राथमिकता देना प्रस्तावित किया जाता है।

5.6.2 चिकित्सा

जोधपुर शहर में अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (एम्स) के द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में सेवाएँ प्रारम्भ हो गई हैं। यहाँ पर अत्याधुनिक तकनीक से मेडिकल की बेहतरीन सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। आवश्यकतानुसार ओर भी सुविधाएँ बढ़ाई जायेगी। चिकित्सकों एवं बेड्स की संख्या बढ़ाई जायेगी। मथुरादास माथुर अस्पताल, महात्मा गाँधी अस्पताल, उम्मेद अस्पताल, पावटा व मंडोर सैटेलाईट अस्पताल, टी.बी. अस्पताल आदि आधुनिक सुविधायुक्त चिकित्सालय है जिनके द्वारा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। इनके अलावा भी राजकीय व निजी सैक्टर में विभिन्न अस्पताल स्थित हैं। प्रत्येक क्षेत्र को चिकित्सा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया गया है एवं तदनुसार नगर नियोजन मानदंड के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में यथास्थान चिकित्सा सुविधाएँ प्रस्तावित की गयी हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा योजना, एवं अन्य सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं में वृद्धि होने के कारण मरीजों के लिए अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

भविष्य में अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान के विस्तार के लिए आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध करवाई जाना प्रस्तावित हैं एवं उक्त क्षेत्र को हेल्थ केयर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित हैं। MDM अस्पताल के मनोविज्ञान केन्द्र का विस्तार, मनोरोगियों के पुर्नवास और शोध संबंधी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए केरू में मनोरोग अस्पताल स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

एम्स हॉस्पिटल में आने वाले मरिजों एवं परिजनों के लिए हॉस्पिटल से निकटम दूरी पर ठहरने, भोजन करने, चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाईयों, उपकरणों, ब्लड बैंक, डाईग्नोस्टिक सेन्टर इत्यादि सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अतः भविष्य में उपरोक्त सुविधाओं की आवश्यकताओं के दृष्टिगत रखते हुए एम्स रोड पर मुख्य सडक से लगते हुए उत्तर दिशा में स्थित लगभग 09 है० क्षेत्र को मिक्स लेन्ड यूज प्रस्तावित किया गया है जिसमें अस्पताल से सम्बन्धित सहायक गतिविधियाँ (यथा डाईग्नोस्टिक सेन्टर, पैथलेब्स, डे-केयर सेन्टर, ब्लड बैंक, मेडिकल सेन्टर, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल, भोजनालय/केन्टीन आदि) ही अनुज्ञेय होगी।

5.6.3 सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण

जोधपुर में स्थित मेहरागढ़, घंटाघर, जसवन्त थड़ा, महामंदिर में नाथजी का मंदिर, मण्डोर उद्यान में देवताओं का मण्डप, रावण की चंवरी, जनाना महल एवं प्राचीन देवालय, राव मालदेव, उदयसिंह, सवाई सूरसिंह, गजसिंह, जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा अजीतसिंह, पंचकुण्डा, टोकेश्वर महाराज की छतरियां इत्यादि प्रमुख पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का संरक्षण किया जावेगा तथा समय-समय पर इन पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के जीर्णोद्धार के कार्य किये जावेगे। सिद्धनाथ मंदिर, महामंदिर को नाथद्वारा की तर्ज पर विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5.6.4 अन्य सामुदायिक सुविधाएं

अन्य उपयोगिताएं एवं सेवाएं जैसे-टेलीफोन लाईन, डाक व तार घर, पुलिस थानों, दूरभाष केन्द्र, क्लब सिनेमा हाल, युवा केन्द्र आदि अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए प्रत्येक क्षेत्र में प्रावधान किया गया हैं। आवासीय क्षेत्रों का वितरण विकास

के घनत्व क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य में विकास की संभावनाओं आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इन सुविधाओं के लिए विभिन्न स्तर पर उचित स्थल आरक्षित किये गये हैं।

जोधपुर संभाग में स्थित जैसलमेर जिले में स्थित रामदेवरा धार्मिक स्थल स्थित हैं जहाँ प्रतिवर्ष पैदल यात्रीगण जोधपुर शहर से होते हुए रामदेवरा जाते हैं। पैदल चलने वाले यात्रीगणों हेतु कोई अलग से पैदल पथ नहीं होने से यात्री सड़क पर चलते हैं जिससे प्रतिवर्ष काफी दुर्घटनाएं भी होती हैं। अतः उक्त दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके इस हेतु जोधपुर से रामदेवरा तक डेडिकेटेड पैदल पाथ प्रस्तावित किया जाकर उस पथ के सहारे-सहारे यात्रियों के लिए उपयुक्त स्थलों पर सुविधा स्थल विकसित किया जाना प्रस्तावित है एवं जोधपुर शहर में भी रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधा स्थल विकसित किये जा सकेंगे, इस हेतु विस्तृत योजना तैयार की जा सकेगी।

5.6.5 श्मशान एवं कब्रिस्तान

शहर में विद्यमान श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलों को यथावत रखा जावेगा। शहर के भविष्य की आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन कर नगरीय क्षेत्र-1, नगरीय क्षेत्र-2 से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किये जा सकेंगे।

5.7 जन उपयोगिताएं

सार्वजनिक उपयोगिताओं में पेयजल वितरण, विद्युत आपूर्ति, सीवरेज, ठोस कूड़ा प्रबंधन, जल निकास इत्यादि सम्मिलित हैं। इन जन उपयोगिताओं के सफल क्रियान्वयन पर ही शहर के विकास की सफलता निर्भर है। जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 में इन आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त स्थान रखे गये हैं। भविष्य में भी आवश्यकतानुसार स्थल आरक्षित किये जा सकेंगे, जो मास्टर प्लान का भाग माना जावेगा।

5.7.1 जलापूर्ति

जोधपुर शहर की बढ़ती मांग एवं मानक स्तर 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति की व्यवस्था कराने हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वर्तमान स्रोतों के अलावा निम्नलिखित नये प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं।

तलिका-26

जोधपुर शहर की लक्षित जलापूर्ति

वर्ष	लक्षित जलापूर्ति (एम.एल.डी)
2014	312
2029	437
2044	624

स्रोत जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

पुर्नगठित शहरी जलप्रदाय योजना वर्ष 2029 तक पेयजल मांग के अनुरूप पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के अतिरिक्त पुरानी पाईप लाइने बदल कर शहर की जनता को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धा सुनिश्चित करना एवं पाईप लाइनों के लिकेज एवं गैर राजस्व जल छिजत में कमी करना भी हैं। पुर्नगठित शहरी पेयजल योजना के तहत निम्नानुसार कार्य करवाये जायेंगे :-

तालिका-27

जल आपूर्ति अवसंरचना (Infrastructure) का विकास एवं नवनिर्माण

1	जल स्रोत एवं परिवहन (conveyance) प्रणाली	राजीव गाँधी लिफ्ट नहर को वर्ष 2029 तक की जल उपयोग के लिये पुनर्निर्माण एवं सुदृढीकरण करना।
2	जोधपुर में रॉ वाटर संग्रहण	सुरपुरा बांध का 5940 एम.एल.डी; 210 (MCFT) क्षमता के जल संग्राहक के रूप में विस्तार
3	रॉ वाटर मुख्य पाईप लाइन	इन्द्रोका से सुरपुरा तक 30.5 कि.मी. लम्बाई में 1600/1500 एम.एम. व्यास की मुख्य पाईप लाईन लगाना।
4	रॉ वाटर पम्पिंग स्टेशन	सुरपुरा एवं तख्तसागर पर पम्प गृहों का निर्माण।
5	जल शोधन संयंत्र (water treatment plant)	सुरपुरा एवं तख्तसागर पर 90 एवं 90 एम.एल.डी. क्षमता के जलशोधन संयंत्रों का निर्माण।
6	स्वच्छ जलसंग्राहक	सुरपुरा में 8.0 एम.एल.डी. तख्तसागर में 5.5 एम.एल.डी. क्षमता के स्वच्छ जल संग्राहकों का निर्माण।
7	स्वच्छ जल पम्पग्रह (clear water Reservoirs)	सुरपुरा पर 90 एम.एल.डी., लालसागर पर 33.60 एम.एल.डी. के नये पम्प ग्रहों का निर्माण।
8	पुराने व अदक्ष पम्पों को बदलना	जोधपुर शहर के विभिन्न पम्प ग्रहों पर लगे 41 पुराने एवं अदक्ष सेन्ट्रीफयुगल पम्पों को बदलना।
9	मुख्य पाईप लाईनें	विभिन्न पम्प ग्रहों एवं जलशोधन संयंत्रों से सर्विस रिजरवायरस् तक 200 से 600 मि.मि. साईज की 60.7 कि.मी तक डी.आई. पाईप लाईन लगाना।

10	भूतल एवं जल संग्राहक	25 एम.एम.ल. क्षमता के 19 भूतल उच्च जल संग्राहको का निर्माण।
11	जल वितरण प्रणाली का शुद्धिकरण एवं विस्तार	100 से 450 मि.मि (dia) साईज की 106.47 कि.मी. लम्बी डी.आई. पाईप लाइन लगाना।
12	सड़क विस्तार में आई पाईप लाइनों को शिफ्ट करना	100 से 350 मि.मि. व्यास की डी.आई. पाईप लाईन 40.15 कि.मी.
13	पुरानी एवं प्रदुषण उन्मुख पाईप लाइनों को बदलना	150 से 350 मी.मी. की 30.45 कि.मी.
14	जल मापक यन्त्र (फलोमीटर)	विभिन्न उत्पादन ग्रहो, पम्प ग्रहो, जल संग्राहको तथा वितरण प्रणाली में 150-110 मि.मि साईज के 231 जल मापक यन्त्र लगाना, 3000 उपभोक्ता मीटरो को बदलना।
15	नोन रेवेन्यु वाटर की मात्रा कम करना	जोधपुर शहर के 11 उप जल जिला क्षेत्रों में 24'7 वितरण प्रणाली के जरिये जल उपभोग, जल छिजत, नोन रेवेन्यु वाटर की मात्रा कम करना।
16	भू-जल दोहन	शहर के बढ़ते भू-जल की समस्या के निवारण हेतु शहर जल आपूर्ति में इसका संयुक्त एवं योजनाबद्ध उपयोग।
17	रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम	कायलाना, उम्मेद सागर तथा बालसमन्द की फीडर नहरों एवं बन्धों की मरम्मत एवं अन्य आवश्यक कार्य।

स्रोत:- जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

1. राजीव गाँधी लिफ्ट नहर से सुरपुरा तक 30 किमी. तक 1600/1500 एमएम पाईप लाइन बिछाना।
2. सुरपुरा हेड पर 90 एमएलडी एवं तखतसागर हैडवर्क्स पर 90 एमएलडी क्षमता के जल शोधन संयंत्र का निर्माण तथा चौपासनी हैडवर्क्स पर स्थित उच्च लेवल जल शोधन संयंत्र की क्षमता में बढ़ोतरी करना एवं इसी अनुरूप स्वच्छ जलाशयों का निर्माण करना।
3. सुरपुरा बांध में 210 एमसीएफटी क्षमता का नया रॉ-वाटर स्टोरेज रिजरवायर का निर्माण कर पेयजल संग्रण क्षमता बढ़ाना है।
4. राजीव गाँधी लिफ्ट नहर के सभी 8 पम्पिंग स्टेशनों पर लगी मशीनरी बदलना व वर्ष 2029 के मांग अनुसार जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति कराना।
5. शहर स्थित पम्पिंग स्टेशनों पर पुरानी मशीनरी बदलने का कार्य।
6. पुरानी सडी गली पाईप लाइनों को बदलकर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना।
7. पेयजल वितरण प्रणाली का विस्तार एवं उच्च जलाशयों का निर्माण।

8. शहर में बढ़ते भूजल की समस्या हल करने का कार्य।
9. शहर के पुराने वर्षा जल संग्रहण का सुधार कार्य।

नये जलाशयों में जलापूर्ति के लिये अलग-अलग आकार की कुल 21.5 कि.मी राइजिंग मेन तथा जल वितरण प्रणाली के शुद्धिकरण एवं पुरानी क्षतिग्रस्त पाइप लाईनों को बदलने के लिए 178.5 कि.मी पाइप लाईन बिछायी जाएगी। तीनों जल शोधन संयंत्र के पुराने पम्पों, उपकरणों को बदलने सहित विभिन्न कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं। शहर में पेयजल समस्या के समाधान, शुद्धिकरण कार्य एवं नई कॉलोनियों के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए 73.23 करोड़ रु. की राशि की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। शहर की विभिन्न समस्याओं एवं दूर दराज के क्षेत्रों में जल वितरण के कम दबाव की समस्या के समाधान के लिये 13 नये जलाशय विभिन्न क्षेत्रों में यथा नया तालाब, डूंगरिया महादेव, झालामण्ड चौराहा, सरस्वती नगर, डी.पी.एस. स्कूल, सूथला, नागौरी बेरा, बाल समन्द पृथ्वीपुरा, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 14, गंगा विहार, गणेश मंदिर, रातानाड़ा क्षेत्रों में निर्माण किया जायेगा। जोधपुर रीजन के ग्रामों के पेयजल के लिए अलग से योजनाएं प्रस्तावित हैं।

5.7.2 मल-जल निस्तारण, ठोस कचरा प्रबन्धन एवं वर्षा जल निकास

सीवर प्रणाली :- जोधपुर में अपार्यप्त क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के कारण अनुपचारित सीवेज जोजरी नदी में प्रवाहित किया जाता है, जिसे रोकने के लिए पर्याप्त क्षमता के ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये जाना प्रस्तावित किया जाता है। सालावास में 50 एम.एल.डी. व बासनी बेन्दा में 40 एम.एल.डी. क्षमता के ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। इण्डो-फ्रांस विकास सहयोग के तहत जल आपूर्ति व्यवस्था के विस्तार के अनुरूप शहर की सीवेज प्रणाली के विस्तार हेतु वृहद सीवेज प्रणाली तैयार की गई है। परियोजना के तहत 150 एम.एम. से 1600 एम.एम. आकार के लगभग 1275 किमी सीवर प्रणाली बिछाई जाना तथा बेहतर एम.एल.डी. क्षमता के 6 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सीवर प्रणाली से वंचित वार्डों में सीवर लाईन बिछाना, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आवासीय योजनाओं में सीवर लाईन बिछाना, नगर निगम सीमा से बाहर पूर्व मास्टर प्लान के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में सीवर प्रणाली का विस्तार करना,

आवश्यकता अनुसार सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट की स्थापना आदि कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जाने हैं। जोधपुर में सीवर प्रणाली के विस्तार, मरम्मत, लाईन बदलने एवं वर्ष 2044 के आवश्यकताओं के अनुरूप योजना तैयार की गई है।

योजना अन्तर्गत सीवरेज मल-जल की रिसाईकलिंग अतिआधुनिक तकनीकी से की जावेगी। ट्रीटमेंट प्लान से मल-जल को साईकलिंग कर उसे गैर पेयजल कार्यो यथा पेड-पौधो को सिंचने के उपयोग एवं औद्योगिक क्षेत्रों को पानी वितरित किया जा सकेगा। विवेक विहार क्षेत्र, उचियारड़ा एवं नान्दडी क्षेत्र में योजना के तहत तीन नये ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाना प्रस्तावित हैं। जोधपुर फेज प्रथम की सीवरेज योजना राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत की गई हैं। जिन क्षेत्रों में सीवरेज लाईन का कार्य नहीं किया गया हैं उन क्षेत्रों में सीवरेज लाईन बिछाये जाने की मास्टर योजना तैयार की गई हैं।

ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था :- जोधपुर नगर निगम के वार्डों में व नगर निगम सीमा के बाहर आबादी क्षेत्रों में से कोई भी क्षेत्र सफाई, ठोस कचरा संग्रहण से वंचित नहीं रहें इसकी सुनिश्चितता किया जाना प्रस्तावित है। ठोस कचरा निस्तारण हेतु जोधपुर में वर्तमान में कुछ वार्डों में कचरा संग्रहण एवं निस्तारण किया जा रहा हैं। शेष वार्डों में भी शीघ्र ठोस कचरा अपशिष्ट के एकत्रिकरण की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित हैं। सडकों की सफाई एवं कचरा संग्रहण ही व्यवस्था होते हुए भी कोई व्यक्ति सडक पर, खांचा भूमि पर, पार्क, नाला-नालियों में कचरा डालते है, ऐसी प्रवृति को रोका जाना है। नियत व्यवस्था का सदुपयोग किया जाना अपेक्षित है। भविष्य में आवश्यकताओं के अनुरूप ठोस कचरा के स्थल, ट्रांसफर स्टेशन, प्रसंस्करण एवं भूमि भरण हेतु प्रशासनिक/सक्षम ऑथोरिटी द्वारा उपयुक्त भूमि चिन्हित की जावेगी।

वर्षा जल निकासी के लिए दीर्घकालीन योजना बनाया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में मुख्य 5 नालो के जोजरी तक बहाव मार्ग प्रशस्त नहीं है जिसके कारण वर्षा के समय बनाड़ रोड़, पोलिटेक्निक कॉलेज परिसर, शोभावतों की ढाणी, माता का थान एवं मण्डोर आदि क्षेत्रों में वर्षा जल के बहाव की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके समाधान के लिए योजना का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	वर्षा जल निकासी मुख्य नाले
1	भदवासिया-आर.टी.ओ.-डिगाडी (आर्मी क्षेत्र) जोजरी तक (यू.आई.डी. एस.एस.एम.टी योजना के तहत आंशिक लम्बाई में स्वीकृत)
2	नेहरू पार्क- भगत की कोठी-जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय- झालामण्ड जोजरी (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी योजना के तहत आंशिक लम्बाई में स्वीकृत)
3	भैरवा भाखर-खेमे का कुंआ-शोभावतों की ढाणी डर्बी श्रमिक कॉलोनी-बाईपास के रीको नाले में संयोग के साथ जोजरी तक निर्माण
4	बासनी बेन्दा से माता का थान-बनाड रोड, जोजरी तक निर्माण
5	बालसमन्द-बेरी गंगा, मण्डोर फूलबाग से सुरपुरा होते हुए जोजरी तक

उक्त पाँच मुख्य नालों के बहाव मार्ग सुरक्षित करने हेतु प्रथम चरण में सीमाबंदी के मुटाम, कलवर्ट एवं बैड क्लॉक्स बनाये जाना प्रस्तावित है। द्वितीय चरण में जोजरी नदी तक पक्का नाला बनाना प्रस्तावित है। शहर के वर्षा जल निकासी का मास्टर प्लान वर्ष 2005 में आर.यू.डी.पी. परियोजना के तहत तैयार किया गया था जिसे अब जोधपुर नगर निगम द्वारा सलाहकार के जरिये तैयार करवाये जा रहे सिटी सेनिटेशन प्लान के तहत अप-डेट किया जाना प्रस्तावित है। जोजरी नदी जोधपुर शहर की वर्षा जल निकासी एवं सीवेज प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है। अतः नदी के बहाव क्षेत्र को सुरक्षित रखते हुए अतिवृष्टि/बाढ के समय वर्षा जल की सुरक्षित निकासी हेतु बहाव क्षेत्र का सुदृढीकरण, नदी को प्रदुषण मुक्त बनाये रखना तथा इसके आस-पास के क्षेत्र में व्यवस्थित विकास शहर की वर्षा जल निकासी व सीवर प्रणाली के लिए आवश्यक है।

5.7.3 विद्युत आपूर्ति

राज्य सरकार विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में वैकल्पिक साधनों से ऊर्जा



उत्पन्न कर राजस्थान को आत्म निर्भर बनाने में प्रयासरत है। सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा के प्लांट लगाये जा रहे है जिन्हे शीघ्र उत्पादन

स्थिति में लाया जाना प्रस्तावित किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के इस भू-भाग में सौर व पवन उर्जा प्लांट लगाने के लिये भौगोलिक दशाएँ एवं परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। अतः नये नये प्लांट लगाये जाना प्रस्तावित किया जाता है।

शहर की जनसंख्या एवं आर्थिक क्रिया कलापों में वृद्धि के साथ साथ विद्युत वितरण निगम जोधपुर द्वारा विद्युत वितरण की उपयुक्त योजना तैयार की जायेगी। भू-उपयोग योजना में विभिन्न क्षेत्रों में ग्रिड-सब स्टेशन एवं सब-स्टेशन हेतु उपयुक्त स्थल प्रस्तावित किये जाएंगे।

ऊर्जा संकट का समाधान किया जाकर व उचित प्रबन्धन किये जाने की आवश्यकता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। रोड लाईट से शेष रही सड़कों पर लाईटें लगायी जाना प्रस्तावित किया जाता है। घरेलू उपभोग के लिए उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं के सौर उर्जा प्रकल्प, गोबर गैस प्लांट लगाकर घरेलू आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है।

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने से मुख्यमंत्री बिजली लैम्प योजना के तहत बिजली की बचत होगी, कार्बनडाई आक्साइड गैस के वार्षिक उत्सर्जन में कमी आएगी। बनाड में स्थित 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन को 220 केवी तथा एन.पी.एच. 132 को 220 केवी में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। शहर को पोललेस सिटी बनाये जाने के लिए विद्युत लाईन को भूमिगत किये जाने का कार्य किया जा रहा है। जोधपुर को सोलर सिटी रूप टॉप जनरेशन के रूप में शीघ्र विकसित किया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

5.8 परिसंचरण

जोधपुर नगर सम्भागीय मुख्यालय हैं जो कि संभाग के लिए न केवल एक प्रशासनिक एवं सेवा केन्द्र की भूमिका अदा करेगा, अपितु व्यापार एवं व्यवसाय, उद्योग तथा शैक्षणिक कार्यों का भी प्रमुख केन्द्र हैं। सुगम यातायात किसी भी क्षेत्र की वृद्धि का उत्प्रेरक होता है। यात्रा करने एवं माल ढोने में सड़क, रेल एवं वायु मार्गों का महत्वपूर्ण स्थान है।

जोधपुर शहर में यातायात योजना को भू-उपयोग योजना के तहत संपर्क भाग के रूप में सम्मिलित किया गया है जिससे कि लोगों को सामान एवं सेवाओं

के लिए आवागमन की अच्छी सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। एक श्रृंखलाबद्ध सड़कों का प्रावधान लोगों को सीधे आवागमन एवं आस-पास के स्थानों के लिए सामान लाने एवं ले जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है।

राजमार्गों एवं बाईपास जिनका मार्गाधिकार 200 फीट है, के दोनों ओर सड़क के मध्य से 70 फीट या 60 फीट की दूरी पर क्रमशः 16 फीट एवं 12 फीट चौड़ी सर्विस रोड़ रखी जायेगी। इस सर्विस रोड़ के बाहर की तरफ दोनों ओर विद्युतीकरण एवं हरियाली के लिये क्रमशः 14 फीट का सोल्डर छोड़ा जायेगा। नगरीय सीमा से बाहर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग एवं बाईपास के मार्गाधिकार के पश्चात् 100 फीट चौड़ी पट्टी गहन वृक्षारोपण हेतु सभी विकासकर्ताओं द्वारा छोड़नी होगी तथा इस पट्टी के बाद ही उपयुक्त समस्त अनुज्ञेय विकास कार्य किये जा सकेंगे। इस प्रकार के सभी अनुज्ञेय विकास सर्विस रोड़ एवं राजमार्ग बाई-पास की ओर उन्मुख न होकर पीछे की ओर खुलते हुए अर्न्तमुखी होंगे। समस्त आन्तरिक सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग व बाईपास पर दो किलोमीटर की दूरी के बाद मिलाना प्रस्तावित किया जाता है ताकि यातायात सुरक्षित एवं समुचित गति से निर्बाध रूप से संचालित हो सके।

तालिका – 28

सड़कों का मार्गाधिकार, जोधपुर-2031

क्र.सं.	सड़कों का प्रकार	सड़कों का मार्गाधिकार (मीटर में)
1.	बाह्य मार्ग	90
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य राजमार्ग एवं बाईपास	60
2.	आरटेरियल	48-60
3.	सब-आरटेरियल	36-48
4.	प्रमुख मार्ग (मेजर मार्ग)	24-36
5.	फीडर रोड़	18-24
6.	आवासीय मार्ग	12-18

आरटेरियल एवं सब आरटेरियल मार्ग विभिन्न मुख्य गतिविधियों के क्षेत्रों से सीधा संपर्क स्थापित करवायेंगे, जबकि प्रमुख मार्ग विभिन्न आवासीय क्षेत्रों एवं कार्य क्षेत्रों से सीधे संपर्क उपलब्ध करवायेंगे। ये सभी मार्ग प्रमुख वितरण प्रणाली के

भाग यहाँ फीडर मार्ग, आवासीय गलियों एवं लूप स्ट्रीट्स भी उपलब्ध रहेंगी, जिसके विस्तृत रूप रेखा योजना एवं क्षेत्रीय प्लान तैयार करते समय तैयार की जायेगी। विभिन्न मार्गों का अंतिम क्रियान्वयन निर्धारित मौके की भौतिक स्थिति, निर्माणों इत्यादि को दृष्टिगत रखकर किया जायेगा।

राईकाबाग रेलवे स्टेशन के पास सब्जी मंडी की भूमि के स्थल को पूर्व मास्टर प्लान में केन्द्रीय बस स्टेण्ड का विस्तार किये जाने के प्रस्ताव दिये गये थे। तदनुसार राईका बाग बस स्टेशन, (पावटा बस स्टेण्ड) का शीघ्र विस्तार किया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

जोधपुर का पृष्ठ प्रदेश (हिन्टर लैण्ड) काफी विस्तृत है। महानगर का स्वरूप लेने के साथ-साथ यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने एवं बहुआयामी नगर होने से जोधपुर जिले के विभिन्न भागों से रोजगार के लिए लोग आते जाते हैं। वे काम के लिए नित्य प्रतिदिन आना जाना पसन्द करते हैं। अतः देहाती इलाकों से उचित सम्पर्क अत्यन्त आवश्यक है। गांवों की विद्यमान सड़कों एवं प्रस्तावित सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाना एवं विकास करना आवश्यक है।

दिल्ली तथा मुम्बई के बीच समर्पित माल ढुलाई गलियारा (DFC) दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में से होकर गुजरेगा, जिसका एक छोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दादरी होगा तथा दूसरा मुम्बई के निकट जवाहरलाल नेहरू बन्दरगाह होगा। इस कोरीडोर से जोधपुर में औद्योगिक विकास की तीव्र सम्भावना है। इसे देखते हुए पाली सड़क पर खाराबेरा आदि की जमीन में औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिसे विभिन्न दिशाओं में मुख्य सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित किया जाता है।

तालिका – 29

विद्यमान एवं प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, जोधपुर

क्र. सं.	सड़क का नाम	सड़क की निर्धारित चौड़ाई (मीटर में)	कहा से कहां तक
1.	पाली रोड़	36	भेरुजी चौराहे से पीली टंकी तक
		48	पीली टंकी से शताब्दी सर्किल तक
		60	शताब्दी सर्किल से आगे

क्र. सं.	सड़क का नाम	सड़क की निर्धारित चौड़ाई (मीटर में)	कहा से कहा तक
2.	सालावास रोड़	60	ट्रांसपोर्ट रोड़ से सालावास तक
3.	पाल रोड़	48	बाहरवीं रोड़ चौराहे से खेमें का कुआं तक
		60	खेमें का कुआ से आगे
4.	चौपासनी रोड़	48	कोहिनूर सिनेमा से ज्वाला विहार कॉलोनी तक
		60	ज्वाला विहार कॉलोनी से बाई पास तक
5.	जयपुर जैसलमेर बाई-पास	60	अरना झरना चौराहे से डांगियावास चौराहे तक 75'-75' की वृक्षारोपण पट्टी दोनों ओर
6.	जैसलमेर रोड़	48	आखलिया चौराहे से सूरसागर बाई पास चौपड़ तक
7.	जयपुर रोड़	48	सर्किट हाउस से बनाड़ चौराहे तक
		60	बनाड़ चौराहे से आगे
8.	नागौर बाईपास सड़क	60	जयपुर रोड़ से सुरपुरा डैम व नागौर रोड़ तक
9.	मण्डोर रोड़	48	पावटा चौराहे से सुरपुरा फाटे तक
10.	नागौर रोड़	60	सुरपुरा फांटे से आगे तक
11.	पावटा सी रोड़	24 से 30	अण्डर ब्रिज से नागौर बाई पास तक
12.	पुरानी नागौर रोड़	30	किशोर बाग पेट्रोल पम्प से चैनपुरा स्कूल एवं मण्डोर पुलिस थाने तक
13.	भदवासीया सड़क	36 से 48	भदवासीया फाटे से माता के थान तक
14.	मण्डलनाथ रोड़	24 से 36	सूरसागर चौपड़ से टूट की बाड़ी तक
15.	एम्स सड़क	30	बासनी ब्रिज से पाल रोड़ (लिंग सड़क)
16.	बोरानाडा सालावास सड़क	30	बोरानाडा से सालावास गाँव तक
17.	पाल-सालावास सड़क	30	पाल गाँव से सालावास ग्राम तक
18.	झंवर बाई-पास सड़क (रिंग रोड़)	60	डालीबाई मंदिर से गंगाणा होते हुए पाल रोड़ झालामण्ड नान्दडी होते हुए जयपुर रोड़ तक लिंक करते हुए
19.	मास्टर प्लान सड़क	48	बोरानाडा इण्डस्ट्रीयल एरिया के दक्षिण से होते हुए सालावास रोड़ को लिंक करते हुए पाली रोड़ तक
20.	मास्टर प्लान सड़क	36	सालावास रोड़ पर प्रस्तावित बस स्टेण्ड के उत्तर से बाडमेर रोड़ पर थार ड्राईपोर्ट तक
21.	गुड़ा रोड़	30	झालामण्ड गाँव से गुड़ा विश्नोईयान तक
22.	सरदार समन्द रोड़	30	झालामण्ड चौराहे से सरदार समन्द गाँव तक
23.	सोजत रोड़	30	झालामण्ड चौराहे से आयुर्वेदिक अस्पताल होते हुए से सोजत सड़क तक।
24.	शिकारगढ़ सड़क	48	डिफेन्स लैब चौराहे से बाईपास सड़क तक
25.	बासनी कृषि मण्डी सड़क	24	कृषि मण्डी से सरस्वती नगर होते हुए आवासन मण्डल सेक्टर 2 तक

क्र. सं.	सड़क का नाम	सड़क की निर्धारित चौड़ाई (मीटर में)	कहा से कहा तक
26.	बासनी रेलवे स्टेशन रोड़	24	बासनी रेलवे स्टेशन से सरस्वती नगर मधुबन हाउसिंग बोर्ड के दक्षिण में किसान गैस गौदाम सड़क तक
27.	मधुबन बस स्टेण्ड रोड़	18	पी.एन.बी. से मधुबन बस स्टेण्ड होते हुए कुडी हाउसिंग सेक्टर 3 तक
28.	किसान गैस गोदाम सड़क	24	पाली सड़क से किसान गैस गौदाम होते हुए कुडी हाउसिंग सेक्टर 6 तक
29.	कुडी हाउसिंग बोर्ड से पाली रोड़ तक	30	कुडी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 6 से विजयाराजे नगर पाली रोड़ तक
30.	पाल लिंक रोड़	30	शास्त्री नगर थाने से चौपासनी रोड़
31.	काजरी रोड़	30	शास्त्री सर्किल से औद्योगिक क्षेत्र काजरी केम्पस होते हुए बाई-पास सड़क तक

स्रोत:- जोधपुर विकास प्राधिकरण

नोट :

1. मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 में मुख्यतः 30 मीटर एवम् उससे अधिक चौड़ी सड़कों को दर्शाया गया है एवम् उपरोक्त तालिका में विशिष्ट सड़कों के मार्गाधिकारों को उल्लेखित किया गया है। 30 मीटर से कम चौड़ी सड़कों को नगर निगम/प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर क्षेत्र विशेष की विशिष्ट विकास योजनाएं/सेक्टर व जोनल डवलपमेंट प्लान/रोड नेटवर्क प्लान बनाते समय समायोजित किया जा सकेगा।
2. मास्टर प्लान की सड़कों के मार्गाधिकार/एलाईनमेंट के निर्धारण में विसंगति उत्पन्न होने पर आयुक्त जोविप्रा की अध्यक्षता में गठित निदेशक आयोजना-जोविप्रा, उपायुक्त जोविप्रा, वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन जोधपुर, आयुक्त नगर निगम, वरिष्ठ/उप नगर नियोजक जोधपुर नगर निगम एवम् अति. मुख्य/अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की समिति सड़क मार्गाधिकार/एलाईनमेंट के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी। उक्त समिति द्वारा लिए गए निर्णय प्राधिकरण स्तर से अनुमोदन के उपरांत नियमानुसार प्रकाशन किया जाकर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 के भाग माने जायेंगे। साथ ही उक्त निर्णयों को जोनल डवलपमेंट प्लान/रोड नेटवर्क प्लान बनाते समय समायोजित किया जाना होगा।
3. जहाँ उपरोक्त मार्गाधिकारों की चौड़ाई तालिका में दर्शायी चौड़ाई से मौके पर अधिक चौड़ाई उपलब्ध/विद्यमान है, वह यथावत रहेगी।

जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 के भू-उपयोग मानचित्र में विभिन्न प्रकार के मार्गाधिकार की सड़कें प्रस्तावित की गई हैं ताकि शहर की परिसंचरण व्यवस्था को सुदृढ़, सुगम एवं सरल बनाया जा सके। अतः एक बाह्य मुद्रिका मार्ग रखा गया है इसे नागौर सड़क पर प्रस्तावित किया गया है जो प्रस्तावित नागौर चौराहे से प्रारम्भ होकर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, पाली सड़क, बाडमेर सड़क, जैसलमेर सड़क, फलौदी सड़क को क्रॉस करते हुए पुनः नागौर सड़क पर मिलान

किया गया इसका मार्गाधिकार 90 मीटर रखा गया है। इस रोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65, 112, 113 व 114 जुड़ेगा इसके साथ ही राज्य राजमार्ग भी जुड़ेंगे। इसी प्रकार एक बाह्य मार्ग दर्ईजर फांटा से प्रारम्भ होकर नागौर रोड़ पर करवड़ तक प्रस्तावित किया गया है जिसका नागौर रोड़ से मिलान किया गया है। इसका मार्गाधिकार 60 मीटर रखा गया। इसी तरह जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 के नगरीय क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने के लिए विभिन्न मार्गाधिकार यथा 60, 48, 30 एवं अन्य सड़कें प्रस्तावित की गई है जिन्हें भू-उपयोग मानचित्र 2031 दर्शाया गया। जोधपुर के पूर्व मास्टर प्लान 2031 में प्रस्तावित सड़कों के प्रस्ताव यथावत रखे गये। जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 के भू-उपयोग मानचित्र में मुख्य-मुख्य सड़कों के प्रस्ताव निम्नानुसार है:-

तालिका - 30

जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में प्रस्तावित मुख्य सड़कों का मार्गाधिकार

क्र. सं.	सड़क का नाम	सड़क की निर्धारित चौड़ाई (मीटर में)	कहा से कहां तक
1.	केरू-डांगियावास	90	जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रारम्भ होकर मथानिया राज्य राजमार्ग, नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग को मिलाते हुए जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्पर्कित होगी।
2.	दर्ईजर फांटा-नागौर बाह्य मार्ग	60	दर्ईजर फांटा के पास स्टेट हाईवे राज्य राजमार्ग से प्रारम्भ होकर नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग में करवड़ के पास मिलेगी।

उक्त तालिका में दर्शायी सड़कों के अतिरिक्त विभिन्न प्रस्तावित सड़कें भू-उपयोग मानचित्र में दर्शायी गयी है।

5.8.1 बस स्टेण्ड एवं ट्रक टर्मिनल

जोधपुर में पावटा पर राजस्थान राज्य पथ परिहवन निगम का केन्द्रीय बस स्टेण्ड स्थित है, जहाँ से विभिन्न मार्गों पर बसों का संचालन किया जाता है। आधुनिक बस टर्मिनल बनाये जाने एवं विस्तार हेतु गौण मण्डी यार्ड (फल एवं सब्जी मण्डी) पावटा जोधपुर की व्यावसायिक दुकानों एवं किसान भवन को छोड़ते हुए शेष 17 बीघा 5 बिस्वा भूमि रोड़वेज बस स्टेण्ड के विस्तार के लिये कराने की स्वीकृति दी गई। रोड़वेज आगार कार्याशाला के निर्माण हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा

देसुरिया विश्नोईयान में भूमि आवंटित की गयी है, जिस पर निगम द्वारा आगार कार्याशाला एवं केन्द्रीय कार्याशाला का निर्माण किया जावेगा।

जोधपुर के बासनी क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर विद्यमान है। पूर्व मास्टर प्लान में आंगणवा क्षेत्र में ट्रक टर्मिनल के लिए स्थल प्रस्तावित किया गया था, जिसे शीघ्र विकसित किया जावेगा। इसी तरह बासनी बेंदा, अलकदडा गांव के समीप डांगियावास बाईपास पर ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित हैं। शहर में ट्रांसपोर्ट से सम्बन्धित चल रही गतिविधियों को विकसित ट्रांसपोर्ट नगर में स्थानान्तरित की जावेगी।

जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में बाडमेर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित कॉर्पोरेट पार्क के पश्चिम में ट्रांसपोर्ट हब प्रस्तावित किया गया है। उक्त ट्रांसपोर्ट हब का क्षेत्रफल 716.50 हेक्टेयर है। जोधपुर में स्थित बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र विकसित हैं उक्त प्रस्तावित हब से औद्योगिक इकाईयों हेतु कच्चा माल लाने एवं तैयार माल की ढुलाई सुगम हो सकेगी। बाडमेर रोड पर स्थित पचपदरा में ऑयल रिफाईनरी एवं डीएमआईसी का पाली-मारवाड जंक्शन स्थापित होने से जोधपुर रीजन पर ट्रांसपोर्टेशन का भारी दबाव रहेगा। इस हेतु जोधपुर में ट्रांसपोर्ट हब प्रस्तावित किया गया है जो रिफायनरी एवं पाली मारवाड जंक्शन से सीधा सम्पर्क साधेगा। इस क्षेत्र में ऑटो मोबाईल कम्पनियों के शोरूम, ओटो मोबाईल मार्केट, कस्टमर केयर सेन्टर, सर्विस सेन्टर, कोल्ड स्टोरेज, स्पेयर पार्ट्स शॉप, रिपेयरिंग शॉप, विश्राम स्थल, सामान्य दुकानें, रेस्टोरेन्ट, ट्रकों को पुनः लोडिंग करने के लिए प्रतीक्षा हेतु आईडियल पार्किंग स्थल, वेयर हाउस एवं गोदाम, प्रशासनिक कार्यालय, फायर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस इत्यादि विभिन्न संबंधित सुविधाओं को विकसित किया जावेगा। इस क्षेत्र को विस्तृत योजना प्लान तैयार कर विकसित किया जावेगा।

5.8.2 रेल एवं हवाई सेवा

जोधपुर रेलमार्ग से भारत के विभिन्न भागों से भली-भांति जुड़ा हुआ है। यहाँ से इन्टरसिटी, जम्मूतवी, मरूधर एक्सप्रेस, हावडा एक्सप्रेस, रणथम्भोर एक्सप्रेस मण्डोर एक्सप्रेस, कालका एक्सप्रेस इत्यादि मुख्य लम्बी दूरी की गाडियां संचालित है।

जोधपुर में औद्योगिक क्षेत्र के विकास की सम्भावना एवं पाली मारवाड रेल मालभाड़ा कॉरिडोर को दृष्टिगत रखते हुए पाली रेलवे लाईन पर जोजरी नदी के बाद में पाली की तरफ एक रेलवे स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। इसी के समीप इन्टीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित किया गया है जिसका क्षेत्रफल 109.53 हेक्टेयर है, जो क्षेत्रीय एवं सिटी के परिप्रेक्ष्य में मुख्य मार्गों से जुड़ा हुआ होगा। इन्टीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स पर औद्योगिक इकाईयों हेतु कच्चा माल लाने एवं तैयार माल की दुलाई रेल यातायात द्वारा सुगम हो सकेगी। इस स्थल पर वस्तुओं/उत्पादको का (मॉड चेन्ज) ट्रक से रेल एवं रेल से ट्रकों में उत्पादको का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस क्षेत्र का विस्तृत योजना प्लान तैयार किया जाकर पार्किंग, सुविधा क्षेत्र, इत्यादि को विकसित किये जावेगा।

रेलवे स्टेशन पर निःशक्तजनों बुजुर्ग एवं बीमार यात्रियों के लिये सुविधाएँ विकसित की जाएगी। बेटरी ऑपरेटेड व्हीकल चलाये जायेंगे जो जरूरतमंद यात्रियों को सर्कुलेटिंग एरिया से प्लेटफार्म तक पहुँचाएंगे और यात्रियों को एक से दूसरे प्लेटफॉर्म तक सीढ़ी चढ़कर जाने की परेशानी से बचने के लिये एस्केलेटर लगाये जाने का रेलवे का प्रस्ताव है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर दो फुट ओवरब्रिज बने हुए है इनमें से एक ओवरब्रिज एक नम्बर प्लेटफार्म से द्वितीय द्वार तक है, जिस पर ओवरब्रिज के दोनों ओर एस्केलेटर लगाया जावेगा। भविष्य में जोधपुर से जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद एवं मुख्य शहरों तक रेलमार्गों को दोहरा बनाया जाकर उसका विद्युतिकरण किया जाना प्रस्तावित है। लम्बी दूरी की नई रेलगाडियां चलाई जाना प्रस्तावित किया जाता है। रेलवे स्टेशन पर अन्तराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाना भावी आवश्यकताओं के लिए उचित स्थानों से रेलवे विभाग द्वारा बाह्य रेलवे मार्ग बिछाया जाना प्रस्तावित किया जाता है।


जोधपुर से नई दिल्ली एवं मुम्बई के लिये सीधी नियमित उड़ानें है। जोधपुर के विद्यमान हवाई अड्डा का क्षेत्रफल बहुत कम है। वर्तमान में इसके विस्तार की आवश्यकता है। अतः एयरपोर्ट से सटी हुई वायु सेना एवं अन्य की भूमि में हवाई अड्डा विस्तार हेतु भूमि ली गयी है। हवाई अड्डे के विस्तार से फ्लाइट्स कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नये टर्मिनल व पार्किंग स्थल विकसित करने से 15 विमान एक साथ खड़े होने की जगह बनेगी एवं देश के विभिन्न मुख्य शहरों से सीधी उड़ान

प्रतिदिन उपलब्ध हो सकेगी। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच हुए निर्णय अनुसार एयरपोर्ट का शीघ्र विस्तार विकास प्रस्तावित किया जाता है। भविष्य में शहर के विस्तार एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उचित स्थल, उचित आकार में चिन्हित किया जाकर नया पर एयरपोर्ट बनाया जा सकेगा जो मास्टर प्लान का भाग माना जावेगा जिससे जोधपुर को राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर की हवाई सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी।

5.8.3 मास रेपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम/मेट्रो रेल परियोजना

जोधपुर के तीव्र विकास एवं त्वरित शहरी परिवहन की मांग को देखते हुए एम.आर.टी.एस./मेट्रो रेल परियोजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 में नागौर रोड़ पर स्थित मण्डोर गार्डन से पावटा बस स्टेण्ड होते हुए जयपुर रोड़ पर स्थित डांगियावास बाईपास तक, और दूसरा रूट पावटा बस स्टेण्ड से बाडमेर रोड़ पर प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट हब एवं प्रस्तावित कॉर्पोरेट पार्क भाण्डूकलां गाँव तक तथा बारहवीं रोड़ सर्कल से रेजीडेन्सी रोड़ होते हुए रिक्तिया भेरू जी चौराहे से पाली रोड़ पर स्थित झालामण्ड चौराहे से प्रस्तावित बाह्य बाईपास मोगड़ा तक एम.आर.टी.एस./मेट्रो रेल परियोजना रूट प्रस्तावित किये गये हैं, जिस पर विस्तृत अध्ययन पश्चात् एम.आर.टी.एस./मेट्रो रेल परियोजना हेतु अलग से विस्तृत योजना रिपोर्ट तैयार की जाकर मेट्रो स्टेशनों को चिन्हित किया जाकर फेज वाईज परियोजना का शीघ्र क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित हैं।

मानचित्र-12: मास रेपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम/मेट्रो



5.8.4 सार्वजनिक यातायात प्रणाली/नगरीय परिवहन सेवा

वर्तमान में जोधपुर शहर में नगरीय परिवहन सेवा के लिये राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा एवं निजी सेक्टर द्वारा सेवाएँ संचालित है। हाल ही में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर द्वारा सार्वजनिक यातायात व्यवस्था शुरू की गई हैं। यह बस सुविधा केवल कुछ मार्गों तक ही सीमित है। वर्तमान में शहर में विभिन्न सिटी बस रूट पर 600 मिनी बसें संचालित है।

भविष्य में नये मार्गों के निर्धारण एवं मार्गाधिकार चौड़े होने पर विभिन्न बस सुविधाओं का विस्तार एवं मार्गों का निर्धारण इस प्रकार किया जाना प्रस्तावित है कि यातायात को संतुलित किया जा सके तथा बसों का आवागमन कुछ मार्गों पर ही नहीं रहे एवं परिवहन व्यवस्था विकेन्द्रित एवं संतुलित की जा सकेगी। भविष्य में शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारु एवं सुगम रूप से संचालित किये जाने व सभी रूट्स पर BRTS योजना के तहत नगरीय परिवहन प्रणाली विकसित किया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

शहर के समस्त क्षेत्रों को समाविष्ट करके शहरी बस सेवा का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। शहरी यातायात सुगम, सरल बनाने के लिये ट्रैफिक व्यवस्था के नियमों एवं कायदों की सख्ती से पालना की आवश्यकता है। अत्यधिक यातायात दबाव को कम करने के लिए एकतरफा यातायात प्रणाली लागू किये जाने हेतु मार्ग चिन्हित किया जाना आवश्यक हैं।

5.8.5 सड़कों का सुधार एवं चौड़ाकरण

नीतिगत विषय के अनुसार सभी विद्यमान आरटेरियल रोड़, सब-आरटेरियल रोड़ एवं मुख्य सड़कों की चौड़ाई मानदण्ड, भू-उपयोग मानचित्र में दर्शाये अनुसार ही होंगे। ऐसे स्थान जहाँ सड़कों को चौड़ा करना संभव नहीं है या अधिक संख्या में बड़ी इमारतों को ध्वस्त करना पड़ता है, यहाँ निम्न स्तर का मानदण्ड अपनाया जा सकता है। भविष्य में होने वाले सड़क विकास का परिवहन योजना के अनुरूप, भू-उपयोग योजना में समायोजित किया जायेगा, ताकि अधिकांश सड़क निर्माण की क्रियान्विति, वार्षिक विकास कार्यक्रम के द्वारा की जा सके। पुराने कस्बे एवं बाजार की सड़के सकड़ी एवं भीड़भाड़ वाली है तथा उनकी चौड़ाई सड़क के आस पास

निर्माण हो जाने से बढ़ाई जाना सम्भव नहीं हैं इसलिए सड़कों पर हुए अतिक्रमण को हटाना उचित होगा। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सम्पर्क सड़कों से आपस में लिंक किया जाना प्रस्तावित हैं ताकि यातायात कस्बे के परिधिय क्षेत्रों की ओर सुगमता से प्रवाहित हो सके। यातायात की समस्या के निराकरण के लिए प्रत्येक मुख्य मार्ग एवं चौराहों का आवश्यक एवं उपयुक्त रूप से सुधार किया जायेगा। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से क्रॉसिंग स्थापित करते हुए न्यू पावर हाउस, काजरी रोड़ को जोड़ते हुए सीधी पहुँच के लिये मौका स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उचित स्थान पर मार्ग बनाना प्रस्तावित किया जाता है। नगर के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु इनके आगे बने चबूतरों और अनाधिकृत निर्माणों को हटाकर सड़कों को चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है।

5.8.6 सड़कों का अंतर्विभाजन

विकसित क्षेत्र में यातायात के सुगम आवागमन में रुकावट का मुख्य कारण अपर्याप्त सड़कों का अन्तर्विभाजन, क्षेत्र में भीड़-भाड़ इत्यादि का होना है। इसमें आवागमन में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः सभी मार्गों की समुचित अन्तर्विभाजन की योजना तैयार करना आवश्यक है। यातायात सम्बन्धित अध्ययनों तथा आवागमन की प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 के प्रोग्राम का अनुसरण करना होगा।

ट्रैफिक समस्याओं के समाधान के लिए जोधपुर नगर के विभिन्न भागों में मुख्य चौराहों पर फ्लाइओवर व मल्टीलेवल फ्लाइओवर बनाया जाना प्रस्तावित किया जाता है। चौराहों पर ब्रिज बनाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवायी जाकर विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित किया जाता है। जोधपुर में जालौरी गेट, चौपासनी पांचवी रोड चौराहा, आखलिया चौराहा सर्किल, बडली के आगे जैसलमेर सडक पर, डांगियावास राष्ट्रीय राजमार्ग तिराहे पर, पाल रोड शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन के पास, शनिश्चर जी के थान, बोम्बे मोटर चौराहा, भगत की कोठी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, न्यू कैम्पस, डीपीएस चौराहा, रातानाडा सर्किल आदि स्थानों पर फ्लाइओवर/मल्टीलेवल फ्लाइओवर बनाया जाना प्रस्तावित है।

5.8.7 यातायात अन्तःपरिवर्तन

रेलवे लाइने, जोधपुर शहर को विभिन्न भागों में विभाजित करती है। रेलवे फाटकों के बार-बार बंद होने से लोगों को सुगम आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। अतः बढ़ते हुए यातायात दबाव को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य-मुख्य मार्गों पर आवश्यकतानुसार रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ऊपरगामी पुल (आर.ओ.बी.) एवं रेलवे नीचेगामी पुल (आर.यू.बी.) प्रस्तावित किये गये हैं ताकी यातायात का सुगम संचालन किया जा सके। मोहनपुरा पुलिया को मल्टीलेवल फोरलेन ऑवर ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है जिससे नयी सड़क चौराहा पर लेवल क्रॉसिंग समाप्त होगा। माता के थान से जयपुर जोधपुर सड़क पर रेलवे ऊपरगामी ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है।

5.8.8 राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग नियन्त्रण पट्टी

जोधपुर-नागौर, जोधपुर-पाली, जोधपुर-जयपुर, जोधपुर-जैसलमेर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ निर्माण गतिविधियों पर नियन्त्रण रखने के लिये 1000 मीटर (1.0 कि.मी.) चौड़ी पट्टी को राजमार्ग नियन्त्रण पट्टी के रूप में विकसित किया जायेगा। राजमार्ग को भारतीय रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप विकसित किया जायेगा एवं इसके आगे ग्रामीण क्षेत्र की ओर जाने वाली गतिविधियों के लिए राजमार्ग में, सम्पर्क सड़क कम से कम 1 किलोमीटर के अन्तराल पर प्रदान की जायेगी। इस राजपथ नियन्त्रण पट्टी में यू-3 की डी.सी.आर. अनुसार विकास नियंत्रित रहेगा।

5.8.9 चौराहों/जंक्शनों का विकास

नगर में यातायात के सुरक्षात्मक एवं निर्बाध रूप से संचालन में जो बाधाएँ आती हैं उनमें चौराहों के अनुचित आकार/डिजाइन प्रमुख है। अतः विद्यमान/प्रस्तावित चौराहों/जंक्शनों का विकास एवं निर्माण विस्तृत योजना बनाकर किया जाना प्रस्तावित है। यातायात अध्ययनों/नियमों के तहत सुदृढ़ यातायात प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए उचित डिजाइन/आकार में चौराहों का निर्माण, विकास एवं सौन्दर्यकरण किया जाना अपेक्षित है।


शहर में स्थित विभिन्न मुख्य चौराहो यथा पावटा चौराहा, राजीव गाँधी चौराहा नई सड़क चौराहा, शनिश्चर जी का थान, गोकुल जी की प्याऊ चौराहा, रेलवे स्टेशन

चौराहा, गाँधी अस्पताल के सामने का चौराहा, झालामण्ड चौराहा, पांच बत्ती चौराहा, व अन्य मुख्य चौराहों पर फुट ऑवर ब्रिज बनाने की योजना प्रस्तावित है।

जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में विभिन्न प्रमुख शहरों से जोधपुर में आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जो नगरीय क्षेत्र में प्रस्तावित बाह्यमार्ग को क्रॉस करते हैं और जहाँ पर जंक्शन/चौराहें बनते हैं वहाँ पर सर्किलों को विकास एवं सौंदर्यकरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त सर्किलों का विकास एवं निर्माण/डिजाईन सड़क के गंतव्य स्थल के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वर्तमान स्वरूप की विशेषताओं को दर्शाते हुए किया जाना प्रस्तावित है, जैसे-जैसलमेर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के जंक्शन को जैसलमेर जंक्शन के नाम से विकसित करना प्रस्तावित है। उक्त सर्किल पर जैसलमेर शहर की विशेषताओं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के संबंध में पीला पत्थर से जैसलमेर शैली में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार अन्य मुख्य शहरों को जाने वाले मार्गों पर जयपुर सर्किल, बाडमेर सर्किल, पाली सर्किल एवं नागौर सर्किल का विकास उन शहरों की विशेषताओं एवं ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि के रूप में किया जावेगा। इसी तर्ज पर जोधपुर सर्किल का विकास पाल रोड़ पर बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र के समीप विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

कॉर फेसिलिटी एरिया

मास्टर डवलपमेन्ट प्लान में प्रस्तावित सड़कों पर बनने वाले जंक्शन/चौराहों पर कोर फेसिलिटी एरिया के रूप में चौराहा को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। मास्टर डवलपमेन्ट में दर्शाये अनुसार कॉर फेसिलिटी एरिया में न्यूनतम 30 प्रतिशत क्षेत्र पार्क, खुला स्थल, खेल मैदान, डवलपमेन्ट में दर्शाये अनुसार चिल्ड्रन पार्क एवं अन्य सुविधा क्षेत्र हेतु तथा न्यूनतम 10 प्रतिशत क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु रखा जाना होगा। शेष 60 प्रतिशत क्षेत्र में शॉपिंग सेन्टर, हॉस्पिटल/डिस्पेन्सरी, स्कूल (प्राइमरी/मिडिल) एवं अन्य सामुदायिक सुविधा विकसित की जा सकेगी। अन्य सुविधाओं का निर्धारण सेक्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार करते समय विस्तृत उपयोग जोधपुर विकास प्राधिकरण स्तर पर निर्धारित किये जा सकेंगे।



5.8.10 पार्किंग व्यवस्था

जोधपुर शहर में वाहनो की संख्या काफी अधिक हो गई हैं, जिससे व्यावसायिक, औद्योगिक, सरकारी-अर्द्धसरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक स्थलों पर वाहनो के ठहराव की समस्या के समाधान के लिए पार्किंग स्थलों को विकसित किया जाना प्रस्तावित हैं। स्थानीय निकायों द्वारा शहर में मुख्य-मुख्य स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, नयी सडक, कलेक्ट्रेट परिसर, बस स्टेण्ड, कृषि उपज मण्डी समिति एवं विभिन्न स्थानों के परिसरों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पार्किंग हेतु भूमि चिन्हित कर मल्टीलेवल पार्किंग की उचित व्यवस्था की जावेगी। भविष्य में स्थापित होने वाले संस्थानिक परिसरों, वाणिज्यिक केन्द्रो इत्यादि स्थलों में पार्किंग हेतु पर्याप्त भूमि का प्रावधान किया जावेगा। नये यातायात नगर एवं विभिन्न योजनाओ में पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जावेगी।

5.9 पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण

पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। यह मानव जाति के लिए एक संवेदनशील विषय है। पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन परत कमजोर हो गई है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है।

प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुंध दोहन तथा वृक्षों की कटाई, अत्यधिक जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि से कृषि जोत में कमी आदि से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है और भीषण गर्मी, अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं। अतः हरीतिमा के लिए वनों का संरक्षण एवं संवर्द्धन आवश्यक है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु जोधपुर रीजन में जोजरी नदी के दोनों ओर 30-30 मीटर व लूणी नदी के दोनों ओर पर्यावरण संरक्षण हेतु 100-100 मीटर क्षेत्र निर्माण निषेध क्षेत्र (No Construction Zone) रखा गया है। जोजरी, लूणी नदी में वर्षा जल संवर्द्धन, संग्रहण, पुनर्भरण कर भू-जल स्तर को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। नदियों में वर्षा जल की आवक में सुधार के लिए उचित संरचना विकसित किया जाना प्रस्तावित किया जाता है। इससे वर्षा के समय उचित जल निकास होने के साथ-साथ आबादी क्षेत्र जलमग्न नहीं होगा तथा प्राकृतिक, बरसाती नालों में अवरोध हटाए जावेंगे। आवासों, कार्यालयों, संस्थाओं में वर्षा-जल के संग्रहण व संवर्द्धन की संरचना बनाने

की आवश्यकता हैं ताकि संग्रहित पानी काम में लिया जा सके। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित विभागों और प्रत्येक नागरिक को इसमें सहयोग एवं हिस्सेदारी या सह-भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाना प्रस्तावित है।

नगरीय क्षेत्र में स्थित बड़े तालाबों के चारों ओर 30 मीटर क्षेत्र को खुले क्षेत्र के रूप में रखना प्रस्तावित किया जाता है। यदि पूर्व के कोई कमिटेन्ट हैं तो मास्टर डवलपमेन्ट प्लान में उनको समायोजित माना जावेगा।

कायलाना, तख्तसागर, बाईजी का तालाब, लालसागर, फतेहसागर इत्यादि झीलों के संरक्षण हेतु विस्तृत योजना तैयार की जाकर प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु कार्यवाही शीघ्र की जाना प्रस्तावित किया जाता है।

जोधपुर में स्थित पहाड़ियों के संरक्षण हेतु 15 डिग्री से ज्यादा ढलान वाली पहाड़ियों के चारों तरफ 50 मीटर पहाड़ी संरक्षित क्षेत्र (Hill Conservation Zone) को वृक्षारोपण पट्टी के रूप में आरक्षित रखा जाना होगा जहाँ पर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। मास्टर प्लान में दर्शित हीली एवं रॉकी क्षेत्र में स्थित ऐसी भूमियां, जो कि पहाड़ी अथवा पठारी प्रवृत्ति की है एवं गैर प्रतिबंधित श्रेणी की है, परंतु मौके पर 15 डिग्री से कम ढलान है, तो ऐसी भूमियों पर आवासीय डी.सी.आर. में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय किये जा सकेंगे।

मंडोर में साहिब राम जी का बांध की भौतिक स्थिति पर्यावरण संरक्षण, भू-जल रिचार्ज के लिये सबसे उपयुक्त है। अतः बांध के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाकर भू-गर्भ जल का रिचार्ज, बैरी गंगा क्षेत्र में पानी की निरन्तरता व उक्त बांध के आस-पास के वन क्षेत्रों, काजरी, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बाजरा अनुसंधान केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय में सिंचाई कार्यों, पौधारोपण तथा आयुर्वेद संस्थान में औषधिय पौधों की सिंचाई हेतु पानी दिया जाकर इस पूरे क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से विकसित किया जाना प्रस्तावित किया जाता है। इससे इस क्षेत्र में जैव विविधता यथा जीव-जन्तु, पक्षियों, पेड़-पौधों को संरक्षण मिलेगा।

वर्तमान में जोधपुर शहर में सीपेज के कारण भू-जल स्तर बढ़ रहा हैं जिसे पम्प कर उक्त जल को बाहर निकाल कर सीवरेज लाईन मे बहाया जा रहा हैं।

अतः भूमिगत/सीपेज जल को प्राचीन नहरों के सहारे अथवा उचित स्थलों पर पाईप लाईने बिछाकर जल को बाहरी क्षेत्रों में सिंचाई के उपयोग में लिया जाना उचित होगा जिससे पर्यावरण संरक्षित होगा।

वृक्ष, प्राण वायु के भण्डार हैं। अतएव पर्यावरण सन्तुलन एवं छाया की दृष्टि से प्रस्तावित बाह्य मार्ग एवं नगर की मुख्य सड़कों के सहारे-सहारे सघन वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है। राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों व औद्योगिक क्षेत्र, श्मशान भूमि, ओरण, गोचर, वन भूमि, आदि क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित बाह्य मार्ग, बरसाती नालो, पहाड़ियों, तालाबों के पास गौशालाओं में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। बरसाती नालों पर पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल के उचित निकास, सरल आवागमन के लिए नालों के दोनों तरफ 30-30 फीट भूमि छोड़ी जाएगी। नागौर रोड़ से बाडमेर रोड़ तक प्रस्तावित बाईपास एवं नगरीय सीमा से बाहर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्गों के मार्गाधिकार के पश्चात् सड़क के सहारे सहारे दोनों तरफ 30-30 मी. चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गयी है जो सभी विकासकर्ताओं द्वारा छोड़नी होगी तथा इस पट्टी के बाद ही उपयुक्त समस्त अनुज्ञेय विकास कार्य किये जा सकेंगे। जोधपुर रीजन में कार्यालयों, संस्थाओं, औद्योगिक परिसरों, आवासों में वर्षा जल के संग्रहण, संवर्द्धन की संरचना बनाई जायें, ताकि वर्षा जल का सदुपयोग हो। राजस्थान सरकार वन विभाग ने राजस्व ग्राम गुडा विश्नोईयान में जीव जन्तुओं, पक्षियों, पेड़ पौधों/हरीतिमा, पर्यावरण को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए 231.87 हैक्टेयर भूमि कन्जर्वेशन रीजर्व घोषित की है जिसमें सघन वृक्षा रोपण कर विकास करना प्रस्तावित किया जाता है ताकि जीव-जन्तु, परिन्दों को स्वच्छन्द विचरण कर सकें तथा उन्हें प्राकृतिक आश्रय स्थल मिलने के साथ पर्यावरण संरक्षण को बल मिलें।

5.10 आपदा प्रबन्धन

आपदा दो तरह की हो सकती है। एक प्राकृतिक व दूसरी मानव जनित आपदा है। अकाल, बाढ़, चक्रवात, तूफान, भूकम्प, महामारी, अग्निकांड, गैस रिसाव, भवन का ढहना, भगदड़ मचना आदि की स्थिति में घोर संकट के समय बचाव एवं तत्काल राहत की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में संकट को कम करते हुए बचाव व राहत के सभी तरह के आवश्यक कदम उठाने होते हैं और विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय की आवश्यकता रहती है। जानमाल रक्षा व सुरक्षा के प्रति सजग,

संवेदनशील रहते हुए तत्काल कार्यवाही की जानी होती है। जिला प्रशासन को सम्भावित आपदा से बचाव के लिए पूर्व में ही आवश्यक तैयारी एवं आपदा पश्चात् आवश्यक कार्यवाही के प्रति सजग रहने की आवश्यकता पड़ती है। सुरक्षा बलों, नागरिक संगठनों का सहयोग, आवश्यक मशीनरी एवं सामग्री की उपलब्धता आदि की व्यवस्था की जानी होती है। अतिवृष्टि के दौरान बचाव के लिए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने एवं उन्हें जलमग्न क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए नाव, तैराक, लाईफ जैकेट, टॉर्च, रस्से व हेलीकॉप्टर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मिट्टी से भरे हुए कट्टे, पानी को डाइवर्ट करने या सुरंग बनाने के लिए जे.सी.बी. व अन्य मशीनों की आवश्यकता रहती है। आग बुझाने के लिए अग्निशमन वाहन मय प्रशिक्षित दल आदि आवश्यक है। इसी तरह अन्य आपदाओं से बचाव व राहत के लिए सभी तरह के उपाय यथा पेरामेडिकल स्टाफ, दवाईयां, एम्बुलेन्स, मास्क, सुरक्षा बलों की तैनातगी आदि उपाय किये जाने होते हैं ताकि जान-माल की रक्षा हो सकें। आपातकाल में नागरिक सुरक्षा व राहत के लिए आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना, आवश्यक संसाधन, कार्मिक, विशेषज्ञ, सम्बन्धित विभागों के दूरभाष नंबर, मोबाईल नंबर आदि की सुनिश्चितता आवश्यक है ताकि आपदा के समय यथासंभव बचाव किये जा सकें। इसके लिए सभी विभागों में आपसी तालमेल होना आवश्यक है। जिला प्रशासन द्वारा आपदाओं से बचने के लिए आम जनता के लिए प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रशिक्षण का आयोजन किया जावे। प्रशासन, दमकल, पुलिस गाड़ियों की आपदा स्थल तक सरल व सुगम पहुँच हो, इसके लिए पूर्व में ही शहर के विभिन्न भागों के मार्ग चिन्हित किये जाकर नक्शा तैयार किये जाने की आवश्यकता है ताकि आपदा के समय त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

5.11 ग्रामीण क्षेत्र

नगर की परिधि में संभावित अनियोजित विकास पर नियंत्रण करने, क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा व्यवस्थित एवं सहित नगरीय विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रीजन के बाहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जिसमें भूमि का उपयोग कृषि, दुग्धशाला, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गीपालन, फार्म हाउस, रिसोर्ट्स, मोटल्स, एम्यूजमेन्ट पार्क, वाटर पार्क, डिजनीलेण्ड, अप्पूघर, ईट भट्टे, लघु उद्योग एवं कृषि आधारित उद्योगों, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, गैस पम्प आदि के लिये

किया जा सकेगा। ग्रामीण एरिया में भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु रिचार्ज बेसिन जैसी योजनाएं सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार किया जाना प्रस्तावित हैं। इस क्षेत्र में डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेग्यूलेशन के अनुरूप गतिविधियाँ अनुज्ञेय की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की स्वीकृति से गतिविधियाँ अनुज्ञेय की जावेगी।

नगरीय क्षेत्र-2 एवं विशिष्ट जोन के बाहर स्थित गांवों का विकास, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया जायेगा। ग्रामों का स्वाभाविक आबादी विस्तार नियोजित रूप से प्रावधान अनुसार किया जायेगा ताकि व्यवस्थित एवं उचित रूप से आबादी का विस्तार हो सके। इस सम्बन्ध में यह तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण और गम्भीर चिन्तन का है कि यदि नियोजित आबादी विस्तार का प्रावधान नहीं किया जाता है तो इस बात की पूरी-पूरी संभावना है कि जनता ग्रामीण अंचलो में अविवेकपूर्ण ढंग से निर्माण करने के प्रति आकर्षित होंगे, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध, अनाधिकृत निर्माण की समस्या उत्पन्न होगी वरन् यह प्रवृत्ति नगरीय क्षेत्र के बाहर के इलाकों में अनियोजित एवं अनियन्त्रित नगरीय विकास को जन्म देगी जिसके परिणाम स्वरूप सहित नगर विकास का सम्पूर्ण उद्देश्य अर्थहीन बन कर रह जायेगा। अतः आबादी विस्तार को मद्देनजर रखते हुए इन गांवों का नियोजित ढंग से विस्तार हेतु निर्धारित समय में विस्तृत योजना तैयार की जावेगी जिसमें आवश्यक भू-उपयोगों को समायोजित किया जायेगा। अधिसूचित नगरीय सीमा (राजस्व ग्राम) में स्थित ग्रामों की आबादी का विस्तार डवलपमेन्ट कन्ट्रोल रेग्यूलेशन के माध्यम से निर्धारित मापदंड को अपनाते हुए अनुज्ञेय किया जा सकेगा ताकि वर्तमान आबादी का स्वाभाविक/आवश्यक विकास संभव हो सके।

सूखे के विषम परिस्थितियों में कृषि प्रबन्धन आवश्यक है। आधुनिक सिंचाई विधियां यथा-फव्वारा, बूँद-बूँद सिंचाई पद्धति अपनायी जाना अपेक्षित है। कृषि की आधुनिक तकनीकी अपनाते हुए कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की कृषि विकास के लिए चलायी जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर कृषि विस्तार को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैविक खेती स्वस्थ जीवन के साथ आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक है। अतः जैविक खेती को महत्व दिया जाना अपेक्षित है।

6

विशिष्ट योजना

6. विशिष्ट योजनाएँ

6.1 फेस्टिवल सिटी (Festival City)

गोल्डन ट्राईगल में स्थित पर्यटन स्थलों पर पर्यटक आते हैं जिसमें राजस्थान के प्रमुख पर्यटन केन्द्र जैसलमेर जाने वाले पर्यटक इसी रास्ते से होते हुए निकलते हैं। अतः पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही दस्तकार योजना के आस-पास की भूमि को फेस्टिवल सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए सुविधा क्षेत्र विकसित किया जावेगा। उक्त क्षेत्र का क्षेत्रफल 3270.09 हेक्टेयर है। जेडीए के द्वारा दस्तकार नगर को Artisan Village के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है जिसके तहत जोधपुर की परम्परागत उच्च कोटी की वास्तुकला एवं शिल्पकारों/दस्तकारों के कौशल एवं प्रवीणता को संरक्षित किया जा सकेगा। इस क्षेत्र में समय-समय पर शिल्पकारों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनियों का आयोजन कर शिल्पकारों/दस्तकारों को प्रोत्साहित किया जावेगा। इस क्षेत्र में समय समय पर विभिन्न मेलों का आयोजन भी किया जा सकेगा। उक्त क्षेत्र को फेस्टिवल सिटी के रूप में विकसित करने हेतु विस्तृत योजना तैयार की जाकर आवश्यकतानुसार सुविधा क्षेत्र, आवास व्यवस्था, होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाणियां, इत्यादि विकसित किये जावेंगे। पर्यटकों के मनोरंजन हेतु फिल्म सिटी जोन, होटल, मोटल, कैमल/हार्स सफारी, रिसोर्ट, फार्म हाउस, क्लब, अरबन हाट बाजार, शिल्पग्राम, थियेटर, लोक कला मंडल का योजनाबद्ध रूप से विकास किया जा सकेगा। फेस्टिवल सिटी में स्थित ग्रामों यथा बडली, गोलासनी व चौखा की आबादी विस्तार के लिए विद्यमान आबादी के चारों ओर लगभग 500 मीटर तक प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में दर्शाये अनुसार नियमित आकृति में आबादी विस्तार के लिए भूमि आरक्षित की गई है। ले आउट प्लान अनुमोदन पर ही सुनियोजित रूप से आबादी विस्तार अनुज्ञेय है।

6.2 कॉर्पोरेट पार्क (Corporate Park)

आधुनिक युग में आर्थिक क्षेत्र को एक विकल्प के रूप में गैर-विनिर्माण क्षेत्र विकसित किये जाने की अत्यधिक संभावना है। आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए निगमित पार्क (Corporate Park) का प्रस्ताव दिया गया है जिसका क्षेत्रफल 2918.63 हेक्टेयर है जिसमें केवल गैर-विनिर्माण कार्यकलापो जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस, आई. टी. पार्क, जैव-प्रौद्योगिकी पार्क, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, प्रदर्शनी केन्द्र, उच्च


स्तर के होटल इत्यादि विकसित किये जा सकेंगे। पाली रेलवे लाईन एवं बाडमेर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य में बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण में कॉर्पोरेट पार्क प्रस्तावित किया गया है। बाडमेर के पचपदरा में ऑयल रिफायनरी एवं दिल्ली मुम्बई फ्रेट कारिडोर के पाली-मारवाड रेलवे जंक्शन के सामीप्य का प्रभाव जोधपुर पर पड़ेगा जिसके फलस्वरूप भविष्य में आने वाली मल्टीनेशनल कम्पनियों एवं विभिन्न बड़ी कम्पनियों के कॉर्पोरेट ऑफिस इस क्षेत्र में स्थापित किये जा सकेंगे। कॉर्पोरेट पार्क स्थल का सीधा सम्पर्क पाली एवं बाडमेर सड़क से होने तथा इस क्षेत्र में सूखा बन्दरगाह स्थित होने से भविष्य में औद्योगिकरण के साथ-साथ कॉर्पोरेट क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होगा। कॉर्पोरेट पार्क में स्थित ग्रामों यथा सालावास, नन्दवान, खारडा भांडू, चावडों की ढाणी, सरेचा, बासनी झूठा, बडलिया, भांडू खूर्द की आबादी विस्तार के लिए विद्यमान आबादी के चारों ओर लगभग 500 मीटर तक प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में दर्शाये अनुसार नियमित आकृति में आबादी विस्तार के लिए भूमि आरक्षित की गई है। ले आउट प्लान अनुमोदन पर ही सुनियोजित रूप से आबादी विस्तार अनुज्ञेय है।

6.3 स्पोर्ट्स सिटी (Sports City)

राज्य सरकार द्वारा जोधपुर में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु फुटबॉल एकेडमी के स्थापना की गई है। जोधपुर में खिलाड़ियों के लिए कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध है एवं राजकीय शारीरिक महाविद्यालय में ग्रीष्मकालीन कोचिंग सेन्टर का आयोजन भी किया जाता रहा है। अतः जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 में स्पोर्ट्स सिटी प्रस्तावित की गई है इसमें प्रतिभावान खिलाड़ियों को उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी एवं जोधपुर में राज्य, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकेगा। इस हेतु सरदार समन्द रोड़ के दक्षिण-पश्चिम में 1205.36 हेक्टेयर भूमि स्पोर्ट्स सिटी के रूप में प्रस्तावित की गई है जिसमें विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए स्टेडियम विकसित करने का प्रस्ताव है। जोधपुर रीजन में विभिन्न उच्च स्तर के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना होने से वहाँ पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को उच्च स्तर की खेल-कूद सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकेंगी। इस क्षेत्र की विस्तृत योजना तैयार की जा सकेगी। स्पोर्ट्स सिटी में स्थित ग्राम खेजडली कला की आबादी विस्तार के लिए विद्यमान आबादी के चारों ओर लगभग 500 मीटर तक प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में दर्शाये अनुसार नियमित आकृति में आबादी विस्तार के लिए भूमि आरक्षित की गई है। ले आउट प्लान अनुमोदन पर ही

सुनियोजित रूप से आबादी विस्तार अनुज्ञेय है। इस योजना क्षेत्र में निम्न गतिविधियां अनुज्ञेय होंगी एवं किसी भी उपयोग को अनुज्ञेय किये जाने से पूर्व निर्धारित मानदण्ड का ध्यान रखा जावेगा।

- एम्यूजमेंट पार्क/आई.टी. पार्क
- खेल के मैदान
- गोल्फ कोर्स
- ग्रीन बिल्डिंग/इको फ्रेन्डली हाउसेज/फार्म हाउस
- रिसोर्ट/हॉलीडे काटेज रिसोर्ट/हेल्थ रिसोर्ट
- उच्च स्तरीय अस्पताल/चिकित्सा सुविधाएँ आदि
- पब्लिक यूटिलिटीज/जनउपयोगी सुविधाएँ
- ग्रामीण आबादी विस्तार एवं अनुसंधान उपयोग



मानचित्र-13: विशिष्ट जोन क्षेत्र

6.4 नॉलेज सिटी एवं हेल्थ केयर सिटी

जोधपुर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में नागौर रोड़ पर स्थित भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं उसके समीप के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए उक्त क्षेत्र को नोलेज एवं हेल्थ केयर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है जिसका क्षेत्रफल 4075.20 हेक्टेयर है। जोधपुर रीजन में विगत वर्षों में कई उच्च शिक्षण संस्थानों एवं चिकित्सालयों की स्थापना हुई है एवं भविष्य में और कई संस्थानों के स्थापना होने एवं उनसे सम्बन्धित अन्य शिक्षण संस्थान, इन्टरमिडियेट स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेन्टर, प्रोफेशनल कॉलेज, आई. टी. से सम्बन्धित संस्थान, तकनीकी संस्थान, मेडिकल संस्थान, मेडिकल से सम्बन्धित अन्य चिकित्सालय, नर्सिंग होम, इत्यादि को भविष्य में इस क्षेत्र में विकसित किया जा सकेगा। उक्त क्षेत्र का विस्तृत योजना प्लान तैयार किया जावेगा तथा इस क्षेत्र में विभिन्न संस्थानों हेतु सुविधा क्षेत्र, स्टॉफ हेतु आवास सुविधा, छात्रावास, रेस्टोरेन्ट, आमोद-प्रमोद इत्यादि स्थलों का विकास किया जा सकेगा। नॉलेज एवं हेल्थ सिटी में स्थित ग्रामों यथा झीपासनी, घडाव, रलावास, मैलावास की आबादी विस्तार के लिए विद्यमान आबादी के चारों ओर लगभग 500 मीटर तक प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में दर्शाये अनुसार नियमित आकृति में आबादी विस्तार के लिए भूमि आरक्षित की गई है। ले आउट प्लान अनुमोदन पर ही सुनियोजित रूप से आबादी विस्तार अनुज्ञेय है।

7

योजना का क्रियान्वयन

7. मास्टर प्लान का क्रियान्वयन

जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 का क्रियान्वयन योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न चरणों में करना आवश्यक है। यह निरन्तर जारी रखने वाली प्रक्रिया है तथा नगर के सुनियोजित विकास के लिए प्रभावी कार्यवाही की जानी होती है। योजना को मूर्तरूप प्रदान करने का सबसे सही उपाय यही है कि इसे पूर्ण दृढ़ता एवं क्षमता के साथ कार्यरूप में परिणित किया जायें।

जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 की सफलता के लिए इसे पूर्ण दृढ़ इच्छा शक्ति से लागू करने हेतु विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता होती है। योजना का क्रियान्वयन उप क्रियाओं का एक स्वरूप है, जो योजना को कार्यरूप में परिणित करता है तथा उसे मात्र विचार करने की बजाय निष्पादित करता है। यह प्रक्रिया सार्वजनिक अभिकरणों और निजी संस्थाओं के उन सभी कार्यों एवं क्रियाओं को अपने अंदर समाविष्ट कर लेती है, जिनकी आवश्यकता अनुमोदित योजना में उल्लेखित संबंधित परिणामों को निश्चित स्वरूप प्रदान करने के लिये होती है।

इस दृष्टि से नियामक और विकास दोनों ही प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता होती। समुचित कानूनी प्रावधानों, प्रशासनिक संगठन, तकनीकी मार्ग दर्शन और वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ नागरीकों की सक्रिय साझेदारी आदि से योजना की सफलता निर्भर करती है। अतः संबंधित सभी डवलपमेन्ट एजेन्सीज का यह दायित्व है कि जोधपुर शहर को अधिक आकर्षक, बनाने की दिशा में परस्पर सहयोग, समन्वय एवं लगन की भावना के साथ कार्य करें।

7.1 वर्तमान आधार

जोधपुर विकास प्राधिकरण का गठन जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम में विकास कार्य को प्रभावी तरीके से विनियमित किया जाने की शक्तियों का प्रावधान है और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में नगरपालिकाओं/निगमों को समुचित अधिकार प्रदान किये गये हैं। जोधपुर में कई सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय/संस्थाएँ हैं, जो अपने-अपने सीमा क्षेत्र में निर्धारित नियमों एवं मानदण्ड के अनुरूप विकास कार्य करते हैं, जिनमें आपसी सामंजस्य की आवश्यकता है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में विकास एवं विस्तार के कार्य किये जाते हैं। शहर के विस्तार के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग अनुसार कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ नियमितिकरण किया जाता है। यहाँ शिक्षा, चिकित्सा, रक्षा, आवासन मण्डल, रेलवे, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर नियोजन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर विद्युत वितरण निगम, राजस्थान औद्योगिक एवं विनियोजन निगम तथा कृषि विपणन मण्डल जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यालय स्थित हैं, जिनमें विकास कार्य प्रारम्भ से पूर्ण होने तक आपसी सामन्जस्य की आवश्यकता है। जोधपुर में विभिन्न चरणों में कई औद्योगिक क्षेत्र आवासीय योजनाएं, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक योजनाएं विकसित की गयी हैं।

7.2 प्रस्तावित आधार

जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 के क्रियान्वयन का दायित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में निहित है। प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वयन के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जावेगी। राज्य सरकार की नीतियों, नगरीय विकास विभाग के नियमों, टाउनशिप पॉलिसी, तकनीकी मापदण्ड की पालना सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित किया जाता है। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में प्रस्तावित भू-उपयोग के अनुसार सुविधा स्थलों का विकास प्राथमिकताएं तय की जाकर, चरणबद्ध रूप से विकास किया जावेगा और सेक्टर प्लान बनाए जाकर सुनियोजित विकास की सुनिश्चिता की जावेगी। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन एवं अन्य स्तर पर शहर में कई कमेटियां गठित हैं, उनका जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 के क्रियान्वयन में विशेष सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा।

नगरीय विकास विभाग के नियमों की पालना रीजन में स्थित समस्त विभागों एवं डवलपर्स द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान के विपरीत किसी भी अनाधिकृत गतिविधि को जे.डी.ए. के अतिक्रमण निरोधक दस्ता द्वारा तत्परता से रोका जावेगा। इसके लिए अतिक्रमण निरोधक दस्ता को ओर अधिक सुदृढ किया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

डामरीकरण/सडक बिछाने से पूर्व पानी की पाईप लाईन, विद्युत केबल्स, टेलीफोन केबल्स, वर्षा जल के निकास की नालियां/नाले, विद्युत पोल, सीवरेज आदि

कार्य संबंधित विभाग/निगम/संस्था द्वारा किया जाना प्रस्तावित किया जाता है। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में संबंधित विभागों, संस्थाओं, कार्यालयों द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है।

नगरीय विकास विभाग के नियमानुसार सक्षम ऑथोरिटी से ले-आउट प्लान व भवन मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् दस्तावेजों का पंजीयन व बिजली, पानी के कनेक्शन संबंधित विभागों द्वारा दिया जाना प्रस्तावित किया जाता है ताकि शहर का नियोजित विकास व मास्टर प्लान का क्रियान्वयन हो सके। राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि विचाराधीन टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग एक्ट शीघ्र जारी करावें।

जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 के क्रियान्वयन के संबंध में संक्षिप्त कार्य विवरण—

1. प्राधिकृत इकाई के पास विदित संपत्ति को आवासीय करने, भूमि अवाप्त करने, लीज पर देने, विक्रय करने एवं हस्तांतरण आदि कार्य।
2. विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विकास कार्य को अमल में लाना।
3. विकास कार्यो हेतु अधिभार लगाना।
4. अपने दायित्वों एवं कार्यो के निष्पादन के लिये अनुबंध एवं क्रियान्वयन अधिकृत करना।
5. किसी योजना के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय विकास एवं सरकारी विभागों को निर्देशित कराना।
6. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करना।
7. यह सुनिश्चित करना कि विकास परियोजनाएँ जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 के अनुरूप हों।
8. विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
9. विभिन्न योजनाएँ लॉच करना।
10. समय-समय पर जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करना।

11. जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 के प्रस्तावों के अनुरूप विकास को मूर्तरूप देने के लिये आयोजना युक्त प्रस्तावों के लिए भूमि समुच्चयन (लेण्ड पुलिंग) करना।
12. जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 क्रियान्वयन के लिए प्रति वर्ष वार्षिक कार्य योजना व बजट सम्बन्धी प्रस्ताव बनाकर लक्ष्य हासिल करना।
13. पब्लिक सेक्टर के साथ-साथ प्राईवेट सेक्टर/पी.पी.पी. आधार पर भी विकास कार्य करवाना।
14. भूमि का समुच्चयबद्ध करने व उसका विकास करने में प्राईवेट सेक्टर की भूमिका को अवसंरचात्मक सेवाओं के लिए प्रोत्साहित करना।
15. रीजन में सरकारी भूमियों/लेण्ड बैंक को दृष्टिगत रखते हुए विकास कार्य करना।
16. अनुमोदित ले-आउट प्लान की खसरान भूमि का रजिस्टर में संधारण व प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में स्कीम का अंकन करना ताकि अन्य खसरान भूमियों के ले-आउट प्लान स्वीकृत करते समय सडकों का मिलान सुनिश्चित रूप से किया जा सकेगा।

7.3 जन सहभागिता एवं जन सहयोग

शहर का सुनियोजित विकास नागरिकों की आवश्यकताओं, आशाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया जाता है। जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये नागरिकों का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नागरिक जागरूकता ही नगर को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है। कोई भी योजना जो जनता के हित एवं कल्याण हेतु बनाई जाती है, जनता की सक्रिय सहभागिता से उसका सफल क्रियान्वयन में गति मिलती है। इसलिये यह आवश्यक है कि नागरिकगण जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। विद्यमान आधारभूत, ढांचागत, बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार ने सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) योजना के तहत निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया है, तदनुसार परियोजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

7.4 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति

जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में प्रस्तावित सड़क विन्यास एवं विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं तथा विशेष व्यावसायिक केन्द्रों के भू-उपयोग का स्थल पर अंकन नहीं होने से आम जनता को उनकी वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं हो पाती हैं। अतः यह आवश्यक है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में प्रस्तावित सड़कों, विशेष व्यावसायिक केन्द्रों एवं सार्वजनिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित भू-उपयोग का स्थल पर अंकन करे जिससे अनाधिकृत निर्माण नहीं हो।

विभिन्न सड़कों, शिक्षा, चिकित्सा, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के अन्तर्गत आ रही नीजि भूमि की अवाप्त की कार्यवाही जोधपुर विकास प्राधिकरण/सम्बन्धित विभागों द्वारा समयबद्ध तरीके से की जाये, जिससे सुविधाओं का विकास किया जा सके एवं शहर का सुनियोजित विकास हो सके।

मास्टर डवलपमेन्ट प्लान में भू-उपयोग सामान्य रूप से दर्शाया जाता है। भू-उपयोग निश्चित करना एक जटिल प्रक्रिया है, इस सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक अथवा उनके प्रतिनिधि ही अंतिम निर्णय देने के लिए सक्षम हैं।

जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में प्रस्तावित भू-उपयोग का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियां/अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र मानचित्र के लिए तैयार किये गये भू-उपयोग मानचित्र 2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से यदि पूर्व में की गई किसी स्वीकृति का समायोजन नहीं हो पाया है और ऐसी स्वीकृतियां जो कि सक्षम स्तर से सम्बन्धित विभागों द्वारा जारी की गई है तो ऐसी स्वीकृतियों को जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में समायोजित माना जावेगा।

योजना मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, जल भराव क्षेत्र, जलाशय, जल प्रवाह क्षेत्र, वन क्षेत्र की सीमा आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है, तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया तो भी

उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी, नालों तथा जलाशयों इत्यादि में नियमन/रूपांतरण/निर्माण नहीं होगा। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

7.5 योजना का क्रियान्वयन

मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 में जोधपुर रीजन के भावी नियोजित विकास हेतु इस दीर्घकालीन योजना के लिए विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रस्ताव दिये गये हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 की सफल क्रियान्विति समयबद्ध, चरणबद्ध एवं उपलब्ध संसाधनों व आवश्यकता के मद्देनजर लक्ष्य निर्धारित कर विकास कार्य, कार्यकारी योजना तैयार की जावेगी व डवलपमेन्ट प्लान की अनुवर्ती योजना के क्रम में विस्तृत योजना प्लान तैयार किया जावेगा जिसमें विकास कार्य का विवरण, वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए चरणबद्ध विकास कार्य की अवधि आदि का ब्यौरा होगा। नियोजित विकास की दृष्टि से सीमातीत शहर का सिद्धान्त मूर्तरूप ले रहा है, अतः निरन्तर रूप से विकास कार्य करवाते हुए क्रियान्वयन किया जावेगा। इस प्रकार विभिन्न चरणों में आवासीय, परिवहन, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक सुविधाओं, आधारभूत सुविधाओं एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं आदि का विकास एवं पर्यावरण संरक्षण हो सकेगा।

7.6 उपसंहार

जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए तैयार किया गया है। अतः इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एवं चरणबद्ध क्रियान्वित हेतु ठोस कार्य योजना बनायी जावेगी। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का योजना में पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। शहर में नयी सुविधाएं विकसित करके, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करके और जोधपुर को आवास के दृष्टि से स्वास्थ्यवर्द्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही योजना तैयार की गयी है। योजना के क्रियान्वयन हेतु जन जागरूकता, जन सहयोग एवं स्थानीय निकायों व अन्य विभागों द्वारा मास्टर डवलपमेन्ट प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप निस्तारण कार्यवाही की जाना आवश्यक

है, ताकि मास्टर प्लान के प्रस्तावों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित विभागों की वित्त पौषित परियोजनाओं के तहत कार्य करवाये जाकर मास्टर डवलपमेन्ट योजना का सफल क्रियान्वयन करना प्रस्तावित किया जाता है।

परिशिष्ट

DEVELOPMENT CONTROL REGULATIONS

Development control regulations are regulations prescribing the uses permissible in different land uses in the notified Development area of Jodhpur region.

In order to promote public health, safety and the general social welfare of the community, it is necessary to apply control and reasonable limitation on the development of land and buildings. This is to ensure that most appropriate, economical and healthy development of the city takes place in accordance with the landuse plan and its continued maintenance over the years. For this purpose, the city is divided into a number of use zones such as residential, commercial, industrial, public and semi-public U-2, U-3, etc. each zone has its own regulations, as the same set of regulations cannot be applied to the entire city.

Development control regulations protects residential areas from the harmful invasions of commercial and industrial uses and at the same time promotes the orderly development of industrial and commercial areas, by suitable regulations on spacing of buildings to provide adequate light, air, protection from fire etc. It prevents over-crowding in buildings and on land to ensure adequate facilities and services.

Development control regulations do not prohibit the uses of land and buildings that are lawfully established prior to the coming into effect of these Development control regulations. If these uses are contrary to the newly proposed uses, they are termed non-conforming uses and are gradually eliminated over years without inflicting unreasonable hardship upon the property owner.

The Development control regulations and its enforcement ensure proper landuse and development and form an integral part of the Master Development Plan. It ensures solutions to problems of development under local conditions.

Hence, these Development control regulations provide flexibility for the effective implementation of the Master Development Plan and also help in avoiding the process of change in Land Use.

Master Development Plan Land uses for Development Control Regulations:

For the purpose of these regulations, the Jodhpur region is divided into following Land uses:-

• Residential	• Highway Corridor zone (U-3)
• Commercial	• Rural Area
• Public and Semi-Public	• Festival City/Tourist Facilities
• Industrial	• Corporate Park
• Recreational	• Sports City
• Mixed Land use	• Knowledge City & Health Care City
• Urban Area (U-2)	

RESIDENTIAL USE

The following use premises are permissible in this land use after approval:

Minimum road width and use premises					
Uses	12m (40')	18m (60')	24m (80')	30m (100') & Above	
Residential	Residential Plots, Flats/Apartment, Group Housing, Residential Schemes up to 2 Hectares	Residential Schemes above 2 and up to 4 Hectares	Residential Schemes above 4 and up to 20 Hectares	Residential Schemes above 20 Hectares	
Commercial	General Shops	Bank, Restaurant, Hotel (upto 20 beds), Showroom, Office	Commercial complex, Hotel (upto 50 beds), Marriage garden, Banquet hall, Non-inflammable godowns, Fuel filling station	Mall, Multiplex, Cinema Hall, Hotel (above 50 beds),	
Public/Semi-Public	Educational	Kindergarten, Crèche, Nursery, Primary,	Middle School, Coaching centre, Training Centre & institute	Secondary, Senior Secondary School	College, University, Professional Institution
	Medical	Dispensary, Clinic	Hospital (Upto 20 Beds)	Hospital (Upto 60 beds)	Hospital (Above 60 beds)
	Socio-Cultural	Community Hall	Community Centre, Religious building	Auditorium, Art gallery, Exhibition Centre, Museum	
	OCF	Orphanage, Old age home	Hostel, Dharamshala		
Recreational	Parks	Recreational Club			
Industrial		Household industry			
Agricultural		Plant Nursery, Orchard			
Governmental/ Public Utilities	Permissible on all roads				

Note:-

- Farm houses and Affordable Housing shall be permissible as per prevailing govt norms.
- For residential schemes, prevailing township policy norms shall be applicable.
- Circulars, orders, notifications issued by govt regarding permissible activities in master plan areas shall be superseded on this DCR.

COMMERCIAL USE

The following use premises are permissible in this land use after approval:

Minimum road width and use premises				
Uses	12m (40')	18m (60')	24m (80')	30m (100') & Above
Residential		Flats/Apartment, Group Housing, Residential Scheme (upto 2.0 Hect.)		Township schemes above 2 Hectares
Commercial	Showroom, Shop	Bank, Restaurant, Hotel, Resort Commercial complex, Office, Wholesale Market, Warehousing	District Commercial Centre, Marriage garden, Banquet hall, Mall, Multiplex, Cinema hall, Non-inflammable godown, Motel, Fuel filling station	
Public/Semi-Public	Educational	Kindergarten, Crèche	Nursery, Primary, Middle School, Coaching centre, Training Centre & institute	Secondary, Senior Secondary School College, University, Professional Institutions.
	Medical	Dispensary, Clinic	Hospital (Upto 20 Beds)	Hospital (Upto 60 beds) Hospital (Above 60 beds)
	Socio-Cultural	Community Hall	Community Centre, Religious building	Auditorium, Art gallery, Exhibition Centre, Museum
	OCF	Orphanage, Old age home	Hostel, Dharamshala	
Recreational	Parks	Recreational Club		
Industrial		Household industry, IT industry (Non-polluting)		
		Non Polluting Handicraft Industry		
Agricultural		Plant Nursery, Orchards		
Governmental/ Public Utilities	Permissible on all roads			

PUBLIC/ SEMI PUBLIC USE

The following use premises are permissible in this land use after approval:

Minimum road width and use premises				
Uses	12m (40')	18m (60')	24m (80')	30m (100') & Above
Residential		Affordable Housing, Staff Quarters		
Commercial		Bank, Restaurant, Hotel (upto 20 beds), Showroom, Shop	Commercial complex, Petrol Pump/Fuel filling station	
Public/Semi-Public	Educational	Kindergarten, Crèche	Nursery, Primary, Middle School, Coaching centre, Training Centre & institute	Secondary, Senior Secondary School, College, University, Professional Institutions
	Medical	Dispensary, Clinic	Hospital (Upto 20 Beds), Clinical laboratory	Hospital (Above 20 beds)
	Socio-Cultural	Community Hall	Cultural centre, Community Centre, Religious building	Auditorium, Conventional Centre, Art gallery, Exhibition Centre, Museum
	OCF	Hostel, Dharamshala, Orphanage, Old age home		
Recreational	Parks	Recreational Club		
Agricultural	Plant Nursery, Orchards			
Governmental/ Public Utilities	Permissible on all roads			

INDUSTRIAL USE

The following use premises are permissible in this land use after approval:

Minimum road width and use premises				
Uses	12m (40')	18m (60')	24m (80')	30m (100') & Above
Residential		Staff Quarters		
Commercial	Shops	Bank, Restaurant, Dhaba, Hotel (upto 20 beds), Showroom, Fuel filling station, godowns	Commercial complex, Hotel (upto 50 beds), Marriage gardens, Banquet halls, Warehousing, Petrol Pump/Fuel filling station	Mall, Multiplex, Cinema Hall, Gas Distribution Station
Public/Semi-Public	Educational	Kindergarten, Crèche.	Training Centre & institute	
	Medical	Dispensary, Clinic	Hospital (Upto 20 Beds)	Hospital (Above 20 beds)
	Socio-Cultural	Community Hall	Community Centre, Religious building	Auditorium, Exhibition Centre
	OCF	Orphanage, Old age home		
Recreational	Parks	Recreational Club		
Industrial		All types of Non Obnoxious Industries		
Agricultural	Plant Nursery, Orchard			
Governmental/ Public Utilities	Permissible on all roads			

Note:-

*Farm houses and Affordable Housing shall be permissible as per prevailing govt norms.

RECREATIONAL USE

The following use premises are permissible in this land use after approval:

Minimum road width and use premises					
Uses		12m (40')	18m (60')	24m (80')	30m (100') & Above
Commercial		Shops	Restaurant		
Public/Semi-Public	Medical	Dispensary, Clinic			
	Socio-Cultural	Community Hall	Community Centre, Religious building	Exhibition ground	
Recreational		Parks	Recreational Club, Indoor & Outdoor Stadiums, Play Grounds, Mela ground, Golf Course		
Agricultural		Plant Nursery, Orchard			
Governmental/ Public Utilities		Permissible on all roads			

MIXED LAND USE

The following use premises are permissible in this land use after approval:

		Minimum road width and use premises		
Uses		18m (60')	24m (80')	30m (100') & Above
Residential		Guest House(including lodging house) irrespective of no. of rooms, Affordable Housing	Flats/Apartment	Townships (above 2 hec.), Group Housing
Commercial		Bank, Fitness Center, Shops, Commercial Offices, Hotels, Motel, Resort, Showrooms, Warehousing, Commercial Complex, Retail/Service Shops (Individual shop area not more than 20 sq.mt)	Commercial Offices, Hotels, Restaurant, Resort, Motel, Showrooms, Service Stations	Mall, Multiplex, Cinema Hall, Petrol Pumps, Commercial Complex, Wholesale Market, Marriage Garden, Banquet Hall
Recreational		Park, Nursery, Orchard	Indoor & Outdoor Stadiums, Playgrounds, Melagrounds, Golf Course	Amusement Park, Recreational Club, Water Park
Institutional/Public/Semi-Public	Educational	Nursery, Primary, Middle Schools, Coaching Centre, Training Center and Institute	Secondary, Senior Secondary School	College, University, Professional Institutions.
	Medical	Nursing Home, Clinic, Dispensary, Pathology Lab, Diagnostic Center, Hospital (Upto 20 Beds)	Hospital (Upto 60 beds)	Hospital (Above 60 beds)
	Socio Cultural		Dharamshala, Community Centre, Religious Centre	Auditorium, Art gallery, Exhibition Centre, Museum, Convention Centre
Industrial		Non Polluting Handicraft Industry		
Governmental/Public Utilities		Permissible on all roads after approval from competent authority		

Note:-

1. Any trade or activity involving any kind of obnoxious, hazardous, inflammable, non-compatible & polluting substance or process shall not be permitted.
2. The following activity shall not be allowed under mixed land use such as: Retail shop of building materials, timber products (excluding furniture) marble, iron and steel, gravel, cement & sand etc.
3. The conversion charges shall be as per commercial conversion rates.

URBAN AREA (U2)

Development Promotion / Control Regulation (U-2) MDP-2031

Minimum road width and use premises			
Uses	18m (60')	24m (80')	30m (100') & Above
Residential	Green Buildings/ Eco Friendly Houses / Farm Houses		Group Housing Integrated Residential Townships (Above 10 Hectares)
Commercial	Hotel / Resort Motel/Holiday Cottage & Resort	Fuel Station, Gas Distribution Station	Convention Centre Warehousing / Food Storage Godowns,
Industry			SEZ/Film city/ Sports city/ Medicity / Entertainment City IT Park / Bio-Tech Park
Public and Semi Public	Electric Power Plant 33/132/220/440 kv GSS PHED Camps Telephone Exchange Fire Station Police Thana / Station Govt. Schools Govt. Dispensary Religious Buildings	As per requirement of concerned Deptt.	
	Naturopathy / Yoga Centre / Religious / Meditation / Socio and Ward Centre/ Health Resorts		
	Educational Institutions (Universities, Colleges, integrated residential schools with hostel facilities)	As per requirement of concerned Deptt.	
	Hospital		
Recreational	Amusement Park		

Village Abadi Extensions
Cottage Industries
Compost Plants / Solid Waste Disposal Sites /ETP
Central Govt. Offices/ State Govt. Office
Agriculture / Dairy Farming

Non-polluting Eco friendly Industries (area not less than 1.0 Ha.) may be considered by statutory committee. Any other category of Industry with the permission of Raj. State Pollution Control Board with EIA.

HIGHWAY CORRIDOR ZONE AREA (U-3)

The following use premises are permissible in this land use zone after approval:

Uses Permitted	Min Area (Hact.)	Min. Road Width
Group Housing	02 ha	18m (60')
Integrated Townships	10 ha	18m (60')
General Commercial	0.5 Ha	18m (60')
Hotel, Motel, Resort, Amusement Park/Health Resort/Other Entertainment, Recreational and Tourism facilities	01 Ha	18m (60')
Fuel Station	As per requirement	24m (80') & Ab
Warehouse/Godown	0.5 Ha	18m (60')
Central/State Govt. offices, Central/State Govt. Sponsered Projects. Govt School, Govt Dispensary	As per requirement	-
Public Utilities:- Electric Power Plant, GSS PHED Campus Telephone Exchange Fire Station,Police Station	As per requirement	-
Village Abadi Extention	As per requirement of concerned authority	-
Transportation Area (Transport/Truck Terminals, Bus Terminals, Automobile workshop etc.)	-	30m (100')
Non Polluting Handicraft Industies	As per requirement	18m (60')
Other permissible uses/Govt Orders issued from time to time		

RURAL AREA

Permitted Use Premises in Rural Area

The following use premises are permissible in this land use after approval of the competent Authority

Minimum road width and use premises				
Uses	12m (40')	18m (60')	24m (80')	30m (100') & Above
Residential	Farm Houses			
Commercial		Petrol Pump, Motels, Gas Godowns, Resort, Gas Pump		
Public/Semi Public		Nursery, Primary, Middle Schools, Coaching Center, Training Center & Institute	Secondary, Senior Secondary Schools	College University, Professional Institute
Recreational	Parks	Play Grounds, Amusement Park, Water Park, Disney Land, Appu Ghar		
Industrial		Brick Kilns, Crushers, Agro Based Industry, Cottage Industry and Household, MSME (Micro, Small and Medium Enterprises)		
Agricultural	Plant Nursery, Orchard, Dairy farm, Poultry farm, Wild life Sanctuary			
Public Utilities	On all roads after approval from competent authority			

Note:-

* Village Abadi extensions upto certain limit is allowed in Rural Areas.

FESTIVAL CITY/TOURIST FACILITIES

The following use premises are permissible in this land use after approval of the competent Authority

Minimum road width and use premises					
Uses	12m (40')	18m (60')	24m (80')	30m (100') & Above	
Residential	Affordable Housing, Tent Housing				
Commercial	Convenient Shops	Restaurant, Film City, Showroom, Hotel, Club, Resort and Resort housing	Cinema Hall/Multiplex/Miniplex, Fuel Filling Station		
Public/Semi Public	Educational		Cultural Institute		
	Medical	Dispensary, Clinic, Diagonostic Center	Hospital (Up to 20 Beds)	Hospital (Up to 60 Beds), Veterinary Hospital	Hospital (Above 60 Beds)
	Socio Cultural		Cultural Center, Religious Building, Community Center	Auditorium, Conventional centre, Art Gallery, Museum, Exhibition Centre & Grounds, Shilp Gram	
	OCF		Dharmshala, Open and multilevel parking lots		
Recreational/Tourism Unit	Parks, Theme Garden	Hotel, Mela Ground, Festival Park, Amusement Park, Recreational Club, Horse and Camel Safari, Motel, Resort, Resort Housing, Urban Haat Bazaar			
Government/Public Utilities	On all roads after approval from competent authority				

CORPORATE PARK

The following use premises are permissible in this land use after approval of the competent Authority

Minimum road width and use premises					
Uses	12m (40')	18m (60')	24m (80')	30m (100') & Above	
Residential	Affordable Housing,	Group Housing	Townships above 10 hectares		
Commercial	-	Restaurant, Showroom, Hotel, Corporate/IT Center, Hostel Commercial Complex	Mall, Multiplex, Cinema Hall, Fuel Filling Station		
Public/Semi Public	Educational	Kindergarten, Creche, Nursery School	Primary School, Middle School, Training Centre	Secondary, Senior Secondary School, Professional institute	
	Medical	Dispensary, Clinic, Diagnostic Center	Hospital (Up to 20 Beds)	Hospital (Up to 60 Beds)	Hospital (Above 60 Beds)
	Socio Cultural	-	Cultural Center, Religious Building	Auditorium, Conventional centre, Art Gallery, Exhibition Centre & Grounds	
	OCF	Library	Open and multilevel parking lots		
Recreational	Parks	Recreational Club			
Government/Pu blic Utilities	On all roads after approval from competent authority				

SPORTS CITY

The following use premises are permissible in this land use after approval of the competent Authority

Minimum road width and use premises					
Uses	12m (40')	18m (60')	24m (80')	30m (100') & Above	
Residential	Affordable Housing, Cottages, Eco Friendly houses, Apartments				
Commercial	Convenient and General Shops	Restaurant, Showroom, Hotel, Hostel	Mall, Multiplex, Cinema Hall, Fuel Filling Station		
Public/Semi Public	Educational	-	Sports Training Centre & Institute		
	Medical	Dispensary, Clinic, Diagnostic Center	Hospital (Up to 20 Beds)	Hospital (Up to 60 Beds)	Hospital (Above 60 Beds)
	Socio Cultural	-	Cultural Center, Religious Building	Auditorium, Conventional Centre, Museum, Exhibition Centre & Ground, Open air theatre	
	OCF	Library	Open and multilevel parking lots		
Recreational	Parks, Theme Garden	Amusement Park, Recreational Club, Stadium, Play ground, Shooting range, Swimming pool, Golf course, Polo ground, Sports club, Resort, Motel, Adventure Park			
Government/Public Utilities	On all roads after approval from competent authority				

KNOWLEDGE AND HEALTHCARE CITY

The following use premises are permissible in this land use after approval of the competent Authority

Minimum road width and use premises					
Uses	12m (40')	18m (60')	24m (80')	30m (100') & Above	
Residential	Affordable Housing, Hostel	Group Housing	Township Above 10 Hectares		
Commercial	Convenient and General Shops	Bank, Restaurant, Hotel, Showroom, Office, Hostel	Mall, Multiplex, Cinema Hall, Fuel Filling Station		
Public/Semi Public	Educational	Kindergarten, Creche, Nursery School	Primary School, Middle School, Coaching centre, Training Centre & institute	Secondary School, Senior Secondary School	College, University, Professional Institution
	Medical	Dispensary, Clinic, Diagonostic Center	Hospital (Up to 20 Beds)	Hospital (Up to 60 Beds)	Hospital (Above 60 Beds)
	Socio Cultural	-	Cultural Center, Religious Building	Auditorium, Open air theatre, Conventional Centre, Museum, Exhibition Centre & Ground	
	OCF	Library			
Recreational	Parks, Theme Garden	Amusement Park, Bio Diversity Park, Recreational Club, Stadium, Play ground, Swimming pool, Resort, Motel			
Agricultural	-	Plant Nursery			
Government/Public Utilities	On all roads after approval from competent authority				

GENERAL CONDITIONS FOR DEVELOPMENT CONTROL REGULATIONS

1. In case of any contradiction regarding provision of Master Plan and DCR then the Chief Town Planner, Rajasthan shall be consulted by the authority.
2. In case of any contradiction regarding provision of minimum road width and area for the particular activity/uses in building byelaws and these DCR then the provisions of DCR will prevail over the building regulations. After issuance of lease deed /patta as per the provisions of DCR the approval of building plans shall be granted as per the road width and area approved while issuing the patta/lease deed. Other parameters like Setback, Coverage etc. shall be as per the provisions of Township Policy, CMJAY/ Building Byelaws and as per orders issued by the Government time to time.
3. Various activities/Uses permissible in DCR shall be permissible as an individual use/activity under various Master Plan land uses as per DCR. No change of landuse in Master Plan shall be required for permitting these activities/uses or for allowing 90-A and further conversion and lease deed.
4. These DCR are only for conversion / regularization of agriculture land for nonagricultural purpose as per the provision of 90-A and allotment of Govt. land for various uses under Master Plan broad landuse category. For an abadi plot or a plot for which lease deed have already been issued for a particular use, the procedure of change in land use needs to be followed as per Rajasthan Urban Area (Change of Land Use) Rules, 2010 or as per orders issued by the Government time to time.
5. All uses / activities as per DCR shall be permissible in consultation with a Town Planner not below the rank of Deputy Town Planner.
6. While preparing scheme layout Plan as per Master Plan landuse for a major use/activity, ancillary activity shall be allowed by the competent authority e.g. in case of a scheme for tourist facility, the other allied uses like commercial, residential etc may be allowed as per norms of Township Policy or parameters issued by the State Government time to time. The competent Authority may allow various uses in such scheme as per requirement and different parameters for road width and minimum area may also be decided by the competent Authority.
7. The State Government may add/delete any use or modify the technical parameters for any activity.
8. In case of doubt the permissibility of use premises shall be decided by the building plan committee (Layout Plan) of the Jodhpur Development Authority. This committee shall be competent authority for DCR.
9. In case of any clarification required in the provisions of DCR the State Govt. may issue directions.
10. While permitting various activities/uses as per the DCR, the competent authority shall consider the site condition, surrounding development and such other relevant

factors as deemed fit by the authority, and after such considerations the authority may reject the permission for allowing any activity/uses even if they are permissible as per DCR and the reasons for rejection are to be recorded. The competent authority may also consider for higher parameters of road width and area for permitting any activity /use if required for such considerations.

11. Various uses/activities permissible in these DCR are according to major head of land uses shown in the Master Plan. For all sub head of land uses in Master Plan, shown under particular major head of land use, all activities/uses permissible in major head of land use shall be permissible. For e.g. under major head commercial use, sub heads such as general commercial, warehouse, godowns, wholesale trade etc. are proposed in Master Plan, in these sub heads, all the activities/uses permissible in DCR in commercial use zone shall be allowed.
12. Except for those uses which are permissible on 9.0 mtr wide approach road as per DCR, all other uses the minimum width of approach road shall be as per DCR or as per provisions of Township Policy 2010 and orders/circulars issued by the Government time to time in this regard whichever is higher.
13. In case of allotment of Government land for Government/Semi Government Departments for social and public infrastructure purposes, the parameters prescribed in DCR may be relaxed by the State Government.
14. Resort and Motel are also permissible, if the approach road of minimum 12 mtr width is available which is directly linked to a road having minimum 24 mtr right of way within a distance of 200 mtr.
15. (A). In case of agriculture land premium charges are payable as per the provisions of Rajasthan Urban Area (Permission for use of agriculture land for non-agriculture purpose and Allotments) Rules, 2012, for conversion/regularization for non-agriculture purpose. In addition, use permission charges will be applicable as per Government order issued from time to time.

(B). In case of abadi land/ or the land for which lease deed has already been issued for a particular use, if change of such use is desired then land use permission charges will be applicable as per Government order issued from time to time.
16. Farm houses, Eco-Friendly Houses, Resort & Amusement park comes under Low Density Development Zone. Such activities shall be permissible in all land uses except Park, open spaces, playgrounds & plantation within urbanisable area of Jodhpur MDP-2031 as per prescribed norms, subject to condition that in future as development take place as per master plan use, the same will be used in accordance to the land use specified in MDP-2031.

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2009

के अन्तर्गत जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 तैयार किए जाने की प्रक्रिया से संबंधित अधिनियम की विशिष्ट धाराएँ:-

20. प्राधिकरण की किसी योजना को निष्पादित करने की शक्ति -
- (1) जब प्राधिकरण का यह समाधान हो जाये कि धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा उसके द्वारा किसी परियोजना या स्कीम के संबंध में दिये गये किसी निर्देश को उसमें निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यान्वित नहीं किया गया है या ऐसा प्राधिकारी या व्यक्ति जोधपुर रीजन के किसी भाग के विकास के लिये अपने हाथ में ली किसी परियोजना या स्कीम का कार्यान्वयन पूरी तौर से करने में असमर्थ है तो प्राधिकरण राज्य सरकार की मंजूरी से ऐसे निर्माण कार्यों को स्वयं करवायेगा और ऐसी परियोजना के निष्पादन या यथा स्थिति, ऐसी स्कीमों की क्रियान्विति के लिये कोई खर्चा कर सकेगा।
- (2) प्राधिकरण राज्य सरकार के निर्देशानुसार जोधपुर रीजन में मास्टर विकास योजना या जोनल विकास योजना या किसी अन्य परियोजना या यथास्थिति, स्कीम के अनुसार कोई कार्य हाथ में ले सकेगा और ऐसा व्यय कर सकेगा जो निर्माण कार्य के निष्पादन के लिये आवश्यक हो। ऐसा निर्देश प्राधिकरण को केवल तब ही जारी किया जायेगा जब राज्य सरकार की राय में-
- (क) ऐसे कार्य का उत्तरदायित्व लेने वाला कोई, दूसरा उपयुक्त प्राधिकरण नहीं हो, या
- (ख) ऐसा प्राधिकरण हो किन्तु वह ऐसे कार्य का उत्तरदायित्व लेने में अनिच्छुक या असमर्थ हो, या
- (ग) जब प्राधिकरण ने ऐसा कार्य उसे सौंपने के लिये राज्य सरकार से विशेष रूप से निवेदन किया हो।
- (3) जब उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा किसी कार्य का उत्तरदायित्व लिया गया हो तो उसे ऐसे कार्य के निष्पादन के प्रयोजनार्थ वे समस्त

शक्तियां होगी जो उप धारा (1) के निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रयुक्त की जा सकती है।

(4) प्राधिकरण उप-धारा (1) और (2) के प्रयोजन के लिये जोधपुर रीजन के भीतर किसी क्षेत्र के सर्वेक्षण का उत्तरदायित्व ले सकेगा और उस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए निम्नलिखित कार्य करना विधिपूर्ण होगा:—

(क) ऐसी भूमि के तल मापन के लिए किसी भूमि में या उस पर प्रवेश करना,

(ख) अधोमृदा की खुदाई या बेधन,

(ग) चिह्न लगाकर और खाई खोदकर तल माप और सीमाओं के चिह्न लगाना, और

(घ) जब अन्यथा सर्वेक्षण पूर्ण नहीं हो सकता हो और तल माप कर लिया गया हो और सीमाएं चिह्नित कर ली गयी हों तो बाड़ और जंगल काटना या साफ करना:

परन्तु किसी भूमि पर प्रवेश करने के पूर्व प्राधिकरण ऐसा करने के अपने आशय का नोटिस ऐसी रीति में देगा जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाये।

अध्याय 5

मास्टर विकास योजना और जोनल विकास योजनाएं

21. नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर योजना तैयार करना:— (1) प्राधिकरण भूमि के योजनाबद्ध एकीकृत विकास और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जोधपुर नगर का नागरिक सर्वेक्षण करेगा और जोधपुर रीजन के लिए मास्टर विकास योजना तैयार करेगा।

(2) मास्टर विकास योजना में जोधपुर रीजन के नागरीकों को उस जीवन को जिसके निर्वाह की इच्छा (i) वर्ष 2016 ई. में मध्यम श्रेणी के परिपेक्ष्य में (ii) वर्ष 2023 ई. में और उसके पश्चात् दीर्घकालीन परिपेक्ष्य में तथा (iii) राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऐसे अन्य अन्तर्वर्ती चरणों में रखते हैं, जोधपुर नगर और जोधपुर रीजन

के अन्य विकासोन्मुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संतुलित और समयबद्ध विकास को लोकोपयोगी नागरिक सुविधाओं, सामुदायिक सुविधाओं, आवासीय, संचार और विकास यातायात के जाल बिछाने को, प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण और विकास के लिए परियोजनाओं और स्कीमों को और जोधपुर रीजन के एकीकृत विकास पर प्रभाव डालने वाली ऐसी अन्य बातों को स्पष्टतः परिभाषित किया जायेगा और उसमें निम्नलिखित के लिए विशेष उपबन्ध किया जा सकेगा:-

- (i) यातायात और संचार जैसे सड़कें, राजमार्ग, रेलवे, नहरे, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और बस-सेवा तथा उनका विकास सम्मिलित हैं।
- (ii) जल-प्रदाय, जल-निकास, मल-नाली, मल-निकास और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताएं, सुविधाएं और सेवाएं जिनमें विद्युत और गैस भी सम्मिलित हैं।
- (iii) प्राकृतिक दृश्यावली शहर के वनों, वन्य प्राणियों, प्राकृतिक स्रोतों और भू दृश्य चित्रणों का परीक्षण, संरक्षण और विकास,
- (iv) ऐतिहासिक, प्राकृतिक, स्थापत्य या वैज्ञानिक रूचि और शैक्षणिक मूल्यों की वस्तुओं, आकृतियों, इमारतों या स्थानों का परीक्षण,
- (v) भूमि कटाव रोकना, वनरोपण या पुनः वनरोपण की व्यवस्था करना, जलप्लावित क्षेत्रों, नदीयों, नालों, झीलों और तालाबों का सुधार करना,
- (vi) सिंचाई, जल-प्रदाय एवं जल विद्युत, संकर्म, बाढ़ नियंत्रण, और जल और वायु प्रदूषण को रोकना,
- (vii) शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं,
- (viii) जिला व्यावसायिक केन्द्रों, अन्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, निर्यात औद्योगिक क्षेत्र, निकास गृह, स्थायी प्रदर्शनी केन्द्रों, पशु मेला और बाजार,
- (ix) खेलकूद कॉम्प्लेक्स जो अन्तर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने योग्य हो,
- (x) आमोद-प्रमोद के लिये उद्यान जिनमें डिजनीलैण्ड शैली के कॉम्प्लेक्स, सफारी उद्यान और अन्य बाग और उद्यान, पिकनिक स्थान और दिन के आमोद-प्रमोद जिनमें कृत्रिम झीलें और जलाशय सम्मिलित हैं।

- (xi) सांस्कृतिक कॉम्पलेक्स जिसमें नाट्य गृह, सिनेमा, रंगमंच, स्टूडियो, मनोरंजन केन्द्र, सम्मेलन हॉल, कॉम्पलेक्स कन्सर्ट हॉल, टाउन हॉल और सभा भवन सम्मिलित हैं।
 - (xii) पर्यटन कॉम्पलेक्स जिसमें होटल और मोटल, कार टैक्सी, पर्यटन और यात्राएँ आयोजित करना सम्मिलित हैं।
 - (xiii) नये कस्बों के विकास के साथ-साथ जोधपुर रीजन में उपनगरों का विकास और जोधपुर शहर के साथ उनका समुचित एकीकरण,
 - (xiv) विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आवंटन करना, भूमि का सामान्य वितरण करना, और वह सामान्य स्थिति और सीमा बतलाना जिस तक आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि या वन के रूप में या खनिज समुपयोजन के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग किया जा सके।
 - (xv) खुले स्थानों, बागों, मनोरंजन स्थानों, चिडियाघरों, प्राकृतिक आरक्षितियों, पशु अभ्यारण, दुग्धशालाओं तथा स्वास्थ्य स्थलों और अन्य प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों का आरक्षण करना,
 - (xvi) अधिक जनसंख्या वाले और औद्योगिक रूप से संकुचित क्षेत्रों से जनसंख्या या उद्योग को पुनः स्थापित करना और जोधपुर रीजन के किसी भी क्षेत्र में मंजूर किये जाने वाले उद्योग की घनता या जनसंख्या या उद्योगों का केन्द्रीयकरण करना,
 - (xvii) आवासन, जिसमें ग्रामीण आवासन भी सम्मिलित हैं,
 - (xviii) नीचे, दलदली या अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों को भरना या ठीक करना या भूमियों को समतल करना,
 - (xix) विद्यमान निर्मित क्षेत्रों का पुनः विकास और सुधार करना,
 - (xx) आबादी के विकास को सम्मिलित करते हुए विभिन्न जोनों के लिए योजना मानक और जोनिंग विनियम बनाना और,
 - (xxi) नगरीय विकास प्रबंध के लिए जोधपुर रीजन की योजना बनाना और उससे सम्बन्धित समस्त मामलों और इस अधिनियम के उद्देश्यों से संगत अन्य मामलों के लिए योजना तैयार करना।
- (3) मास्टर विकास योजना में वे विभिन्न जोन भी परिनिश्चित किये जायेंगे जिनमें विकास के प्रयोजनार्थ जोधपुर रीजन को विभाजित किया जायेगा और उसमें

वह रीति जिसमें विकास किया जाना है, और प्रत्येक जोन की भूमि जिसका उपयोग किया जाना प्रस्तावित है (चाहे उसमें विकास कार्य करके अथवा अन्यथा) और वे चरण जिनमें ऐसा विकास किया जायेगा, बतलाये जायेंगे और वह उस ढांचे का आधारभूत नमूना होगी जिसके भीतर विभिन्न जोनों की जोनल विकास योजना तैयार की जा सके।

परन्तु प्राधिकरण, यदि लोकहित में ऐसा आवश्यक समझे तो, किसी भी जोन के किसी भी क्षेत्र को बदल सकेगा।

22 जोनल विकास योजनाएं:— (1) मास्टर विकास योजना तैयार करने के साथ-साथ या उसके तुरन्त पश्चात् प्राधिकरण प्रत्येक उस जोन के लिये, जिसमें जोधपुर रीजन को विभाजित किया जाये, जोनल विकास योजना तैयार करने की कार्यवाही करेगा।

(2) जोनल विकास योजना में:—

- (क) धारा 21 की उप धारा (2) में यथा-उल्लेखित विकास क्रियाकलापों के लिये उपलब्ध होगा।
- (ख) जोन के विकास का स्थल रेखांक होगा और ऐसी बातें जैसे सार्वजनिक निर्माण कार्य और उपयोगिताएं, सड़कें, आवासन, आमोद-प्रमोद, उद्योग, व्यावसाय, बाजार, स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक एवं निजी खुले स्थान, और अन्य सार्वजनिक और निजी उपयोग की सीमावर्ती स्थितियों और जोन में प्रस्तावित भूमि के उपयोग की सीमा दिखलाई जाएगी।
- (ग) आबादी की सघनता और भवनों की सघनता के स्तरमान विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।
- (घ) जोन का ऐसा प्रत्येक क्षेत्र दिखाया जायेगा जो प्राधिकरण की राय में विकास या पुनर्विकास के लिय अपेक्षित हो या घोषित किया जा सकता हो, और
- (ङ) विशेषतः निम्नलिखित सभी बातों से या उन में से किसी से सम्बन्धित उपलब्ध हों, अर्थात:—
 - (i) भवन निर्माण के लिये किसी स्थल का भू-खण्डों में विभाजन,

- (ii) सड़को, खुले स्थलों, बागो, आमोद-प्रमोद के स्थलों, स्कूलों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन और आरक्षण,
- (iii) किसी क्षेत्र का कस्बे या कॉलोनी के रूप में विकास और वे निर्बन्धन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए ऐसा विकास किया जा सकेगा या क्रियान्विति किया जा सकेगा,
- (iv) किसी स्थल पर भवनों का परिनिर्माण और भवनों में या उसके चारों ओर रखे जाने वाले खुले स्थानों के बारे में निर्बन्धन और शर्तें और भवनों की ऊँचाई और उनका स्वरूप,
- (v) किसी स्थल पर भवनों का पंक्ति-बन्धन,
- (vi) किसी स्थल पर निर्मित किये जाने वाले किसी भवन की ऊँचाई या अग्रभाग का स्थापत्य स्वरूप,
- (vii) किसी प्लॉट या स्थल पर बनाये जाने वाले आवासीय भवनों की संख्या,
- (viii) किसी स्थल या ऐसे स्थल पर बने भवनों के संबंध में उपलब्ध करायी जाने वाली सुख-सुविधाएँ जो चाहे भवनों के निर्माण से पूर्व करायी जावें या उसके पश्चात् और व्यक्ति या प्राधिकरण जिसके द्वारा या जिसके खर्चे पर ऐसी सुख-सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी है।
- (ix) किसी परिक्षेत्र में विशेष प्रयोजन के लिये परिकल्पित दुकानों, वर्कशॉपों, भण्डारग्रहों या कारखानों या विनिर्दिष्ट वास्तुकला संबंधी स्वरूप के भवनों के संबंध में प्रतिषेध या निर्बन्धन,
- (x) दीवारों, बाडबन्दियो, झाडबन्दियो या किसी अन्य सरचनात्मक निर्माण या वास्तु संबंधी निर्माणों का रख-रखाव और वह ऊँचाई जहाँ तक उन्हे बनाए रखना है,
- (xi) किसी स्थल के भवन निर्माण से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के संबंध में निर्बन्धन,

- (xii) कोई अन्य बातें जो जोन या उसके किसी क्षेत्र की योजना के अनुसार समुचित विकास के लिए और ऐसे जोन या क्षेत्र में भवनों के अक्रमिक निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक हों।

23. योजना तैयार करने और उसे मंजूर किये जाने के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया :- (1) किसी योजना को अन्तिम रूप तैयार करने के पूर्व प्राधिकरण योजना का एक प्रारूप तैयार करेगा और उसे प्रकाशित करायेगा और उसकी एक प्रति निरीक्षणार्थ उपलब्ध करायेगा और एक नोटिस ऐसे प्रारूप और रीति में प्रकाशित करायेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित की जायें और उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से ऐसी तारीख के पूर्व जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाये, योजना के प्रारूप के संबंध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित भूमि को योजना स्पर्श करती है। उस योजना के बाबत् किसी प्रकार का अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(3) प्राधिकरण उन समस्त आक्षेपों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर, जो उसे प्राप्त हो, विचार करने के पश्चात् योजना को अन्तिम रूप देगा।

(4) योजना के आकार और उसकी अन्तर्वस्तु की बाबत् और उसके बारे में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की बाबत् और ऐसी योजना तैयार करने एवं मंजूर करने से संबंधित किसी अन्य मामले में विनियमों द्वारा उपलब्ध किये जा सकेंगे।

(5) उप-धारा (1) से (4) तक में कोई बात होने पर भी उक्त उप-धाराओं में अधिकथित प्रक्रिया का उस मामले में अपनाया जाना अपेक्षित नहीं होगा जब किसी जोन में किसी परियोजना या स्कीम का विकास या उसमें कोई सुधार प्राधिकरण में निहित किसी भूमि पर कार्यान्वित किया जाना हो।

24. योजना के प्रवर्तित होने की तारीख :- प्राधिकरण द्वारा योजना मंजूर किये जाने के तुरन्त पश्चात् वह एक नोटिस ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित हो जिसमें यह कथन होगा कि योजना का अनुमोदन कर दिया गया है। और उसमें उस स्थान का भी नाम होगा जहाँ सभी युक्तियुक्त समयों पर योजना की प्रति का निरीक्षण किया जा सकेगा और उपर्युक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख को वह योजना प्रवर्तित हो जायेगी।

अध्याय-6

योजनाओ में सम्मिलित भूमि के विकास और उपयोग का नियंत्रण

29 विकास क्षेत्रों की घोषणाएँ:— (1) धारा 24 में यथा उपबन्धित कियी योजना के प्रवर्तन में आने के पश्चात् प्राधिकरण यथासंभव शीघ्र राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जोधपुर रीजन के किसी भी क्षेत्र को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विकास क्षेत्र घोषित कर सकेगा।

(2) इस अधिनियम में यथा-उपबन्धित को छोड़कर, प्राधिकरण किसी भी ऐसे क्षेत्र में भूमि के विकास का उत्तरदायित्व नहीं लेगा या उसका विकास नहीं करेगा जो विकास क्षेत्र नहीं है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिसूचना क्रमांक प.2(9)विधि/2/2009,
दिनांक फरवरी 3, 2009

SCHEDULE - I
LIST OF CITY, TOWNS AND VILLAGES FALLING IN
JODHPUR REGION

A. City

1. Jodhpur City

B. Town

2. Mandor
3. Pal
4. Jhalamand
5. Baga (Sursagar)
6. Koori Bhagatasani
7. Salawas
8. Sangaria

C. Villages Tehsil-Jodhpur

9. Akthali
10. Alakhadhara
11. Anganwa
12. Asaranada
13. Badliya
14. Bala Kua
15. Bambor Darjiyan
16. Bambor Purohitan
17. Banar
18. Baniyawas
19. Banwarla
20. Barli
21. Basni Bagela
22. Basni Beda

23. Basni Jhoontha
24. Basni Karwar
25. Basni Lachhan
26. Basni Nikooba
27. Basni Sepha
28. Basni Silawata
29. Beota
30. Beroo
31. Bhagtasani
32. Bhagtasani Khalsa
33. Bhakrasni
34. Bhandoo Kalan
35. Bhandoo Khurd
36. Bhirkali
37. Bidasani
38. Birami
39. Birdawas
40. Bisalpur
41. Boojawar
42. Boranada
43. Borawas
44. Chanwa
45. Charan Basni
46. Choukha with Chak & Bandh Ummed Sagar
47. Chawanda
48. Cheecharli
49. Chhali (Chali)
50. Daijar
51. Daikara
52. Dangiyawas
53. Dantiwara
54. Deoliya
55. Desooriya Kharol (Desooriya Khorala)
56. Desooriya Vishnoiyan
57. Dhandhiya (Dhodhiyan)

58. Dhawa
59. Dhigana
60. Doli
61. Doli-ka-Kani
62. Doliya (Roliya)
63. Feench (Keench)
64. Gangana
65. Gelawas
66. Ghantiyala
67. Gharao
68. Golasani
69. Goliya
70. Goojarwas Kalan
71. Goojarwas Khurd
72. Gurha Vishanoiyan
73. Hingola
74. Indroka
75. Jajiwai Bhandariya
76. Jajiwai Bhatiya (Jajiwai Bhatinda)
77. Jajiwai Brahman
78. Jajiwai Dhadhla
79. Jajiwai Gehlota
80. Jajiwai Kalan
81. Jajiwai Kankrala
82. Jajiwai Khichiya
83. Jajiwai Kutri
84. Jaleli Champawatan
85. Jaleli Daikara
86. Jaleli Faujdarani
87. Janadesar
88. Jatiyasani
89. Jatiyawas
90. Jhalamand
91. Jhanwar
92. Jheepasani

93. Jogiyasani
94. Joliyali
95. Kankani
96. Kakelao
97. Kalijal
98. Kanawas-ka-Pana
99. Karani
100. Karwar
101. Katara
102. Keroo
103. Kharabera Bheemitan
104. Kharabera Purohitan
105. Kharda Bhandoo
106. Kharda Randheer
107. Khatawas
108. Khatiyasani
109. Khejarli Kalan
110. Khejarli Khurd
111. Khokhari
112. Khokharia
113. Khudala
114. Kukanda
115. Lenga-ki-Dhani
116. Loonawas Charana
117. Loonawas Kalan
118. Loonawas Khara
119. Loonawas Khurd
120. Lordi Daijagra
121. Lordi Doliyas
122. Lordi Panditji
123. Magera Kalan
124. Magera Khurd
125. Manai
126. Manaklao
127. Meglasiya

128. Miyasani
129. Modathali
130. Modi Joshian
131. Modi Soothra
132. Moklawas
133. Mortuka
134. Nandra Kalan
135. Nandra Khurd
136. Nandri
137. Nandwana
138. Narnadi
139. Narwa Khichian
140. Nimbla
141. Palasni
142. Palri Khichian
143. Palri Mangaliya
144. Palri Panwaran
145. Peethasni
146. Peethawas
147. Pesawas (Peshawas)
148. Phitkasni
149. Popawas
150. Rabariya
151. Rajpuriya
152. Rajwa
153. Ralawas
154. Raseeda
155. Rendari
156. Roheecha Kalan
157. Roheecha Khurd
158. Roodkali
159. Royala Bhandoo
160. Royala Kalan
161. Royala Khurd & Phalasiya
162. Sajara (Sagara)

163. Salori
164. Salwan Kalan
165. Sangariya (Sagariya)
166. Sangasni
167. Sar
168. Sarecha
169. Satlana
170. Sikarpura
171. Singasni
172. Sinli (Seegli)
173. Sirodi
174. Sooraj Basni
175. Soorpura
176. Subdand
177. Tanawara
178. Thabukra
179. Uchiyada
180. Vishawas (Pishawas)

Tehsil Osian

181. Balkha
182. Bara Kotecha
183. Bari
184. Basni Patan
185. Baori
186. Beej Bariya
187. Bhainser Chawandiyali
188. Bhainser Kootri
189. Bhainser Kotwali
190. Bhat Koriya
191. Bhawad
192. Birai
193. Bovdi Kalan
194. Bovdi Khurd
195. Bucheti

196. Changawara Charan
197. Changawara Kalan
198. Changawara Khurd
199. Chaupasani Charna
200. Doli Nerwa
201. Gangani
202. Jointara
203. Jur
204. Kasti
205. Khari Khurd
206. Kotra
207. Lawera
208. Lunavasiya
209. Mailana
210. Malunga
211. Mathaniya
212. Nawa Nagariya
213. Nerwa Charnan
214. Netra
215. Rajasani
216. Rampuriya Bhatiya
217. Santora Kalan
218. Santora Khurd
219. Sanwat Kua Kalan
220. Sanwat Kua Khurd
221. Sevki Kalan
222. Sevki Khurd
223. Surpura Kalan
224. Tinwari
225. Ujaliya
226. Ummed Nagar

Tehsil Shergarh

227. Agolai
228. Basni Manna

229. Basarli
230. Bhatelai Charnan
231. Bhatelai Purohitan
232. Dugar
233. Surani
234. Tolesar Charnan
235. Tolesar Purohitan

(एस. एस. कोठारी)
Principal Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक : F-37/Dir(P)/MasterDevelopmentPlan/2013/

दिनांक:- 26.09.2013

अधिसूचना

संख्या एफ-37/डी.आई.आर.(पी)/13/मास्टर प्लान जोधपुर विकास प्राधिकरण, अधिनियम 2009 की धारा 23 (योजना तैयार करने और उसे मंजूर किये जाने के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया) की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मास्टर विकास योजना-2031 जोधपुर रीजन तैयार कर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24/09/2013 के द्वारा अनुमोदित की गयी, जो धारा 24 (योजना के प्रवर्तन होने की तारीख) की अनुपालना में दिनांक 27/09/2013 से प्रभावी होगी।

राजस्व ग्रामों की सूची

क्र.स.	ग्राम का नाम	तहसील
1.	जोधपुर	जोधपुर
2.	बागा	जोधपुर
3.	बड़ली	जोधपुर
4.	गोलासनी	जोधपुर
5.	झालामण्ड	जोधपुर
6.	सांगरिया	जोधपुर
7.	कुड़ी भगतासनी	जोधपुर
8.	खारडा रणधीर	जोधपुर
9.	पाल	जोधपुर
10.	नान्दडा कलां	जोधपुर
11.	नान्दड़ी	जोधपुर
12.	उचियारडा	जोधपुर
13.	अलकदडा	जोधपुर
14.	बासनी बेदा	जोधपुर
15.	जाजीवाल कलां	जोधपुर
16.	जाजीवाल कंकराला	जोधपुर
17.	जाजीवाल भंडारिया	जोधपुर
18.	जाजीवाल खिचियां	जोधपुर
19.	जाजीवाल बाहम्णा	जोधपुर
20.	जाजीवाल धाधलां	जोधपुर
21.	जाजीवाल गहलोता	जोधपुर

क्र.स.	ग्राम का नाम	तहसील
22.	दईकड़ा	जोधपुर
23.	सालवा कलां	जोधपुर
24.	लोरडी पण्डित जी	जोधपुर
25.	थबूकड़ा	जोधपुर
26.	जाजीवाल भाटिया	जोधपुर
27.	रलावास	जोधपुर
28.	सुरपूरा	जोधपुर
29.	आंगणवा	जोधपुर
30.	खोखरिया	जोधपुर
31.	गुजरावास खुर्द	जोधपुर
32.	बोरावास	जोधपुर
33.	बालाकुआ	जोधपुर
34.	मण्डोर	जोधपुर
35.	लेगों की ढाणी	जोधपुर
36.	बनाड़	जोधपुर
37.	नान्दड़ा खुर्द	जोधपुर
38.	देवलिया	जोधपुर
39.	जाजीवाल कुतडी	जोधपुर
40.	कडवड़	जोधपुर
41.	झीपासनी	जोधपुर
42.	घड़ाव	जोधपुर
43.	देसूरिया खारोलान	जोधपुर
44.	देसूरिया विश्नोईयान्	जोधपुर
45.	माणकलाव	जोधपुर
46.	दईजर	जोधपुर
47.	पालडी खिचिया	जोधपुर
48.	बासनी लाछा	जोधपुर
49.	बासनी करवड़	जोधपुर
50.	नारवा खिचियां	जोधपुर
51.	पालडी पंवारा	जोधपुर
52.	पालडी मांगलिया	जोधपुर
53.	भिडकाली	जोधपुर
54.	इन्द्रोका	जोधपुर
55.	मणाई	जोधपुर
56.	खोखरी	जोधपुर
57.	बेरु	जोधपुर
58.	सालोडी	जोधपुर
59.	केरु	जोधपुर
60.	भगतासनी	जोधपुर

क्र.स.	ग्राम का नाम	तहसील
61.	पोपावास	जोधपुर
62.	घंटियाला	जोधपुर
63.	राजवा	जोधपुर
64.	लोरडी देजगरा	जोधपुर
65.	लोरडी डोलिया	जोधपुर
66.	कराणी	जोधपुर
67.	रोहिला कलां	जोधपुर
68.	रोहिला खुर्द	जोधपुर
69.	मोकलावास	जोधपुर
70.	चावण्डा	जोधपुर
71.	बासनी सेफा	जोधपुर
72.	शिरोडी	जोधपुर
73.	जोलियाली	जोधपुर
74.	बम्बोर दर्जियान	जोधपुर
75.	बम्बोर पुरोहितान	जोधपुर
76.	मेघलासिया	जोधपुर
77.	चौखा	जोधपुर
78.	डांगियावास	जोधपुर
79.	जालेजी दर्ईकड़ा	जोधपुर
80.	कुकण्डा	जोधपुर
81.	बावरला	जोधपुर
82.	आकथली	जोधपुर
83.	सूरज बासनी	जोधपुर
84.	खातियासनी	जोधपुर
85.	आसण्डा	जोधपुर
86.	दांतीवाडा	जोधपुर
87.	काकेलाव	जोधपुर
88.	बासनी चारणा	जोधपुर
89.	फिटकासनी	जोधपुर
90.	रसीदा	जोधपुर
91.	जालेली फोजदारा	जोधपुर
92.	बासनी निकुबा	जोधपुर
93.	कानावास का पाना	जोधपुर
94.	बिसलपूर	जोधपुर
95.	मोरटुका	जोधपुर
96.	पालासनी	जोधपुर
97.	गोलिया	जोधपुर
98.	बिरामी	जोधपुर
99.	मियासनी	जोधपुर

क्र.स.	ग्राम का नाम	तहसील
100.	बिराडावास	जोधपुर
101.	पिथासनी	जोधपुर
102.	रुडकली	जोधपुर
103.	पीथावास	जोधपुर
104.	जालेली चम्पावता	जोधपुर
105.	जाटियावास	जोधपुर
106.	डोलिया	जोधपुर
107.	लूनी	लूणी
108.	धांधिया	लूणी
109.	रेंदडी	लूणी
110.	बिसावास	लूणी
111.	सतलाना	लूणी
112.	सेरेंचा	लूणी
113.	सर	लूणी
114.	बासनी झूठा	लूणी
115.	सालावास	लूणी
116.	बासनी सिलावटा	लूणी
117.	धवा प्रथम	लूणी
118.	चाली	लूणी
119.	मोडाथली	लूणी
120.	खुडाला	लूणी
121.	खटावास	लूणी
122.	लूणावास खारा	लूणी
123.	बेवटा	लूणी
124.	जोगियासनी	लूणी
125.	डोली	लूणी
126.	बुझावड	लूणी
127.	झंवर	लूणी
128.	नारनाडी	लूणी
129.	भाण्डू कलां	लूणी
130.	जाटियासनी	लूणी
131.	खारडा भाण्डू	लूणी
132.	रोहिला भाण्डू	लूणी
133.	कटारडा	लूणी
134.	जानादेसर	लूणी
135.	हिंगोला	लूणी
136.	चींचडली	लूणी
137.	राबडिया	लूणी
138.	नन्दवान	लूणी

क्र.स.	ग्राम का नाम	तहसील
139.	बोरानाडा	लूणी
140.	गांगाणा	लूणी
141.	मोगडा कलां	लूणी
142.	मोगडा खुर्द	लूणी
143.	तनावड़ा	लूणी
144.	कांकाणी	लूणी
145.	शिकार पुरा	लूणी
146.	डोली कांकाणी	लूणी
147.	निम्बला	लूणी
148.	खेजड़ली कलां	लूणी
149.	खेजड़ली खुर्द	लूणी
150.	सांगासनी	लूणी
151.	भगतासनी	लूणी
152.	बिडासनी	लूणी
153.	मोडी जोशियान	लूणी
154.	बाणियावास	लूणी
155.	गुजरावास कलां	लूणी
156.	पेशावास	लूणी
157.	खाराबेरा भीमावता	लूणी
158.	धींगाणा	लूणी
159.	राजपूरिया	लूणी
160.	खाराबेरा पूराहितान्	लूणी
161.	गुडा विश्नोईयान्	लूणी
162.	भाकरासनी	लूणी
163.	बासनी बाघेला	लूणी
164.	बडलिया	लूणी
165.	भाण्डू खुर्द	लूणी
166.	लूणावास कलां	लूणी
167.	लूणावास खुर्द	लूणी
168.	लूणावास चारणान्	लूणी
169.	मोडी सोथरा	लूणी
170.	सिंगासनी	लूणी
171.	सजाडा	लूणी
172.	रोहिचा कलां	लूणी
173.	रोहिचा खुर्द	लूणी
174.	सिनली	लूणी
175.	फींच	लूणी
176.	सुबदण्ड	लूणी
177.	गेलावास	लूणी

क्र.स.	ग्राम का नाम	तहसील
178.	कालीजाल	लूणी
179.	मथानिया	ओसियां
180.	रामपुरा भाटीयान	ओसियां
181.	चौपासनी चारणान्	ओसियां
182.	राजासनी	ओसियां
183.	कोटडा	ओसियां
184.	बीजवाडिया	ओसियां
185.	तिवरी	ओसियां
186.	बालरवा	ओसियां
187.	मांलूगा	ओसियां
188.	बाड़ी	ओसियां
189.	बड़ा कोटेचा	ओसियां
190.	सन्तोडा खुर्द	ओसियां
191.	सन्तोडा कलां	ओसियां
192.	डोली नेरवा	ओसियां
193.	नेरवा चारणान्	ओसियां
194.	भवाद	ओसियां
195.	उजालिया	ओसियां
196.	जूड	ओसियां
197.	उम्मेद नगर	ओसियां
198.	भैसेर चावडियाली	ओसियां
199.	भैसेर कोटवाली	ओसियां
200.	भैसेर कुतडी	ओसियां
201.	बासनी पांता	बावडी
202.	बावडी	बावडी
203.	भटकोरिया	बावडी
204.	बिराई	बावडी
205.	बोडवी कलां	बावडी
206.	बोडवी खुर्द	बावडी
207.	बुचैटी	बावडी
208.	चंगावडा चारणा	बावडी
209.	चंगावडा कलां	बावडी
210.	चंगावडा खुर्द	बावडी
211.	गंगाणी	बावडी
212.	जोईन्तरा	बावडी
213.	कास्टी	बावडी
214.	लवेरा खुद्र	बावडी
215.	लूणावास	बावडी
216.	मेलाणा	बावडी

क्र.स.	ग्राम का नाम	तहसील
217.	नवानगरिया	बावडी
218.	नेतडा	बावडी
219.	सांवत कुआ कलां	बावडी
220.	सांवत कुआं खुर्द	बावडी
221.	सेवकी कलां	बावडी
222.	सेवकी खुर्द	बावडी
223.	सुरपूरा कलां	बावडी
224.	खारी खुर्द	बावडी
225.	बावरली	बालेसर
226.	बासनी मनणा	बालेसर
227.	भाटोलाई चारणा	बालेसर
228.	भाटोलाई पुराहितान	बालेसर
229.	तोलेसर चारणा	बालेसर
230.	तोलेसर पुराहितान	बालेसर
231.	आगोलाई	बालेसर
232.	दुगर	बालेसर
233.	सुराणी	बालेसर

मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 (प्रारूप) जोधपुर रीजन के संबंध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति/ संस्था/विभाग कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में अपनी आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान के इस प्रारूप को उपरोक्त समयावधि में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में देखा जा सकता है एवं प्राधिकरण की वेबसाइट www.jodhpurjda.org एवं www.udhrajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

(पी. एस. नागा)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प.3(44)नविवि/3/2013

जयपुर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्याक 2) की धारा 2 उपधारा (8) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार एतद्वारा दिनांक 03 फरवरी, 2009 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित जोधपुर रीजन के राजस्व ग्रामों की अनुसूची-1 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित 395 राजस्व ग्रामों की संशोधित अनुसूची-1 जारी की जाती है। इसके उपरान्त उपान्तरित क्षेत्र जोधपुर रीजन में सम्मिलित होगा।

अनुसूची-1

जोधपुर रीजन में आने वाले शहर, कस्बों और ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम (हिन्दी)	तहसील
1.	डांगियावास	जोधपुर
2.	जालेली दर्ईकड़ा	जोधपुर
3.	कुकण्डा	जोधपुर
4.	बावरला	जोधपुर
5.	आकथली	जोधपुर
6.	सूरज बासनी	जोधपुर
7.	खातियासनी	जोधपुर
8.	दांतीवाड़ा	जोधपुर
9.	काकेलाव	जोधपुर
10.	बासनी चारणां	जोधपुर
11.	जालेली फौजदारां	जोधपुर
12.	बासनी निकुंबा	जोधपुर
13.	कानावास का पाना	जोधपुर
14.	बिसलपुर	जोधपुर
15.	धायलों की ढाणी	जोधपुर
16.	मोरटूका	जोधपुर
17.	पालासनी	जोधपुर
18.	गोलिया	जोधपुर

19.	सेवालों की ढाणी	जोधपुर
20.	बिरामी	जोधपुर
21.	मियासनी	जोधपुर
22.	बिरड़ावास	जोधपुर
23.	पिथासनी	जोधपुर
24.	रूडकली	जोधपुर
25.	पीथावास	जोधपुर
26.	जालेली चम्पावता	जोधपुर
27.	जाटियावास	जोधपुर
28.	डोलिया	जोधपुर
29.	प्रताप नगर	जोधपुर
30.	सारण नगर	जोधपुर
31.	आसण्डा	जोधपुर
32.	जाजीवाल कलां	जोधपुर
33.	जाजीवाल विश्नोईयां	जोधपुर
34.	जाजीवाल कंकराला	जोधपुर
35.	जाजीवाल भण्डारिया	जोधपुर
36.	जाजीवाल जाखड़ा	जोधपुर
37.	जाजीवाल गोदारा	जोधपुर
38.	जाजीवाल खिचियां	जोधपुर
39.	जाजीवाल ब्राह्मणां	जोधपुर
40.	जाजीवाल धांधलां	जोधपुर
41.	जाजीवाल गहलोतान्	जोधपुर
42.	दर्कड़ा	जोधपुर
43.	बुधनगर	जोधपुर
44.	डावचा प्याऊ	जोधपुर
45.	सालवा कलां	जोधपुर
46.	राम नगर	जोधपुर
47.	करवालों की ढाणी	जोधपुर
48.	लोरडी पण्डित जी	जोधपुर
49.	थबूकड़ा	जोधपुर
50.	जाजीवाल भाटियां	जोधपुर
51.	रलावास	जोधपुर
52.	सुरपुरा	जोधपुर
53.	आंगणवा	जोधपुर
54.	खोखरिया	जोधपुर
55.	गुजरावास खुर्द	जोधपुर
56.	बोरावास	जोधपुर
57.	बालाकुंआ	जोधपुर

58.	बासनी तम्बोलियां	जोधपुर
59.	बासनी मालियान्	जोधपुर
60.	बनाड	जोधपुर
61.	विश्नोईयों की ढाणी	जोधपुर
62.	नान्दड़ा खुर्द	जोधपुर
63.	सोढेर की ढाणी	जोधपुर
64.	देवलिया	जोधपुर
65.	जाजीवाल कूतड़ी	जोधपुर
66.	जाजीवाल श्री बालाजी	जोधपुर
67.	डिगाडी	जोधपुर
68.	विनायकिया	जोधपुर
69.	ढण्ड	जोधपुर
70.	भिचड़ली	जोधपुर
71.	पून्जला	जोधपुर
72.	भदवासिया	जोधपुर
73.	चैनपुरा	जोधपुर
74.	मण्डोर प्रथम व द्वितीय	जोधपुर
75.	बागां	जोधपुर
76.	बड़ली	जोधपुर
77.	बड़ली नेड़	जोधपुर
78.	गोलासनी	जोधपुर
79.	गेवां	जोधपुर
80.	सुथलां	जोधपुर
81.	पाल	जोधपुर
82.	धीनाणा की ढाणी	जोधपुर
83.	चौखा	जोधपुर
84.	चौपासनी जागीर	जोधपुर
85.	जोधपुर	जोधपुर
86.	झालामण्ड	जोधपुर
87.	सांगरिया	जोधपुर
88.	कुड़ी भगतासनी	जोधपुर
89.	बासनी चौहाना	जोधपुर
90.	खारडा रणधीर	जोधपुर
91.	नान्दड़ा कलां	जोधपुर
92.	नान्दड़ी	जोधपुर
93.	श्रीयादे गांव	जोधपुर
94.	अलकदड़ा	जोधपुर
95.	बासनी बेन्दा	जोधपुर
96.	करवड़	जोधपुर

97.	झीपासनी	जोधपुर
98.	घड़ाव	जोधपुर
99.	देसूरिया खारोलान	जोधपुर
100.	देसूरिया विश्नोईयान	जोधपुर
101.	माणकलाव	जोधपुर
102.	दर्ईजर	जोधपुर
103.	पालडी खिचियानं	जोधपुर
104.	बासनी लांछा	जोधपुर
105.	बासनी कडवड़	जोधपुर
106.	नारवा खिचियान	जोधपुर
107.	जाखडों की ढाणी	जोधपुर
108.	पालडी पंवारं	जोधपुर
109.	पालडी मांगलियां	जोधपुर
110.	भिडकाली	जोधपुर
111.	इन्द्रोका	जोधपुर
112.	मणाई	जोधपुर
113.	खोखरी	जोधपुर
114.	बैरू	जोधपुर
115.	सालोड़ी	जोधपुर
116.	देदीपानाड़ा	जोधपुर
117.	कैरू	जोधपुर
118.	महादेव उन्देड़ा	जोधपुर
119.	शिव सारणों की ढाणी	जोधपुर
120.	भगतासनी सासण	जोधपुर
121.	पोपावास	जोधपुर
122.	घंटियाला	जोधपुर
123.	राजवा	जोधपुर
124.	लोरड़ी देजगरा	जोधपुर
125.	लोरड़ी डोलिया	जोधपुर
126.	कराणी	जोधपुर
127.	रोहिला कलां	जोधपुर
128.	रोहिला खुर्द	जोधपुर
129.	मोकलावास	जोधपुर
130.	नारों की ढाणी	जोधपुर
131.	दवों की ढाणी	जोधपुर
132.	चावण्डा	जोधपुर
133.	बासनी सेफा	जोधपुर
134.	सिरोड़ी	जोधपुर
135.	जोलियाली	जोधपुर

136.	पूनियों की प्याऊ	जोधपुर
137.	बम्बोर पुरोहितान	जोधपुर
138.	बम्बोर दर्जियान	जोधपुर
139.	पुरखपुरा	जोधपुर
140.	लेगों की ढाणी	जोधपुर
141.	जसनाथ नगर	जोधपुर
142.	हेमनगर	जोधपुर
143.	मेघलासिया	जोधपुर
144.	फिटकासनी	जोधपुर
145.	रसीदा	जोधपुर
146.	वीर तेजाजी नगर	जोधपुर
147.	उचियारड़ा	जोधपुर
148.	लूणी	लूणी
149.	राजोर	लूणी
150.	धांधिया	लूणी
151.	विष्णु की ढाणी	लूणी
152.	किशनपुरा	लूणी
153.	देवपुरा	लूणी
154.	रेन्दड़ी	लूणी
155.	बिसावास	लूणी
156.	सतलाना	लूणी
157.	मोडी	लूणी
158.	गोलिया मगरा	लूणी
159.	माधोपुरा	लूणी
160.	कृष्णा खेड़ा	लूणी
161.	फिंच	लूणी
162.	हनुमान नगर	लूणी
163.	हमीर नगर	लूणी
164.	सरेचां	लूणी
165.	सर	लूणी
166.	खेड़ा सरेचां	लूणी
167.	बासनी झूठा	लूणी
168.	सरदारगढ़	लूणी
169.	निम्बालासर	लूणी
170.	रोहिचा कलां	लूणी
171.	समराथल नगर	लूणी
172.	सम्पत नगर	लूणी
173.	कृष्णा नगर	लूणी
174.	नन्दवान	लूणी

175.	हीरखेड़ा	लूणी
176.	चावड़ों की ढाणी	लूणी
177.	झंवर	लूणी
178.	कडुम्बा नाडा	लूणी
179.	ढाणा विश्नोईयां	लूणी
180.	राड नगर	लूणी
181.	डेलुम्बा	लूणी
182.	निम्बली	लूणी
183.	केरली	लूणी
184.	ढण्ड	लूणी
185.	अजीत नगर	लूणी
186.	बडला नगर	लूणी
187.	चिंचडली	लूणी
188.	इमाम नगर	लूणी
189.	राबडिया	लूणी
190.	पुरखा वास	लूणी
191.	कानासर	लूणी
192.	शेरानी नगर	लूणी
193.	मेराण नगर	लूणी
194.	जानादेसर	लूणी
195.	हिंगोला	लूणी
196.	मेहराम नगर	लूणी
197.	खेजड़ा नाड़ा	लूणी
198.	पाबूनाड़ा	लूणी
199.	गुलाब सागर	लूणी
200.	राणा नगर	लूणी
201.	चिराई नगर	लूणी
202.	सावन नगर	लूणी
203.	लूणावास खारा	लूणी
204.	बेवटा	लूणी
205.	विष्णु की ढाणी	लूणी
206.	जोगियासनी	लूणी
207.	परिहारों की ढाणी	लूणी
208.	खुडाला	लूणी
209.	खटावास	लूणी
210.	सुरता नगर	लूणी
211.	बोरानाड़ा	लूणी
212.	गंगाणा	लूणी
213.	बासनी सिलावटान	लूणी

214.	नारनाड़ी	लूणी
215.	खारड़ा भाण्डू	लूणी
216.	भाण्डू कलां	लूणी
217.	जाटियासनी	लूणी
218.	रोहिला भाण्डू	लूणी
219.	कटारड़ा	लूणी
220.	थुम्बली	लूणी
221.	डोली	लूणी
222.	बुझावड़	लूणी
223.	केरला	लूणी
224.	कांकाणी	लूणी
225.	श्री राजेश्वर नगर	लूणी
226.	सेवाला नगर	लूणी
227.	श्री जम्भेश्वर नगर	लूणी
228.	शिकारपुरा	लूणी
229.	डोली कांकाणी	लूणी
230.	निम्बलासर	लूणी
231.	खाराबेरा पुरोहितान्	लूणी
232.	खाराबेरा भीमावतान	लूणी
233.	धींगाणा	लूणी
234.	पाबूपुरा कुम्हारं	लूणी
235.	राज नगर	लूणी
236.	देव नगर	लूणी
237.	राजपुरिया	लूणी
238.	मोगड़ा कला	लूणी
239.	मोगडा खुर्द	लूणी
240.	तनावड़ा	लूणी
241.	शेखानाड़ा	लूणी
242.	सालावास	लूणी
243.	सालावास रेलवे स्टेशन	लूणी
244.	किशनासर	लूणी
245.	रोहिचा खुर्द	लूणी
246.	अरनियाला	लूणी
247.	दूदिया	लूणी
248.	सुबदण्ड	लूणी
249.	सिनली	लूणी
250.	महोदव नगर	लूणी
251.	धवा-प्रथम	लूणी
252.	धवेचों का गांव	लूणी

253.	राजेश्वर नगर	लूणी
254.	मेलबा	लूणी
255.	पीपराली	लूणी
256.	राबडियावास	लूणी
257.	सेवाला	लूणी
258.	धवा-द्वितीय	लूणी
259.	चाली	लूणी
260.	मोडाथली	लूणी
261.	लूणावास कलां	लूणी
262.	लूणावास खुर्द	लूणी
263.	लूणावास चारणां	लूणी
264.	गेलावास	लूणी
265.	डोलानाड़ा	लूणी
266.	कालीजाल	लूणी
267.	मेहलावास	लूणी
268.	शिव गांव	लूणी
269.	पन्नेसिंह नगर	लूणी
270.	महरियों की ढाणी	लूणी
271.	शक्ति नगर	लूणी
272.	निम्बली गांव	लूणी
273.	लूणावास जाटान	लूणी
274.	बजरंग नगर	लूणी
275.	बडलिया	लूणी
276.	चक बडलिया	लूणी
277.	भाण्डू खुर्द	लूणी
278.	राम नगर	लूणी
279.	मुकनपुरा	लूणी
280.	करणी नगर	लूणी
281.	खेजडली कलां	लूणी
282.	खेजडली खुर्द	लूणी
283.	सांगासनी	लूणी
284.	भगतासनी सांसण	लूणी
285.	बिडासनी	लूणी
286.	बाणियावास	लूणी
287.	गुजरावास कलां	लूणी
288.	पेशावास	लूणी
289.	नया सजाड़ा खुर्द	लूणी
290.	मोडी जोशियां	लूणी
291.	मोडी सोथरा	लूणी

292.	सिंगासनी	लूणी
293.	सजाड़ा	लूणी
294.	नया सजाड़ा	लूणी
295.	गुडा विश्नोईयां	लूणी
296.	गुडा विश्नोईयां राईका	लूणी
297.	बालाजी नगर	लूणी
298.	मंगल नगर	लूणी
299.	भाकरासनी	लूणी
300.	बासनी बाघेला	लूणी
301.	बावड़ी	बावड़ी
302.	गोविन्दपुरा	बावड़ी
303.	पूनियों की बासनी	बावड़ी
304.	नेतड़ा	बावड़ी
305.	रूपसर	बावड़ी
306.	कास्टी	बावड़ी
307.	लूणावास	बावड़ी
308.	गंगाणी	बावड़ी
309.	मेलावास	बावड़ी
310.	नवानगरिया	बावड़ी
311.	बोडवी खुर्द	बावड़ी
312.	सुरपुरा कलां	बावड़ी
313.	बोडवी कलां	बावड़ी
314.	चंगावड़ा चारणान्	बावड़ी
315.	चंगावड़ा कलां	बावड़ी
316.	चंगावड़ा खुर्द	बावड़ी
317.	सेवकी खुर्द	बावड़ी
318.	बुचेटी	बावड़ी
319.	सेवकी कलां	बावड़ी
320.	सेवा गांव	बावड़ी
321.	बिराई	बावड़ी
322.	जोईन्तरा	बावड़ी
323.	बासनी पाता	बावड़ी
324.	सांवतकुंआ कलां	बावड़ी
325.	सांवतकुंआ खुर्द	बावड़ी
326.	भटकोरिया	बावड़ी
327.	कृष्णनगर	बावड़ी
328.	बुडियों की बासनी	बावड़ी
329.	निम्बारिया	बावड़ी
330.	लवेरा खुर्द	बावड़ी

331.	मेलाणा	बावड़ी
332.	हडमानसागर	बावड़ी
333.	उम्मेद नगर	बावड़ी
334.	संत कृपाराम नगर	बावड़ी
335.	भवाद	बावड़ी
336.	खारी खुर्द	बावड़ी
337.	विनायकपुरा	बावड़ी
338.	उजलिया	बावड़ी
339.	जुड़	बावड़ी
340.	खारी कलां	बावड़ी
341.	तिंवरी	तिंवरी
342.	बालरवा	तिंवरी
343.	जुगतसिंह नगर	तिंवरी
344.	चैनसिंह नगर	तिंवरी
345.	नागेश्वर नगर	तिंवरी
346.	बिंजवाड़िया	तिंवरी
347.	बजरंग नगर	तिंवरी
348.	मालूंगा	तिंवरी
349.	खिवसिंह नगर	तिंवरी
350.	डिगाड़ी	तिंवरी
351.	संत श्री निम्बाराम नगर	तिंवरी
352.	बडा कोटेचा	तिंवरी
353.	बडा कोटेचा खुर्द	तिंवरी
354.	बाडी	तिंवरी
355.	सन्तोड़ा खुर्द	तिंवरी
356.	सन्तोड़ा कलां	तिंवरी
357.	श्री देव नगर	तिंवरी
358.	डोली नेरवा	तिंवरी
359.	नेरवा चारणान्	तिंवरी
360.	वीर तेजाजी नगर	तिंवरी
361.	बासनी भाटियान्	तिंवरी
362.	मथानिया	तिंवरी
363.	भैसेर चावण्डियाली	तिंवरी
364.	भैसेर कोटवाली	तिंवरी
365.	भैसेर कूतड़ी	तिंवरी
366.	चौपासनी चारणान्	तिंवरी
367.	राजासनी	तिंवरी
368.	रामदेवरा राजासनी	तिंवरी
369.	कोटड़ा	तिंवरी

370.	रामपुरा भाटियान	तिंवरी
371.	सिन्धियों की ढाणी	तिंवरी
372.	राम नगर	तिंवरी
373.	आगोलाई	बालेसर
374.	कोनरी	बालेसर
375.	हरियाण	बालेसर
376.	पन्नीसर	बालेसर
377.	उदयसर	बालेसर
378.	मोकल नगर	बालेसर
379.	देवगढ़	बालेसर
380.	टीकमगढ़	बालेसर
381.	दूगर	बालेसर
382.	हडमान नगर	बालेसर
383.	डूडी नगर	बालेसर
384.	विष्णु नगर	बालेसर
385.	सुराणी	बालेसर
386.	बावरली	बालेसर
387.	गाजना वास	बालेसर
388.	लूणावपुरा	बालेसर
389.	अजीत नगर	बालेसर
390.	बासनी मनणा	बालेसर
391.	भाटेलाई पुरोहितान्	बालेसर
392.	भाटेलाई चारणान्	बालेसर
393.	मूण्डसर	बालेसर
394.	तोलेसर चारणान्	बालेसर
395.	तोलेसर पुरोहितान्	बालेसर

राज्यपाल की आज्ञा से

(जगजीत सिंह मोंगा)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

जोधपुर विकास प्राधिकरण (योजनाओं की तैयारी और मंजूरी) विनियम, 2014

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 91 के साथ पठित उसकी धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन विनियमों का नाम जोधपुर विकास प्राधिकरण (योजनाओं की तैयारी और मंजूरी) विनियम, 2014 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2- परिभाषायें:- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में:-

(1) "अधिनियम" से जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 अभिप्रेत है।

(2) "प्राधिकरण" से जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अभिप्रेत है।

(3) "कार्यकारी समिति" से प्राधिकरण की कार्यकारी समिति अभिप्रेत है:

(4) जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त" से अधिनियम की धारा 8 के अधीन सरकार द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त के रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है,

(5) "निदेशक नगर आयोजना" से प्राधिकरण का नगर आयोजना निदेशक अभिप्रेत है:

(6) "सचिव" से प्राधिकरण का सचिव अभिप्रेत है:

(7) जो प्रयुक्त किन्तु परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम के लिए समनुदेशित है।

3- अधिनियम की धारा 23 के अधीन योजना प्रारूप के प्रकाशन की रीति:-

(1) प्राधिकरण में तैयार किया गया योजना प्रारूप सचिव द्वारा प्रारूप "क" में इस प्रकार प्रकाशित किया जायेगा कि उसकी एक प्रतिलिपि जोधपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय, जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय, कार्यालय नगर निगम जोधपुर, कार्यालय जिला परिषद जोधपुर, संबंधित नगर पालिका के कार्यालय, संबंधित पंचायत समिति तथा तहसील में चिपकवाकर प्रारूप के बारे में प्रत्येक व्यक्ति से सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करते हुए राज-पत्र में तथा जोधपुर से प्रकाशित होने वाले तथा अधिक प्रसार वाले हिन्दी के दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करेगा। योजना प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे सुझाव अथवा अपत्तियां, प्रारूप

“क” में योजना प्रारूप के राज-पत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किये जाएंगे।

- (2) योजना प्रारूप की प्रति सहित उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना प्राधिकरण के विवेकानुसार प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को, जिसकी स्थानीय सीमा में योजना प्रारूप से प्रभावित कोई भूमि स्थित हो, योजना की बाबत अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देते हेतु भेजी जायेगी। ऐसा अभ्यावेदन प्रारूप “क” में सूचना के राज-पत्र में प्रकाशित और/या दो समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने की तारीख से जो भी पहले हो, 30 दिन की कालावधि के भीतर किया जायेगा:

परन्तु स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाने पर इस कालावधि को बढ़ाया जा सकेगा।

- (3) योजना प्रारूप ऐसे नक्शों, योजनाओं तथा दस्तावेजों से मिलकर बनेगी जो इन विनियमों से संलग्न दस्तावेजों में दिये गये हैं।
- (4) विनियम 3 (1) में निर्दिष्ट योजना प्रारूप जोधपुर विकास आयुक्त के निर्देशानुसार निदेशक आयोजना द्वारा तैयार किया जायेगा और इसके पश्चात् जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उसके विचार के लिए और विनियम (3) के उप विनियम (2)(3) के अधीन प्राप्त हुई आपत्तियों पर इसकी टिप्पणियों सहित इस पर कार्यकारी समिति की सिफारिश के पश्चात् आगे प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए रखी जायेगी।

4- अधिनियम की धारा 23 के अधीन योजना का अनुमोदन:- (1) प्राप्त हुए आक्षेपों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण ऐसे विनिश्चय करेगा जो वह ठीक समझे।

- (2) जहां प्राधिकरण द्वारा योजना को मंजूरी दे दी जाये यह तुरन्त यह कथित करते हुए कि योजना का अनुमोदन कर दिया गया है, राज-पत्र में प्रारूप “ख” में एक सूचना प्रकाशित करवायेगा जिसकी एक प्रतिलिपि प्राधिकरण के कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर, कार्यालय नगर निगम जोधपुर, कार्यालय जिला परिषद जोधपुर, संबंधित नगर पालिका के कार्यालय और संबंधित समस्त पंचायत समितियों के कार्यालयों में उपलब्ध होगी, जिसका सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय समय में निरीक्षण किया जा सकेगा। सूचना की एक प्रतिलिपि जोधपुर से प्रकाशित होने वाले तथा अधिक प्रसार वाले हिन्दी के दो दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। पूर्वोक्त सूचना के प्रथम प्रकाशन की तारीख से योजना प्रवर्तित हो जायेगी, परन्तु मंजूर योजना की प्रतिलिपि जोधपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय से जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियत कीमत पर खरीदी जा सकेगी।

5- धारा 25 के अधीन किसी योजना का पश्चात्पूर्वी उपान्तरण:- प्राधिकरण, योजना के प्रवर्तन के पश्चात् किसी भी समय, योजना में कोई उपान्तरण, जैसा वह ठीक समझे, कर सकेगा, किन्तु कोई उपान्तरण करने से पहले, मास्टर प्लान के बारे में 30 दिन के भीतर आपत्तियां आमंत्रित करते हुए विनियम 3 में उपदर्शित रीति से प्रारूप "ग" में एक सूचना प्रकाशित की जायेगी। प्राधिकरण योजना में अन्तिम रूप से कोई उपान्तरण करने से पूर्व उसके द्वारा प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करेगा। अन्तिम रूप से अनुमोदित प्रत्येक उपान्तरण विनियम के उप विनियम (2) में कथितानुसार प्रकाशित किया जायेगा और उपान्तरण या तो प्रकाशन की तारीख से या ऐसी तारीख से प्रवर्तित होगा जो प्राधिकरण, राज-पत्र में और उस क्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के द्वारा नियत करें जिसके पश्चात् उपान्तरित योजना अधिनियम के सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए प्रवर्तित हो जायेगी।

6- धारा 39 के अधीन परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी तथा प्रकाशन:-

- (i) जब प्राधिकरण अधिनियम की धारा 39 में यथा उपबन्धित रूप में किसी विकास क्षेत्र में कोई परियोजना या स्कीम तैयार करने के अपने आशय की घोषणा करें, तो ऐसी परियोजना या स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की तारीख से 30 दिन के भीतर राज-पत्र और जोधपुर से प्रकाशित होने वाले व अधिक प्रसार वाले हिन्दी के दो स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में और जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर, कार्यालय नगर निगम जोधपुर, कार्यालय जिला परिषद जोधपुर और संबंधित समस्त नगर पालिकायें एवं पंचायत समिति के नोटिस बोर्ड पर ऐसी घोषणा की एक प्रति चिपकवा कर, प्रकाशित करेगा।
- (ii) प्राधिकरण द्वारा उप विनियम (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर प्रारूप के रूप में कार्यकारी समिति की सिफारिशों पर, परियोजना या स्कीम का प्रारूप तैयार किया जायेगा जिसे उप विनियम 3(1) में यथा उपबन्धितानुसार एक प्रारूप योजना के समान एक नोटिस के साथ प्रकाशित करेगा, जिसमें विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उक्त परियोजना या स्कीम के प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऐसी तारीख से तीस दिन से पूर्व की नहीं होगी, आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किये गए हों।
- (iii) आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् जब किसी परियोजना अथवा स्कीम का प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन कर दिया जाये, तो अन्तिम परियोजना या स्कीम को तुरन्त राज-पत्र में जोधपुर से प्रकाशित अधिक प्रसार वाले हिन्दी के दो स्थानीय समाचार पत्रों में तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के कार्यालय, कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर, कार्यालय नगर निगम जोधपुर, कार्यालय जिला परिषद जोधपुर और संबंधित समस्त नगर पालिकायें एवं पंचायत समिति के नोटिस बोर्ड पर, वह

तारीख जिसमें परियोजना या स्कीम प्रवर्तित होगी, विनिर्दिष्ट करते हुए प्रकाशित की जाएगी।

- 7- (i) किसी परियोजना अथवा स्कीम में धारा 39 में उपदर्शित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध किया जायेगा और उसमें उक्त धारा में दी गयी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होगी।
- (ii) प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित समस्त आवश्यक नक्शे, योजनायें या अन्य मामले परियोजना प्रारूप या स्कीम के साथ और प्रस्तावों के समर्थन में आवश्यक लिखित विश्लेषण और लिखित विवरण सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किये जायेंगे।
- 8- किसी परियोजना या स्कीम में, धारा 39 में उपबंधित मामलों और उक्त धारा में दी गयी विशिष्टियों के अतिरिक्त ऐसी अन्य विशिष्टियाँ होगी जो प्राधिकरण द्वारा कार्यकारी समिति की सिफारिश पर समय समय पर अनुमोदित की जाये।

अनुसूची

मास्टर विकास योजना – प्रारूप

(क) प्रारूप और अन्तर्वस्तु:-

जोधपुर के मास्टर योजना प्रारूप में निम्नलिखित नक्शे, योजना और दस्तावेज समाविष्ट होंगे, अर्थात्:-

- (क) जोधपुर संभाग में सम्मिलित जोधपुर नगर, कस्बों और गांवों की सीमाओं के भीतर सभी सडके, गलियां, रास्ते आदि को सामान्य अभिन्यास दर्शित करने वाला नक्शा,
- (ख) विद्यमान भूमि के प्रचलित उपयोग का पैटर्न जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि, सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग, बंजर भूमि, पहाडियां, नदियां छोटे नाले, नाले, गौचर भूमि, वन आदि दर्शित करने वाला आधारभूत नक्शा,
- (ग) मास्टर योजना प्रारूप में जोधपुर संभाग के नागरिकों के उस जीवन को जिसके निर्वाह की वे –
- (i) वर्ष 2023 में मध्यम श्रेणी के परिप्रेक्ष्य में,
- (ii) वर्ष 2031 में और उसके पश्चात् दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में,
- (iii) ऐसे अन्य अन्तर्वर्ती चरणों में जो वर्णित किये जायें, रखते हैं, जोधपुर शहर व जोधपुर शहर के अन्य विकासोन्मुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं की

पूर्ति के लिए संतुलित और समयबद्ध विकास की लोकापयोगी सिविक सुविधाओं, सामुदायिक प्रसुविधाओं, आवासीय, संचार और यातायात के जाल बिछाने को, प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण और विकास के लिए परियोजनाओं और स्कीमों को तथा जोधपुर संभाग के एकीकृत विकास या प्रभाव डालने वाली ऐसी अन्य बातों को स्पष्टतः परिभाषित किया जायेगा और उसमें निम्नलिखित के लिए विशेष उपबन्ध किया जा सकेगा:-

- (1) यातायात एवं संचार जैसे सड़कें, राजमार्ग, रेल्वे नहरे, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, हवाई लदान कॉम्प्लेक्स और बस सेवा तथा उनका विकास सम्मिलित है।
- (2) जल-प्रदाय, जल-विकास, मल-निकास और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताएं, सुविधाएं एवं सेवाएं, जिनमें विद्युत गैस भी सम्मिलित है।
- (3) प्राकृतिक दृश्यावली, शहर के वनों, वन्य प्राणियों, प्राकृतिक स्रोतों और स्थल दृश्यों के क्षेत्रों का परीक्षण, संरक्षण और विकास,
- (4) ऐतिहासिक, प्राकृतिक, स्थापत्य या वैज्ञानिक रूचि एवं शैक्षणिक मूल्यों की वस्तुओं, आकृतियों, इमारतों या स्थानों का परीक्षण,
- (5) भूमि कटाव रोकना, वनरोपण या पुनः वनरोपण की व्यवस्था करना, जल प्लावित क्षेत्रों, नदियों, नालों, झीलों और तालाबों का सुधार करना,
- (6) सिंचाई, जल प्रदाय एवं जल विद्युत संकर्म, बाढ़ नियंत्रण और जल एवं वायु प्रदूषण को रोकना,
- (7) जिला व्यवसायिक केन्द्रों, अन्य शापिंग कॉम्प्लेक्स, निर्यात, औद्योगिक क्षेत्र, निकास गृह, स्थायी प्रदर्शनी केन्द्रों, पशु मेलों एवं बाजारों,
- (8) शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाएं
- (9) खेलकूद कॉम्प्लेक्स जो अन्तर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर सके,
- (10) आमोद-प्रमोद के लिए उद्यान जिनमें डिस्नीलैण्ड स्टाइल कॉम्प्लेक्स, सफारी उद्यान एवं अन्य बाग एवं उद्यान पिकनिक स्थान एवं दिन के आमोद-प्रमोद जिनमें कृत्रिम झीलें एवं जलाशय सम्मिलित है:
- (11) सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स जिनमें नाट्य-गृह, सिनेमा, रंगमंच, स्टूडियो, मनोरंजन केन्द्र, सम्मेलन हॉल कॉम्प्लेक्स, कन्सर्ट हाल, टाउन हाल और सभा भवन सम्मिलित है,
- (12) पर्यटन कॉम्प्लेक्स जिनमें होटलें, मोटर, कार, टैक्सी, पर्यटन और यात्राएं आयोजित करना सम्मिलित है,
- (13) नए कस्बों के विकास के साथ-साथ जोधपुर संभाग में उपनगरों का विकास और जोधपुर शहर के साथ उनका समुचित समेकीकरण,

- (14) विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आवंटन करना, भूमि का सामान्य वितरण करना और वह सामान्य स्थिति एवं सीमा जतलान जिस तक आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि या वन के रूप में या खनिज समुपयोजन के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग कर सके,
 - (15) खुले स्थानों, बागों, मनोरंजन स्थानों, चिड़ियाघरों, प्राकृतिक आरक्षितियों, पशु अभ्यारण्य, दुग्धशालाओं एवं अन्य प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों का आरक्षण करना,
 - (16) अधिक जनसंख्या वाले एवं औद्योगिक रूप से संकलित क्षेत्रों से जनसंख्या या उद्योग को पुनः स्थापित करना और जोधपुर संभाग के किसी भी क्षेत्र में मंजूर किये जाने वाले उद्योग की घनता या जनसंख्या या उद्योगों का केन्द्रीयकरण करना।
 - (17) आवासन जिसमें ग्रामीण आवासन भी सम्मिलित है,
 - (18) निचले, दलदली या अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों का पुनः विकास एवं सुधार करना,
 - (19) बने हुए विद्यमान क्षेत्रों का पुनः विकास एवं सुधार करना,
 - (20) विभिन्न जोनों के लिए जिनमें "आबादी" का विकास भी सम्मिलित है, मापमान का आयोजन तथा जोन बनाने का विनियमन, तथा
 - (21) जोधपुर संभाग की शहरी उन्नति की व्यवस्था के लिए तथा उनसे संबंधित समस्त मामलों तथा इस अधिनियम के उद्देश्यों से संगत अन्य मामलों के लिए आयोजना तैयार करना,
 - (22) विभिन्न जोनों की सीमा निर्धारित करना, जिनमें विकास के प्रयोजनार्थ जोधपुर संभाग को विभाजित किया जायेगा, वह रीति जिसमें विकास किया जाना है तथा प्रत्येक जोन की भूमि जिसका उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, (चाहे उसमें विकास कार्य करके अथवा अन्यथा) तथा वे चरण जिनमें ऐसा विकास किया जायेगा उपदर्शित करना और वह उस ढांचे का आधारभूत नमूना होगी, जिसके भीतर विभिन्न जोनों को जोनल विकास योजना तैयार की जा सकेगी।
- (घ) प्रस्तावों के समर्थन में लिखित विश्लेषण और लिखित विवरण।
- (ङ) कोई अन्य नक्शे योजनाएं या मामला, जिसे प्राधिकरण, देना उचित समझे।

(ख) जोनल विकास योजना:—

प्रत्येक जोन के लिए प्राधिकरण द्वारा तैयार विकास योजना में—

- (क) जोन के विकास का एक स्थल रेखांक होगा जिसमें ऐसी बातें जैसे सार्वजनिक भवन एवं अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य और उपयोगिताएं, सड़कें, आवासन, आमोद-प्रमोद, उद्योग, व्यवसाय, बाजार, स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक एवं निजी खुले स्थान, तथा अन्य सार्वजनिक एवं निजी खुले स्थान तथा अन्य सार्वजनिक एवं निजी उपयोग की सीमावर्ती स्थितियां और जोन में प्रस्तावित भूमि के उपयोग की सीमा दिखलाई जाएगी,
- (ख) जोनल योजना-प्रारूप होगा, जिसमें धारा 22 की उपधारा (2) में यथा उल्लेखित विकास क्रियाकलापों के लिए उपबन्ध होगा, आबादी की घनता और भवनों की घनता के स्तरमान विनिर्दिष्ट किये जायेंगे और विशेषतः निम्नलिखित सभी बातों से या उनमें से किसी से संबंधित प्रस्ताव होंगे, अर्थात्:-
- (1) भवन-निर्माण के लिए किसी स्थल का प्लाटों में विभाजन,
 - (2) सड़कों, खुले स्थानों, बागों, आमोद-प्रमोद के स्थलों, स्कूलों, बाजारों तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन तथा आरक्षण,
 - (3) किसी क्षेत्र का कस्बे या कॉलोनी के रूप में विकास और वे निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अधीन रहते हुए ऐसा विकास किया जा सकेगा या क्रियान्वित किया जा सकेगा,
 - (4) किसी स्थल पर भवनों का परिनिर्माण तथा भवनों में या उनके चारों ओर रखे जाने वाले खुले स्थानों के बारे में निर्बन्धन तथा शर्तें तथा भवनों की ऊँचाई और उनका स्वरूप,
 - (5) किसी स्थल पर भवनों का पत्तिर-बंधन,
 - (6) किसी स्थल पर निर्मित किये जाने वाले भवन की ऊँचाई या अग्रभाग का स्थापत्य स्वरूप,
 - (7) किसी प्लॉट या स्थल पर बनाए जाने वाले आवासीय भवनों की संख्या,
 - (8) किसी स्थल या ऐसे स्थल पर बने भवनों के संबंध में उपलब्ध कराई जाने वाली सुख सुविधाएं जो चाहे भवनों के निर्माण से पूर्व कराई जाए या उसके पश्चात् तथा व्यक्ति या प्राधिकारी जिसके द्वारा या जिसके खर्च पर ऐसी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है,
 - (9) किसी परिक्षेत्र में विशेष प्रयोजन के लिए परिकल्पित दुकानों, वर्कशॉपों, भण्डागारों या कारखानों या विनिर्दिष्ट वास्तुकला संबंधी स्वरूप के भवनों के निर्माण के संबंध में प्रतिशेक या निर्बन्धन,

- (10) दीवारों, बाडबन्दियों, झाडबंदियों या किसी अन्य संरचनात्मक निर्माण या वस्तु संबंधी निर्माणों का रखरखाव तथा वह ऊंचाई जहां तक उन्हें बनाये रखता है,
- (11) किसी स्थल के भवन-निर्माण से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने के संबंध में निर्बन्धन,
- (12) कोई अन्य बातें जो जोन या उसके किसी क्षेत्र का योजना के अनुसार समुचित विकास के लिए तथा ऐसे जोन या क्षेत्र में भवनों के आक्रमिक निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक हो।
- (ग) प्रस्तावित जोनल विकास योजना के समर्थन में लिखित विश्लेषण या लिखित विवरण।
- (घ) सभी आवश्यक नक्शे, आयोजना मामले, प्राधिकरण जिन्हें देने का निर्देश दें।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

प्रारूप "क"

(देखिए विनियम 3)

.....के विनियम (3) के साथ पठित, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा (23) की उप-धारा (1) के अनुसरण में, इसके द्वारा, सूचना दी जाती है कि जोधपुर संभाग के निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में मास्टर विकास योजनाएं (मास्टर डवलपमेंट प्लान) तैयार की गई हैं:-

कोई भी व्यक्ति राज-पत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तथा/या दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशन की तारीख से, जो भी पहले हो, तीस दिनों की कालावधि के भीतर उक्त मास्टर प्लान प्रारूप के संबंध में आपत्तियों और सुझाव अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकेगा।

तारीख.....

प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी

प्रारूप "ख"

(देखिए विनियम 4)

सूचना

..... के विनियम (4) के साथ पठित, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा (24) के अनुसार में, इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में प्रस्तावित जोधपुर संभाग की मास्टर विकास योजना प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दी गई है:-

इस मास्टर योजना की प्रतिलिपियों का निरीक्षक, कलेक्टर, जोधपुर के कार्यालय, जोधपुर नगर निगम के कार्यालय तथा संबंधित सभी पंचायत समितियों के कार्यालयों में सभी कार्य दिवस को कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है और प्रतियां जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के कार्यालय से खरीदी जा सकती है।

अधिकारी या प्राधिकारी

प्रारूप "ग"


(देखिए विनियम 5)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अधिनियम, 2009 की धारा (25) की उप धारा — (3) तथा उसके अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसरण में, इसके द्वारा, सूचना दी जाती है कि प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत तथा को प्रकाशित जोधपुर संभाग के मास्टर प्लान प्रारूप को नीचे उपदर्शित रीति से स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है:-

प्रस्तावित उपान्तरण

कोई भी व्यक्ति राज-पत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तथा/या किन्हीं दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से जो भी पहले हो, तीस दिनों की कालावधि के भीतर उपर्युक्त उपान्तरणों के संबंध में आपत्तियां और सुझाव अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकेगा।

अधिकारी

 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>राजस्थान राजपत्र विशेषांक</p>	<p>RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary</p>
	<p>साधिकार प्रकाशित</p>	<p>Published by Authority</p>
	<p>माघ 29, गुरुवार, शके 1942-फरवरी 18, 2021 Magha 29, Thursday, Saka 1942- February 18, 2021</p>	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

अधिसूचना

जोधपुर, फरवरी, 18 2021

संख्या एफ 37/निदे.आयो./जे.डी.ए./सामान्य/2021/1221 :- जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 24 के अनुसरण में, इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 23 (योजना तैयार करने और उसे मंजूर किये जाने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया) की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मास्टर डवलपमेन्ट प्लान (2013-2031), जोधपुर रीजन तैयार कर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2021 के द्वारा अनुमोदित किया गया, जो धारा 24 (योजना के प्रवर्तन की तारीख) की अनुपालना में दिनांक- 18 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा।

इस मास्टर डवलपमेन्ट प्लान (2013-2031) की प्रतिलिपियों का निरीक्षण, जिला कलक्टर जोधपुर के कार्यालय, नगर निगम जोधपुर उत्तर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण के कार्यालय, जिला परिषद जोधपुर के कार्यालय तथा संबंधित सभी पंचायत समितियों के कार्यालयों में सभी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है, और प्रतियाँ जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के कार्यालय से खरीदी जा सकती हैं।

हरभान मीणा,

सचिव,

जोधपुर विकास प्राधिकरण,

जोधपुर।

1504

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।